

# 21 31 43 C 21

नवंबर भाग-2

(संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009 Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501 Email: help@groupdrishti.in

# अनुक्रम

शासन व्यवस्था		4	अंतर्राष्ट्रीय संबंध	39
>	पूर्ववर्ती पेंशन योजना	4	> G-20 शिखर सम्मेलन 2022	39
>	कैदियों का UIDAI नामांकन	5	<ul><li>कार्बन बॉर्डर टैक्स</li></ul>	40
>	डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2022	6	<ul><li>भारत-नॉर्वे हरित समुद्री क्षेत्र</li></ul>	42
>	ग्रेट निकोबार का विकास	8	<ul><li>भारत और खाड़ी सहयोग परिषद</li></ul>	45
>	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	11	हिंद-प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता (IPRD -2022)	47
>	सोलर रूफटॉप	13	<ul> <li>चीन-हिंद महासागर क्षेत्रीय मंच की बैठक</li> </ul>	47
>	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना	14	<ul><li>चौथा भारत-फ्राँस वार्षिक रक्षा संवाद</li></ul>	49
>	बिहार में पहला ई-कलेक्ट्रेट	15		
>	भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र की स्थिति	17	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	5
भा	रतीय राजनीति	19	<ul><li>आर्टेमिस 1 हेतु तीसरा प्रयास</li></ul>	5
-111			<ul><li>खाद्य-पशु खेती और रोगाणुरोधी प्रतिरोध</li></ul>	53
	धर्मांतरण	19	<ul> <li>KKNP हेतु रूस का उन्नत ईंधन विकल्प</li> </ul>	54
	अर्द्ध-न्यायिक न्यायालयों का संचालन	20	<ul><li>ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान -C54</li></ul>	57
$\triangleright$	भारत निर्वाचन आयोग	21		
	असम-मेघालय सीमा विवाद	23	जैव विविधता और पर्यावरण	58
	संविधान दिवस	24	<ul><li>भारत की शुद्ध शून्य उत्सर्जन रणनीति</li></ul>	58
भार	रतीय अर्थव्यवस्था	26	<ul> <li>जलवायु परिवर्तन और वैश्विक स्वास्थ्य</li> </ul>	59
<b>&gt;</b>	भारत के शहरी बुनियादी ढाँचे हेतु वित्तपोषण	26	<ul><li>अमेजन वर्षावन</li></ul>	6
<b>A</b>	भारत में रूसी बैंको के वोस्ट्रो खाते	28	<ul><li>रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल</li></ul>	62
<b>&gt;</b>	फ्रेंडशोरिंग	30	<ul><li>कार्बन रिमूवल मैकेनिज्म हेतु अनुशंसाएँ</li></ul>	63
<b>&gt;</b>	NIIF की शासी परिषद की 5वीं बैठक	30	<ul><li>जलवायु परिवर्तन की क्षितिपूर्ति</li></ul>	64
>	कोयले की बढ़ती मांग	31	<ul><li>अपशिष्ट जल प्रबंधन</li></ul>	6
<b>&gt;</b>	धीमी जमा वृद्धि पर RBI की चिंता	32	<ul><li>लॉस एंड डैमेज फंड</li></ul>	68
>	ग्रामीण दैनिक मजदूरी	33	<ul><li>2022 की गंभीर जलवायु आपदाएँ और COP27</li></ul>	69
>	RBI के गैर-अनुपालन संबंधी आदेशों पर चिंता	34	<ul><li>CITES के पक्षकारों का 19वाँ सम्मेलन</li></ul>	70
>	भारत में बेरोज़गारी	35	<ul><li>हिममंडल क्षित</li></ul>	72
>	राष्ट्रीय दुग्ध दिवस	37	<ul><li>रूस का परमाणु-संचालित आइसब्रेकर</li></ul>	73

<ul><li>प्लास्टिक का जीवनचक्र</li></ul>	74	<ul><li>विश्व शौचालय दिवस</li></ul>	109
<ul><li>एशिया में जलवायु स्थिति, 2021</li></ul>	76	<ul><li>निकोबारी होदी शिल्प</li></ul>	110
<ul><li>CCUS पॉलिसी फ्रेमवर्क</li></ul>	78	<ul><li>रानी लक्ष्मीबाई</li></ul>	111
		<ul><li>काशी तिमल संगमम</li></ul>	112
भूगोल	81	<ul><li>कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी</li></ul>	113
<ul><li>दुर्लभ मृदा धातु</li></ul>	81	<ul><li>ओलिव रिडले कछुए</li></ul>	114
सामाजिक न्याय	97	<ul><li>नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022</li></ul>	115
	87	ग्रेट नॉट	115
<ul><li>विश्व की आबादी 8 अरब</li></ul>	87	<ul><li>जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक</li></ul>	116
<ul><li>सुगम्य भारत अभियान</li></ul>	88	<ul><li>रोजगार मेला और कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल</li></ul>	118
<ul><li>नई चेतना-पहल बदलाव की</li></ul>	91	> अरिट्टापट्टी जैवविविधता विरासत स्थल	118
भारतीय इतिहास	93	<ul><li>गरुड़ शक्ति</li></ul>	121
<ul><li>जनजातीय गौरव दिवस</li></ul>	93	> मार्ग (MAARG) पोर्टल	121
<ul> <li>अहोम साम्राज्य के सेनापित लाचित बोड़फुकन</li> </ul>	93	🕨 हाथीदाँत व्यापार की पुन: शुरुआत और भारत	122
<ul> <li>महमूद गजनवी</li> </ul>	95	मसौदा विमान सुरक्षा नियम, 2022	123
7 10 24 131131		► HADR अभ्यास समन्वय-2022	124
भारतीय विरासत और संस् ति	98	लीथ्स सॉफ्टशेल टर्टल	124
बालीयात्रा	98	नसीम अल बहर 2022	124
<ul><li>सूफीवाद</li></ul>	99	<ul><li>गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस</li></ul>	125
		🕨 धम्म दीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय	127
आंतरिक सुरक्षा	101	UNESCO एशिया-प्रशांत पुरस्कार	127
<ul><li>नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस 2022</li></ul>	101	ब्लूबिगंग	128
		संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार	129
एथिक्स	103	संगीत नाटक अकादमी	129
प्रिलिम्स फैक्ट्स	105	<ul><li>SARAS 3 टेलीस्कोप और पहले तारे का</li></ul>	संकेत 129
•	105	लाल ग्रह दिवस	130
<ul> <li>राष्ट्रीय प्रेस दिवस</li> </ul>	105	काले प्रवाल	130
<ul><li>फोटोनिक क्रिस्टल</li></ul>	105	<ul><li>हिमालयी याक</li></ul>	131
<ul> <li>उद्योग संक्रमण शिखर सम्मेलन नेतृत्त्व</li> </ul>	106	<ul><li>अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस</li></ul>	132
<ul> <li>राष्ट्रीय प्रेस दिवस</li> </ul>	106	> सेमी-ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी	133
<ul><li>डिजिटल शक्ति 4.0</li><li>पाटन पटोला</li></ul>	107	> शक्ति (SHAKTI) नीति	133
	107	<ul><li>फुजिवारा प्रभाव</li></ul>	134
<ul><li>फिनफ्लुएंसर</li><li>मृली बाँस</li></ul>	108	<u> </u>	
🖊 नूरा। भारत	109	रैपिड फायर	136

#### शासन व्यवस्था

# पूर्ववर्ती पेंशन योजना

#### चर्चा में क्यों?

हाल ही में कुछ राजनीतिक दलों द्वारा पूर्ववर्ती पेंशन योजना को बहाल करने का वादा किया गया।

#### पूर्ववर्ती पेंशन योजनाः

- परिचयः
  - यह योजना सेवानिवृत्ति के बाद आजीवन आय का आश्वासन देती है।
  - पूर्ववर्ती पेंशन योजना (OPS) के तहत कर्मचारियों को पूर्व निर्धारित फार्मूले के अनुसार पेंशन मिलती थी जो अंतिम आहरित वेतन का आधा (50%) होता है तथा उन्हें वर्ष में दो बार महँगाई राहत (Dearness Relief) में संशोधन का भी लाभ मिलता था। भुगतान निर्धारित था और वेतन से कोई कटौती नहीं की जाती थी। इसके अलावा OPS के तहत सामान्य भविष्य निधि (General Provident Fund-GPF) का भी प्रावधान था।
    - GPF भारत में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिये उपलब्ध है। मूल रूप से यह सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने वेतन का एक निश्चित प्रतिशत GPF में योगदान करने की अनुमित देता है। साथ ही कुल राशि जो रोजगार की अविध के दौरान जमा होती है, सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को भगतान की जाती है।
  - पेंशन पर होने वाले खर्च को सरकार वहन करती है। वर्ष 2004 में इस योजना को बंद कर दिया गया था।
- चुनौतियाँ:
  - वित्त रहित पेंशन देयता:
    - मुख्य समस्या यह थी कि पेंशन देयता वित्तपोषित नहीं थी अर्थात् पेंशन के लिये विशेष रूप से ऐसा कोई कोष नहीं था, जो लगातार बढ़े और भुगतान के लिये उपयोग किया जा सके।
    - भारत सरकार द्वारा बजट में प्रत्येक वर्ष पेंशन का प्रावधान किया जाता है, भविष्य में साल-दर-साल भुगतान करने के तरीके पर कोई स्पष्ट योजना नहीं थी।

#### अस्थिरताः

 OPS भी अस्थिर था। हालाँकि पेंशन देनदारियाँ बढ़ती रहेंगी क्योंकि पेंशनरों के लाभ में प्रत्येक वर्ष वृद्धि होगी, जैसे मौजूदा कर्मचारियों का वेतन, पेंशनरों को इंडेक्सेशन से प्राप्त लाभ या जिसे 'महँगाई राहत' कहा जाता है।

- इसके अलावा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से जीवन प्रत्याशा
   में वृद्धि होगी और दीर्घायु में वृद्धि का अर्थ विस्तारित
   भुगतान होगा।
- इससे केंद्र और राज्य सरकारों पर पेंशन का भारी बोझ पड़ा है।

# संबद्ध चिंताओं को दूर करने के लिये बनी योजनाएँ:

- वर्ष 1998 में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वृद्धावस्था सामाजिक एवं आय सुरक्षा (OASIS) परियोजना के लिये एक रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया। विशेषज्ञ समिति द्वारा इस रिपोर्ट को जनवरी 2000 में प्रस्तुत किया गया।
- OASIS का प्राथमिक उद्देश्य उन असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित था जिन्हें वृद्धावस्था में आय सुरक्षा संबंधी समस्याएँ थी।
- OASIS रिपोर्ट के अनुसार, निवेशकों को तीन अलग-अलग प्रकार के फंड में निवेश करना चाहिये, यथा: वृद्धि, संतुलित और सुरक्षित। ये फंड छह अलग-अलग फंड प्रबंधकों द्वारा प्रस्तुत किये जाएंगे।
- शेष राशि का निवेश कॉर्पोरेट बॉण्ड या सरकारी प्रतिभूतियों में किया जाएगा। इसके लिये विशेष सेवानिवृत्ति खाते होंगे और इसमें कम-से-कम 500 रुपए प्रतिवर्ष निवेश करने की आवश्यकता होगी।
- सेवानिवृत्ति के बाद सेवानिवृत्ति खाते से कम-से-कम 2 लाख रुपए का उपयोग बीमा खरीदने के लिये किया जाएगा।
  - एक बीमा प्रदाता इस राशि का निवेश करता है और उस व्यक्ति के शेष जीवन तक एक निश्चित मासिक आय प्रदान करता है जो कि रिपोर्ट तैयार करने के समय 1,500 रुपए थी।

# नई पेंशन योजना की पेशकश के कारण:

- परिचय:
  - OASIS रिपोर्ट ही नई पेंशन योजना का आधार बनी, जिसे दिसंबर 2003 में अधिसूचित किया गया था।
  - केंद्र सरकार ने जनवरी 2004 से प्रभावी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) की शुरुआत की (सशस्त्र बलों को छोड़कर)।
    - वर्ष 2018-19 में NPS को कारगर बनाने तथा इसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NPS के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभान्वित करने हेत् योजना में बदलावों को मंज़री दी।
  - पेंशन देनदारियों से छुटकारा पाने के तरीके के रूप में NPS को सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था।

- 2000 के दशक की शुरुआत के शोध का हवाला देते हुए एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार, भारत का पेंशन ऋण नियंत्रण से परे के स्तर तक पहुँच रहा था।
- NPS की शुरुआत के बाद केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन)
   नियम, 1972 में संशोधन किया गया था।
- सेवानिवृत्ति के बाद एक व्यक्ति पेंशन राशि का एक हिस्सा एकमुश्त निकाल सकता है और शेष का उपयोग नियमित आय के लिये बीमा खरीदने के लिये कर सकता है।

#### कार्यान्वयनः

- NPS को देश में PFRDA (पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण) द्वारा कार्यान्वित एवं विनियमित किया जा रहा है।
- PFRDA द्वारा स्थापित नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट (NPST), NPS के तहत सभी पिरसंपत्तियों का पंजीकृत मालिक है।

#### विशेषताएँ:

- NPS का अखिल नागरिक मॉडल 18-70 वर्ष की आयु के भारत क सभी नागरिकों (NRIs सिंहत) को NPS में शामिल होने की अनुमित देता है।
- यह एक भागीदारी योजना है, जहाँ कर्मचारी अपने वेतन से अपने पेंशन कोष में योगदान करते हैं, जिसमें सरकार का भी समान योगदान होता है। इसके बाद फंड को पेंशन फंड मैनेजर्स के माध्यम से निर्धारित निवेश योजनाओं में निवेश किया जाता है।
  - इस NPS में सरकार द्वारा नियोजित लोग NPS में अपने मूल वेतन का 10% योगदान करते हैं, जबिक उनके नियोक्ता 14% तक योगदान करते हैं।
  - वर्ष 2019 में वित्त मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास पेंशन फंड (PF) और निवेश पैटर्न का चयन करने का विकल्प है।
- रिटायरमेंट के समय वे कॉर्पस का 60% निकाल सकते हैं, जो टैक्स-फ्री है और बाकी 40% ऐन्युइटी में निवेश किया जाता है, जिस पर टैक्स लगता है।
- यहाँ तक कि निज़ी व्यक्ति भी इस योजना का विकल्प चुन सकते हैं।

# NPS के साथ समस्याएँ:

OPS के विपरीत NPS में कर्मचारियों को महँगाई भत्ते के साथ मूल वेतन का 10% जमा करने की आवश्यकता होती है। GPF का कोई लाभ नहीं है और पेंशन की राशि तय नहीं है। इस योजना के साथ प्रमुख मुद्दा यह है कि यह बाजार से जुड़ा हुआ है तथा रिटर्न-आधारित है। सरल शब्दों में भुगतान अनिश्चित है।

# कैदियों का UIDAI नामांकन

#### चर्चा में क्यों?

हाल ही में देश भर में जेल कैदियों को नामांकित करने के लिये एक विशेष उपाय के रूप में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) कैदी प्रेरण दस्तावेज (PID) को आधार के नामांकन या अद्यतन के लिये एक वैध दस्तावेज के रूप मे को स्वीकार करने के लिये सहमत हो गया है।

हालाँकि कैदियों को आधार सुविधा देने का अभियान 2017 में शुरू किया गया था, लेकिन यह प्रक्रिया उम्मीद के मुताबिक आगे नहीं बढ़ी क्योंकि योजना हेतु नामांकन के लिय UIDAI द्वारा निर्धारित वैध सहायक दस्तावेज की आवश्यकता होती है।

#### भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरणः

- सांविधिक प्राधिकरण: UIDAI 12 जुलाई, 2016 को आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों का पालन करते हुए 'इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय' के अधिकार क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है।
  - UIDAI की स्थापना भारत सरकार द्वारा जनवरी 2009 में योजना आयोग के तत्त्वावधान में एक संलग्न कार्यालय के रूप में की गई थी।
- जनादेश: UIDAI को भारत के सभी निवासियों को एक 12-अंकीय विशिष्ट पहचान (UID) संख्या (आधार) प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है।
  - देश में समग्र आधार संतृप्ति स्तर 93% को पार कर गया है,
     और वयस्क आबादी के मामले में यह लगभग 100% है।

#### आधार का महत्त्व:

- पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देना: आधार नंबर ऑनलाइन एवं किफायती तरीके से सत्यापन योग्य है।
  - यह डुप्लीकेट और नकली पहचान को खत्म करने में अद्वितीय है तथा इसका उपयोग कई सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु किया जाता है जिससे पारदर्शिता एवं सुशासन को बढावा मिलता है।
- निचले स्तर तक मददः आधार ने बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को पहचान प्रदान की है जिनकी पहले कोई पहचान नहीं थी।
  - इसका उपयोग कई प्रकार की सेवाओं में किया गया है तथा इसने वित्तीय समावेशन, ब्रॉडबैंड और दूरसंचार सेवाओं, नागरिकों के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण में पारदर्शिता लाने में मदद की है।

- तटस्थः आधार संख्या किसी भी जाति, धर्म, आय, स्वास्थ्य और भूगोल के आधार पर लोगों को वर्गीकृत नहीं करती है।
  - आधार संख्या पहचान का प्रमाण है, हालॉॅंक आधार संख्या इसके धारक को नागरिकता या अधिवास का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है।
- जन-केंद्रित शासनः आधार सामाजिक और वित्तीय समावेशन, सार्वजिनिक क्षेत्र की सुविधाओं तक पहुँच में सुधारों, वित्तीय बजटों के प्रबंधन, सुविधा बढ़ाने और समस्या मुक्त जन-केंद्रित शासन को बढ़ावा देने के लिये एक रणनीतिक नीति उपकरण है।
- स्थायी वित्तीय पता: आधार को स्थायी वित्तीय पते के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, यह समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के वित्तीय समावेशन की सुविधा प्रदान करता है, अत: न्याय और समानता का एक उपकरण है।
  - इस प्रकार आधार पहचान मंच 'डिजिटल इंडिया' के प्रमुख स्तंभों में से एक है।

# आधार से संबंधित चिंताएँ:

- आधार डेटा का दुरुपयोगः
  - देश में कई निजी संस्थाएँ आधार कार्ड पर जोर देती हैं और उपयोगाकर्ता अक्सर विवरण साझा करते हैं।
  - इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है कि यें संस्थाएँ कैसे इन डेटा को स्रिक्षत रखती हैं।
  - हाल ही में कोविड-19 परीक्षण के साथ, कई लोगों ने देखा होगा
     िक अधिकांश प्रयोगशालाएँ आधार कार्ड के डेटा पर जोर देती
     हैं, जिसमें एक फोटोकॉपी भी शामिल है।
    - यह ध्यान दिया जाना चाहिये कि कोविड-19 परीक्षण करवाने के लिये इसे साझा करना अनिवार्य नहीं है।

#### जुबरन थोपनाः

- वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि आधार प्रमाणीकरण को केवल भारत के समेकित कोष से भुगतान किये गए लाभों के लिये अनिवार्य बनाया जा सकता है और आधार के विफल होने पर पहचान सत्यापन के वैकल्पिक साधन हमेशा प्रदान किये जाने चाहिये।
  - बच्चों को छूट दी गई थी लेकिन आँगनवाड़ी सेवाओं या स्कूल में नामांकन जैसे बुनियादी अधिकारों के लिये बच्चों से नियमित रूप से आधार की मांग की जाती रही है।

#### मनमाना बहिष्करणः

 केंद्र और राज्य सरकारों ने आधार के साथ कल्याणकारी लाभों के जुड़ाव को लागू करने के लिये "अल्टीमेटम पद्धित" का नियमित उपयोग किया है। इस पद्धित में यदि प्राप्तकर्त्ता सही समय में लिंकेज निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, जैसे कि अपने जॉब कार्ड, राशन कार्ड या बैंक खाते को आधार से लिंक करने में विफल होने पर लाभ को वापस ले लिया जाता है या निलंबित कर दिया जाता है।

#### • धोखाधड़ी-प्रवृत्त आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली ( AePS ):

- AePS एक ऐसी सुविधा है जो किसी ऐसे व्यक्ति को सक्षम बनाती है जिसके पास आधार से जुड़ा खाता है, वह भारत में कहीं से भी "बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट" के साथ बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से पैसे निकाल सकता है- एक तरह का मिनी-एटीएम।
  - भ्रष्ट व्यापार कॉरेस्पोंडेंट द्वारा इस सुविधा का बड़े पैमाने
     पर दुरुपयोग किया गया है।

#### आगे की राह

- ज़रूरतमंदों को निरंतर लाभ सुनिश्चित करनाः
  - उन नामों का अग्रिम प्रकटीकरण, जिन्हें हटाए जाने की संभावना है, साथ ही प्रस्तावित विलोपन का कारण।
  - प्रभावित लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी करना और उन्हें जवाब देने या अपील करने का अवसर (पर्याप्त समय के साथ) प्रदान करना।
  - दिनांक और कारण सिंहत विलोपन के सभी मामलों का पूर्व एवं पश्चात प्रकटीकरण।

# • ठोस सुरक्षा उपायों की आवश्यकताः

 भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) को आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली की कमजोरियों और बेहतर शिकायत निवारण सुविधाओं के खिलाफ तत्काल ठोस सुरक्षा उपाय करने चाहिये।

# डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2022

# चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने एक संशोधित व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक जारी किया है, जिसे अब डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2022 कहा जाता है।

- व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 को वापस लेने के 3 महीने बाद यह विधेयक पेश किया गया है।
  - डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2022 के सात सिद्धांत:
- सबसे पहले संगठनों द्वारा व्यक्तिगत डेटा का उपयोग इस तरह से किया जाना चाहिये जो संबंधित व्यक्तियों के लिये वैध, निष्पक्ष और पारदर्शी हो।
- दूसरे, व्यक्तिगत डेटा का उपयोग केवल उन उद्देश्यों के लिये किया
   जाना चाहिये जिनके लिये इसे एकत्र किया गया हो।

- तीसरा सिद्धांत डेटा न्यूनीकरण की बात करता है।
- चौथा सिद्धांत संग्रह की बात आने पर डेटा सटीकता पर जोर देता है।
- पाँचवाँ सिद्धांत कहता है कि कैसे एकत्र किये गए व्यक्तिगत डेटा को "डिफॉल्ट रूप से स्थायी तौर पर संग्रहीत नहीं किया जा सकता है" और भंडारण एक निश्चित अविध तक सीमित होना चाहिये।
- छठा सिद्धांत कहता है कि यह सुनिश्चित करने के लिये उचित सुरक्षा
   उपाय होने चाहिये कि "व्यक्तिगत डेटा का कोई अनिधकृत संग्रह या
   प्रसंस्करण नहीं हो"।
- सात सिद्धांत कहता है कि "जो व्यक्ति व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के उद्देश्य और साधनों को तय करता है, उसे इस तरह के प्रसंस्करण के लिये जवाबदेह होना चाहिये"।

# डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक की मुख्य विशेषताएँ:

- डेटा प्रिंसिपल और डेटा न्यासी:
  - डेटा प्रिंसिपल उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसका डेटा एकत्र किया जा रहा है।
    - बच्चों (<18 वर्ष) के मामले में उनके माता-पिता/वैध अभिभावकों को उनके "डेटा प्रिंसिपल" माना जाएगा।
  - डेटा न्यासी इकाई (व्यक्तिगत, कंपनी, फर्म, राज्य आदि) है, जो "िकसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के उद्देश्य और साधनों" को तय करता है।
    - व्यक्तिगत डेटा "कोई भी ऐसा डेटा, जिसके द्वारा किसी
       व्यक्ति की पहचान की जा सकती है"।
  - प्रसंस्करण का अर्थ है व्यक्तिगत डेटा के संबंध में पूरा होने वाला
     "संचालन का चक्र" ही प्रसंस्करण कहलाता है।

# महत्त्वपूर्ण डेटा न्यासी:

- महत्त्वपूर्ण डेटा न्यासी वे हैं जो व्यक्तिगत डेटा की उच्च मात्रा से निपटते हैं। केंद्र सरकार कई कारकों के आधार पर परिभाषित करेगी कि इस श्रेणी के तहत किसे नामित किया जाना है।
  - ऐसी इकाइयों को एक 'डेटा संरक्षण अधिकारी' और एक स्वतंत्र डेटा ऑडिटर नियुक्त करना होगा।
- व्यक्तियों के अधिकार:
  - जानकारी तक पहुँच:
    - विधेयक यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तियों को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं में "बुनियादी जानकारी तक पहुँचने" में सक्षम होना चाहिये।
- सहमित का अधिकार:
  - व्यक्तियों को उनके डेटा को संसाधित करने से पहले सहमित देने
     की आवश्यकता होती है और "प्रत्येक व्यक्ति को पता होना

- चाहिये कि व्यक्तिगत डेटा के कौन से आइटम एक डेटा फिड्यूशरी एकत्र करना चाहते हैं और इस तरह के संग्रह एवं आगे की प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है"।
- व्यक्तियों को डेटा फिड्यूशरी से सहमित वापस लेने का भी अधिकार है।

#### • नष्ट करने का अधिकार:

डेटा प्रिंसिपल के पास डेटा फिड्यूशरी द्वारा एकत्र किये गए
 डेटा को मिटाने और सुधार की मांग करने का अधिकार होगा।

#### • नामांकित करने का अधिकार:

 डेटा प्रिंसिपल्स को किसी ऐसे व्यक्ति को नामांकित करने का भी अधिकार होगा जो अपनी मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में इन अधिकारों का प्रयोग करेगा।

#### • डेटा संरक्षण बोर्ड:

- विधेयक में विधेयक का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये
   डेटा संरक्षण बोर्ड के गठन का भी प्रस्ताव है।
- डेटा फिड्यूशरी से असंतोषजनक प्रतिक्रिया के मामले में उपभोक्ता डेटा संरक्षण बोर्ड में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

#### • सीमा पार डेटा स्थानांतरण:

विधेयक सीमा पार भंडारण एवं डेटा को "कुछ अधिसूचित देशों और क्षेत्रों" में स्थानांतरित करने की अनुमित देता है, बशर्ते उनके पास उपयुक्त डेटा सुरक्षा परिदृश्य हो तथा सरकार वहाँ से भारतीयों के डेटा तक पहुँच सके।

#### • वित्तीय दंडः

# डेटा फिड्यूशरी हेतुः

- विधेयक उन व्यवसायों पर दंड लगाने का प्रस्ताव करता है
   जो डेटा उल्लंघनों से गुजरते हैं या उल्लंघन होने पर उपयोगकर्त्ताओं को सुचित करने में विफल रहते हैं।
- जुर्माना 50 करोड़ रुपए से लेकर 500 करोड़ रुपए तक लगाया जाएगा।

# डेटा प्रिंसिपल हेतुः

 यदि कोई उपयोगकर्त्ता ऑनलाइन सेवा के लिये साइन-अप करते समय झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करता है या तुच्छ शिकायत दर्ज करता है, तो उपयोगकर्त्ता पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

#### • छूट:

- सरकार कुछ व्यवसायों को उपयोगकर्त्ताओं की संख्या और इकाई द्वारा संसाधित व्यक्तिगत डेटा की मात्रा के आधार पर विधेयक के प्रावधानों का पालन करने से छूट दे सकती है।
  - यह देश के स्टार्टअप्स को ध्यान में रखते हुए किया गया है
     जिन्होंने शिकायत की थी कि व्यक्तिगत डेटा संरक्षण
     विधेयक, 2019 बहुत अधिक "अनुपालन गहन" था।

- राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित छूट, पिछले (वर्ष 2019) संस्करण के समान, बरकरार रखी गई है।
  - भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव या किसी भी संज्ञेय अपराध को रोकने के हित में केंद्र को अपनी एजेंसियों को विधेयक के प्रावधानों का पालन करने से छूट देने का अधिकार दिया गया है।

#### डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक का महत्त्व:

- नया विधेयक भारत में डेटा के स्थानीय भंडारण की पिछले विधेयक की विवादास्पद आवश्यकता से हटकर, सीमा पार डेटा प्रवाह पर महत्त्वपूर्ण रियायतें प्रदान करता है।
- यह डेटा स्थानीयकरण आवश्यकताओं पर अपेक्षाकृत नरम रुख प्रदान करता है और वैश्विक गंतव्यों का चयन करने के लिये डेटा हस्तांतरण की अनुमित देता है इससे देश-दर-देश व्यापार समझौतों को बढावा देने की संभावना है।
- विधेयक डेटा प्रिंसिपल के पोस्टमॉर्टम प्राईवेसी (सहमित वापस लेने) के अधिकार को मान्यता देता है जो PDP विधेयक, 2019 में नहीं था लेकिन संयुक्त संसदीय सिमित (JPC) द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी।

# भारत ने डेटा संरक्षण व्यवस्था को कैसे मज़बूत किया?

- न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ 2017:
  - अगस्त 2017 में न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मित से कहा कि भारतीयों के पास निजता का संवैधानिक रूप से संरक्षित मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता का एक अभिन्न अंग है।

# • बी.एन. श्रीकृष्ण समिति 2017:

- सरकार ने अगस्त 2017 में न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में डेटा संरक्षण के लिये विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की, जिसने डेटा संरक्षण विधेयक से संबंधित मसौदा और अपनी रिपोर्ट जुलाई 2018 में प्रस्तुत की।
  - रिपोर्ट में भारत में गोपनीयता कानून को मज़बूत करने के लिये अनेकों सिफारिशें हैं, जिनमें डेटा के प्रसंस्करण और संग्रह पर प्रतिबंध, डेटा संरक्षण प्राधिकरण, भूल जाने का अधिकार, डेटा स्थानीयकरण आदि शामिल हैं।

- सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021
  - आईटी नियम (2021) के तहत सोशल मीडिया साइट्स को अपने द्वारा होस्ट की जाने वाली सामग्री का अधिक ध्यान रखना आवश्यक है।

# अन्य देशों में डेटा संरक्षण कानून:

- यूरोपीय संघ मॉडलः
  - सामान्य डेटा संरक्षण विनियम व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिये व्यापक डेटा संरक्षण कानून पर केंद्रित है।
  - यूरोपीय संघ में, निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में निहित है जो किसी व्यक्ति की गरिमा और उसके द्वारा उत्पन्न डेटा पर उसके अधिकार की रक्षा करने पर लक्षित है।
- संयुक्त राष्ट्र मॉडलः
  - अमेरिका में गोपनीयता अधिकारों या सिद्धांतों का कोई समग्र विनियम नहीं है जैसा कि EU का GDPR, जो डेटा के उपयोग, संग्रह और प्रकटीकरण को विनियमित करता है।
  - इसके बजाय यह सीमित क्षेत्र-विशिष्ट विनियमन है। सार्वजिनक और निजी क्षेत्रों के लिये डेटा सुरक्षा के प्रति दृष्टिकोण अलग है।
    - गोपनीयता अधिनियम, इलेक्ट्रॉनिक संचार गोपनीयता अधिनियम जैसे व्यापक कानून के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी तथा सरकार की गतिविधियों और शक्तियों को अच्छी तरह से परिभाषित एवं सूचित किया गया है।
    - निजी क्षेत्र के लिये कुछ क्षेत्र आधारित विशिष्ट मानदंड हैं।

#### 🕨 चीन मॉडल:

- पिछले 12 महीनों में डेटा गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी जारी किये गए नए चीनी कानूनों में व्यक्तिगत सूचना संरक्षण कानून (PIPL) शामिल है जो नवंबर 2021 में लागू हुआ था।
  - यह चीनी डेटा विनियामकों को नए अधिकार प्रदान करता है ताकि व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग को रोका जा सके।
- डेटा सुरक्षा कानून (DSL), जो सितंबर 2021 में लागू हुआ, व्यावसायिक डेटा को उनके महत्त्व के स्तरों के आधार पर वर्गीकृत करने की आवश्यकता है। DSL सीमा पार हस्तांतरण पर नए प्रतिबंध आरोपित करता है।

# ग्रेट निकोबार का विकास

# चर्चा में क्यों?

हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण ग्रेट निकोबार द्वीप पर 72,000 करोड़ रुपए की महत्त्वाकांक्षी विकास परियोजना के लिये पर्यावरणीय मंज़ूरी दी है।  इस परियोजना को अगले 30 वर्षों में तीन चरणों में लागू किया जाना है।

#### प्रस्ताव:

- इसमें ग्रीनफील्ड शहर प्रस्तावित किया गया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांस-शिपमेंट टर्मिनल (ICTT), ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और बिजली संयंत्र शामिल हैं।
- बंदरगाह को भारतीय नौसेना द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, जबिक हवाई अड्डे के दोहरे सैन्य-नागरिक कार्य के साथ ही पर्यटन को भी बढावा देगा।
- द्वीप के दक्षिण-पूर्वी और दक्षिणी तटों के साथ-साथ कुल 166.1
   वर्ग किमी. की पहचान 2 किमी. और 4 किमी. के बीच चौड़ाई
   वाली तटीय पट्टी के साथ परियोजना के लिये की गई है।
- करीब 130 वर्ग किमी. के जंगलों को डायवर्जन के लिये मंज़ूरी दी गई है, जहाँ 9.64 लाख पेडों के काटे जाने की संभावना है।

# द्वीप को विकसित करने का उद्देश्य:

- आर्थिक कारण:
  - ग्रेट निकोबार कोलंबो से दक्षिण-पश्चिम और पोर्ट क्लैंग एवं सिंगापुर से दक्षिण-पूर्व में समान दूरी पर है तथा पूर्व-पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कॉरिडोर के करीब स्थित है, जिसके माध्यम से दुनिया के शिपिंग व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा संचालित होता है।
  - प्रस्तावित ICTT संभावित रूप से इस मार्ग पर यात्रा करने वाले मालवाहक जहाजों के लिये एक केंद्र बन सकता है।
  - नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित बंदरगाह कार्गों ट्रांसिशपमेंट में एक प्रमुख खिलाड़ी बनकर ग्रेट निकोबार को क्षेत्रीय और वैश्विक समुद्री अर्थव्यवस्था में भाग लेने की अनुमति देगा।

#### रणनीतिक कारणः

- ग्रेट निकोबार को विकसित करने का प्रस्ताव पहली बार वर्ष 1970 के दशक में पेश किया गया था, और राष्ट्रीय सुरक्षा तथा हिंद महासागर क्षेत्र के समेकन के लिये इसके महत्त्व को बार-बार रेखांकित किया गया है।
- बंगाल की खाड़ी और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दावे ने हाल के वर्षों में इस अनिवार्यता को और बढ़ा दिया है।

# संबंधित चिंताएँ:

 पारिस्थितिक रूप से महत्त्वपूर्ण और नाजुक क्षेत्र में प्रस्तावित बड़े पैमाने पर बुनियादी ढाँचे के विकास ने कई पर्यावरणविदों को चिंतित कर दिया है।

- वृक्षावरण की क्षित न केवल द्वीप पर वनस्पितयों और जीवों को प्रभावित करेगा बिल्क इससे समुद्र में अपवाह और तलछट जमाव में भी वृद्धि होगी जिससे क्षेत्र में प्रवाल भित्तियाँ प्रभावित होंगी।
- पर्यावरणिवदों ने विकास परियोजना के परिणामस्वरूप द्वीप पर मैंग्रोव के नुकसान को भी चिह्नित किया है।
   चिंताओं को दूर करने हेतु सरकार के कदम:
- भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण (ZSI) वर्तमान में यह आकलन करने की प्रक्रिया में है कि परियोजना के लिये कितनी प्रवाल भित्ति को स्थानांतरित करना होगा।
  - भारत ने इससे पहले मन्नार की खाड़ी से कच्छ की खाड़ी में एक प्रवाल भित्ति का सफलतापूर्वक स्थानांतरण किया है।
- लेदरबैक कछुए के लिये एक संरक्षण योजना भी बनाई जा रही है।
- सरकार के अनुसार पिरयोजना स्थल कैंपबेल खाड़ी और गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान के पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों के बाहर है।

# ग्रेट निकोबार द्वीप समूहः

- परिचयः
  - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी भाग ग्रेट निकोबार का क्षेत्रफल 910 वर्ग किमी. है।
    - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की पूर्वी खाड़ी में लगभग 836 द्वीपों का एक समूह है, जिसके दो समूह 150 किलोमीटर चौड़े दस डिग्री चैनल द्वारा अलग किये गए हैं।
    - चैनल के उत्तर में अंडमान द्वीप और दक्षिण में निकोबार द्वीप समृह स्थित हैं।
  - ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो इंडोनेशियाई द्वीपसमूह के सबसे उत्तरी द्वीप से 150 किमी. से भी कम दूरी पर है।
  - इसमें 1,03,870 हेक्टेयर अद्वितीय और संकटग्रस्त उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं।
  - यह एक बहुत समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसमें एंजियोस्पर्म, फ़र्न, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स की 650 प्रजातियाँ शामिल हैं।
  - जीवों के संदर्भ में यहाँ 1800 से अधिक प्रजातियाँ हैं, जिनमें से कुछ इस क्षेत्र के लिये स्थानिक हैं।

# पारिस्थितिक विशेषताएँ:

ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व पारिस्थितिक तंत्र के एक विस्तृत स्पेक्ट्रम को आश्रय देता है जिसमें उष्णकटिबंधीय गीले सदाबहार वन, समुद्र तल से 642 मीटर (माउंट थुलियर) की ऊंचाई तक पहुँचने वाली पर्वत शृंखलाएँ और तटीय मैदान शामिल हैं

- ग्रेट निकोबार में दो राष्ट्रीय उद्यानों, एक बायोस्फीयर रिज़र्व हैं
- राष्ट्रीय उद्यान: कैंपबेल बे नेशनल पार्क और गैलाथिया नेशनल पार्क
- बायोस्फीयर रिजर्व: ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व।

#### • जनजातिः

- लगभग 200 की संख्या में मंगोलॉयड शोम्पेन जनजाति, विशेष रूप से निदयों और नालों के किनारे बायोस्फीयर रिजर्व के जंगलों में रहते हैं।
- एक अन्य मंगोलियाई जनजाति, निकोबारी, लगभग 300 की संख्या में, पश्चिमी तट के साथ बस्तियों में रहती थी।
  - वर्ष 2004 में सुनामी ने जिन पश्चिमी तट की बस्तियों को तबाह कर दिया था, उन्हें उत्तरी तट और कैम्पबेल खाड़ी में अफरा खाड़ी क्षेत्र में पुन:स्थापित कर दिया गया था।



# पशु क्रूरता निवारण ( संशोधन ) विधेयक-2022 का मसौदा

# चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सरकार ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 में संशोधन करने के लिये पशु क्रूरता निवारण (संशोधन) विधेयक-2022 का मसौदा पेश किया है।

 यह मसौदा मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है।

# प्रस्तावित संशोधनः

- वहशीता ( Bestiality ) एक अपराधः
  - मसौदे में 'वीभत्स क्रूरता' की नई श्रेणी के तहत अपराध के रूप
     में 'पशुओं' को शामिल किया गया है।
    - "बेस्टियलिटी" का अर्थ है मनुष्य और पशु के बीच किसी
       भी प्रकार की यौन गितिविध या यौन संसर्ग ।
    - वीभत्स क्रूरता को "एक ऐसा कार्य जो पशुओं को अत्यधिक दर्द और पीड़ा देता है तथा आजीवन विकलांगता या मृत्यु का कारण बन सकता है", के रूप में पिरभाषित किया गया है।

#### वीभत्स क्रूरता के लिये दंड:

न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उस क्षेत्र के पशु चिकित्सकों के परामर्श से न्यूनतम 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है और इसे बढ़ाकर 75,000 रुपए किया जा सकता है, या जुर्माना राशि न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित की जा सकती है, जो भी अधिक हो, या अधिकतम एक वर्ष का कारावास जिसे तीन वर्ष तक बढाया जा सकता है।

#### • पशु हत्या के लिये दंड:

जुर्माने के साथ अधिकतम 5 वर्ष का कारावास।

#### पशुओं के लिये स्वतंत्रताः

- मसौदे में एक नई धारा 3A को शामिल करने का भी प्रस्ताव है,
   जो पशुओं को 'पाँच प्रकार की स्वतंत्रताएँ' प्रदान करता है।
- िकसी पशु को रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा
   िक वह यह सुनिश्चित करे कि उसकी देखभाल में रह रहे पशु
   के निम्नलिखित अधिकार हों:
  - प्यास, भूख और कुपोषण से मुक्ति
  - पर्यावरण के कारण होने वाली असुविधा से मुक्ति
  - दर्द, चोट और बीमारियों से मुक्ति
  - प्रजातियों के लिये सामान्य व्यवहार व्यक्त करने की स्वतंत्रता
  - भय और संकट से मुक्ति

# • सामुदायिक पशुः

- सामुदायिक पशुओं के मामले में स्थानीय सरकार उनकी देखभाल के लिये जिम्मेदार होगी।
- मसौदा प्रस्तावों में सामुदायिक पशु को "एक समुदाय में पैदा होने वाले पशु के रूप में पेश किया गया है, जिसके लिये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत परिभाषित जंगली पशुओं को छोड़कर किसी स्वामित्व का दावा नहीं किया गया है।

# पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960

#### परिचयः

- इस अधिनियम का उद्देश्य 'पशुओं को अनावश्यक दर्द पहुँचाने या पीड़ा देने से रोकना' है, जिसके लिये अधिनियम में पशुओं के प्रति अनावश्यक क्रूरता और पीड़ा पहुँचाने के लिये दंड का प्रावधान किया गया है।
- वर्ष 1962 में इस अधिनियम की धारा 4 के तहत भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) की स्थापना की गई थी।
- यह अधिनियम पशुओं और पशुओं के विभिन्न रूपों को पिरभाषित करने के साथ ही वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिये पशुओं पर प्रयोग (experiment) से संबंधित दिशा-निर्देश प्रदान करता है।

- पहले अपराध के मामले में जुर्माना जो दस रुपए से कम नहीं होगा लेकिन यह पचास रुपए तक हो सकता है।
- पिछले अपराध के तीन वर्ष के भीतर किये गए दूसरे या बाद के अपराध के मामले में जुर्माना पच्चीस रुपए से कम नहीं होगा, लेकिन यह एक सौ रुपए तक हो सकता है या तीन महीने तक कारावास की सजा या दोनों हो सकती है।
- यह वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिये पशुओं पर प्रयोग से संबंधित
   दिशा-निर्देश प्रदान करता है।
- यह अधिनियम पशुओं की प्रदर्शनी और पशुओं का प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ अपराधों से संबंधित प्रावधान करता है।

#### आलोचनाः

सज्ञा की तीव्रता कम होने, "क्रूरता" की अपर्याप्त परिभाषा और अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखे बिना एक ही सज्ञा लागू करने के कारण इस अधिनियम की 'प्रजातिवादी' होने के संबंध में आलोचना की गई है (सरल शब्दों में कहें तो, यह ऐसी धारणा है जिसमे मनुष्य एक बेहतर प्रजाति है जिसके पास अधिक अधिकार होने चाहिये)।

#### प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

# चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि वह हाल के जलवायु संकट और तेज़ी से तकनीकी विकास के जवाब में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में किसान-समर्थक परिवर्तन करने के लिये तैयार है।

# प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ( PMFBY ):

#### • परिचयः

- PMFBY को वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया तथा इसे कृषि
   और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जा रहा है।
- इसने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS) को परिवर्तित कर दिया।

#### • पात्रताः

 अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगाने वाले पट्टेदार/ जोतदार किसानों सिहत सभी किसान कवरेज के लिये पात्र हैं।

#### उद्देश्यः

प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों या किसी भी तरह से

- फसल के खराब होने की स्थित में एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करना ताकि किसानों की आय को स्थिर करने में मदद मिल सके।
- खेती में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिये किसानों की आय को स्थिर करना।
- किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करना।
- कृषि क्षेत्र के लिये ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करना।

#### बीमा किस्तः

- इस योजना के तहत किसानों द्वारा दी जाने वाली निर्धारित बीमा
   किस्त/प्रीमियम- खरीफ की सभी फसलों के लिये 2% और
   सभी रबी फसलों के लिये 1.5% है।
- वार्षिक वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों के मामले में बीमा
   किस्त 5% है।
- उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर जहाँ यह 90:10 है, इन सीमाओं से अधिक प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 50:50 के आधार पर साझा किया जाता है।
- सरकारी सिब्सिडी की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। यहाँ तक कि
   अगर शेष प्रीमियम 90% है, तो यह सरकार द्वारा वहन किया
   जाएगा।
  - इससे पहले प्रीमियम दर को सीमित करने का प्रावधान था,
     जिसके परिणामस्वरूप किसानों को कम दावों के आधार
     पर भुगतान किया जाता था।
  - यह ऊपरी सीमा अब हटा दी गई है और किसानों को बिना किसी कटौती के पूरी बीमा राशि का दावा प्राप्त होगा।

#### दायराः

- पीएमएफबीवाई वर्तमान में िकसान नामांकन के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी तथा औसतन 5.5 करोड़ आवेदन एवं प्राप्त प्रीमियम के मामले में यह तीसरी सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है।
- मौसम से प्रभावित वर्ष 2017, 2018 और 2019 के खराब मौसम के दौरान यह योजना किसानों की आजीविका को सुरक्षित करने में एक निर्णायक कारक साबित हुई, जिसमें कई राज्यों में दावों का भुगतान अनुपात (Claims Paid Ratio) एकत्र सकल प्रीमियम के मुकाबले 100% से अधिक रहा।



#### हाल ही के परिवर्तन:

- यह योजना कभी ऋणी किसानों के लिये अनिवार्य थी, लेकिन वर्ष 2020 में केंद्र सरकार ने इसमें बदलाव कर इसे सभी किसानों के लिये वैकल्पिक बना दिया।
- केंद्र ने फरवरी 2020 में अपनी प्रीमियम सिब्सिडी को असिंचित क्षेत्रों के लिये 30% और सिंचित क्षेत्रों के लिये 25% (मौजूदा असीमित से) तक सीमित करने का फैसला किया। इससे पहले केंद्रीय सिब्सिडी की कोई ऊपरी सीमा नहीं थी।
- हाल ही में शुरू की गई मौसम सूचना और नेटवर्क डेटा सिस्टम (WINDS) प्रौद्योगिकी पर आधारित उपज अनुमान प्रणाली (YES-Tech) वास्तविक समय अवलोकनों और फसलों की तस्वीरों का संग्रह (CROPIC) अधिक दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिये इस योजना के तहत उठाए गए कुछ प्रमुख कदम हैं।

# योजना से संबंधित मुद्देः

- राज्यों की वित्तीय बाधाएँ: राज्य सरकारों की वित्तीय बाधाएँ और सामान्य मौसम के दौरान कम दावा अनुपात इन राज्यों द्वारा योजना के गैर-कार्यान्वयन के प्रमुख कारण हैं।
  - राज्य ऐसी स्थिति से निपटने में असमर्थ हैं जहाँ बीमा कंपनियाँ किसानों को उनके द्वारा और केंद्र से एकत्र किये गए प्रीमियम से कम मुआवजा देती हैं।

- राज्य सरकारें समय पर धन जारी करने में विफल रहीं जिससे बीमा मुआवजा जारी करने में देरी हुई।
- यह योजना के मूल उद्देश्य, जो कि कृषक समुदाय को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है, को विफल करता है।
- दावा निपटान मुद्दे: कई किसान मुआवजे के स्तर और निपटान में देरी दोनों से असंतुष्ट हैं।
  - बीमा कंपिनयों की भूमिका और शक्ति महत्त्वपूर्ण है। कई मामलों
     में इसने स्थानीय आपदा के कारण हुए नुकसान की जाँच नहीं
     की और इसलिये दावों का भगतान नहीं किया गया।
- कार्यान्वयन के मुद्देः बीमा कंपिनयों ने उन समूहों के लिये बोली लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है जो फसल के नुकसान से ग्रस्त हैं।
  - इसके अलावा यह बीमा व्यवसाय की प्रकृति में है कि जब फसल की विफलता कम होती है और इसके विपरीत होती है तो संस्थाएँ पैसा कमाती हैं।

#### आगे की राहः

 कृषि-प्रौद्योगिकी और ग्रामीण बीमा संघ वित्तीय समावेशन और इस योजना की विश्वसनीयता में वृद्धि के लिये काफी प्रभावी फॉर्मूला हो सकता है।

- विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 अगले 10 वर्षों की अवधि में चरम मौसम जोखिम को दूसरे सबसे बड़े जोखिम के रूप में वर्गीकृत करती है। इसलिये किसानों को उनकी वित्तीय स्थिति की रक्षा करने तथा उन्हें खेती जारी रखने एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये प्रोत्साहित करने हेतू एक सुरक्षा जाल प्रदान करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है।
- इस योजना से जुड़े सभी लंबित मुद्दों को हल करने के लिये राज्यों और केंद्र सरकारों के बीच व्यापक पुनर्विचार किये जाने की आवश्यकता है ताकि किसानों को इस योजना का लाभ मिल सके।
- इसके अलावा इस योजना के तहत सब्सिडी का भुगतान करने के बजाय राज्य सरकार को उस पैसे को एक नए बीमा मॉडल में निवेश करना चाहिये।

# सोलर रूफटॉप

#### चर्चा में क्यों?

मेरकॉम रिसर्च इंडिया के अनुसार, जुलाई से सितंबर 2022 की अवधि में भारत में रूफटॉप सौर क्षमता स्थापना 29% घटकर 320 मेगावाट हो गई।

#### रिसर्च के निष्कर्ष:

- संचयी स्थापनाः
  - 2022 की तीसरी तिमाही के अंत में संचयी रूफटॉप सोलर (Rooftop Solar- RTS) स्थापना (इंस्टॉलेशन) 3 GW तक प्हुँच गई।
  - 🔷 उच्चतम रूफटॉप सौर प्रतिष्ठानों के साथ गुजरात अग्रणी राज्य बन गया, इसके बाद महाराष्ट्र और राजस्थान का स्थान रहा।
  - संचयी रूफटॉप सौर प्रतिष्ठानों का लगभग 73% हिस्सा शीर्ष 10 राज्यों में है।

# इंस्टॉलेशन में गिरावट:

 वर्ष 2022 में जनवरी-सितंबर के दौरान 1,165 मेगावाट का इंस्टॉलेशन वर्ष 2021 के इन्हीं नौ महीने की अवधि में 1.310 मेगावाट इंस्टॉलेशन की तुलना में 11% कम है।

#### गिरावट का कारण:

- लागत में वृद्धि होने के कारण सौर इंस्टॉलेशन में कमी आ रही है।
- ♦ निर्माता और मॉड्यूल की स्वीकृत सूची (Approved List of Module and Manufacturers-ALMM) के कारण बाजार आपूर्ति की समस्या से जूझ रहा है, जिससे इंस्टॉलर के लिये आमतौर पर व्यवसाय करना मुश्किल हो रहा है।

#### रूफटॉप सोलर:

#### परिचय:

- रूफटॉप सोलर एक फोटोवोल्टिक प्रणाली है जिसमें बिजली पैदा करने वाले सौर पैनल आवासीय या व्यावसायिक भवन या संरचना की छत पर लगे होते हैं।
- रूफटॉप माउंटेड सिस्टम मेगावाट रेंज क्षमता वाले ग्राउंड-माउंटेड फोटोवोल्टिक पावर स्टेशनों की तुलना में छोटे होते हैं।
- आवासीय भवनों पर रूफटॉप पीवी सिस्टम में आमतौर पर लगभग 5 से 20 किलोवाट (kW) की क्षमता होती है, जबकि वाणिज्यिक भवनों पर यह 100 किलोवाट या उससे अधिक होती हैं।

#### चुनौतियाँ:

#### फ्लप-फ्लॉपिंग नीतियाँ:

- हालाँकि कई कंपनियों ने सौर ऊर्जा का उपयोग करना शुरू कर दिया है, किंतु 'फ्लिप-फ्लॉपिंग' नीतियाँ (नीतियों में अचानक परिवर्तन) इस संबंध में एक बड़ी बाधा बनी हुई हैं, खासकर बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के संदर्भ में।
- उद्योग के अधिकारियों का कहना है कि जब डिस्कॉम और राज्य सरकारों ने इस क्षेत्र के लिये नियमों को कड़ा करना शुरू किया तो RTS कई उपभोक्ता क्षेत्रों के लिये महत्त्वपूर्ण
- भारत के वस्तु और सेवा कर (GST) परिषद ने हाल ही में सौर प्रणाली के कई घटकों के GST को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया है।
- इससे RTS की पूंजीगत लागत 4-5% बढ़ जाएगी।

#### नियामक ढाँचाः

- RTS खंड का विकास नियामक ढाँचे पर अत्यधिक निर्भर है।
- धीमी वृद्धि मुख्य रूप से RTS खंड हेतु राज्य-स्तरीय नीति समर्थन की अनुपस्थिति या वापसी के कारण हुई है, विशेष रूप से व्यापार और औद्योगिक खंड के लिये जो लक्षित उपभोक्ताओं का बडा हिस्सा है।

#### नेट और ग्रॉस मीटरिंग पर असंगत नियम:

- नेट मीटरिंग नियम इस क्षेत्र की प्रमुख बाधाओं में से एक
- एक रिपोर्ट के अनुसार, बिजली मंत्रालय के नए नियम, जो 10 किलोवाट (kW) से ऊपर के रूफटॉप सोलर सिस्टम को नेट-मीटरिंग से बाहर रखते हैं, भारत में इस तरह के इंस्टॉलेशन देश के रूफटॉप सोलर टारगेट को प्रभावित करेंगे।

- नए नियमों में रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स के लिये 10 kW तक नेट-मीटरिंग और 10 kW से ऊपर के लोड वाले सिस्टम के लिये ग्रॉस मीटरिंग अनिवार्य है।
- नेट मीटरिंग आरटीएस सिस्टम द्वारा उत्पादित अधिशेष
   बिजली को ग्रिड में वापस फीड करने की अनुमति देता है।
- सकल मीटरिंग योजना के तहत राज्य बिजली वितरण कंपनियाँ (DISCOMS) उपभोक्ताओं द्वारा ग्रिंड को आपूर्ति की जाने वाली सौर ऊर्जा के लिये एक निश्चित फीड-इन-टैरिफ के साथ उपभोक्ताओं को मुआवजा देती हैं।

#### कम वित्तपोषणः

- वाणिज्यिक संस्थान और आवासीय क्षेत्र बैंक ऋण प्राप्त करके ग्रिड से जुड़े आरटीएस स्थापित करने के इच्छुक हैं।
- केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Union Ministry of New and Renewable Energy- MNRE) ने बैंकों को आरटीएस के लिये रियायती दरों पर ऋण देने की सलाह दी है। हालाँकि राष्ट्रीयकृत बैंक शायद ही RTS को ऋण देते हैं।
- इस प्रकार कई निजी संस्थान बाजार में आ गए हैं जो RTS के लिये 10-12% जैसी उच्च दरों पर ऋण प्रदान करते हैं।

# सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतू योजनाएँ:

- रूफटॉप सोलर योजना: योजना का मुख्य उद्देश्य घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा उत्पन्न करना है। साथ ही नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने ग्रिड से जुड़ी रूफटॉप सोलर योजना के चरण 2 के कार्यान्वयन की घोषणा की है।
  - इसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक रूफटॉप सौर परियोजनाओं से 40,000 मेगावाट की संचयी क्षमता हासिल करना है।
- िकसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान: इस योजना में ग्रिड से जुड़े अक्षय ऊर्जा बिजली संयंत्र (0.5 - 2 मेगावाट) / सौर जल पंप / ग्रिड से जुड़े कृषि पंप शामिल हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance- ISA): ISA, भारत की एक पहल है जिसे 30 नवंबर, 2015 को पेरिस, फ्राँस में भारत के प्रधानमंत्री और फ्राँस के राष्ट्रपति द्वारा पार्टियों के सम्मेलन (COP-21) में शुरू किया गया था। इस संगठन के सदस्य देशों में वे 121 सौर संसाधन संपन्न देश शामिल हैं जो पूर्ण या आंशिक रूप से कर्क और मकर रेखा के मध्य स्थित हैं।
- वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड (OSOWOG): यह वैश्विक सहयोग को सुविधाजनक बनाने हेतु एक रूपरेखा पर केंद्रित है, जो

- परस्पर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों (मुख्य रूप से सौर ऊर्जा) के वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर उसे साझा करता है।
- राष्ट्रीय सौर मिशन (जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में राष्ट्रीय कार्ययोजना का एक हिस्सा)।

#### आगे की राह

- RTS को आसान वित्तपोषण, अप्रतिबंधित नेट मीटरिंग और एक आसान नियामक प्रक्रिया की आवश्यकता है। सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों व अन्य प्रमुख उधारदाताओं को खंड को उधार देने के लिये निर्धारित किया जा सकता है।
- भारतीय RTS खंड की चुनौतियों का सामना करने के लिये कुछ मौजूदा बैंक लाइन ऑफ क्रेडिट को अनुकूलित किया जा सकता है जिससे इस क्षेत्र को डेवलपर्स के लिये और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है।

# प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना

# चर्चा में क्यों?

अधिकांश अर्थशास्त्री सभी कृषि सिब्सिडी को प्रत्यक्ष आय सहायता अर्थात् किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण में बदलने की वकालत करते हैं।

#### प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ( DBT ) योजनाः

- उद्देश्यः इस योजना को लाभार्थियों तक सूचना एवं धन के तीव्र प्रवाह एवं वितरण प्रणाली में धोखाधड़ी को कम करने के लिये सहायता के रूप में परिकल्पित किया गया है।
- कार्यान्वयनः इसे भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2013 को सरकारी वितरण प्रणाली में सुधार करने हेतु एक मिशन के रूप में शुरू किया गया था।
  - महालेखाकार कार्यालय की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के पुराने संस्करण यानी 'सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनीटरिंग सिस्टम' को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिये एक प्लेटफॉर्म के रूप में चुना गया था।
- DBT के घटक: प्रत्यक्ष लाभ योजना के क्रियान्वयन के प्राथमिक घटकों में लाभार्थी खाता सत्यापन प्रणाली; RBI, NPCI, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों के साथ एकीकृत, स्थायी भुगतान एवं समाधान मंच शामिल है (जैसे बैंकों के कोर बैंकिंग समाधान, RBI की निपटान प्रणाली और NPCI की आधार पेमेंट प्रणाली आदि)।
- DBT के तहत योजनाएँ: DBT के तहत 53 मंत्रालयों की 310 योजनाएँ हैं। कुछ महत्त्वपूर्ण योजनाएँ हैं:
  - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन,
     प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पीएम किसान, स्वच्छ भारत
     मिशन ग्रामीण, अटल पेंशन योजना, राष्ट्रीय आयुष मिशन।

 आधार अनिवार्य नहीं: DBT योजनाओं में आधार अनिवार्य नहीं है। चूँिक आधार विशिष्ट पहचान प्रदान करता है और इच्छित लाभार्थियों को लक्षित करने में उपयोगी है, इसलिये आधार को प्राथमिकता दी जाती है और लाभार्थियों को आधार के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।

#### DBT के लाभ:

- सेवाओं के कवरेज का विस्तार: एक मिशन-मोड दृष्टिकोण में, इसने सभी परिवारों के लिये बैंक खाते खोलने, सभी के लिये आधार का विस्तार करने और बैंकिंग तथा दूरसंचार सेवाओं के कवरेज को बढाने का प्रयास किया।
- तत्काल और आसान मनी ट्रांसफर: इसने आधार पेमेंट ब्रिज बनाया ताकि सरकार से लोगों के बैंक खातों में तत्काल धन हस्तांतरण किया जा सके।
  - इस दृष्टिकोण ने न केवल सभी ग्रामीण और शहरी परिवारों को सीधे अपने बैंक खातों में सब्सिडी ग्राप्त करने के लिये विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत विशिष्ट रूप से जोड़ने की अनुमति दी, बल्कि आसानी से धन भी हस्तांतरित किया।
- वित्तीय सहायताः ग्रामीण भारत में, DBT ने सरकार को कम लेन-देन लागत वाले किसानों को प्रभावी ढंग से और पारदर्शी रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करने की अनुमित दी है।
- वित्त का हस्तांतरण और सामाजिक सुरक्षाः शहरी भारत में, PM आवास योजना और LPG पहल योजना पात्र लाभार्थियों को धन हस्तांतरित करने के लिये DBT का सफलतापूर्वक उपयोग करती है। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएँ और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये DBT आर्किटेक्चर का उपयोग करते हैं।
- नए अवसरों का द्वारः मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिये स्वरोजगार योजना (Self Employment Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers-SRMS) जैसे पुनर्वास कार्यक्रमों के तहत DBT नए अवसर प्रदान करता है जो समाज के सभी वर्गों की सामाजिक गतिशीलता को सक्षम बनाता है।

# DBT से संबंधित चुनौतियाँ:

- अभिगम्यता का अभावः नामांकन करने का प्रयास करने वाले नागरिकों द्वारा सामना की जाने वाली सबसे प्रमुख समस्याओं में से एक नामांकन केंद्रों तक पहुँच/निकटता की कमी, अनुपलब्धता, या नामांकन के लिये जिम्मेदार अधिकारियों/संचालकों की अनियमित उपलब्धता आदि है।।
- सुविधाओं की कमी: अभी भी कई ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र हैं,
   जिनमें बैंकिंग सुविधा एवं सड़क संपर्क नहीं है। वित्तीय साक्षरता की
   भी आवश्यकता है जो लोगों में जागरूकता बढ़ाएगी।

- अनिश्चितताएँ: आवेदनों को स्वीकार करने और आगे बढ़ाने में देरी जैसी समस्या है। आवश्यक दस्तावेजीकरण और उसमें पाई गई त्रुटियों/समस्याओं को प्राप्त करने में कठिनाई होती है।।
- प्रक्रिया में व्यवधानः DBT के माध्यम से उनके बैंक खातों में धन प्राप्त करने के संदर्भ में सबसे प्रमुख मुद्दों में से एक भुगतान कार्यक्रम में व्यवधान है।
  - व्यवधान के कारण आधार विवरण में वर्तनी की त्रुटियाँ, लंबित KYC, बंद या निष्क्रिय बैंक खाते, आधार और बैंक खाते के विवरण में बेमेल आदि हो सकते हैं।
- लाभार्थियों की कमी: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), तेलंगाना सरकार के रायथु बंधु और आंध्र प्रदेश के वाईएसआर रायथु भरोसा सहित विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) योजनाएँ पटाईदार किसानों तक नहीं पहुँचती हैं, यानी पट्टे की भृमि पर खेती करने वालों तक नहीं पहुँचती हैं।

#### आगे की राह

- नवोन्मेष का व्यवस्थितकरणः नवोन्मेष प्रणाली को सशक्त बनाना कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता होगी।
  - यह भारत की आबादी की विविध जरूरतों को पूरा करने और संतुलित, न्यायसंगत तथा समावेशी विकास सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- उपलब्धताः विशेष रूप से ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं में नागरिकों के लिये नामांकन केंद्रों तक पहुँच बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है।
- सभी के लिये एक सामान्य निकाय: लाभार्थियों को उनके मुद्दों को हल करने में मदद करने के लिये सभी स्तरों- राज्य, जिला और ब्लॉक में सभी DBT योजनाओं के लिये एक सामान्य शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना।
- पट्टे पर देना (लीजिंग): वैसे किसान जिनके पास अपनी जमीन है अथवा वे जिन्होंने पट्टे पर ले रखा है, को समेकित जोत पर संचालन करने में मदद कर सकता है, साथ ही मालिकों को अपनी भूमि के नुकसान संबंधी जोखिम के बिना गैर-कृषि रोजगार में भी मदद करता है।

# बिहार में पहला ई-कलेक्ट्रेट

# चर्चा में क्यों?

भारतीय लालफीताशाही को समाप्त करने के उद्देश्य से सहरसा बिहार का पहला जिला बन गया जिसे पेपरलेस (ई-ऑफिस) घोषित किया गया।

#### ई-ऑफिस पहल

- ई-ऑफिस, ई-गवर्नेंस पहल के हिस्से के रूप में एक मिशन-मोड परियोजना है।
- ई-ऑफिस पहल वर्ष 2009 में शुरू हुई थी, लेकिन कागजी कार्रवाई के विशाल ढेर एक बाधा थी और अभी भी है यह ऐसी बाधा है जिसे पार करना बहुत कठिन है।
  - केरल में इडुक्की वर्ष 2012 में और हैदराबाद वर्ष 2016 में पेपरलेस हो गया था।
- इसका उद्देश्य कार्यप्रवाह तंत्र और कार्यालय प्रक्रिया नियमावली में सुधार के माध्यम से सरकारी मंत्रालयों और विभागों की परिचालन दक्षता में उल्लेखनीय सुधार करना है।

#### लालफीताशाही

- यह अत्यधिक विनियमन या औपचारिक नियमों के कठोर अनुपालन हेतु उपहासपूर्ण शब्द है जिसे अनावश्यक या नौकरशाही माना जाता है, यह कार्रवाई या निर्णय लेने में बाधा डालता है या रोकता है।
- यह आमतौर पर सरकार पर लागू होता है लेकिन निगमों जैसे अन्य संगठनों पर भी लागू किया जा सकता है।
- इसमें आम तौर पर प्रतीत होने वाली अनावश्यक कागजी कार्रवाई को भरना, अनावश्यक लाइसेंस प्राप्त करना, कई लोगों या समितियों द्वारा निर्णय तथा विभिन्न निम्न-स्तरीय नियम शामिल होते हंल जो किसी भी मामले को धीमा और/या अधिक जटिल बनाते हैं।

#### लालफीताशाही के परिणामः

# • व्यापार करने की लागत में वृद्धिः

- फॉर्म भरने में लगने वाले समय और धन के अलावा लालफीताशाही व्यवसायों में उत्पादकता और नवाचारों को कम करती है।
- छोटे व्यवसाय विशेष रूप से इससे बोझिल होते हैं, जो लोगों को एक नया व्यवसाय शुरू करने से हतोत्साहित कर सकता है।

#### खराब शासनः

लालफीताशाही के कारण अनुबंधों को लगातार लागू नहीं किया जाता है और प्रशासन में देरी होती है जिसके परिणामस्वरूप विशेष रूप से गरीबों के लिये न्याय में देरी होती है। विलंबित शासन और कल्याणकारी उपायों के वितरण में देरी के कारण लालफीताशाही आवश्यकताओं का बोझ कई लोगों को अपने अधिकारों के उपयोग से रोकता है।

#### • नागरिक असंतोष:

 सरकारी प्रसंस्करण के कारण होने वाली देरी और उनसे जुड़ी लागतें नागरिकों के बीच असंतोष का स्रोत बनी हुई हैं। लालफीताशाही ज्यादातर समय सरकार की प्रक्रिया में विश्वास की कमी की भावना उत्पन्न करती है, जिससे नागरिकों को अनसुलझी समस्याएँ होती हैं।

#### योजना के कार्यान्वयन में विलंब:

- लालफीताशाही से प्रभावित योजनाएँ अंततः उस बड़े उद्देश्य को खत्म कर देती है जिसके लिये उन्हें लॉन्च किया गया था।
- उचित निगरानी की कमी, धन जारी करने में देरी, आदि लालफीताशाही से जुड़े सामान्य मुद्दे हैं।

#### • भ्रष्टाचार:

- विश्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार लालफीताशाही बढ़ने के साथ भ्रष्टाचार बढ़ता है।
- व्यवसायों के सामान्य प्रवाह को जटिल करके, नौकरशाही
   भ्रष्टाचार को जन्म देती है और विकास को कम करती है।

# लालफीताशाही को खत्म करने की ज़रूरत:

#### • दक्षता बढ़ानाः

 डिजिटलीकरण दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने में मदद कर सकता है।

#### कर्मचारी की उत्पादकता में वृद्धिः

- इसने कर्मचारी के उत्पादन में वृद्धि की है और एक दस्तावेज को संसाधित करने के लिये आवश्यक श्रिमकों की संख्या को कम कर दिया है क्योंकि दस्तावेज एक दिन के भीतर संसाधित होते हैं।
- सरकारी सिस्टम में कहा जाता है कि कोई फाइल जितनी तेजी
   से आगे बढ़ेगी, उतनी ही तेजी से कोई पॉलिसी लागू होगी।

# जवाबदेही बढ़ानाः

 ऑनलाइन प्रणाली अधिक जवाबदे और कर्मचारी सदस्य अंत में उन्हीं दस्तावेजों के इंतजार में नहीं बैठ सकते।

# सुशासन की दिशा में एक कदमः

- सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था की दिशा में प्रौद्योगिकी का उपयोग अच्छा कदम है।
- जितनी अधिक तकनीक हम लागू करेंगे, हमारी सेवा वितरण जनता के लिये उतनी ही आसान होगी।

# आगे की राहः

अलग-अलग शहरी-ग्रामीण स्तर के सामाजिक-आर्थिक डेटाबेस के माध्यम से नियोजन के निम्न से ऊपर स्तर के दृष्टिकोण के साथ, सरकारी मंत्रालयों द्वारा एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें जल्द से जल्द जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिये डेटा संचालित नीतियों की पहचान करना, मूल्यांकन करना, लागू करना और निवारण करना शामिल है।

- ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकार के सभी स्तरों पर बदलाव की जरूरत है, लेकिन इस संदर्भ में स्थानीय सरकारों पर ध्यान ज्यादा केंद्रित होना चाहिये क्योंकि स्थानीय सरकारें नागरिकों के सबसे करीब होती हैं।
- बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ-साथ विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में
   डिजिटल अवसंरचना में सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।
  - क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से ई-गवर्नेंस भारत जैसे देशों के लिये सराहनीय है जहाँ कई भाषाई पृष्ठभूमि के लोग साथ रहते हैं।

# भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र की स्थिति

# चर्चा में क्यों?

हाल ही में पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह ने भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के 19वें स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, 2022 को संबोधित किया और इस क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डाला।

 CII सलाहकार एवं परामर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से उद्योग, सरकार और नागरिक समाज की भागीदारी के साथ भारत के विकास हेतु अनुकूल वातावरण बनाने और बनाए रखने के लिये काम करता है।

# मुख्य सिफारिशें/मुद्देः

- स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में शामिल करनाः
  - संविधान के अंतर्गत 'स्वास्थ्य' शब्द को समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिये।
  - 'द मिसिंग मिडिल' के लिये स्वास्थ्य बीमा को सार्वभौमिक बनाने की भी वकालत की।
    - द मिसिंग मिडिल (The Missing Middle): वे लोग जो न तो इतने अमीर हैं कि निजी स्वास्थ्य कवर खरीद सकें और न ही इतने गरीब कि सरकारी योजनाओं के लिये अर्हता प्राप्त कर सकें।

# सार्वजनिक परिव्यय में वृद्धिः

- वर्ष 2025 तक सार्वजिनक परिव्यय (स्वास्थ्य पर व्यय) को जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाने की आवश्यकता है।
  - यह इस वर्ष के बजट आँकड़ों की तुलना में एक बड़ी छलाँग होगी और राज्यों को स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये अपने बजट का 8% लिक्षत करने की आवश्यकता होगी, जो 'एक कठिन चुनौती' है।
- स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च में राज्यों में भिन्तताएँ:
  - आवश्यकता इस बात की है कि स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च और उसके परिणाम संबंधी अंतर-राज्यीय भिन्नताओं की पहचान की जाए।

- उदाहरण के लिये मेघालय को छोड़कर, कई राज्य अपने बजट का 8% से कम स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च कर रहे हैं। वर्ष 2018-19 में औसत 5.18% रहा है।
- बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड का प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च केरल और तिमलनाडु की तुलना में लगभग आधा है।

#### विकास वित्तीय संस्थानः

- वित्त आयोग प्रमुख ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये एक विकास वित्तीय संस्थान स्थापित करने का भी सुझाव दिया।
  - विकास वित्तीय संस्थान विशेष रूप से विकासशील देशों में विकास/परियोजना वित्त प्रदान करने के लिये स्थापित विशेष संस्थान हैं। ये आमतौर पर राष्ट्रीय सरकारों के स्वामित्त्व वाले होते हैं।

# • CSS का पुनर्गठनः

इसके अतिरिक्त, यह सुझाव दिया गया था कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes-CSS) को पुनर्गठित किया जाना चाहिये ताकि राज्यों द्वारा अपनाए जाने और नवाचार के लिये उन्हें और अधिक लचीला बनाया जा सके।

# भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का परिदृश्य:

#### • परिचयः

- स्वास्थ्य सेवाओं में अस्पताल, चिकित्सा उपकरण, नैदानिक परीक्षण, आउटसोर्सिंग, टेलीमेडिसिन, चिकित्सा पर्यटन, स्वास्थ्य बीमा और चिकित्सा उपकरण शामिल हैं।
- भारत की स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली को दो प्रमुख घटकों में वर्गीकृत किया गया है - सार्वजनिक और निजी।
  - सरकार (सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली) प्रमुख शहरों में सीमित माध्यमिक और तृतीयक देखभाल संस्थानों को शामिल करती है और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों (Primary Healthcare Centres-PHC) के रूप में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करती है।
  - निजी क्षेत्र, महानगरों या टियर-I और टियर-II शहरों में अधिकांश माध्यमिक, तृतीयक और चतुर्थक देखभाल संस्थान केंद्रित है।T

# भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र की क्षमताः

भारत का प्रतिस्पर्धात्मक लाभ अच्छी तरह से प्रशिक्षित चिकित्सा पेशेवरों के अपने बड़े पूल में निहित है। भारत एशिया और पश्चिमी देशों में अपने साथियों की तुलना में लागत प्रतिस्पर्धी भी है। भारत में सर्जरी की लागत अमेरिका या पश्चिमी यूरोप की तुलना में लगभग दसवाँ हिस्सा है।

- इस क्षेत्र में तेजी से वृद्धि के लिये भारत के पास सभी आवश्यक सामग्री है, जिसमें एक बड़ी आबादी, एक मजबूत फार्मा और चिकित्सा आपूर्ति शृंखला, 750 मिलियन से अधिक स्मार्टफोन उपयोगकर्त्ता तक आसान पहुँच के साथ विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप पूल और वैश्विक स्वास्थ्य समस्याओं को हल करने के लिये नवीन तकनीकी उद्यमी शामिल हैं।
- देश में विकास और नवाचार को बढ़ावा देने हेतु चिकित्सा उपकरणों का तेज़ी से नैदानिक परीक्षण करने के लिये लगभग 50 क्लस्टर होंगे।
- जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य समस्याओं के प्रभाव में बदलाव, वरीयताओं में बदलाव, बढ़ते मध्यम वर्ग, स्वास्थ्य बीमा में वृद्धि, चिकित्सा सहायता, बुनियादी ढाँचे के विकास और नीति समर्थन तथा प्रोत्साहन इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएँगे।
- वर्ष 2021 तक भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र भारत के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है क्योंकि इसमें कुल 4.7 मिलियन लोग कार्यरत हैं। इस क्षेत्र ने वर्ष 2017-22 के बीच भारत में 2.7 मिलियन अतिरिक्त नौकरियाँ उत्पन्न की हैं (प्रति वर्ष 500,000 से अधिक नई नौकरियाँ)।

#### स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र से संबंधित पहल:

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
- आयुष्मान भारत
- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना।
- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

#### आगे की राह

- भारत की बड़ी आबादी के कारण बोझ से दबे सरकारी अस्पतालों के बुनियादी ढाँचे में सुधार की तत्काल आवश्यकता है।
- सरकार को निजी अस्पतालों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, क्योंकि इनका स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान होता है।
- चूँिक कठिनाइयाँ गंभीर हैं और केवल सरकार द्वारा ही इसका समाधान नहीं किया जा सकता है, निजी क्षेत्र को भी इसमें शामिल होना चाहिये।



# भारतीय राजनीति

#### धर्मांतरण

#### चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से जबरन धर्मांतरण के मुद्दे से निपटने के लिये गंभीरतापूर्वक कदम उठाने को कहा है।

#### याचिका और न्यायालय का फैसला:

- इस याचिका में एक स्पष्टीकरण की मांग की गई थी कि "धमकी देकर, धोखे से उपहार और मौद्रिक लाभों के माध्यम से धर्मांतरण" संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 25 का उल्लंघन माना जाना चाहिये।
- दलील में कहा गया है कि वर्ष 1977 में रेव स्टेनिसलॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था: "यह ध्यान रखना होगा कि अनुच्छेद 25 (1) प्रत्येक नागरिक को 'अंतरात्मा की स्वतंत्रता' की गारंटी देता है, न कि केवल एक विशेष धर्म के अनुयायियों को और बदले में यह माना जाता है कि किसी भी अन्य व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्यों को इस तरह के धर्मांतरण की जाँच के लिये कड़े कदम उठाने के निर्देश देने को कहा।
- न्यायालय ने कहा है कि जबरन धर्मांतरण बेहद खतरनाक है और इससे देश की सुरक्षा व धर्म एवं अंतरात्मा की स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है।
- ऐसा इसलिये है क्योंकि यदि कोई व्यक्ति जान-बूझकर किसी अन्य व्यक्ति का धर्मांतरण करता है (जो कि उसके धर्म के सिद्धांतों को प्रसारित करने के सिद्धांत के प्रतिकूल है) तो यह देश के नागरिकों को प्रदत्त अंतरात्मा की स्वतंत्रता के अधिकार को कमजोर करेगा।

#### धर्मांतरण:

- धर्मांतरण का तात्पर्य किसी दूसरे धर्म के बिहष्कार के क्रम में किसी
   विशेष धार्मिक संप्रदाय के विश्वासों को अपनाना है।
- इस प्रकार "धर्मांतरण" में किसी संप्रदाय को छोड़कर दूसरे के साथ जुड़ना शामिल होता है।
  - उदाहरण के लिये ईसाई बैपिटस्ट से मेथोिडस्ट या कैथोिलक में
     और मुस्लिम शिया से सुन्नी में।
- कुछ मामलों में धर्मांतरण "धार्मिक पहचान के परिवर्तन और विशेष अनुष्ठानों के परिवर्तन का प्रतीक होता है"।

# धर्मांतरण विरोधी कानूनों की आवश्यकताः

- धर्मांतरण कराने का अधिकार नहीं:
  - संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है।
    - धर्मांतरण के तहत व्यक्ति किसी अन्य धर्म वाले को अपने धर्म में शामिल करने का प्रयास करता है।
  - अंत:करण और धर्म की स्वतंत्रता के व्यक्तिगत अधिकार का विस्तार धर्मांतरण के सामूहिक अधिकार के अर्थ में नहीं किया जा सकता है।
  - धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार धर्मांतरण करने वाले और परिवर्तित होने की मांग करने वाले व्यक्ति के लिये समान रूप से उपलब्ध है।
- कपटपूर्ण विवाहः
  - हाल के दिनों में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जिसमें लोग अपने धर्म को छुपाकर या गलत तरीके से दूसरे धर्म के व्यक्तियों के साथ शादी करते हैं तथा शादी के बाद ऐसे दूसरे व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित करने के लिये मजबूर करते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ:
  - हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने भी ऐसे मामलों का न्यायिक संज्ञान लिया है।
  - न्यायालय के अनुसार, इस तरह की घटनाएँ न केवल धर्मांतरित
     व्यक्तियों की धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती हैं बिल्क
     हमारे समाज के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने के भी खिलाफ हैं।

# भारत में धर्मांतरण विरोधी कानूनों की स्थिति:

- संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद-25 के तहत भारतीय संविधान धर्म को मानने, प्रचार करने और अभ्यास करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है तथा सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म के मामलों का प्रबंधन करने की अनुमित देता है, हालाँकि यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है।
  - कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक विश्वासों को जबरन लागू नहीं करेगा और इस प्रकार व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी भी धर्म का पालन करने के लिये मजबूर नहीं किया जाना चाहिये।
- मौजूदा कानूनः धार्मिक रूपांतरणों को प्रतिबंधित या विनियमित करने वाला कोई केंद्रीय कानून नहीं है।
  - हालाँकि वर्ष 1954 के बाद से कई मौकों पर धार्मिक रूपांतरणों को विनियमित करने हेतु संसद में निजी विधेयक पेश किये गए।

- इसके अलावा वर्ष 2015 में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने कहा था
   कि संसद के पास धर्मांतरण विरोधी कानून पारित करने की विधायी शक्ति नहीं है।
- वर्षों से कई राज्यों ने बल, धोखाधड़ी या प्रलोभन द्वारा किये गए धार्मिक रूपांतरणों को प्रतिबंधित करने हेतु 'धार्मिक स्वतंत्रता' संबंधी कानून बनाए हैं।

#### विभिन्न राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून:

- पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों ने बल, धोखाधड़ी या प्रलोभन द्वारा किये गए धर्म परिवर्तन को प्रतिबंधित करने के लिये 'धार्मिक स्वतंत्रता' कानून लागू किया है।
  - उड़ीसा धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 1967; गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2003; झारखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2017; उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2018; कर्नाटक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण अधिनियम, 2021।

# धर्मांतरण विरोधी कानूनों से संबद्ध मुद्देः

#### • अनिश्चित और अस्पष्ट शब्दावली:

- गलत बयानी, बल, धोखाधड़ी, प्रलोभन जैसी अनिश्चित और अस्पष्ट शब्दावली इसके दुरुपयोग हेतु एक गंभीर अवसर प्रस्तुत करती है।
- यह काफी अधिक अस्पष्ट और व्यापक शब्दावली है, जो धार्मिक स्वतंत्रता के संरक्षण से परे भी कई विषयों को कवर करती है।

#### अल्पसंख्यकों का विरोध:

- एक अन्य मुद्दा यह है कि वर्तमान धर्मांतरण विरोधी कानून धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु धर्मांतरण के निषेध पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं।
- हालाँकि धर्मांतरण निषेधात्मक कानून द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली व्यापक भाषा का इस्तेमाल अधिकारियों द्वारा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और भेदभाव करने के लिये किया जा सकता है।

# • धर्मनिरपेक्षता विरोधी:

 ये कानून भारत के धर्मिनरपेक्ष ताने-बाने और हमारे समाज के आंतरिक मूल्यों व कानूनी व्यवस्था की अंतर्राष्ट्रीय धारणा के लिये खतरा पैदा कर सकते हैं।

# आगे की राह

 ऐसे कानूनों को लागू करने के लिये सरकार को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सीमित न करते हों और न ही इनसे राष्ट्रीय एकता को क्षित पहुँचती हो; ऐसे कानूनों के मामले में स्वतंत्रता एवं दुर्भावनापूर्ण धर्मांतरण के मध्य संतुलन बनाना बहुत ही आवश्यक है।

# अर्द्ध-न्यायिक न्यायालयों का संचालन

#### चर्चा में क्यों?

प्रशासनिक और राजनीतिक नेतृत्त्व द्वारा उचित निरीक्षण एवं स्वामित्त्व का अभाव अर्द्ध-न्यायिक न्यायालयों के सामने सबसे गंभीर समस्या है।

 कई राज्य लंबित मामलों की संख्या या निपटान की दर के बारे में जानकारी संकलित नहीं करते हैं।

#### अर्द्ध-न्यायिक निकाय:

#### • परिचयः

- "अर्द्ध-न्यायिक निकाय" न्यायालय अथवा विधानमंडल के अतिरिक्त सरकार का एक अंग है, जो निजी हितधारकों के अधिकारों को कानून निर्माण द्वारा प्रभावित करता है।
- यह अनिवार्य नहीं है कि एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय को आवश्यक रूप से न्यायालय जैसा संगठन होना चाहिये।
  - उदाहरण के लिये भारत निर्वाचन आयोग भी एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है, लेकिन न्यायलय के समान इसके कर्त्तव्य प्राथमिक नहीं हैं।

#### भारत में अन्य अर्द्ध-न्यायिक निकाय:

- राष्ट्रीय हरित अधिकरण
- केंद्रीय सूचना आयोग (CIC)
- लोक अदालत
- वित्त आयोग
- राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग
- आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण
- रेल दावा न्यायाधिकरण

# • शासन में भूमिकाः

- पारंपरिक न्यायिक प्रक्रिया में खर्च के डर से आबादी के एक बड़े हिस्से का न्यायालयों की ओर रुख करने से हिचिकचाना आम बात थी जो कि न्याय के उद्देश्य की विफलता दर्शाती है।
  - वहीं अर्द्ध-न्यायिक निकायों की कुल लागत काफी कम होती है जो लोगों को उनकी शिकायतों के निवारण के लिये प्रोत्साहित करती है।
- अधिकरण और अन्य ऐसे निकाय आवेदन या साक्ष्य आदि जमा करने के लिये किसी लंबी या जटिल प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं।
- अर्द्ध-न्यायिक निकाय, विशिष्ट मामलों को उठाते समय न्यायपालिका की सहायता उसके कार्यभार को साझा करने के रूप में करते हैं।

- जैसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण पर्यावरण और प्रदूषण से संबंधित मामलों का फैसला करता है।
- अर्द्ध-न्यायिक निकाय सुलभ, जटिलताओं से मुक्त, विवाद निपटान के साथ कुशल विशेषज्ञों द्वारा संचालित होते हैं।

#### • चुनौतियाँ:

- लंबित मामलों पर बातचीत करने के संदर्भ में अर्द्ध-न्यायिक एजेंसियों पर विचार नहीं किया जाता है।
  - ये आमतौर पर राजस्व अधिकारियों द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं और बड़े पैमाने पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत भूमि, किरायेदारी, उत्पाद कर, हथियार, खनन या निवारक कार्यों से संबंधित होते हैं। आमतौर पर इनमें से कई कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी देखी जाती है।
  - कानून और व्यवस्था, प्रोटोकॉल, समन्वय एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों जैसे कर्तव्यों के चलते व्यस्तता के कारण उन्हें अदालत के काम के लिये बहुत कम समय मिल पाता है।
  - अदालत के क्लर्कों और रिकॉर्ड कीपरों तक उनकी पहुँच सीमित है। इनमें से कई साथ ही अदालतों में कंप्यूटर और वीडियो रिकॉर्डर की सुविधा उपलब्ध न होना।
  - पीठासीन अधिकारियों में से कई को कानून और प्रक्रियाओं की उचित जानकारी नहीं होती है, जो कई सिविल सेवकों के लिये हथियार लाइसेंस से संबंधित संवेदनशील मामलों में परेशानी का कारण बन जाता है।

# अर्द्ध-न्यायिक न्यायालयों में सुधार के लिये:

- सरकार को इन एजेंसियों के कुशल कामकाज को प्राथमिकता देनी चाहिये और इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये।
- इन एजेंसियों के कामकाज पर विस्तृत डेटा समय-समय पर कम-से-कम वार्षिक रूप से एकत्र और प्रकाशित किया जाना चाहिये।
  - इन्हें संबंधित विधानमंडलों के समक्ष रखा जाना चाहिये।
  - ये परिणाम कर्मचारियों की संख्या को तर्कसंगत बनाने के बारे में निर्णयों का आधार होना चाहिये।
- न्याय प्रशासन से संबंधित सभी सहायक कार्यों जैसे कि शिकायतें दर्ज करना, समन जारी करना, अदालतों के बीच मामले के रिकॉर्ड के आदान-प्रदान, निर्णयों की प्रतियाँ जारी करना आदि को सुव्यवस्थित करने के लिये एक इलेक्ट्रॉनिक मंच स्थापित किया जाना चाहिये।
  - यह इन निकायों के कामकाज का विश्लेषण करने और आँकड़ों के प्रकाशन की सुविधा के लिये एक ठोस आधार स्थापित कर सकता है।
- अधीनस्थ न्यायालयों का वार्षिक निरीक्षण अनिवार्य किया जाए।

- यह उच्च प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन के लिये एक महत्त्वपूर्ण संकेतक होना चाहिये। निरीक्षण पीठासीन अधिकारियों के अनुकूलित प्रशिक्षण का आधार बन सकता है।
- इन न्यायालयों के कामकाज पर अंत:विषय अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
  - यह सुधार के क्षेत्रों की पहचान करेगा जैसे कानूनी सुधार या स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करना।
- समय-समय पर निर्णायक अधिकारियों का नियमित प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण किया जाना चाहिये।
- इन अर्द्ध-न्यायिक न्यायालयों के प्रदर्शन का राज्य सूचकांक बनाना और प्रकाशित किया जाए।
  - यह अन्य राज्यों की तुलना में उनके प्रदर्शन की ओर राज्यों का ध्यान आकर्षित करेगा और उन्हें कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करेगा।
- महत्त्वपूर्ण निर्णयों, दिशा-निर्देशों और निर्देशों को संकलित किया जा सकता है एवं राजस्व बोर्ड जैसे शीर्ष निर्णायक फोरम के पोर्टल पर प्रकाशित किया जा सकता है।
  - ये निचले स्तर की एजेंसियों के लिये मददगार होंगे।
- न्यायिक कार्य संभालने वाले अधिकारियों का अधिक गहन प्रारंभिक प्रशिक्षण इसमें सहायक होगा।
  - प्रशिक्षुओं के बीच न्यायिक कार्य के महत्त्व को स्थापित किया जाना चाहिये और उनमें कौशल एवं आत्मविश्वास को विकसित किया जाना चाहिये।
- प्रिक्रियात्मक सुधार जैसे स्थगन को कम करना, लिखित बहस को अनिवार्य रूप से दाखिल करना और नागरिक प्रिक्रिया संहिता में सुधार के लिये विधि आयोग जैसे निकायों द्वारा प्रस्तावित ऐसे अन्य सुधारों को इन सहायक निकायों द्वारा अपनाया जाना चाहिये।

# भारत निर्वाचन आयोग

# चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय (SUPREME COURT) ने अपने एक हालिया निर्णय में इस बात का दावा किया है कि चुनाव आयुक्तों/निर्वाचन आयुक्तों की स्वतंत्रता के मामले में सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाएँ केवल मौखिक हैं क्योंकि जहाँ 1950 के दशक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष से भी अधिक समय का हुआ करता था वहीं वर्ष 2004 से अब तक यह कार्यकाल घटकर 300 दिनों से भी कम का रह गया है।

#### भारत निर्वाचन आयोग:

- परिचयः
  - भारत निर्वाचन आयोग जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है।

- चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी, 1950 (राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है) को संविधान के अनुसार की गई थी। आयोग का सिचवालय नई दिल्ली में है।
- यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति
   और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है।
  - इसका राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों
     से कोई संबंध नहीं है। इसके लिये भारत का संविधान
     अलग से राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान करता है।

#### संवैधानिक प्रावधानः

- भारतीय संविधान का भाग XV (अनुच्छेद 324-329): यह चुनावों से संबंधित है और इन मामलों हेतु एक आयोग की स्थापना करता है।
- अनुच्छेद 324: चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित है।
- अनुच्छेद 325: धर्म, जाित या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शािमल न करने और इनके आधार पर मतदान के लिये अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान।
- अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे।
- अनुच्छेद 327: विधानसभाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति।
- अनुच्छेद 328: ऐसे विधानमंडल के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने के लिये राज्य के विधानमंडल की शक्ति।
- अनुच्छेद 329: चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक।

#### ECI की संरचनाः

- मूल रूप से आयोग में केवल एक चुनाव आयुक्त थे लेकिन चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद इसे एक बहु-सदस्यीय निकाय बना दिया गया।
- चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) तथा अन्य चुनाव आयुक्त, जिन्हें राष्ट्रपित द्वारा समय-समय पर चुना जाता है वे भी इसमें शामिल होंगे।
- वर्तमान में इसमें CEC और दो चुनाव आयुक्त हैं।
  - राज्य स्तर पर चुनाव आयोग की मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा मदद की जाती है जो IAS रैंक का अधिकारी होता है।

# आयुक्तों की नियुक्ति और कार्यकालः

- राष्ट्रपति CEC और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है।
- उनका छह साल का एक निश्चित कार्यकाल होता है या 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो)।

 इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है और समान वेतन एवं भत्ते मिलते हैं।

#### • निष्कासनः

- वे कभी भी त्यागपत्र दे सकते हैं या उन्हें उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी हटाया जा सकता है।
- मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया की तरह ही पद से हटाया जा सकता है।

#### • सीमाएँ:

- संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यता (कानूनी, शैक्षिक, प्रशासनिक या न्यायिक) निर्धारित नहीं की गई है।
- संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को निर्दिष्ट नहीं किया गया है।
- संविधान ने सेवानिवृत्त हो रहे चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा
   किसी और नियुक्ति से वंचित नहीं किया है।

# ECI की शक्तियाँ और कार्य:

#### • प्रशासनिकः

- संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर देश भर में चुनाव निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना।
- मतदाता सूची तैयार करना और समय-समय पर संशोधित करना तथा सभी पात्र मतदाताओं को पंजीकृत करना।
- राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें चुनाव चिह्न आवंटित करना।
- चुनाव आयोग राजनीतिक दलों की आम सहमित से विकसित आदर्श आचार संहिता के सख्त पालन के माध्यम से राजनीतिक दलों के लिये चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करता है।
- यह चुनावों के संचालन हेतु चुनाव कार्यक्रम तय करता है, चाहे
   आम चुनाव हों या उपचुनाव।

#### सलाहकार क्षेत्राधिकार और अर्ब्द-न्यायिक कार्यः

- संविधान के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं के मौजूदा सदस्यों के चुनाव के बाद अयोग्यता के मामले में आयोग के पास सलाहकार अधिकार क्षेत्र है।
  - ऐसे सभी मामलों में आयोग की राय राष्ट्रपित या राज्यपाल,
     जिसे ऐसी राय दी गई है, के लिये बाध्यकारी है।
  - इसके अलावा चुनाव में भ्रष्ट आचरण के दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के मामले जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सामने आते हैं, को इस सवाल हेतु आयोग की राय के लिये भी भेजा जाता है कि क्या ऐसे व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाएगा और यदि हाँ, तो किस अवधि के लिये।

- आयोग के पास मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन/ विलय से संबंधित विवादों को निपटाने की अर्द्ध-न्यायिक शक्ति निहित है।
- आयोग के पास ऐसे किसी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने की शक्ति है, जो समय के भीतर और कानून द्वारा निर्धारित तरीके से अपने चुनावी खर्चों का लेखा-जोखा करने में विफल रहा है।

# असम-मेघालय सीमा विवाद

#### चर्चा में क्यों?

हाल ही में असम के पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले और मेघालय के पश्चिम जयंतिया हिल्स के मुकरोह गाँव की सीमा से लगे इलाके में असम पुलिस एवं भीड़ के बीच कथित झड़प के दौरान छह लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।

 ये मौतें दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिये दूसरे चरण की बातचीत से पहले हुई हैं।



# असम-मेघालय सीमा विवादः

#### • परिचयः

- असम और मेघालय दोनों राज्य 885 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। फिलहाल उनकी सीमाओं पर 12 बिंदुओं पर विवाद है।
- असम-मेघालय सीमा विवाद ऊपरी ताराबारी, गजांग आरक्षित वन, हाहिम, लंगपीह, बोरदुआर, बोकलापारा, नोंगवाह, मातमुर, खानापारा-पिलंगकाटा, देशदेमोराह ब्लॉक I एवं ब्लॉक II, खंडली और रेटचेरा के क्षेत्रों पर है।

#### • पृष्ठभूमिः

ब्रिटिश शासन के दौरान अविभाजित असम में वर्तमान नगालैंड,
 अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम शामिल थे।

- मेघालय को वर्ष 1972 में बनाया गया था, इसकी सीमाओं को वर्ष 1969 के असम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम के अनुसार सीमांकित किया गया था, तब से सीमा की एक अलग व्याख्या की गई है।
- वर्ष 2011 में मेघालय सरकार ने असम के साथ विवादित
   12 क्षेत्रों की पहचान की थी, जो लगभग 2,700 वर्ग किमी में फैला हुआ था।

#### • चिंता के प्रमुख बिंदुः

- असम और मेघालय के बीच विवाद का एक प्रमुख बिंदु असम के कामरूप जिले की सीमा से लगे पश्चिम गारो हिल्स में लंगपीह जिला है।
- लंगपीह ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान कामरूप जिले का हिस्सा था, लेकिन आजादी के बाद यह गारो हिल्स और मेघालय का हिस्सा बन गया।
  - असम इसे मिकिर पहाड़ियों (असम में स्थित) का हिस्सा मानता है।
  - मेघालय ने मिकिर हिल्स के ब्लॉक I और II पर सवाल उठाया है, जो अब कार्बी आंगलोंग क्षेत्र असम का हिस्सा है। मेघालय का कहना है कि ये तत्कालीन यूनाइटेड खासी एवं जयंतिया हिल्स जिलों के हिस्से थे।

#### • विवाद को हल करने का प्रयास:

- वर्ष 1985 में असम और मेघालय दोनों के तत्कालीन मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वाई वी चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एक आधिकारिक समिति का गठन किया गया था।
- 1985 में, असम के मुख्यमंत्री और मेघालय के मुख्यमंत्री के तहत, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वाई वी चंद्रचूड़ के तहत एक आधिकारिक समिति का गठन किया गया था।
  - हालाँकि इससे कोई समाधान नहीं निकला।
- दोनों राज्य सरकारों ने पहले चरण में समाधान के लिये 12
   में से छह विवादित क्षेत्रों की पहचान की:
  - इसके अंतर्गत मेघालय में पश्चिम खासी हिल्स जिले और असम में कामरूप के बीच तीन क्षेत्र, मेघालय में रिभोई तथा कामरूप-मेट्रो के बीच दो एवं मेघालय में पूर्वी जयंतिया हिल्स और असम में काछार थे।
- विवादित क्षेत्रों में टीमों द्वारा कई बैठकों और दौरे के बाद दोनों पक्षों ने पाँच पारस्परिक रूप से सहमत सिद्धांतों के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत की:
  - ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, स्थानीय आबादी की जातीयता, सीमा से निकटता, लोगों की इच्छा और प्रशासनिक सविधा।

- सिफारिशों का एक अंतिम प्रारूप संयुक्त रूप से बनाया गया थाः
  - पहले चरण में निपटारे के लिये 79 वर्ग किमी. विवादित क्षेत्र में से असम को 18.46 वर्ग किमी. तथा मेघालय को 18.33 वर्ग किमी. का पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होगा।
  - शेष छह चरणों के लिये चर्चा का दूसरा दौर नवंबर 2022 के अंत तक शुरू होना है।
  - मार्च 2022 में, इन सिफारिशों के आधार पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- शेष छह चरणों के लिये चर्चा का दूसरा दौर नवंबर 2022 के अंत तक शुरू होगा ।

# विवाद को हल करने के लिये सुझाव:

- राज्यों के बीच सीमा विवादों को वास्तविक सीमा स्थानों के उपग्रह मानचित्रण का उपयोग करके सुलझाया जा सकता है।
- अंतर-राज्यीय परिषद को पुनर्जीवित करना अंतर-राज्यीय विवाद के समाधान के लिये एक विकल्प हो सकता है।
  - संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर-राज्य परिषद से अपेक्षा की जाती है कि वह सामान्य विषयों पर पूछताछ करने तथा सलाह देने वाले सभी राज्यों के बीच बेहतर नीति समन्वय के लिये सिफारिशें करे।
- इसी तरह क्षेत्रीय परिषदों को भी प्रत्येक क्षेत्र में राज्यों के लिये सामान्य चिंता के सामाजिक और आर्थिक योजनाओं, सीमा विवाद, अंतर-राज्य परिवहन आदि से संबंधित पर मामलों पर चर्चा करने की आवश्यकता है।
- भारत अनेकता में एकता वाला देश है। हालाँकि इस एकता को और मजबूत करने के लिये केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को सहकारी संघवाद के लोकाचार को आत्मसात करने की आवश्यकता है।

# सीमा विवादों में शामिल भारत के अन्य राज्यः

- बेलागवी सीमा विवाद:
  - बेलागवी सीमा विवाद महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के बीच है।
    - बेलगाम या बेलागवी वर्तमान में कर्नाटक राज्य का हिस्सा है लेकिन महाराष्ट्र द्वारा इस पर अपना दावा किया जाता है।
  - वर्ष 1957 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के कार्यान्वयन से आहत महाराष्ट्र ने कर्नाटक के साथ अपनी सीमा के पुन: समायोजन की मांग की।
- ओडिशा का सीमा विवाद:
  - ओडिशा सीमा विवाद ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच है।
  - ओडिशा व आंध्र प्रदेश के बीच कोटिया ग्राम पंचायत को लेकर वर्ष 1960 से विवाद बना हुआ है। इसमें कोटिया ग्राम पंचायत के 21 गाँवों को लेकर विवाद चल रहा है।

वर्ष 2006 में ओडिशा ने अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (ISRWD) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदी वंसधारा (Inter-State River Vamsadhara) से संबंधित आंध्र प्रदेश के साथ चल रहे अपने जल विवादों के बारे में एक शिकायत दर्ज कराई।

# संविधान दिवस

#### चर्चा में क्यों?

भारत के प्रधानमंत्री ने 26 नवंबर, 2022 को संविधान दिवस पर वर्जुअल जस्टिस क्लॉक,  $J_{\rm UST}IS$  मोबाइल एप 2.0, डिजिटल कोर्ट और  $S3W_{\rm AA}S$  वेबसाइटों सहित ई-कोर्ट परियोजना के तहत विभिन्न नई पहलों का शुभारंभ किया।

# ई-कोर्ट परियोजनाः

- वर्चुअल जस्टिस क्लॉक न्याय वितरण प्रणाली के महत्त्वपूर्ण ऑंकड़ों
   को प्रदर्शित करने के लिये अदालत स्तर पर एक पहल है।
- JustIS मोबाइल एप 2.0 न्यायिक अधिकारियों के लिये अदालत
   और मुकदमों के कारगर प्रबंधन के लिये उपलब्ध एक उपकरण है।
- डिजिटल कोर्ट न्यायालय सभी रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में न्यायाधीश के सामने उपलब्ध करवाने की एक पहल है ताकि पेपरलेस कार्यप्रणाली कोसबढ़ावा दिया जा सके।
- S3WaaS वेबसाइट जिला न्यायपालिका से संबंधित निर्दिष्ट जानकारी और सेवाओं को प्रकाशित करने के लिये वेबसाइट सेवाओं को प्रकाशित करने हेतु विभिन्न वेबसाइटों को बनाने, कॉन्फिगर करने, तैनात करने और प्रबंधित करने के लिये एक रूपरेखा है।

#### संविधान दिवसः

- परिचय:
- यह हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है।
- इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है।
- इस दिन वर्ष 1949 में भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया जो 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ।
- 19 नवंबर, 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 26 नवंबर को 'संविधान दिवस' के रूप में मनाने के भारत सरकार के निर्णय को अधिसुचित किया।
- संविधान का निर्माण:
  - वर्ष 1934 में एम.एन. रॉय ने पहली बार संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव रखा।

- वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के
   गठन के लिये चुनाव हुए।
- भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। भारत की संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों से निपटने के लिये कुल 13 सिमितियों का गठन किया।
- इनमें 8 प्रमुख सिमितियाँ थीं और शेष अन्य थीं। प्रमुख सिमितियों और उनके प्रमुखों की सूची नीचे दी गई है:
  - मसौदा सिमिति- बी.आर. अंबेडकर
  - संघ शक्ति सिमिति- जवाहरलाल नेहरू
  - केंद्रीय संविधान सिमिति- जवाहरलाल नेहरू
  - प्रांतीय संविधान सिमिति- वल्लभभाई पटेल
  - मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय तथा
     बिहष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति- वल्लभभाई पटेल।
  - प्रक्रिया समिति के नियम- राजेंद्र प्रसाद
  - राज्य सिमिति (राज्यों के साथ बातचीत के लिये सिमिति)-जवाहरलाल नेहरू
  - संचालन सिमिति- राजेंद्र प्रसाद

- भारत के संविधान के संदर्भ में प्रमुख तथ्य:
  - दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान।
  - एकात्मक विशेषताओं के साथ संघीय प्रणाली।
  - सरकार का संसदीय स्वरूप।
  - संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा।
  - भारतीय संविधान की मूल प्रतियाँ टाइप या मुद्रित नहीं थीं। वे हस्तिलिखित हैं और अब उन्हें संसद के पुस्तकालय में हीलियम में रखा गया है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारत की संरचना की अनूठी प्रतियाँ लिखी थीं।
  - मूल रूप से भारत का संविधान अंग्रेज़ी और हिंदी में लिखा गया
     था।
  - भारतीय संविधान की मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम,
     1935 पर आधारित है।
- भारत के संविधान में कई देशों के संविधान की विशेषताओं को अपनाया गया है।



# भारतीय अर्थव्यवस्था

# भारत के शहरी बुनियादी ढाँचे हेतु वित्तपोषण

#### चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व बैंक द्वारा "फाइनेंसिंग इंडियाज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स: कंस्ट्रेंट्स टू कमर्शियल फाइनेंसिंग एंड प्रॉस्पेक्ट्स फॉर पॉलिसी एक्शन" शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई।

 यह रिपोर्ट उभरती हुई वित्तीय किमयों को पूरा करने के लिये निजी और वाणिज्यिक निवेशों का अधिक लाभ उठाने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है।

#### प्रमुख बिंदु

- निवेश की आवश्यकताः
  - अगर भारत को अपनी तेज़ी से बढ़ती शहरी आबादी की ज़रूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करना है तो उसे अगले 15 वर्षों में शहरी बुनियादी ढाँचे में 840 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की आवश्यकता होगी।
- शहरों में रहने वाले लोग:
  - वर्ष 2036 तक 600 मिलियन लोग भारत के शहरों में रह रहे होंगे, जो जनसंख्या का 40% प्रतिनिधित्व करते हैं।
    - इससे स्वच्छ पेयजल, विश्वसनीय विद्युत् आपूर्ति, कुशल और सुरक्षित सड़क परिवहन आदि की अधिक मांग के साथ भारतीय शहरों की शहरी अवसंरचना और सेवाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ने की संभावना है।
    - वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकारें शहर के बुनियादी ढाँचे में 75% से अधिक का वित्तपोषण करती हैं, जबिक शहरी स्थानीय निकाय (ULB) अपने स्वयं के अधिशेष राजस्व के माध्यम से 15% का वित्तपोषण करते हैं।
    - वर्तमान में भारतीय शहरों की बुनियादी ढाँचे की जरूरतों का केवल 5% ही निजी स्रोतों के माध्यम से वित्तपोषित किया जा रहा है।
- केंद्र के प्रमुख शहरी मिशनों का धीमा कार्यान्वयनः
  - उदाहरण के लिये स्मार्ट सिटी मिशन (SCM) और प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) जैसे केंद्र के कई प्रमुख शहरी मिशनों पर राज्यों एवं शहरी स्थानीय निकायों (ULB) द्वारा धीमा कार्यान्वयन प्रदर्शन भी चिंता का विषय है, क्योंकि इससे शहरी स्तर पर कार्यान्वयन क्षमता बाधित होती है।
    - ULB ने अब तक पूरे भारत में पिछले छह वित्तीय वर्षों
       में SCM (कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये

अटल मिशन (AMRUT) के तहत अनुमोदित परियोजनाओं के संचयी लागत या परिव्यय का लगभग पाँचावाँ हिस्सा ही निष्पादित किया है।

#### शहरी अवसंरचना हेतु PPP अंतरणः

- भारत में शहरी बुनियादी ढाँचे के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) अंतरण ने पिछले दशक में मौद्रिक मूल्य और अंतरण की मात्रा दोनों में एक उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की है - वर्ष 2000 से शहरी क्षेत्र में 124 PPP परियोजनाओं को कुल 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तपोषण किया गया है।
- हालाँकि PPP परियोजना वित्तपोषण में वर्ष 2007 और 2012 के बीच "संक्षिप्त लेकिन पर्याप्त वृद्धि" के बाद काफी गिरावट आई है, जब इनमें से अधिकांश परियोजनाओं को सम्मानित किया गया था। वर्ष 2000 के बाद से प्रदान किये गए सभी PPP निवेशों में से केवल एक-तिहाई निवेश पिछले दशक में हुआ जिसमें 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर की 55 परियोजनाएँ शामिल हैं।

#### सुझाव:

- यह सुझाव दिया गया है कि शहरी एजेंसियों को बड़े पैमाने पर बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को पूरा करने के लिये और अधिक अधिकार प्रदान किये जाए।
  - पिछले तीन वित्तीय वर्षों में दस सबसे बड़े ULB के पूंजीगत बजट का केवल दो-तिहाई खर्च किया जा सका।
- यह रिपोर्ट मध्यम अविध के लिये कई संरचनात्मक परिवर्तनों की सिफारिश करती है, जिसमें राजकोषीय हस्तांतरण प्रणाली और कराधान नीति शामिल हैं।
  - यह शहरों को अधिक निजी वित्तपोषण का लाभ उठाने में मदद कर सकती है।
- इसने शहरों के लिये फॉर्मूला-आधारित तथा बिना शर्त वित्त अंतरण के साथ-साथ शहरी एजेंसी के अधिदेश के प्रगतिशील विस्तार का सुझाव दिया।

# शहरीकरण:

- परिचय:
  - जनसंख्या का ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या में तदनुरूप गिरावट और जिस प्रकार से समाज इस परिवर्तन के अनुरूप स्वयं को ढालता हैं, समग्र रूप से इसे शहरीकरण कहा जाता है।

#### शहरीकरण के कारण:

- प्राकृतिक रूप से जनसंख्या वृद्धि: यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब मृत्यु दर की तुलना में जन्म दर अधिक होती है।
- ग्रामीण से शहरी प्रवास: यह ऐसे कारकों जो लोगों को शहरी क्षेत्रों में आकर्षित करते हैं और ऐसे कारणों जो लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों से दूर भगाते हैं, से प्रेरित है।
  - रोज्जगार के अवसर, शैक्षणिक संस्थान और शहरी जीवन-शैली मुख्य आकर्षण के कारक हैं।
  - साथ ही रहने की खराब स्थिति, शैक्षिक और आर्थिक अवसरों की कमी तथा खराब स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ मुख्य कारक हैं

#### वैश्विक शहरीकरणः

- सबसे अधिक शहरीकृत क्षेत्रों में उत्तरी अमेरिका (2022 तक शहरी क्षेत्रों में 83% आबादी ), लैटिन अमेरिका और कैरिबियन (81%), यूरोप (75%) तथा ओशिनिया (67%) शामिल हैं।
- एशिया में शहरीकरण का स्तर लगभग 52% है।
- अफ्रीका का परिवेश अधिकांशत: ग्रामीण है, इसकी 44% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है।

#### • संबंधित पहल:

- शहरीकरण के लिये भारत की पहल:
  - शहरी विकास से संबंधित योजनाएँ/कार्यक्रमः
  - स्मार्ट शहर
  - अमृत मिशन
  - स्वच्छ भारत मिशन-शहरी
  - हृदय योजना
  - प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी
  - स्लम वासियों/शहरी गरीबों के लिये सरकार की पहल:
  - प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
  - आत्मिनर्भर भारत अभियान (आत्मिनर्भर भारत)

# ऑनलाइन बॉण्ड प्लेटफॉर्म प्रदाताओं हेतु नियामक ढाँचा

# चर्चा में क्यों ?

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ऑनलाइन बॉण्ड प्लेटफॉर्म प्रदाताओं के लिये एक नियामक ढाँचा पेश किया है ताकि उनके संचालन को सुव्यवस्थित किया जा सके।

 ऑनलाइन बॉण्ड प्लेटफॉर्म प्रदाता (OBPPs) भारत में निगमित कंपनियाँ होंगी और उन्हें स्टॉक एक्सचेंज के डेब्ट सेगमेंट में स्टॉक ब्रोकर के रूप में ख़ुद को पंजीकृत करना होगा।

#### विनियामक ढाँचे की आवश्यकताः

#### • नए नियमः

- स्टॉक एक्सचेंज के डेब्ट सेगमेंट में स्टॉक ब्रोकर के रूप में पंजीकरण करने के बाद एक इकाई को OBPP के रूप में कार्य करने के लिये एक्सचेंज में आवेदन करना होगा।
- नए नियमों में ऑनलाइन बॉण्ड प्लेटफॉर्म प्रदाता के रूप में कार्य करने के लिये सेबी से स्टॉक ब्रोकर के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
- जो 9 नवंबर 2022 से पहले पंजीकरण प्रमाणपत्र के बिना ऑनलाइन बॉण्ड प्लेटफॉर्म प्रदाता के रूप में कार्य कर रहे हैं, वे तीन महीने की अविध के लिये ऐसा करना जारी रखेंगे।
- लोगों को समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिष्ट पंजीकरण की शर्तों का पालन करना होगा।
- सभी संस्थाओं को न्यूनतम प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। उन्हें अपने हितों संबंधी टकराव के सभी मामलों का भी खुलासा करना होगा, जो संबंधित पक्षों के साथ उनके लेनदेन या लेनदेन से उत्पन्न होते हैं।

#### बॉण्ड बाज़ार

#### • बॉण्डः

- बॉण्ड कंपनियों द्वारा जारी कॉपोरेट ऋण की इकाइयाँ हैं और व्यापार योग्य संपत्ति के रूप में प्रतिभृतिकृत हैं।
- एक बॉण्ड को एक निश्चित आय साधन के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि बॉण्ड पारंपिरक रूप से देनदारों को एक निश्चित ब्याज दर (कूपन) का भुगतान करते हैं।
- परिवर्तनीय या अस्थायी ब्याज दरें भी अब काफी आम हैं।
- बॉण्ड की कीमतें ब्याज दरों के साथ विपरीत रूप से सहसंबद्ध होती हैं: जब दरें बढ़ती हैं, तो बॉण्ड की कीमतें गिरती हैं और जब दरें गिरती हैं, तो बॉण्ड की कीमतें बढ़ती है।

#### बॉण्ड के प्रकार:

#### परिवर्तनीय बॉण्डः

- नियमित बॉण्ड के विपरीत जो बॉण्ड परिपक्वता पर विमोचित होते हैं उनमें एक परिवर्तनीय खरीदार को जारीकर्त्ता कंपनी के बॉण्ड को शेयरों में बदलने का अधिकार या दायित्व देता है।
- इसकी एक निश्चित अविध होती है और पूर्व निर्धारित अंतराल पर समय-समय पर ब्याज का भुगतान किया जाता है।

#### निश्चित कूपन दर बॉण्डः

 इस प्रकार के बॉण्ड में ब्याज जारी करने की तारीख से तय किया जाता है। अधिकांश कॉर्पोरेट और सरकारी बॉण्ड निश्चित कूपन दर के होते हैं जो ब्याज या कूपन विमोचन को तिथि तक वार्षिक, अर्द्ध-वार्षिक, त्रैमासिक या मासिक रूप से प्रदान किये जाते हैं।

#### ♦ फ्लोटिंग कूपन रेट बॉण्ड (FRB):

इन बॉण्डों में पिरिपक्वता की तारीख तक कूपन दर में पूर्विनिर्धारित समय पर उतार-चढ़ाव होता रहता है। यहाँ ब्याज दर बेंचमार्क पर निर्भर करती है जिसका पालन वह प्रत्येक कूपन भुगतान में कूपन दर निर्धारित करने के लिये करता है। FRB बॉण्ड के मामले में कूपन दर टी-बिल यील्ड पर निर्भर करती है।

#### शून्य कूपन बॉण्डः

ये वे बॉण्ड होते हैं जहाँ जारीकर्त्ता पिरिपक्वता तिथि तक धारक को कोई कूपन भुगतान प्रदान नहीं करता है। यहाँ बॉण्ड अंकित मूल्य राशि से कम और पिरिपक्वता की तारीख पर जारी किये जाते हैं। बॉण्ड को अंकित मूल्य की राशि पर भुनाया जाता है। यहाँ रिडेम्पशन प्राइस (रिडेम्पशन प्राइस वह मूल्य है जिस पर जारी करने वाली कंपनी अपनी पिरिपक्वता तिथि से पहले निवेशकों से बॉण्ड की पुनर्खरीद करेगी) और इश्यू प्राइस के बीच का अंतर एक निवेशक के लिये रिटर्न है। भारत में ट्रेजरी-बिल शून्य-कूपन बॉण्ड हैं।

#### संचयी कूपन दर बॉण्डः

 ये बॉण्ड कूपन दर के साथ जारी किये जाते हैं लेकिन कूपन का भुगतान रिडेम्पशन/मोचन के समय किया जाता है। आमतौर पर कॉरपोरेट्स इस तरह के बॉण्ड जारी करते हैं।

# मुद्रास्फीति अनुक्रमित बॉण्डः

 ये बॉण्ड मुद्रास्फीति से सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह मुख्य रूप से सरकार द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ कूपन रेट मुद्रास्फीति दर पर निर्भर है। आमतौर पर कूपन दर मुद्रास्फीति दर पर प्रदान की गई अतिरिक्त दर के बराबर होती है।

# सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड ( SGB ):

- भारतीय रिजार्व बैंक के अनुसार, SGBs सरकारी
   प्रतिभृतियाँ हैं जिन्हें ग्राम सोने में दर्शाया गया है।
- ये भौतिक सोना धारण करने के विकल्प हैं। निवेशकों को निर्गम मूल्य का भुगतान नकद में करना होता है और परिपक्वता पर बॉण्ड को नकद में भुनाया जाएगा।

#### बॉण्ड बाजारः

 बॉण्ड बाज़ार मोटे तौर पर ऐसे बाज़ार का वर्णन करता है जहाँ निवेशक ऋण प्रतिभूतियाँ खरीदते हैं जो सरकारी संस्थाओं या निगमों द्वारा बाज़ार में लाई जाती हैं।

- राष्ट्रीय सरकारें आमतौर पर बॉण्ड से प्राप्त आय का उपयोग बुनियादी ढाँचे में सुधार और ऋण चुकाने के लिये करती हैं।
- कंपिनयाँ संचालन को बनाए रखने, अपने उत्पाद को बढ़ाने या अपनी शाखाओं का विस्तार करने हेतु आवश्यक पूंजी जुटाने के लिये बॉण्ड जारी करती हैं।
- बॉण्ड या तो प्राथमिक बाजार में जारी िकये जाते हैं, जो नए ऋण को रोल आउट करते हैं या द्वितीयक बाजार में कारोबार करते हैं, जिसमें निवेशक दलालों या अन्य तृतीय पक्ष के माध्यम से मौजूदा ऋण खरीद सकते हैं।

#### ऑनलाइन बॉण्ड प्लेटफॉर्मः

- SEBI के अनुसार, यह एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या एक इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रदान करने वाले प्लेटफॉर्म के अलावा इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है, जिस पर ऋण प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध किया जाता है या सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव दिया जाता है और लेन-देन किया जाता है।
  - ऑनलाइन बॉण्ड प्लेटफॉर्म प्रदाता का अर्थ है ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इस तरह के प्लेटफॉर्म का संचालन करता है या प्रदान करता है।

# भारत में रूसी बैंको के वोस्ट्रो खाते

# चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भारत और रूस के बीच व्यापार हेतु रुपए में भुगतान करने के लिये दो भारतीय बैंकों (यूको बैंक और इंडसइंड बैंक) में नौ विशेष वोस्ट्रो खाते खोलने की अनुमति दी है।

- रूस के दो सबसे बड़े बैंक- 'Sberbank' और 'VTB' बैंक ऐसे पहले विदेशी ऋणदाता हैं जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक लेन-देन करने की मंज़्री मिली है।
- वोस्ट्रो खाता नोस्ट्रो खाता का एक अन्य नाम है। यह एक बैंक द्वारा नियोजित खाता है जो ग्राहकों को दूसरे बैंक की ओर से पैसा जमा करने की सुविधा प्रदान करता है।

# पृष्ठभूमि:

- जुलाई 2022 में RBI ने वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने के लिये
  रुपए में अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन के लिये एक क्रियाविधि का अनावरण
  किया था, जिसमें भारत द्वारा निर्यात पर जोर दिया गया था, साथ ही
  रुपए को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में पहचान दिलाने के लिये किया
  गया था।
- इसके माध्यम से रूस जैसे प्रतिबंध-प्रभावित देशों के साथ व्यापार को सक्षम करने की भी आशा है।
- भारतीय रिजार्व बैंक द्वारा तय क्रियाविधि के अनुसार, भागीदार देशों के बैंक विशेष रुपया वास्ट्रो खाता खोलने के लिये भारत में अधिकृत बैंकों से संपर्क कर सकते हैं। तब अधिकृत बैंक को ऐसी व्यवस्था के विवरण के साथ केंद्रीय बैंक से अनुमोदन लेना होगा।

# नोस्ट्रो खाता (Nostro Accounts)

- नोस्ट्रो खाता का तात्पर्य एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक में खोले गए खाता से है। इससे ग्राहकों को किसी दूसरे बैंक के खाते में पैसा जमा करने की सुविधा मिलती है। इसका उपयोग अक्सर तब किया जाता है जब किसी बैंक की विदेश में कोई शाखा नहीं होती है। नोस्ट्रो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ " हमारा (ours) " होता है।
  - मान लीजिये कि बैंक "A" की रूस में कोई शाखा नहीं है लेकिन बैंक "B" की शाखा रूस में है। रूस में अपनी जमा राशि प्राप्त करने के लिये बैंक "A" बैंक "B" में नोस्ट्रो खाता खोलेगा।
  - अब यदि रूस में कोई ग्राहक "A" को पैसा भेजना चाहता है तो वह इसे "B" बैंक में खुले "A" के खाते में जमा कर सकता है। "B" बैंक इस पैसे को "A" के खाते में स्थानांतरित कर देगा।
- जमा खाते और नोस्ट्रो खाते के बीच मुख्य अंतर यह है कि जमा खाते व्यक्तिगत जमाकर्ताओं के पास होता है, जबिक विदेशी संस्थानों के पास नोस्ट्रो खाता होता है।

# वोस्ट्रो खाता ( Vostro Accounts ):

- इस शब्द का लैटिन भाषा में अर्थ- तुम्हारा (yours) होता है।
- खाता खोलने वाले बैंक के लिये नोस्ट्रो खाता, एक वोस्ट्रो खाता होता है।
  - उपर्युक्त उदाहरण में बैंक "B" में खुले खाते को इस बैंक के लिये वोस्ट्रो खाता कहा जाएगा। वोस्ट्रो खाता में खाताधारक के बैंक की ओर से भुगतान स्वीकार किया जाता है।
- यदि कोई व्यक्ति वोस्ट्रो खाते में पैसा जमा करता है तो यह खाताधारक के बैंक में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
- नोस्ट्रो और वोस्ट्रो खाते, विदेशी मूल्यवर्ग में खोले जाते हैं।
- वोस्ट्रो खाते के माध्यम से घरेलू बैंक, वैश्विक बैंकिंग आवश्यकताओं
   वाले ग्राहकों को अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करते हैं।
- वोस्ट्रो खाता सेवाओं में वायर ट्रांसफर निष्पादित करना, विदेशी विनिमय करना, जमा और निकासी करना व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तेजी लाना शामिल है।

# रुपया भुगतान तंत्र:

- परिचयः
  - भारत में अधिकृत डीलर बैंकों को रुपया वोस्ट्रो खाते खोलने की अनुमित दी गई है (एक खाता जो एक अधिकृत बैंक दूसरे बैंक की ओर से रखता है)।
    - इस तंत्र के माध्यम से आयात करने वाले भारतीय आयातक भारतीय रुपए में भुगतान करेंगे, इसमें विदेशी विक्रेता से

- माल या सेवाओं की आपूर्ति के लिये चालान भागीदार देश के अधिकृत बैंक के विशेष वोस्ट्रो खाते में जमा किया जाएगा।
- तंत्र का उपयोग करने वाले भारतीय निर्यातकों को भागीदार देश के अधिकृत बैंक के नामित विशेष वोस्ट्रो खाते में जमा शेष राशि से निर्यात का भुगतान भारतीय रुपए में किया जाएगा।
- भारतीय निर्यातक उपर्युक्त रुपए भुगतान तंत्र के माध्यम से विदेशी आयातकों से भारतीय रुपए में निर्यात के लिये अग्रिम भुगतान प्राप्त कर सकते हैं।
  - निर्यात के लिये अग्रिम भुगतान की ऐसी किसी भी प्राप्ति की अनुमित देने से पहले भारतीय बैंकों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इन खातों में उपलब्ध धनराशि का उपयोग पहले से ही निष्पादित निर्यात आदेशों/ पाइपलाइन में निर्यात भुगतान से उत्पन्न भुगतान दायित्वों के लिये किया जाता है।
  - विशेष वोस्ट्रो अकाउंट में शेष राशि का उपयोग निम्नलिखित के लिये किया जा सकता है: परियोजनाओं और निवेशों के लिये भुगतान, निर्यात/आयात अग्रिम प्रवाह प्रबंधन, सरकारी प्रतिभृतियों में निवेश आदि।

#### मौजूदा तंत्रः

- यदि कोई कंपनी निर्यात या आयात करती है, तो लेन-देन (नेपाल और भूटान जैसे देशों को छोड़कर) हमेशा एक विदेशी मुद्रा में होता है।
- इसिलये आयात के मामले में भारतीय कंपनी को विदेशी मुद्रा में भुगतान करना पड़ता है (मुख्य रूप से डॉलर में और इसमें पाउंड, यूरो, येन आदि मुद्राएँ भी शामिल हो सकती हैं)।
- निर्यात के मामले में भारतीय कंपनी को विदेशी मुद्रा में भुगतान किया जाता है और कंपनी उस विदेशी मुद्रा को रुपए में परिवर्तित कर देती है क्योंकि उसे ज्यादातर मामलों में अपनी ज़रूरतों के लिये रुपए की आवश्यकता होती है।

# मौजूदा तंत्र के लाभः

- विकास को बढ़ावा:
  - यह वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देगा और भारतीय रुपए के प्रति
     वैश्विक व्यापारिक समुदाय की बढ़ती रुचि का समर्थन करेगा।
- स्वीकृत देशों के साथ व्यापार:
  - जब से रूस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, भुगतान की समस्या के कारण रूस के साथ व्यापार लगभग ठप है।
    - RBI द्वारा शुरू िकये गए व्यापार सुविधा तंत्र के परिणामस्वरूप रूस के साथ भुगतान संबंधी मुद्दे को हल करना आसान हो गया है।

#### विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ावः

- इस कदम से विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव का जोखिम भी कम होगा, विशेष रूप से यूरो-रुपया सममुल्यता को देखते हुए।
- रुपए की गिरावट पर नियंत्रणः
  - इस तंत्र का उद्देश्य रुपए में लगातार गिरावट के दौरान व्यापार प्रवाह हेतु रुपए में निपटान को बढ़ावा देकर विदेशी मुद्रा की मांग को कम करना है।

# फ्रेंडशोरिंग

#### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अमेरिकी ट्रेजरी सिचव ने भू-राजनीतिक जोखिम वाले देशों से परे व्यापार में विविधता लाने के लिये "फ्रेंडशोरिंग" पर जोर दिया है।

#### फ्रेंडशोरिंग:

- फ्रेंडशोरिंग एक रणनीति है जहाँ एक देश कच्चे माल, घटकों और यहाँ तक कि निर्मित वस्तुओं को उन देशों से प्राप्त करता है जो इसके मूल्यों को साझा करते हैं। इसमें आपूर्ति शृंखलाओं की स्थिरता के लिये "खतरा" माने जाने वाले देशों पर निर्भरता धीरे-धीरे कम हो जाती है।
- इसे "एलीशोरिंग" भी कहा जाता है।
  - अमेरिका के लिये रूस ने लंबे समय से खुद को एक विश्वसनीय ऊर्जा भागीदार के रूप में प्रस्तुत किया है लेकिन यूक्रेन युद्ध में, उसने यूरोप के लोगों के खिलाफ गैस को हथियार बनाया है।
    - यह एक उदाहरण है कि कैसे सभी भागीदार देश दुर्भावना के चलते अपने स्वयं के लाभ के लिये भू-राजनीतिक लाभ उठाने या व्यापार को बाधित करने की कोशिश में अपने बाजार की स्थिति का उपयोग कर सकते हैं।
- फ्रेंड-शोरिंग या एली-शोरिंग अमेरिका के लिये फर्मों को अपने सोर्सिंग और मैन्युफैक्चरिंग साइट्स को उन फ्रेंडली तटों पर ले जाने के लिये प्रभावित करने का एक साधन बन गया है जो अमेरिका से संबंधित हैं।
- फ्रेंडशोरिंग का लक्ष्य कम संगत देशों से आपूर्ति शृंखलाओं की रक्षा करना है, जैसे अमेरिका के मामले में चीन।

# फ्रेंडशोरिंग के निहितार्थ क्या हो सकते हैं?

 फ्रेंडशोरिंग विश्व के देशों को व्यापार के लिये अलग-थलग कर सकता है और इससे वैश्वीकरण के लाभों की प्रकृति बिलकुल ही विपरीत हो जाएगी। यह "डीग्लोबलाइजेशन" प्रक्रिया का एक हिस्सा है।

- कोविड-19 के वर्षों के लॉकडाउन से वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रभावित होने के बाद किसी भी प्रकार का संरक्षणवाद पहले से ही अस्थिर वैश्विक आपूर्ति शृंखला को और बाधित करेगा।
- संरक्षणवाद का यह नया रूप वैश्विक आपूर्ति शृंखला और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हुए वैश्वीकरण के अनुकूल नहीं होगा और लंबी अविध में इसका उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। यदि कोई कंपनी बैटरी हेतु लिथियम या कंप्यूटर चिप्स जैसे कीमती धातु के लिये किसी देश पर निर्भर करती है, वह ऐसे में स्वयं को अलग थलग महसुस कर सकता है।
- इसके अलावा जैसा कि यह एक प्रवृत्ति बन जाती है, दुनिया धीरे-धीरे अलग हो जाएगी और देशों के लिये मानवता की भलाई हेतु एक साथ काम करना मुश्किल होगा।

#### निष्कर्ष

- आज की दुनिया एक साथ काम करने वाले देशों के मामले में अपने चरम पर पहुँच गई है।
- वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये प्रत्येक देश द्वारा संपत्ति का उपयोग करके अर्थव्यवस्था के नुकसान को पूरा किया जाता है।
- हालाँकि हम अभी भी पूर्ण वैश्वीकरण से बहुत दूर हैं, और देशों के बीच कई मतभेद और यहाँ तक कि विवाद भी हैं, फिर भी वैश्विक आपूर्ति शृंखला के बेहतर भविष्य के लिये फ्रेंडशोरिंग एक अच्छा समाधान नहीं लगता है।

# NIIF की शासी परिषद की 5वीं बैठक

# चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री ने राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (NIIF) की शासी परिषद (GC) की 5वीं बैठक की अध्यक्षता की।

# बैठक की मुख्य विशेषताएँ:

- इंडिया-जापान फंड:
  - एक समझौता ज्ञापन में NIIF और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (JBIC) ने NIIF का पहला द्विपक्षीय कोष-"इंडिया-जापान फंड" स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें भारत सरकार (GoI) द्वारा भी योगदान किया जाएगा।
  - इस समझौता ज्ञापन पर हाल ही में 9 नवंबर, 2022 को हस्ताक्षर किये गए थे।

#### NBFCs:

शासी परिषद (GC) ने इस बात की सराहना की कि NIIF
 की बहुमत हिस्सेदारी वाली दो इन्फ्रा गैर-बैंकिंग वित्तीय

कंपनियों (NBFC) ने अब तक बिना किसी गैर-निष्पादित ऋण (NPL) के ही 3 वर्षों में अपनी कंबाइंड लोन बुक को 4,200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 26,000 करोड़ रुपए कर दिया है।

- शासी परिषद (GC) ने NIIF को निवेश योग्य सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP परियोजनाओं की एक पाइपलाइन बनाने हेतु केंद्र और राज्य सरकारों की सहायता करने के लिये अत्यंत सिक्रयतापूर्वक सलाहकारी गितिविधियाँ शुरू करने का भी निर्देश दिया।
- विभिन्न योजनाओं के तहत अवसरों की खोज:
- वित्त मंत्री ने NIIFL टीम को राष्ट्रीय बुनियादी ढाँचा पाइपलाइन,
   PM गतिशक्ति और राष्ट्रीय बुनियादी ढाँचा गलियारे के तहत
   अवसरों का पता लगाने के लिये भी प्रोत्साहित किया।
  - इन योजनाओं में निवेश योग्य ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड निवेश परियोजनाओं का एक बड़ा पूल शामिल है, तथा उन अवसरों में अधिक से अधिक वाणिज्यिक पूंजी का निवेश करना है।
- तीन निधियों की स्थिति:
  - GC को वर्तमान में NIIFL द्वारा प्रबंधित 3 फंडों की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया गया था:
    - मास्टर फंड: मुख्य रूप से सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे,
       बिजली आदि जैसे मुख्य बुनियादी ढाँचे के क्षेत्रों में
       परिचालन परिसंपत्तियों में निवेश करता है।
    - फंड ऑफ फंड (FoF): भारत में बुनियादी ढाँचे और संबंधित क्षेत्रों में अनुभवी फंड प्रबंधकों द्वारा प्रबंधित। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, मिड-इनकम एंड अफोर्डेबल हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज तथा संबद्ध क्षेत्र फोकस के कुछ क्षेत्र हैं।
    - रणनीतिक अवसर कोष (SoF): एसओएफ की स्थापना भारत में उच्च विकास वाले भिवष्य के लिये तैयार व्यवसायों को दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। फंड की रणनीति बड़े उद्यमी के नेतृत्व वाले या पेशेवर रूप से प्रबंधित घरेलू चैंपियन और यूनिकॉर्न का पोर्टफोलियो बनाना है।

# राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष ( NIIF ):

- NIIF सरकार समर्थित संस्था है जो देश के बुनियादी ढाँचा क्षेत्र
   को दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करने के लिये स्थापित की गई है।
  - NIIF में भारत सरकार की 49% हिस्सेदारी है, बाकी विदेशी और घरेलू निवेशकों के पास है।

- केंद्र की महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी के साथ NIIF को भारत का अर्द्ध-संप्रभ धन कोष माना जाता है।
- इसे दिसंबर 2015 में श्रेणी-II वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में स्थापित किया गया था।
- अपने तीन फंडों में यह 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक पूंजी का प्रबंधन करता है।
- इसका रिजस्टर्ड कार्यालय नई दिल्ली में है।

# कोयले की बढ़ती मांग

# चर्चा में क्यों?

नवीकरणीय ऊर्जा के महत्त्व के बावजूद कोयला भारत का प्रमुख ऊर्जा स्रोत बना रहेगा।

#### देश की ऊर्जा क्षमता की स्थिति:

- क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के अनुमानों के अनुसार, जीवाश्म ईंधन देश में स्थापित ऊर्जा क्षमता के आधे से अधिक हिस्सेदारी करता है और वर्ष 2029-2030 तक लगभग 266 गीगावाट तक पहुँचने की उम्मीद है।
- वर्ष 2031-32 तक घरेलू कोयले की आवश्यकता वर्ष 2021-2022 के 678 मीट्रिक टन से बढ़कर 1,018.2 मीट्रिक टन होने की उम्मीद है।
  - इसका मतलब है कि भारत में कोयले की खपत 40% बढ़ जाएगी।

# कोयले की मांग बढ़ने का कारण:

- लोहा और इस्पात उत्पादन में कोयले का उपयोग किया जाता है,
   दूसरी तरफ इस ईंधन को तुरंत विस्तापित करने हेतु प्रौद्योगिकियाँ नहीं हैं।
- वर्ष 2022-2024 के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था का निरंतर विस्तार4% की वार्षिक औसत सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के साथ आंशिक रूप से कोयले से होने की उम्मीद है।
- कोल इंडिया के माध्यम से घरेलू कोयला खनन पर भारत का जोर और निजी कंपनियों को कोयला ब्लॉकों की नीलामी से भारत में कोयले का उपयोग बढ़ेगा क्योंकि यह चीन सहित दुनिया के अन्य हिस्सों में स्थिर है।
- केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के लिये कोयला खनन को अनुमित दे दी है और सरकार का यह दावा है कि यह सबसे महत्त्वाकांक्षी कोयला क्षेत्र सुधारों में से एक है।
  - सरकार का अनुमान है कि इससे कोयला उत्पादन में दक्षता और प्रतिस्पर्द्धा लाने, निवेश आकर्षित करने तथा सर्वोत्तम तकनीक के आगमन एवं कोयला क्षेत्र में अधिक रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी।

#### कोयलाः

#### • परिचयः

- यह एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है जो तलछटी चट्टानों के रूप में पाया जाता है और इसे अक्सर 'ब्लैक गोल्ड' के रूप में जाना जाता है।
- यह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में लोहा, इस्पात, भाप इंजन जैसे उद्योगों में और बिजली पैदा करने के लिये किया जाता है। कोयले से उत्पन्न बिजली को 'थर्मल पावर' कहते हैं।
- दुनिया के प्रमुख कोयला उत्पादकों में चीन, अमेरिका,
   ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत शामिल हैं।

#### भारत में कोयले का वितरण:

#### • गोंडवाना कोयला क्षेत्र ( 250 मिलियन वर्ष पुराना ):

- भारत के लगभग 98% कोयला भंडार और कुल कोयला उत्पादन का 99% गोंडवाना क्षेत्रों से प्राप्त होता है।
- भारत के धातुकर्म ग्रेड के साथ-साथ बेहतर गुणवत्ता वाला कोयला गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है।
- यह दामोदर (झारखंड-पश्चिम बंगाल), महानदी (छत्तीसगढ़-ओडिशा), गोदावरी (महाराष्ट्र) और नर्मदा घाटियों में पाया जाता है।

# • टर्शियरी कोयला क्षेत्र ( 15-60 मिलियन वर्ष पुराना ):

- इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम लेकिन नमी और सल्फर की मात्रा भरपुर होती है।
- टिशंयरी कोयला क्षेत्र मुख्य रूप से अतिरिक्त प्रायद्वीपीय क्षेत्रों तक ही सीमित है।
- महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में असम, मेघालय, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिमालय की तलहटी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और केरल शामिल हैं।

#### वर्गीकरणः

- ए-थ्रेसाइट (80-95% कार्बन सामग्री) जम्मू-कश्मीर में कम मात्रा में पाया जाता है।
- बिटुमिनस (60-80% कार्बन सामग्री) झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश में पाया जाता है।
- लिग्नाइट (40-55% कार्बन सामग्री, उच्च नमी सामग्री)
   राजस्थान, लखीमपुर (असम) एवं तमिलनाडु में पाया जाता है।
- पीट [इसमें 40% से कम कार्बन सामग्री और कार्बनिक पदार्थ (लकड़ी) से कोयले में परिवर्तन के पहले चरण में प्राप्त होता है]।

#### आगे की राह

- कोयले के बाद की अर्थव्यवस्था की स्थापना की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है कोयले पर ऊर्जा हेतु निर्भर समाज को फिर से प्रशिक्षित करना।
- अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के लिये अपने पेशे से विस्थापित हुए श्रिमिकों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता को पहचानना भी आवश्यक है।
  - अमेरिकी संघीय परिवर्तन कार्यक्रम जैसे- पेशेवरों के लिये सौर प्रशिक्षण तथा शिक्षा का अवसर प्रदान के लिये भागीदारी, विस्थापित कार्यबल के लिये आर्थिक पुनरोद्धार अनुदान, भारत को अपनी योजनाओं को डिजाइन व विकसित करने में मदद कर सकता है।
- नीतियों के प्रचार, हरित वित्तपोषण और क्षमता निर्माण हेतु जलवायु परिवर्तन वित्त इकाई द्वारा किये गए निवेश के साथ भारत के लिये स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण हेतु विकास वित्तपोषण संस्थानों द्वारा वित्तपोषित किया जा सकता है।
  - जलवायु परिवर्तन वित्त इकाई जलवायु वित्त मामलों पर वित्त मंत्रालय की नोडल इकाई के रूप में कार्य करने के लिये उत्तरदायी है। यह बहुपक्षीय जलवायु परिवर्तन व्यवस्था के साथ-साथ G20 जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों के भीतर जलवायु वित्त संबंधी मुद्दों पर चर्चा में भाग लेती है और साथ ही राष्ट्रीय जलवायु नीति ढाँचे को विश्लेषणात्मक इनपुट भी प्रदान करती है।

# धीमी जमा वृद्धि पर RBI की चिंता

# चर्चा में क्यों?

हाल ही में RBI ने क्रेडिट ग्रोथ, एसेट क्वालिटी और नए जमाने के टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस को अपनाने के संबंध में डिपॉजिट में पिछड़ने पर चिंता जताई है और बैंकों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

# बैंकों को सतर्क रहने की आवश्यकताः

- रिज़र्व बैंक ने कहा कि घरेलू समिष्ट अर्थशास्त्र परिदृश्य को मजबूत
   माना जा सकता है लेकिन वैश्विक चुनौतियों के प्रति यह संवेदनशील
   है।
- यह वर्तमान वैश्विक तीन स्रोतों से उत्पन्न हो रही हैं;

A. यूक्रेन में रूस की कार्रवाई ऊर्जा आपूर्ति और कीमतों को (विशेष रूप से यूरोप में) प्रभावित करती है।

- B. चीन में ज़ीरो-कोविड नीति के कारण बार-बार लॉकडाउन लगने के कारण आर्थिक मंदी।
  - C. मुद्रास्फीति के दबाव के कारण जीवन यापन की लागत में वृद्धि।

इस प्रकार दुनिया भर में मौद्रिक नीतियों, विशेष रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को सख्त किया जा रहा है, जिससे उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय स्थिरता जोखिम के बारे में चिंताएँ बढ़ रही हैं।

करेंट अपडेट्स ( संग्रह ) नवंबर भाग-2 📙 2022

#### डिपॉज़िट और क्रेडिट ग्रोथ:

- बैंकों की क्रेडिट-डिस्बर्सिंग बैंडिविड्थ उनके इन-हाउस रिजर्व द्वारा निर्धारित की जाती है। इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि अधिक आर्थिक गतिविधि के साथ ऋण की मांग बढ़ती है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, कुल ऋण मांग वर्तमान में एक "असमान प्रोफाइल" है।
- शहरी मांग मजबूत दिखाई दे रही है और ग्रामीण मांग जो सुस्त थी,
   उसने भी हाल ही में कुछ मजबूती हासिल करना शुरू कर दिया है।
- सेवाओं, व्यक्तिगत ऋण, कृषि और उद्योग के नेतृत्व में वाणिज्यिक बैंक ऋण वृद्धि भी हो रही है।
- यह कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये बैंक ऋण हेतु बढ़ती प्राथमिकता को दर्शाता है।
  - अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिये आरबीआई के नवीनतम साप्ताहिक आँकड़ों के अनुसार कुल डिपॉजिट राशि साल-दर-साल आधार पर 11.4% की तुलना में 8.2% बढ़ी है, जबिक साल-दर-साल आधार पर 7.1% की वृद्धि की तुलना में क्रेडिट ऑफ-टेक में 17% की वृद्धि हुई है।.
- CRISIL के अनुसार ऐसा नहीं है कि डिपॉजिट ग्रोथ कम गई है, लेकिन क्रेडिट ग्रोथ पिछली कुछ तिमाहियों में बढ़ी है।
- महामारी के दौरान कम आर्थिक गितविधयों के कारण ऋण वृद्धि धीमी थी। अब आर्थिक गितविधि के सामान्य स्थिति में लौटने के साथ विशेष रूप से पिछली तीन तिमाहियों में ऋण वृद्धि में तेजी आई है।

# बैंकों की संपत्ति की गुणवत्ता की स्थिति:

- सकल गैर-निष्पादित संपत्ति (Non-Performing Assets-GNPA) में लगातार गिरावट आई है, शुद्ध NPA कुल संपत्ति का 1% तक गिर गया है।
- लिक्विडिटी कवर मजबूत है और लाभदेयता बढ़ी है। हालाँकि बाजार सहभागियों ने व्यापक आर्थिक स्थिति के आलोक में कॉरपोरेट्स के संबंध में चिंता जताई है।
- संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार का कारण पिछले कुछ वर्षों में कॉर्पोरेट इंडिया में हुआ डी-लीवरेजिंग है, जिसमें अधिकांश कॉर्पोरेट अपने ऋण स्तर में कटौती करने और अपने क्रेडिट प्रोफाइल में सुधार करने में सक्षम हुए हैं।

नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की स्थापना के कारण आगामी वित्त वर्ष के दौरान कॉपोरेट NPA में कमी आने की उम्मीद है, इससे उन कुछ पुराने कॉपोरेट ऋण NPA को खत्म किये जाने की उम्मीद है जो अभी भी बैंकों के पास हैं।

# ग्रामीण दैनिक मज़दूरी

# चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भारत में दैनिक वेतन भुगतान पर डेटा जारी किया।

# प्रमुख बिंदु


- कृषि श्रमिक:
  - मध्य प्रदेश (MP) में ग्रामीण क्षेत्रों के पुरुष कृषि श्रमिकों को केवल 217.8 रुपए की दैनिक मजदूरी प्रदान की गई, जबिक गुजरात में मार्च 2022 को समाप्त वर्ष में यह 220.3 रुपए थी।
    - दोनों राज्यों में दैनिक मज़दूरी राष्ट्रीय औसत 323.2 रुपए से कम है।
  - केरल 726.8 रुपए प्रति श्रमिकं की औसत मज़दूरी के साथ कृषि श्रमिकों को अधिक भुगतान करने वाले राज्यों में सबसे आगे है।
    - केरल में उच्च मज़दूरी के चलते इसने कम भुगतान वाले राज्यों के कृषि श्रमिकों को आकर्षित किया है, इस कारण राज्य में प्रवासी श्रमिकों की संख्या लगभग 25 लाख है
  - कृषि श्रमिकों को जम्मू-कश्मीर में प्रति व्यक्ति औसतन 524.6 रुपए, हिमाचल प्रदेश में 457.6 रुपए और तिमलनाडु में 445.6 रुपए मिलते हैं।

# • गैर-कृषि श्रमिकः

- पुरुष गैर-कृषि श्रमिकों के मामले में सबसे कम मज़दूरी 230.3 रुपए मध्य प्रदेश में दी जाती है, जबिक गुजरात के श्रमिकों को 252.5 रुपए और त्रिपुरा में 250 रुपए दैनिक मज़दूरी प्राप्त होती है, ये सभी राष्ट्रीय औसत 326.6 रुपए से कम हैं।
- केरल फिर से गैर-कृषि श्रमिकों के वेतन में 681.8 रुपए प्रति
   व्यक्ति के साथ सबसे आगे है।
  - मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिये केरल के बाद जम्मू-कश्मीर, तिमलनाड़ और हिरयाणा का स्थान रहा।
- निर्माण कार्य में संलग्न ग्रामीण पुरुष श्रमिकों के मामले में भी गुजरात और मध्य प्रदेश में मज़दूरी राष्ट्रीय औसत 373.3 रुपए से कम है।
  - गुजरात में निर्माण कार्य में संलग्न ग्रामीण पुरुष श्रमिकों की औसत मजदूरी 295.9 रुपए है, जबिक मध्य प्रदेश में यह 266.7 रुपए और त्रिपुरा में 250 रुपए है।

#### निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिकः

निर्माण कार्य में संलग्न ग्रामीण पुरुष श्रमिकों के लिये दैनिक मजदूरी केरल में 837.7 रुपए, जम्मू-कश्मीर में 519.8 रुपए, तिमलनाडु में 478.6 रुपए और हिमाचल प्रदेश में 462.7 रुपए थी।



# ग्रामीण मज़दूरी से जुड़े मुद्देः

- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का प्रमुख स्रोत कृषि है और यह रोजगार मानसून, रबी और खरीफ उत्पादन से प्रभावित होते हैं।
- कम कृषि मूल्य के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में आय भी कम होती है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश नई नौकरियाँ अकुशल श्रमिकों के लिये
   हैं, इसलिये मजदूरी और कार्य की प्रकृति अनाकर्षक होती है।
- लैंगिक असमानता विद्यमान होने के कारण महिला श्रमिक को पुरुष श्रमिक की कमाई का केवल 70% भगतान किया जाता है।
- मजदूरी में वृद्धि किये बिना उत्पादकता में होने वाली वृद्धि से मजदूरों के कल्याण को सकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं किया जा सकता है।

# ग्रामीण सशक्तीकरण से संबंधित प्रमुख सरकारी पहलें:

- दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
- प्रधानमंत्री आवास योजना

#### आगे की राह

 बढ़ती युवा आबादी हेतु अच्छे रोजगार सृजित करने की चुनौती से निपटने के लिये, मानव पूंजी में निवेश, उत्पादक क्षेत्रों के पुनरुद्धार और लघु उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रमों सहित कई मोर्चों पर कार्रवाई की आवश्यकता होगी।

- ग्रामीण खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये
   और मूल्य शृंखलाओं को प्रसंस्करण को परिवहन से जोड़ने में कुशल होना चाहिये।
  - इसके अतिरिक्त अनुबंध खेती तथा खेतों और कारखानों के बीच सीधा संबंध ग्रामीण वित्तीय सुरक्षा के लिये काफी संभावनाएँ प्रदान करते हैं।
- 650,000 गाँवों वाले ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटलीकरण और स्थानीय ई-गवर्नेंस के माध्यम से 800 मिलियन नागरिकों को आत्मिनर्भर बनाने में मदद मिलेगी।
- सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सिक्रिय सहयोग से एक ग्रामीण ज्ञान मंच बनाया जा सकता है जिससे अत्याधुनिक तकनीक को गाँवों में लागू करने के साथ ही नई नौकरियों को सृजित करने में मदद मिलेगी।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग स्मार्ट और सटीक कृषि सुविधा के लिये किया जा सकता है।

# RBI के गैर-अनुपालन संबंधी आदेशों पर चिंता

#### चर्चा में क्यों?

जनवरी 2020 से भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने कुछ निर्देशों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिये बैंकों से जुड़े 48 मामलों में 73.06 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा
 35क के अंतर्गत कितपय उपबंधों का अनुपालन न करने पर बैंकों
 को दंडित करता है।

# भारतीय रिज़र्व बैंक के आदेश संबंधी समस्याएँ:

- जानकारी तक विरल पहुँच:
  - बैंकों के ग्राहकों और निवेशकों के पास बैंकों द्वारा RBI के निर्देशों का अनुपालन न करने के बारे में जानकारी तक विरल पहुँच है।
  - अन्य वित्तीय नियामकों के मामलों के विपरीत RBI केवल उस इकाई का विवरण प्रदान करता है जिसे उल्लंघन के लिये दंडित किया जा रहा है।
- पक्षों की बात को अनसुना करनाः
  - RBI अपने आदेशों में न केवल कारण और विस्तृत स्पष्टीकरण देता है, बल्कि पक्षों की बात को अनसुना भी करता है।
    - िकसी भी गैर-अनुपालन के लिये दो अन्य नियामकों, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority- IRDAI) तथा भारतीय प्रतिभूति एवं

विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India- SEBI) द्वारा जारी दंड आदेश अधिक विस्तृत हैं, साथ ही इसमें उल्लंघन और इसके तरीके के संचालन संदर्भ में अधिक जानकारी शामिल है।

 SEBI संबंधित पक्ष को सुनता है या कार्रवाई करने से पहले कम-से-कम उन्हें स्पष्टीकरण देने का कुछ अवसर देता है तथा संतुष्ट नहीं होने पर संबंधित पक्ष SEBI के फैसले को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण में चुनौती भी दे सकता है।

#### • RBI के आदेशों को चुनौती नहीं दी जा सकती:

- वर्तमान में, RBI एकमात्र ऐसी नियामक संस्था है जिसके पास अपीलीय निकाय नहीं है।
- चूँिक RBI में अपील नहीं कर सकते, इसिलये RBI के आदेशों को गुण-दोष के आधार पर चुनौती नहीं दी जाती। विनियामक प्रणाली में इस तरह की व्यवस्था के साथ RBI आसानी से कारण और स्पष्टीकरण दिये बिना केवल एक सरसरी या मुख्य आदेश पारित करके बच सकता है।
  - लेकिन RBI के पास बैंकिंग लोकपाल की एक प्रणाली है जहाँ एक पीड़ित बैंक ग्राहक बैंक से विवाद या उसके अनुचित कार्यों और सेवाओं पर प्रश्न उठा सकता है।

#### • RBI के तर्कः

- जब RBI किसी बैंक में हुई किसी अनियमितता पर आदेश पारित करता है, तो वह आमतौर पर विनियमन के कुछ खंडों या उप-धाराओं का संदर्भ देता है जिसके तहत गैर-अनुपालन हुआ है। इसलिये पारित आदेश में और विस्तार की आवश्यकता नहीं होती है।
- RBI को अपने आदेशों में सभी विवरण सार्वजनिक नहीं करने चाहिये। इससे लोगों के मन में अनावश्यक भय पैदा हो सकता है और बैंकों पर से उनका विश्वास उठ सकता है।

# बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949:

- यह भारत में बैंकिंग फर्मों को नियंत्रित करता है। इसे बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 के रूप में पारित किया गया था और 1 मार्च,
   1966 से इसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में बदल दिया गया था।
- यह अधिनियम RBI को वाणिज्यिक बैंकों को लाइसेंस जारी करने, शेयरधारकों की शेयरधारिता और मतदान अधिकारों को विनियमित करने, बोर्डों तथा प्रबंधन की नियुक्ति की निगरानी करने, बैंकों के संचालन को विनियमित करने, ऑडिट के लिये निर्देश देने, अधिस्थगन, विलय एवं परिसमापन को नियंत्रित करने का निर्देश जारी करने का अधिकार देता है। लोक कल्याण और बैंकिंग नीति के हित में आवश्यकता पड़ने पर बैंकों पर जुर्माना लगाते हैं।

वर्ष 2020 में सरकार ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 को बदलने के लिये एक अध्यादेश पारित किया, जिससे सभी सहकारी सिमितियाँ रिजर्व बैंक की निगरानी में आ गईं, तािक जमाकर्त्ताओं के हितों की ठीक से रक्षा की जा सके।

#### आगे की राह

- RBI के आदेशों को चुनौती देने के लिये सेबी के पास इसी तरह की एक अपीलीय व्यवस्था की आवश्यकता है।
- शासन और नीति विशेषज्ञों का कहना है कि हितधारकों को सूचित रखने की आवश्यकता है और एक अपीलीय प्राधिकरण इस उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है।
- नियामक के लिये स्पीकिंग ऑर्डर पारित करना बहुत महत्त्वपूर्ण है तािक इसे पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति इस मुद्दे को जान सके और समझ सके कि क्या गलत हुआ तथा इसे कैसे ठीक किया जा सकता है।
- RBI के एक विस्तृत आदेश से व्याख्या की संभावना बढ़ सकती है, जिसका अगर सही विश्लेषण नहीं किया गया तो बैंकिंग प्रणाली में विश्वास समाप्त हो सकता है।
- प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (Securities Appellate Tribunal- SAT) की तरह, RBI के आदेशों को चुनौती देने के लिये एक अपीलीय प्राधिकरण की आवश्यकता है। एक बार आदेश अपील योग्य होने के बाद, अपीलीय निकाय पूरी मेरिट पर गौर करेगा।

# भारत में बेरोज़गारी

# चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NATIONAL STATISTICAL OFFICE- NSO) ने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PERIODIC LABOUR FORCE SURVEY- PLFS) जारी किया है।

 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर जुलाई-सितंबर 2021 में 9.8% से घटकर जुलाई-सितंबर 2022 में 7.2% हो गई।

# आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण ( जुलाई-सितंबर 2022 ) के प्रमुख बिंदु:

- बेरोजगारी अनुपात:
  - बेरोजगारी अनुपात को श्रम बल में व्यक्तियों के बीच बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।
  - बेरोजगारी दर: पुरुषों में 6.6%, मिहलाओं में 9.4% (जुलाई-सितंबर 2021 में 9.3% और 11.6%) थी।

#### श्रिमिक-जनसंख्या अनुपात (Worker-Population Ratio- WPR):

- WPR को जनसंख्या में रोजगार वाले व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।
- 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिये शहरी क्षेत्रों में WPR 5% (जुलाई-सितंबर 2021 में 42.3%) था।
- पुरुषों में WPR 68.6% और महिलाओं में 19.7% (2021 में 66.6% और 17.6%) था।

# श्रम बल भागीदारी दर (Labour Force Participation Rate- LFPR):

- इसे श्रम बल में उन व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में पिरभाषित किया गया है जो शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के हैं, और वे काम कर रहे हैं या काम की तलाश में हैं।
- 🔷 यह बढ़कर 9% (जुलाई-सितंबर 2021 में 46.9%) हो गया।
- पुरुषों में LFPR 73.4% तथा महिलाओं में 21.7%
   (73.5% और 19.9%, जुलाई-सितंबर 2021 में) था।

# आवधिक श्रम बल सर्वेक्षणः

 अधिक नियत समय अंतराल पर श्रम बल डेटा की उपलब्धता के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने अप्रैल 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) की शुरुआत की।

# • PLFS के मुख्य उद्देश्य हैं:

- 'वर्तमान साप्ताहिक स्थिति' (CWS) में केवल शहरी क्षेत्रों के लिये तीन माह के अल्पकालिक अंतराल पर प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों (अर्थात् श्रमिक-जनसंख्या अनुपात, श्रम बल भागीदारी दर, बेरोजगारी दर) का अनुमान लगाना।
- प्रतिवर्ष ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में सामान्य स्थिति तथा
   CWS दोनों मां रोजगार एवं बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाना।

#### बेरोज़गारी:

- िकसी व्यक्ति द्वारा सिक्रयता से रोजगार की तलाश किये जाने के बावजूद जब उसे काम नहीं मिल पाता तो यह अवस्था बेरोजगारी कहलाती है।
  - बेरोजगारी का प्रयोग प्राय: अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के मापक के रूप में किया जाता है।
- बेरोजगारी को सामान्यत: बेरोजगारी दर के रूप में मापा जाता है, जिसे श्रमबल में शामिल व्यक्तियों की संख्या में से बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या को भाग देकर प्राप्त किया जाता है।

- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) किसी व्यक्ति की निम्नलिखित स्थितियों पर रोजगार और बेरोजगारी को परिभाषित करता है:
  - कार्यरत (आर्थिक गतिविधि में संलग्न) यानी 'रोजगार'।
  - काम की तलाश में या काम के लिये उपलब्ध यानी 'बेरोजगार'।
  - न तो काम की तलाश में है और न ही उपलब्ध।
  - पहले दो श्रम बल का गठन करते हैं और बेरोजगारी दर उस श्रम बल का प्रतिशत है जो बिना काम के है।
  - बेरोज्ञगारी दर = (बेरोज्जगार श्रमिक/कुल श्रम शक्ति) ×
     100

#### बेरोज़गारी के प्रकारः

#### प्रच्छन्न बेरोजगारीः

- यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है।
- यह मुख्य रूप से भारत के कृषि और असंगठित क्षेत्रों में पाई जाती है।

#### मौसमी बेरोजगारीः

- यह एक प्रकार की बेरोजगारी है, जो वर्ष के कुछ निश्चित मौसमों के दौरान देखी जाती है।
- भारत में खेतिहर मजदूरों के पास वर्ष भर काफी कम काम होता है।

#### संरचनात्मक बेरोजगारीः

- यह बाजार में उपलब्ध नौकरियों और श्रमिकों के कौशल के बीच असंतुलन होने से उत्पन्न बेरोजगारी की एक श्रेणी है।
- भारत में बहुत से लोगों को आवश्यक कौशल की कमी के कारण नौकरी नहीं मिलती है और शिक्षा के खराब स्तर के कारण उन्हें प्रशिक्षित करना मुश्किल हो जाता है।

#### चक्रीय बेरोजगारी:

- यह व्यापार चक्र का परिणाम है, जहाँ मंदी के दौरान बेरोजगारी बढ़ती है और आर्थिक विकास के साथ घटती है।
- भारत में चक्रीय बेरोजगारी के आँकड़े नगण्य हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जो अधिकतर पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में पाई जाती है।

#### तकनीकी बेरोजगारी:

- यह प्रौद्योगिकी में बदलाव के कारण नौकरियों का नुकसान है।
- वर्ष 2016 में विश्व बैंक के आँकड़ों ने भिवष्यवाणी की थी कि भारत में ऑटोमेशन से खतरे में पड़ी नौकरियों का अनुपात साल-दर-साल 69% है।

## घर्षण बेरोजगारीः

- घर्षण बेरोजगारी का आशय ऐसी स्थिति से है, जब कोई
   व्यक्ति नई नौकरी की तलाश कर रहा होता है या नौकरियों के बीच स्विच कर रहा होता है, तो यह नौकरियों के बीच समय अंतराल को संदर्भित करती है।
- दूसरे शब्दों में, एक कर्मचारी को एक नई नौकरी खोजने या एक नई नौकरी में स्थानांतरित करने के लिये समय की आवश्यकता होती है, यह अपिरहार्य समय की देरी घर्षण बेरोजगारी का कारण बनती है।
- इसे अक्सर स्वैच्छिक बेरोजगारी के रूप में माना जाता है क्योंकि यह नौकरी की कमी के कारण नहीं होता है, बल्कि वास्तव में बेहतर अवसरों की तलाश में श्रमिक स्वयं अपनी नौकरी छोड देते हैं।

## सुभेद्य रोजगारः

- इसका मतलब है कि लोग बिना उचित नौकरी अनुबंध के अनौपचारिक रूप से काम कर रहे हैं और इस प्रकार इनके लिये कोई कानूनी सुरक्षा नहीं है।
- इन व्यक्तियों को 'बेरोजगार' माना जाता है क्योंकि उनके कार्य का रिकॉर्ड कभी भी बनाया नहीं जाता हैं।
- यह भारत में बेरोज़गारी के मुख्य प्रकारों में से एक है।

## भारत में बेरोज़गारी का कारण:

#### • सामाजिक कारकः

- भारत में जाति व्यवस्था प्रचलित है कुछ क्षेत्रों में विशिष्ट जातियों
   के लिये कार्य निषिद्ध है।
- बड़े व्यवसाय वाले बड़े संयुक्त परिवारों में बहुत से ऐसे व्यक्ति होंगे जो कोई काम नहीं करते हैं तथा परिवार की संयुक्त आय पर निर्भर रहते हैं।

#### जनसंख्या का तीव्र विकास:

- भारत में जनसंख्या में निरंतर वृद्धि एक बड़ी समस्या बन गई है।
  - यह बेरोज़गारी के प्रमुख कारणों में से एक है।

## कृषि का प्रभुत्वः

- भारत में अभी भी लगभग आधा कार्यबल कृषि पर निर्भर है।
  - हालाँकि भारत में कृषि अविकसित है।
  - साथ ही यह मौसमी रोजगार भी प्रदान करती है।

## • कुटीर और लघु उद्योगों का पतन:

- औद्योगिक विकास का कुटीर और लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
- कुटीर उद्योगों का उत्पादन गिरने से कई कारीगर बेरोजगार हो गए।

#### श्रम की गतिहीनताः

- भारत में श्रम की गतिशीलता कम है। परिवार से लगाव के कारण लोग नौकरी के लिये दूर-दराज के इलाकों में नहीं जाते हैं।
- कम गतिशीलता के लिये भाषा, धर्म और जलवायु जैसे कारक भी जिम्मेदार हैं।

## • शिक्षा प्रणाली में दोष:

- पूंजीवादी दुनिया में नौकिरयाँ अत्यधिक विशिष्ट हो गई हैं लेकिन भारत की शिक्षा प्रणाली इन नौकिरयों के लिये आवश्यक सही प्रशिक्षण और विशेषज्ञता प्रदान नहीं करती है।
- इस प्रकार बहुत से लोग जो कार्य करने के इच्छुक हैं, वे कौशल की कमी के कारण बेरोजगार हो जाते हैं।

### सरकार द्वारा हाल की पहलः

- आजीविका और उद्यम हेतु सीमांत व्यक्तियों के लिये समर्थन (SMILE)
- पीएम-दक्ष (प्रधानमंत्री दक्ष और कुशल संपूर्ण हितग्राही)
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज्ञगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)
- 🔷 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)
- स्टार्टअप इंडिया योजना.

# राष्ट्रीय दुग्ध दिवस

# चर्चा में क्यों?

है।

पशुपालन विभाग 26 नवंबर, 2022 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मना रहा

राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, 2022 समारोह के दौरान प्रदान किया

- गया।
- पशु संगरोध प्रमाणन सेवाओं का भी उद्घाटन किया गया है।
- प्रत्येक वर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है।

# राष्ट्रीय दुग्ध दिवसः

- यह दिवस एक व्यक्ति के जीवन में दूध के महत्त्व को रेखांकित करता है और इसका उद्देश्य दुग्ध से संबंधित लाभों को बढ़ावा देना तथा दूध एवं दुग्ध उत्पादों के महत्त्व के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना है।
- 26 नवंबर, 2022 को "भारत में श्वेत क्रांति के जनक" डॉ. वर्गीज कुरियन की 101वीं जयंती मनाई जा रही है।

# • 'डॉ. वर्गीज़ कुरियन ( 1921-2012 ):

उन्हें 'भारत में खेत क्रांति के जनक' के रूप में जाना जाता है।

- वह अपने 'ऑपरेशन फ्लड' के लिये काफी प्रसिद्ध हैं, जिसे दुनिया के सबसे बड़े कृषि कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है।
- उन्होंने विभिन्न किसानों और श्रिमिकों द्वारा चलाए जा रहे 30 संस्थानों की स्थापना की।
- उन्होंने 'अमूल ब्रांड' की स्थापना और सफलता में भी महत्त्वपूर्ण भिमका निभाई।
- उन्हीं के प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत वर्ष 1998 में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुध का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया था।
- उन्होंने 'दिल्ली दूध योजना' के प्रबंधन में भी मदद की और कीमतों में सुधार किया। उन्होंने भारत को खाद्य तेलों में आत्मिनर्भर बनने में भी मदद की।
- उन्हें 'रेमन मैग्सेसे पुरस्कार' (1963), 'कृषि रत्न' (1986)
   और 'विश्व खाद्य पुरस्कार' (1989) सिहत कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।
- वह भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार- पद्मश्री (1965),
   पद्मभूषण (1966) और पद्मिवभूषण (1999) के प्राप्तकर्ता भी हैं।



# भारत की श्वेत क्रांति:

#### • परिचय:

- ऑपरेशन फ्लड 13 जनवरी, 1970 को लॉन्च किया गया था।
   यह विश्व का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम था।
- 30 वर्षों के भीतर ऑपरेशन फ्लड ने भारत में प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन को दोगुना करने में मदद की, जिससे डेयरी फार्मिंग भारत का सबसे बड़ा आत्मिनर्भर ग्रामीण रोजगार उत्पन्न करने वाला क्षेत्र बन गया।
- ऑपरेशन फ्लड ने किसानों को उनके द्वारा उत्पन्न संसाधनों पर सीधा नियंत्रण प्रदान किया, जिससे उन्हें अपने स्वयं के विकास को निर्देशित करने में मदद मिली। इससे न केवल बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ, बल्कि इसे अब 'श्वेत क्रांति' (White Revolution) के रूप में भी जाना जाता है।

#### चरण:

- चरण I (1970-1980): इस चरण को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से यूरोपीय संघ द्वारा दान किये गए बटर आयल और स्किम्ड मिल्क पाउडर की बिक्री से प्राप्त धन से वित्तपोषित किया गया था।
- चरण II (1981 से 1985): इस चरण के दौरान दुग्धशालाओं की संख्या 18 से बढ़कर 136 हो गई, दूध की दुकानों का विस्तार लगभग 290 शहरी बाजारों में किया गया, एक आत्मनिर्भर प्रणाली स्थापित की गई जिसमें 43,000 ग्राम सहकारी समितियों के 42,50,000 दूध उत्पादक शामिल थे।
- चरण III (1985-1996): इस चरण में डेयरी सहकारी सिमितियों का विस्तार कर उन्हें सक्षम बनाया गया और कार्यक्रम को अंतिम रूप प्रदान किया गया। इसने दूध की बढ़ती मात्रा की खरीद और बाजार के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचे को भी मजबूत किया।

## • उद्देश्यः

- 🔶 दूध उत्पादन को बढ़ाना।
- 🔶 ग्रामीण आय में वृद्धि।
- उपभोक्ताओं के लिये उचित मूल्य।

### • महत्त्वः

- इसने डेयरी किसानों को स्वयं के विकास के लिये निर्देशित करने में मदद की, उनके संसाधनों पर उन्हें नियंत्रण प्रदान किया।
- इसने भारत को वर्ष 2016-17 में दुनिया में दूध का सबसे बड़ा
   उत्पादक बनने में मदद की है।
- वर्तमान में भारत 22% वैश्विक उत्पादन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है।

#### संबंधित पहलः

- पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (Animal Husbandry Infrastructure Development Fund- AHIDF)
- 🔷 राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम
- राष्ट्रीय गोकुल मिशन
- 🔷 राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम
- राष्ट्रीय पशुधन मिशन

# अंतर्राष्ट्रीय संबंध

# G-20 शिखर सम्मेलन 2022

## चर्चा में क्यों ?

हाल ही में G-20 के 17वें वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई जिसे इंडोनेशिया की अध्यक्षता में बाली में 'रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉनार' विषय के तहत आयोजित किया गया।

 अब भारत ने G-20 की अध्यक्षता का प्रभार संभाल लिया है और 18वाँ शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में आयोजित किया जाएगा।

## शिखर सम्मेलन के परिणाम:

- रूसी आक्रामकता की निंदाः
  - सदस्य देशों ने यूक्रेन में रूस की आक्रामकता की "कड़े शब्दों में" निंदा करते हुए एक घोषणा को अपनाया और इसे बिना शर्त वापस लेने की मांग की।
  - उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अधिकांश सदस्यों ने यूक्रेन में युद्ध की निंदा की, "स्थिति और प्रतिबंधों को लेकर विभिन्न विचार और अलग-अलग आकलन थे"।

### • वैश्विक अर्थव्यवस्था पर फोकसः

G-20 अर्थव्यवस्थाओं ने अपनी घोषणा में ब्याज दरों में वृद्धि को सावधानीपूर्वक गित देने पर सहमित व्यक्त की और मुद्रा के मामले में "बढ़ी हुई अस्थिरता" को लेकर चेतावनी दी है, जिसमें कोविड-19 महामारी को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

#### • खाद्य सुरक्षाः

 नेताओं ने खाद्य सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिये समिन्वत कार्रवाई करने का वादा किया और ब्लैक सी ग्रेन पहल की सराहना की।

## जलवायु परिवर्तनः

G-20 नेताओं ने वैश्विक तापमान वृद्धि को5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने पर सहमित व्यक्त की, यह पुष्टि करते हुए कि वे जलवायु परिवर्तन पर 2015 पेरिस समझौते के तापमान लक्ष्य के साथ खडे हैं।

#### डिजिटल परिवर्तनः

- नेताओं ने सतत् विकास लक्ष्यों तक पहुँचने में डिजिटल परिवर्तन के महत्त्व को पहचाना।
- उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं, लड़िकयों और कमज़ीर स्थितियों में रह रहे लोगों के लिये डिजिटल परिवर्तन के सकारात्मक प्रभावों का दोहन करने हेतु डिजिटल कौशल एवं

डिजिटल साक्षरता को और अधिक विकसित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित किया।

#### • स्वास्थ्य:

- नेताओं ने स्वस्थ और स्थायी रिकवरी को बढ़ावा देने के लिये अपनी निरंतर प्रतिबद्धता व्यक्त की जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को प्राप्त करने और उसे बनाए रखने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है।
- उन्होंने विश्व बैंक द्वारा आयोजित महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया ('महामारी कोष') के लिये एक नए वित्तीय मध्यस्थ कोष की स्थापना का स्वागत किया।
- नेताओं ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की अग्रणी और समन्वय भूमिका तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से समर्थन के साथ वैश्विक स्वास्थ्य शासन को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

# जी-20 के सदस्य देशों के समक्ष चुनौतियाँ:

## यूक्रेन पर रूस के आक्रमण का प्रभावः

- रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण ने न केवल बड़े पैमाने पर भू-राजनीतिक अनिश्चितता पैदा की है बल्कि वैश्विक मुद्रास्फीति को भी बढ़ा दिया है।
- पश्चिम द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों ने स्थिति को और भी खराब कर दिया है।
  - कई देशों में ऐतिहासिक मुद्रास्फीति के उच्च स्तर ने इन देशों में क्रय शक्ति को कम कर दिया है, इस प्रकार आर्थिक विकास को धीमा कर दिया है।

## • बढ़ती मुद्रास्फीति का प्रभावः

- उच्च मुद्रास्फीति के जवाब में देशों के केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों में वृद्धि की है जिसके कारण आर्थिक गतिविधियों में कमी आई है।
  - यूएस और यूके जैसी कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ मंदी का सामना करने के लिये तैयार हैं; अन्य, जैसे कि यूरो क्षेत्र के देशों की गति धीमी होकर लगभग ठप होने की संभावना है।

# प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की मंदी:

 वैश्विक विकास के प्रमुख इंजनों में से एक चीन में तीव्र मंदी देखी जा रही है क्योंकि यह एक रियल एस्टेट संकट से जूझ रहा है।

## बढ़ते भू-राजनीतिक मतभेदः

विश्व की अर्थव्यवस्था भू-राजनीतिक बदलावों से जूझ रही है, जैसे कि अमेरिका और चीन के बीच तनाव, जिन्हें दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ माना जाता है या फिर ब्रेक्जिट निर्णय के मद्देनजर ब्रिटेन और यूरोपीय क्षेत्र के बीच व्यापार में गिरावट।

# G-20 समूह:

### • परिचयः

- G20 का गठन वर्ष 1999 के दशक के अंत के वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया था, जिसने विशेष रूप से पूर्वी एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया को प्रभावित किया था।
- इसका उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना है।
- साथ में G20 देशों में दुनिया की 60% आबादी, वैश्विक जीडीपी का 80% और वैश्विक व्यापार का 75% शामिल है।

#### • सदस्यः

G20 समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्राँस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।

## आगे की राह

- जी-20 देशों का पहला काम बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण करना है।
  - साथ ही सरकारों को कर्ज के स्तर को अनिवार्य रूप से बढ़ाए बिना कमजोर लोगों की मदद करने के तरीके खोजने होंगे। इससे संबंधित एक प्रमुख चिंता यह सुनिश्चित करना होगा कि बाहरी जोखिमों की सावधानीपूर्वक निगरानी की जाए।
- एक मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी रिकवरी के लिये G-20 द्वारा संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता है और बदले में इस तरह की संयुक्त कार्रवाई के लिये यूक्रेन में शांति स्थापित करने के साथ-साथ "आने वाले समय में उसके विखंडन को रोकने में मदद" की भी आवश्यकता है।
- व्यापार को लेकर G-20 नेताओं को "अधिक खुले, स्थिर और पारदर्शी नियम-आधारित व्यापार" पर जोर देने की आवश्यकता है जो वस्तु की वैश्विक कमी को दूर करने में मदद करेगा।
  - वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के लचीलेपन को मज़बूत करने से भविष्य के झटकों से बचने में मदद मिलेगी।

## कार्बन बॉर्डर टैक्स

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सहित विभिन्न देशों के संघ ने शर्म अल शेख, मिस्र में पार्टियों के सम्मेलन (COP) के 27वें संस्करण में यूरोपीय संघ (EU) द्वारा प्रस्तावित कार्बन बॉर्डर टैक्स का संयुक्त रूप से विरोध किया है।

## कार्बन बॉर्डर टैक्स:

- कार्बन बॉर्डर टैक्स उत्पाद के उत्पादन से उत्पन्न कार्बन उत्सर्जन की मात्रा के आधार पर आयात पर एक शुल्क है। यह कार्बन को कीमती बनाकर उत्सर्जन को हतोत्साहित करता है। व्यापार से संबंधित उपाय के रूप में यह उत्पादन और निर्यात को प्रभावित करता है।
- यह प्रस्ताव यूरोपीय आयोग के यूरोपीय ग्रीन डील का हिस्सा है जो वर्ष 2050 तक यूरोप को पहला जलवायु-तटस्थ महाद्वीप बनाने का प्रयास करता है।
- कार्बन बॉर्डर टैक्स यकीनन राष्ट्रीय कार्बन टैक्स में एक सुधार है।
  - राष्ट्रीय कार्बन टैक्स एक ऐसा शुल्क है जिसे सरकार देश के भीतर किसी भी उस कंपनी पर लगाती है जो जीवाश्म ईंधन का उपयोग करती है।

## कार्बन टैक्स लगाने का कारण:

- यूरोपीय संघ और जलवायु परिवर्तन शमन: यूरोपीय संघ ने वर्ष 1990 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक अपने कार्बन उत्सर्जन में कम से कम 55% की कटौती करने की घोषणा की है। अब तक इन स्तरों में 24% की गिरावट आई है।
  - हालाँकि आयात से होने वाले उत्सर्जन का यूरोपीय संघ द्वारा
     CO2 उत्सर्जन में 20% योगदान है जिसमे और भी वृद्धि देखी जा रही है।
  - इस प्रकार का कार्बन टैक्स अन्य देशों को GHG उत्सर्जन कम करने तथा यूरोपीय संघ के कार्बन पदचिह्न को और कम करने के लिये प्रोत्साहित करेगा।
- कार्बन लीकेज: यूरोपीय संघ की उत्सर्जन व्यापार प्रणाली कुछ व्यवसायों के लिये उस क्षेत्र में संचालन को महँगा बनाती है।
  - यूरोपीय संघ के अधिकारियों को डर है कि ये व्यवसाय उन देशों
     में अपना व्यवसाय स्थानांतिरत करना पसंद कर सकते हैं जहाँ
     उत्सर्जन सीमा को लेकर विशेष सीमाएँ नहीं हैं।
    - इसे 'कार्बन लीकेज' के रूप में जाना जाता है और इससे दुनिया में कुल उत्सर्जन में वृद्धि होती है।

## मुद्देः

 'बेसिक' (BASIC) देशों की प्रतिक्रिया: 'BASIC' देशों (ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन) के समृह ने एक संयुक्त बयान में यूरोपीय संघ के प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि यह 'भेदभावपूर्ण' एवं समानता तथा 'समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्वों और संबंधित क्षमताओं' (CBDR-RC) के सिद्धांत के विरुद्ध है।

- ये सिद्धांत स्वीकार करते हैं कि विकसित देश जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने हेतु विकासशील और संवेदनशील देशों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु उत्तरदायी हैं।
- भारत पर प्रभाव: यूरोपीय संघ भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। यूरोपीय संघ, भारत निर्मित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि कर भारतीय वस्तुओं को खरीदारों के लिये कम आकर्षक बना देगा जो मांग को कम कर सकता है।
  - यह कर बड़ी ग्रीनहाउस गैस फुटप्रिंट वाली कंपनियों के लिये निकट भविष्य में गंभीर चुनौतियाँ उत्पन्न करेगा।
- 'रियो घोषणा' के साथ असंगत: पर्यावरण के लिये दुनिया भर में एक समान मानक स्थापित करने की यूरोपीय संघ की धारणा 'रियो घोषणा' के अनुच्छेद-12 में निहित वैश्विक सहमित के विरुद्ध है, जिसके मुताबिक, विकसित देशों के लिये लागू मानकों को विकासशील देशों पर लागू नहीं किया जा सकता है।
- जलवायु-परिवर्तन व्यवस्था में परिवर्तन: इन आयातों की ग्रीनहाउस सामग्री को आयात करने वाले देशों की ग्रीनहाउस गैस सूची में भी समायोजित करना होगा, जिसका अनिवार्य रूप से तात्पर्य है कि जीएचजी सूची को उत्पादन के आधार पर नहीं बल्कि खपत के आधार पर गिना जाना चाहिये।
  - यह पूरे जलवायु परिवर्तन व्यवस्था को उलट देगी।
- संरक्षणवादी नीति: नीति को संरक्षणवाद का प्रच्छन्न रूप भी माना जा सकता है।
  - संरक्षणवाद सरकारी नीतियों को संदर्भित करता है जो घरेलू उद्योगों की सहायता के लिये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करता है। ऐसी नीतियों को आमतौर पर घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर आर्थिक गतिविधियों में सुधार के लक्ष्य के साथ लागू किया जाता है।
  - इसमें जोखिम है कि यह एक संरक्षणवादी उपकरण बन जाता है, जो स्थानीय उद्योगों को तथाकथित 'हरित संरक्षणवाद' में विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाता है।

# आगे की राह

- भारत यूरोपीय संघ की इस नीति का लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य रूस, चीन और तुर्की हैं जो कार्बन के बड़े उत्सर्जक हैं तथा यूरोपीय संघ को इस्पात एल्यूमीनियम के प्रमुख निर्यातक हैं।
- भारत के विपक्ष में सबसे आगे होने का कोई कारण नहीं है। इसके बजाय उसे सीधे यूरोपीय संघ से बात करनी चाहिये और द्विपक्षीय रूप से इस मुद्दे को सुलझाना चाहिये।

- सीमाओं पर आयातित सामानों पर शुल्क लगाने हेतु कार्बन बॉर्डर टैक्स जैसा तंत्र स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्रेरित कर सकता है।
  - लेकिन यदि यह नई तकनीकों और वित्त की पर्याप्त सहायता के बिना होता है, तो यह विकासशील देशों के लिये नुकसानदेह हो जाएगा।
- जहाँ तक भारत का संबंध है उसे इस कर के लागू होने से होने वाले फायदों और नुकसानों का आकलन करना चाहिये तथा द्विपक्षीय दृष्टिकोण के साथ यूरोपीय संघ से बात करनी चाहिये।

# भारत और ब्रिटेन के बीच युवा छात्रों एवं पेशेवरों का आदान-प्रदान

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने वर्ष 2023 में 'यंग प्रोफेशनल्स' योजना शुरू करने का निर्णय लिया है।

- ब्रिटेन 18-30 वर्ष आयु वर्ग के 3000 डिग्रीधारक भारतीयों को दो साल तक काम करने का अवसर प्रदान करेगा।
- यह योजना वर्ष 2023 के प्रारंभ में शुरू होगी जिसमें ब्रिटिश नागरिकों
   को भी भारत में इसी तरह की सुविधा प्रदान की जाएगी।
   भारत-ब्रिटेन साझेदारी का महत्त्व:
- ब्रिटेन के लिये: बाजार में हिस्सेदारी और रक्षा क्षेत्र दोनों के संदर्भ में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में ब्रिटेन के लिये भारत एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक भागीदार है, जैसा कि वर्ष 2015 में भारत और ब्रिटेन के बीच रक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर द्वारा रेखांकित किया गया था।
  - भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की सफलता ब्रिटेन को उसकी 'ग्लोबल ब्रिटेन' की महत्त्वाकांक्षा को बढ़ावा देगी क्योंकि यूके ब्रेक्जिट के बाद से ही यूरोप के बाहर अपने बाजारों का वैश्विक विस्तार करने का इच्छुक है।
  - ब्रिटेन एक महत्त्वपूर्ण वैश्विक अभिकर्त्ता के रूप में वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिये हिंद-प्रशांत क्षेत्रों में विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं मंत अवसरों का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है।
    - भारत से अच्छे द्विपक्षीय संबंधों के साथ वह इस लक्ष्य को बेहतर ढंग से हासिल करने में सक्षम होगा।
- भारत के लिये: हिंद प्रशांत में UK एक क्षेत्रीय शक्ति है क्योंिक इसके पास ओमान, सिंगापुर, बहरीन, केन्या और हिंद महासागर क्षेत्र में नौसैनिक सुविधाएँ हैं।

- यूके (UK) ने भारत में अक्षय ऊर्जा के उपयोग का समर्थन करने के लिये ब्रिटिश अंतर्राष्ट्रीय निवेश निधि के 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भी पुष्टि की है, जिससे इस क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा बुनियादी ढाँचे के निर्माण एवं सौर ऊर्जा के विकास में मदद मिलेगी।
- भारत ने मत्स्य पालन, फार्मा और कृषि उत्पादों के लिये बाजार तक आसान पहुँच के साथ-साथ श्रम-गहन निर्यात के लिये शुल्क रियायत की भी मांग की है।

# इन दोनों देशों के बीच वर्तमान प्रमुख द्विपक्षीय मुद्देः

- भारतीय आर्थिक अपराधियों का प्रत्यर्पण:
  - यह मुद्दा भारतीय आर्थिक अपराधियों के प्रत्यर्पण का है जो वर्तमान में ब्रिटेन की शरण में हैं और अपने लाभ के लिये कानूनी प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं।
  - विजय माल्या, नीरव मोदी और ऐसे अन्य अपराधियों ने लंबे समय से ब्रिटिश प्रणाली के तहत शरण ले रखी है, जबिक भारत में उनके खिलाफ मामले हैं, जिनके प्रत्यर्पण की आवश्यकता है।

### • ब्रिटिश और पाकिस्तान के बीच गहरे संबंध :

- उपमहाद्वीप में लंबे समय तक रहे ब्रिटिश राज की विरासत की बदौलत ब्रिटेन जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान की भूलों के कारण विभाजन करने में सक्षम हुआ।
- ब्रिटेन में उप-महाद्वीप के एक बड़े मुस्लिम समुदाय की उपस्थिति, विशेष रूप से पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर के मीरपुर जैसे क्षेत्रों से वोट बैंक की राजनीति के जाल के अलावा असंगति को बढ़ाती है।

## श्वेत ब्रिटिश द्वारा गैर-स्वीकृतिः

- श्वेत ब्रिटिश लोगों द्वारा एक वैश्विक शक्ति के रूप में भारत के उदय की अस्वीकार्यता एक और मुद्दा है।
  - वर्तमान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने जीडीपी के मामले
     में ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है और पाँचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।
  - ब्रिटिश साम्राज्य की शाही विरासत के संदर्भ में एक आधुनिक और आत्मविश्वासी भारतीय तथा एक ब्रिटिश औपनिवेशिक भारतीय के बीच कोई अंतर नहीं है।

## आगे की राह

- संस्कृति, इतिहास और भाषा के गहन संबंध पहले से ही ब्रिटेन को एक संभावित मजबूत आधार देते हैं जिसे आधार बनकर भारत के साथ संबंधों को और गहरा किया जा सकता है।
- नई परिस्थितियों के साथ भारत और ब्रिटेन को यह स्वीकार करना चाहिये कि दोनों को अपने बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये एक-दूसरे की आवश्यकता है।

# भारत-नॉर्वे हरित समुद्री क्षेत्र

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में 8वीं भारत-नॉर्वे समुद्री संयुक्त कार्य समूह की बैठक मुंबई, भारत में आयोजित की गई।

- नॉर्वे के पास समुद्री क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञता है और भारत में समुद्री क्षेत्र और प्रशिक्षित नाविकों के बड़े पूल के विकास की बड़ी क्षमता है, जो दोनों देशों को प्राकृतिक पूरक भागीदार बनाते हैं।
- इससे पहले भारत ने मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 भी तैयार किया
   था, जिसने क्षमता वृद्धि आदि पर ध्यान केंद्रित करने वाले बंदरगाहों,
   शिपिंग और जलमार्गों जैसे विभिन्न समुद्री क्षेत्रों में 150 से अधिक पहलों की पहचान की है।



# बैठक की मुख्य चर्चाएँ:

- भविष्य के शिपिंग के लिये ग्रीन अमोनिया और हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक ईंधन के उपयोग पर चर्चा की गई।
- नॉर्वेजियन ग्रीन शिपिंग कार्यक्रम सफल रहा है और बैठक में अनुभव विशेषज्ञता साझा की गई थी।
- भारत और नॉर्वे ग्रीन वॉयज 2050 परियोजना का हिस्सा हैं।
- दोनों पक्ष साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये इच्छा, समर्पण, साझेदारी और क्षमता निर्माण पर सहमत हुए।
- भारत जहाजों के पुनर्चक्रण के लिये हॉन्गकॉन्ग सम्मेलन का एक हस्ताक्षरकर्त्ता है।
  - बैठक में भारत ने अनुरोध किया कि यूरोपीय संघ के नियमों को गैर-यूरोपीय देशों के पुनर्चक्रण में बाधा नहीं बनना चाहिये, जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अनुरूप है।
  - नॉर्वे से अनुरोध किया गया था कि वह भारत में जहाजों के पुनर्चक्रण को आगे न बढ़ाए क्योंकि भारतीय पुनर्चक्रण करने वालों द्वारा बहुत अधिक निवेश किया गया है।

- नार्वे का प्रतिनिधिमंडल आईएनएमएआरसीओ, हरित पोत परिवहन और समुदी क्षेत्र के सम्मेलन में भी भाग लेगा।
  - समुद्री शीओ (ShEO) सम्मेलन नॉर्वे द्वारा समर्थित है और समुद्री विविधता एवं स्थिरता पर केंद्रित है, जिसमें समुद्री उद्योग में लैंगिक समानता भी शामिल है।

## मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030:

#### • परिचयः

- मैरीटाइम इंडिया विजन (MIV) 2030 समुद्री क्षेत्र के लिये दस वर्ष का ब्लूप्रिंट है जिसे भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नवंबर 2020 में मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन में जारी किया गया था।
- MIV 2030 को 350 से अधिक सार्वजिनक और निजी क्षेत्र के हितधारकों के परामर्श से तैयार किया गया है, जिसमें बंदरगाह, शिपयार्ड, अंतर्देशीय जलमार्ग, व्यापार निकाय एवं संघ, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय उद्योग और कानूनी विशेषज्ञ शामिल हैं।

#### • थीमः

- MIV 2030 भारतीय समुद्री क्षेत्र के सभी पहलुओं को कवर करने वाले 10 विषयों पर आधारित है और राष्ट्रीय समुद्री उद्देश्यों को परिभाषित करने एवं पूरा करने का एक व्यापक प्रयास है:
  - सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के बंदरगाह बुनियादी ढाँचे का विकास।
  - लॉजिस्टिक्स दक्षता और लागत प्रतिस्पर्द्धात्मकता का आदान-प्रदान करने के लिये ड्राइव एक्सचेंज।
  - प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से लॉजिस्टिक्स दक्षता में वृद्धि।
  - सभी हितधारकों का समर्थन करने के लिये नीति और संस्थागत ढाँचे को मजबूत करना।
  - जहाज निर्माण, मरम्मत और पुनर्चक्रण में वैश्विक हिस्सेदारी बढ़ाना।
  - अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो और यात्रियों की आवाजाही में वृद्धि।
  - महासागर, तटीय और नदी क्रूज़ क्षेत्र को बढ़ावा देना।
  - भारत के वैश्विक कद और समुद्री सहयोग को बढ़ाना।
  - सुरक्षित, सतत् और हरित समुद्री क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करना।
  - विश्व स्तर की शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के साथ शीर्ष नेविगेसन राष्ट्र बनना।

#### मुख्य लक्ष्य 2030:

 300 मिलियन टन प्रतिवर्ष (MTPA) कार्गो हैंडलिंग क्षमता वाले तीन प्रमुख बंदरगाह।

- 75% से अधिक भारतीय कार्गो ट्रांसिशपमेंट भारतीय बंदरगाहों द्वारा संभाला जाता है।
- सार्वजिनक-निजी भागीदारी/अन्य ऑपरेटरों द्वारा प्रमुख बंदरगाहों
   पर 85% से अधिक कार्गों का प्रबंधन किया जाता है।
- 20 घंटे से कम का औसत पोत टर्नअराउंड समय (कंटेनर)।
- जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत में शीर्ष 10 में वैश्विक रैंकिंग।
- 15 लाख से अधिक वार्षिक क्रूज यात्री।
- प्रमुख बंदरगाहों पर नवीकरणीय ऊर्जा का 60% से अधिक हिस्सा।

# भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई संसद ने भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (IND-Aus ECTA) को मंज़ूरी दी।



# भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (Ind-Aus ECTA):

- यह पहला मुक्त व्यापार समझौता (FTA) है जिस पर भारत ने एक दशक से अधिक समय के बाद किसी प्रमुख विकसित देश के साथ हस्ताक्षर किये हैं।
- इस समझौते में दो मित्र देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों के क्षेत्र में सहयोग शामिल है तथा इस समझौते में निम्नलिखित क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है:
  - 🔷 वस्तु व्यापार, उत्पत्ति के नियम।

- सेवाओं में व्यापार।
- ♦ व्यापार की तकनीकी बाधाएँ (TBT)।
- ♦ स्वच्छता और पादप स्वच्छता (Sanitary and Phytosanitary) उपाय।
- विवाद निपटान, व्यक्तियों की आवाजाही।
- दूरसंचार, सीमा शुल्क प्रक्रियाएँ।
- फार्मास्युटिकल उत्पाद तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग।
- ECTA दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने तथा इसमें सुधार के लिये एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है।
- भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ईसीटीए क्रमशः भारत और ऑस्ट्रेलिया द्वारा निपटाए गए लगभग सभी टैरिफ लाइनों को कवर करता है।
  - भारत को अपनी 100% टैरिफ लाइनों पर ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रदान की जाने वाली अधिमान्य बाजार पहुँच से लाभ होगा।
  - इसमें भारत के सभी निर्यात श्रम प्रधान क्षेत्र शामिल हैं जैसे- रत्न,
     आभूषण, कपड़ा, चमड़ा, जूते, फर्नीचर आदि।
  - दूसरी ओर भारत, ऑस्ट्रेलिया को अपनी 70% से अधिक टैरिफ लाइनों पर अधिमान्य पहुँच की पेशकश करेगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की निर्यात हेतु ब्याज दरें शामिल हैं जो मुख्य रूप से कच्चे माल जैसे- कोयला, खनिज अयस्क तथा वाइनआदि हैं।
- समझौते के तहत STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) से संबंधित भारतीय स्नातकों को अध्ययन के बाद विस्तारित कार्य वीजा दिया जाएगा।
  - ऑस्ट्रेलिया में छुट्टियाँ बिताने के इच्छुक युवा भारतीयों को वीजा देने के लिये एक कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा।
  - भारत के योग शिक्षकों और रसोइयों के लिये 1800 वार्षिक वीजा कोटा निर्धारित किया जाएगा।
- यह भी अनुमान है कि ECTA के परिणामस्वरूप 10 लाख नौकरियाँ सृजित होंगी।

# भारत -ऑस्ट्रेलिया संबंधः

- भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच प्रगाढ़ द्विपक्षीय संबंध हैं, जिनमें हाल के वर्षों में रूपांतरकारी बदलाव हुए हैं और अब ये एक सकारात्मक दिशा में विकसित होकर मित्रतापूर्ण साझेदारी में बदल गए हैं।
- दोनों देशों के बीच एक विशेष साझेदारी है, जिसमें बहुलवादी, संसदीय लोकतंत्र, राष्ट्रकुल परंपराएँ, बढ़ता आर्थिक सहयोग, लोगों-से-लोगों के बीच दीर्घकालिक संबंध तथा बढ़ते हुए उच्चस्तरीय परस्पर संपर्कों के साझा मूल्य शामिल हैं।
- भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी 'इंडिया-आस्ट्रेलिया लीडर्स वर्चुअल सिमट' के दौरान आरंभ हुई, जो कि दोनों देशों के बहपक्षीय तथा द्विपक्षीय संबंधों की आधारशिला है।

- भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ते वाणिज्यिक संबंध दोनों देशों के बीच स्थिरता एवं विविधता के साथ तीव्रता से प्रगाढ़ होते द्वपक्षीय संबंध की मजबूती में योगदान देते हैं।
- भारत और ऑस्ट्रेलिया एक-दूसरे के महत्त्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार बने हुए हैं।
  - ऑस्ट्रेलिया, भारत का 17वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है
     तथा भारत. ऑस्ट्रेलिया का नौवाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
  - वस्तु एवं सेवाओं दोनों क्षेत्रों में भारत-ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय
     व्यापार वर्ष 2021 में 27.5 बिलियन डॉलर का आँका गया है।
  - वर्ष 2019 तथा वर्ष 2021 के बीच ऑस्ट्रेलिया को भारत का वस्तु निर्यात 135 प्रतिशत बढ़ा। भारत के निर्यातों में मुख्य रूप से परिष्कृत उत्पादों का एक व्यापक बास्केट शामिल है तथा वर्ष 2021 में यह 6.9 बिलियन डॉलर का था।
  - वर्ष 2021 में ऑस्ट्रेलिया से भारत द्वारा किया गया माल का आयात 15.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जिसमें बड़े पैमाने पर कच्चा माल, खनिज और मध्यवर्ती सामान शामिल थे।
- भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ त्रिपक्षीय 'सप्लाई चेन रेजीलियेंस इनीशिएटिव' (SCRI) में शामिल है जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति शृंखलाओं में लचीलेपन को बढ़ाने का प्रयास करता है।
- इसके अलावा भारत एवं ऑस्ट्रेलिया दोनों ही देश क्वाड ग्रुपिंग (भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान) के सदस्य हैं, ताकि सहयोग को और बढ़ाया जा सके एवं साझा चिंताओं के कई मुद्दों पर साझेदारी विकसित की जा सके।

## आगे की राह

- भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA दोनों देशों के बीच पहले से ही घनिष्ठ और रणनीतिक संबंधों को और मज़बूती प्रदान करेगा, वस्तुओं एवं सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाएगा, रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करेगा तथा दोनों देशों के लोगों के जीवन स्तर को सुधरने के साथ-साथ लोगों के सामान्य कल्याण को सुनिश्चित करेगा।
- भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही देश विवादों के बजाय एकतरफा या सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से एक स्वतंत्र, समावेशी और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक क्षेत्र तथा समुद्र के सहकारी उपयोग हेतु संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (United Nations Convention on the Law of the Sea-UNCLOS) एवं शांतिपूर्ण समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करते हैं।

# 9वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक ( ADMM Plus )

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने सिएम रीप, कंबोडिया में 9वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया।

# प्रमुख बिंदु

#### आतंकवाद संबंधी:

भारत ने अंतरराष्ट्रीय और सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला करने के लिये तत्काल एवं दृढ़ वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया तथा आतंकवाद को क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिये सबसे गंभीर खतरा बताया।

## • अन्य सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:

 इसमें भारत ने इस मंच का ध्यान वैश्विक कोविड-19 महामारी से उत्पन्न होने वाली अन्य सुरक्षा चिंताओं जैसे ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा की ओर दिलाया।

## • समुद्री सुरक्षा के संबंध में:

- भारत एक मुक्त, खुले एवं समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र की वकालत करता है और सभी देशों की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हुए विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान करता है।
- ◆ इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि दक्षिण चीन सागर में आचार संहिता पर चल रही आसियान-चीन वार्ता अंतर्राष्ट्रीय कानून, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय (United Nations Convention on the Law of the Sea- UNCLOS) के साथ पूरी तरह से संगत होनी चाहिये और उन राष्ट्रों के वैध अधिकारों एवं हितों के प्रति पक्षपातपूर्ण नहीं होनी चाहिये जो इन चर्चाओं में शामिल नहीं हैं।

# आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक ( ADMM Plus ):

#### परिचय:

- वर्ष 2007 में सिंगापुर में दूसरी आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक (ADMM) ने ADMM Plus की स्थापना के लिये एक संकल्प अपनाया था।
  - पहला ADMM Plus वर्ष 2010 में हनोई, वियतनाम में आयोजित किया गया था।
  - ब्रुनेई वर्ष 2021 के लिये ADMM Plus फोरम का अध्यक्ष है।
- यह 10 आसियान देशों और आठ संवाद सहयोगी देशों के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक है।

दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन (Association of Southeast Asian Nations-ASEAN/आसियान) एक क्षेत्रीय संगठन है जिसे एशिया-प्रशांत के बाद के औपनिवेशिक देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढावा देने के लिये स्थापित किया गया था।

#### • सदस्यताः

- ADMM- plus देशों में दस आसियान सदस्य देश (इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यॉँमार और कंबोडिया) और आठ अन्य देश, अर्थात् ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूज़ीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूसी संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल अं।
- इसका उद्देश्य वार्ताओं और पारदर्शिता के माध्यम से रक्षा प्रतिष्ठानों के बीच आपसी विश्वास को बढ़ावा देना है।

## • सहयोग के क्षेत्र:

 इसके सहयोग के क्षेत्र समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला, मानवीय सहायता और आपदा राहत, शांति अभियान तथा सैन्य चिकित्सा आदि हैं।

# भारत और खाड़ी सहयोग परिषद

# चर्चा में क्यों?

भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (GULF COOPERATION COUNCIL- GCC) मुक्त व्यापार समझौते (FREE TRADE AGREEMENT- FTA) को आगे बढ़ाने और वार्ता को फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं।

 GCC खाड़ी क्षेत्र के छह देशों- सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन का एक संघ है। इस परिषद के सदस्य भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार हैं।



## खाड़ी क्षेत्र का भारत के लिये महत्त्व:

- भारत और ईरान के मध्य सिदयों से अच्छे संबंध रहे हैं, जबिक प्राकृतिक गैस समृद्ध राष्ट्र कतर इस क्षेत्र में भारत के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक है।
- अधिकांश खाडी देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध रहे हैं।
- इन संबंधों के दो सबसे महत्त्वपूर्ण कारण तेल और गैस तथा व्यापार है।
- भारत के कुल प्राकृतिक गैस आयात में कतर का हिस्सा 41% है।
- दो अन्य कारण हैं- खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीयों की बड़ी संख्या और उनके द्वारा अपने घर भेजे जाने वाले प्रेषित धन।
  - भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित एक शोध पत्र के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 में संयुक्त अरब अमीरात से भारत में प्रेषित धन 15.40 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो भारत के कुल आवक प्रेषण का 18% है।

### भारत-GCC व्यापार संबंधों की स्थिति:

- GCC सदस्य देशों के लिये भारत का निर्यात वर्ष 2020-21 के
   27.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले वर्ष 2021-22 में
   58.26% बढ़कर लगभग 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
- वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2020-21 के 87.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 154.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।
- वर्ष 2021-22 में दोनों क्षेत्रों के बीच सेवा व्यापार लगभग 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जिसमें कुल निर्यात 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर और आयात 8.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था।
- GCC देश भारत के तेल आयात में लगभग 35% और गैस आयात में 70% योगदान करते हैं।
- वर्ष 2021-22 में GCC से भारत का कुल कच्चे तेल का आयात लगभग 48 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जबिक वर्ष 2021-22 में LNG और LPG का आयात लगभग 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था।

# अन्य देशों के साथ भारतीय व्यापार समझौतों की स्थिति:

- भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौताः
  - हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई संसद ने भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA) को मंज्ञ्ररी दी है।
  - यह पहला मुक्त व्यापार समझौता (FTA) है जिसे भारत ने एक दशक से अधिक समय के बाद एक प्रमुख और विकसित देश के साथ हस्ताक्षरित किया है।
  - इस समझौते में दो मित्र देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों के संपूर्ण क्षेत्र में सहयोग शामिल है।

## भारत-यूरोपीय संघ FTA:

- भारत और यूरोपीय संघ ने आठ साल के अंतराल के बाद वर्ष 2021 की शुरुआत में वस्तु और सेवाओं के संदर्भ में फिर से FTA वार्ता शुरू की।
- दोनों क्षेत्रों का उद्देश्य FTA के समानांतर निवेश और भौगोलिक संकेतों में समझौतों पर काम करना है।
- भारत-यूरोपीय संघ FTA वार्ता का तीसरा दौर इस साल के अंत में दिल्ली में शुरू होगा।

### भारत-ब्रिटेन FTA:

- अगले कुछ महीनों में भारत और यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौत (FTA) पर बातचीत शुरू करेंगे।
- एजेंडे में फार्मा कंपनियों द्वारा निरंतर पेटेंट विस्तार के खिलाफ पेटेंट व्यवस्था हासिल करना है, प्रस्तावित FTA के तहत इस क्षेत्र में आसान कार्य वीीाजा के साथ-साथ भारतीय फिल्मों तक पहुँच की मांग करना है।

## भारत-संयुक्त अरब अमीरात- CEPA:

- भारत और संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates- UAE) के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (Comprehensive Economic Partnership Agreement- CEPA) 1 मई, 2022 से लागू हुआ।
- CEPA दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने और इसमें सुधार के लिये एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है।

## • भारत-कनाडा CEPA:

- कनाडा पहले विदेशी निवेश संवर्द्धन संरक्षण समझौते (Foreign Investment Promotion Protection Agreement- FIPA) और CEPA पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिये काम कर रहा था।
- अगस्त 2022 में भारत और कनाडा ने इस बात पुष्टि की कि वे प्रारंभिक प्रगति व्यापार समझौते (Early Progress Trade Agreement- EPTA) को सुरक्षित करने के लिये चौथे दौर की वार्ता आयोजित करेंगे, जो एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) तक पहुँचने के लिये एक मध्यवर्ती कदम है।

# आगे की राह

- खाड़ी क्षेत्र का भारत के लिये ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक महत्त्व है। भारत-GCC मुक्त व्यापार समझौता (FTA) संबंधों को बढ़ावा दे सकते हैं।
- वर्तमान में GCC क्षेत्र अस्थिर है, इस प्रकार भारत को इस क्षेत्र में अपने बड़े आर्थिक, राजनीतिक और जनसांख्यिकीय हितों की रक्षा करने की आवश्यकता है।

# हिंद-प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता ( IPRD -2022 )

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में हिंद-प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता का चौथा संस्करण दिल्ली में संपन्न हुआ।

## हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद ( IPRD )

- परिचय:
  - IPRD भारतीय नौसेना का एक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है।
    - वर्ष 2018 में IPRD की प्रारंभिक अवधारणा बनाई गई थी।
    - वर्ष 2020 के अपवाद के साथ जब इसे कोविड -19 के कारण स्थिगित करना पड़ा, तो इस आयोजन को वर्ष 2018 में अपने प्रारंभिक वर्ष से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता रहा है।
  - नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन (NMF) नौसेना का ज्ञान भागीदार और आयोजन के प्रत्येक संस्करण का मुख्य आयोजक है।
- वर्ष 2022 हेतु थीम:
  - हिंद-प्रशांत महासागर पहल का संचालन
- उद्देश्य:
  - IPRD हिंद-प्रशांत क्षेत्र में वर्तमान भू-राजनीति की समीक्षा करता है और अवसरों, खतरों एवं समस्याओं की पहचान करता है।
  - IPRD अपने हितों के लिये महत्त्वपूर्ण बना हुआ है क्योंकि NMF के मुख्य लक्ष्यों में से एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और भू-राजनीतिक कारकों का विश्लेषण करना है जो रणनीतिक रूप से भारत के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

# हिंद-प्रशांत महासागर पहल (Indo-Pacific Oceans Initiative- IPOI):

- इसे वर्ष 2019 में 14वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (East Asia Summit- EAS) में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
- यह क्षेत्रीय सहयोग के लिये एक व्यापक और समावेशी निर्माण है जो सात परस्पर संबंधित स्तंभों पर केंद्रित है:
  - 🔷 समुद्री सुरक्षा
  - समुद्री पारिस्थितिकी
  - समुद्री संसाधन
  - 🔷 आपदा जोखिम में कमी और प्रबंधन

- व्यापार-कनेक्टिविटी और समुद्री परिवहन
- क्षमता निर्माण और संसाधन साझाकरण
- विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शैक्षणिक सहयोग

## हिंद-प्रशांत क्षेत्र:

- परिचयः
  - हिंद-प्रशांत एक हालिया अवधारणा है। लगभग एक दशक पहले दुनिया ने हिंद-प्रशांत के बारे में बात करना शुरू किया; इसका उदय काफी महत्त्वपूर्ण रहा है।
  - इस शब्द की लोकप्रियता के पीछे के कारणों में से एक यह है
     िक हिंद एवं प्रशांत महासागर एक-दूसरे से रणनीतिक रूप से
     िनकटता से जुड़े हैं।
    - साथ ही एशिया आकर्षण का केंद्र बन गया है। इसका कारण यह है कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर समुद्री मार्ग प्रदान करते हैं। दुनिया का अधिकांश व्यापार इन्हीं महासागरों के माध्यम से होता है।
- महत्त्वः
  - हिंद-प्रशांत क्षेत्र दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले और आर्थिक रूप से सिक्रिय क्षेत्रों में से है जिसमें चार महाद्वीप शामिल हैं: एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका।
  - क्षेत्र की गतिशीलता और जीवन शक्ति स्वयं स्पष्ट है, दुनिया की 60% आबादी और वैश्विक आर्थिक उत्पादन का 2/3 भाग इस क्षेत्र को वैश्विक आर्थिक केंद्र बनाता है।
  - यह क्षेत्र प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक बड़ा स्रोत और गंतव्य
     भी है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र दुनिया की कई महत्त्वपूर्ण एवं बड़ी आपूर्ति शृंखलाओं संबंधित है।
  - हिंद और प्रशांत महासागरों में संयुक्त रूप से समुद्री संसाधनों का विशाल भंडार है, जिसमें अपतटीय हाइड्रोकार्बन, मीथेन हाइड्रेट्स, समुद्री खनिज और पृथ्वी की दुर्लभ धात शामिल हैं।
    - बड़े समुद्र तट और अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) इन संसाधनों के दोहन के लिये तटीय देशों को प्रतिस्पर्द्धी क्षमता प्रदान करते हैं।
    - दुनिया की कई सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ हिंद-प्रशांत क्षेत्र
       में स्थित हैं, जिनमें भारत, यू.एस.ए, चीन, जापान,
       ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।

## चीन-हिंद महासागर क्षेत्रीय मंच की बैठक

# चर्चा में क्यों?

हाल ही में चीन अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी (CHINA INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION

AGENCY- CIDCA) ने चीन-हिंद महासागर क्षेत्रीय मंच की बैठक आयोजित की जिसमें 19 देशों ने भाग लिया। भारत ने इसमें भाग नहीं लिया।

# बैठक की मुख्य विशेषताएँ:

- थीम: शेयर्ड डेवलपमेंट
- भाग लेने वाले देश:
  - इंडोनेशिया, पाकिस्तान, म्यॉंमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान, ओमान, दक्षिण अफ्रीका, केन्या, मोजाम्बिक, तंजानिया, सेशेल्स, मेडागास्कर, मॉरीशस, जिब्रूती, ऑस्टेलिया और 3 अंतर्राष्टीय संगठनों के प्रतिनिधि।
  - कथित तौर पर भारत को आमंत्रित नहीं किया गया था।
- समुद्री आपदा रोकथाम और शमन सहयोग तंत्र:
  - चीन ने हिंद महासागर क्षेत्र में चीन तथा अन्य देशों के बीच समुद्री आपदा रोकथाम और शमन सहयोग तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा।
  - चीन ने ज़रूरतमंद देशों को आवश्यक वित्तीय, सामग्री और तकनीकी सहायता प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की।

## चीन की बैठक में मांगः

- चीन कई देशों में बंदरगाहों और बुनियादी ढाँचे में पर्याप्त निवेश के साथ रणनीतिक हिंद महासागर क्षेत्र में प्रभाव के लिये प्रयास कर रहा है।
- चीन ने पाकिस्तान और श्रीलंका सहित कई देशों में बंदरगाहों और बुनियादी ढाँचे के निवेश में पर्याप्त निवेश किया है।
- चीन ने भारत के पश्चिमी तट के विपरीत अरब सागर में पाकिस्तान के ग्वादर में बंदरगाह बनाने और मालदीव में बुनियादी ढाँचे के निवेश के अलावा 99 साल की लीज पर श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है।

# चुनौतियाँ:

- चीन पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत कथित तौर पर बुनियादी ढाँचे के विकास के नाम पर इन देशों में "ऋण कूटनीति (Debt Diplomacy)" में शामिल करने का आरोप लगाया गया है।
- वर्ष 2008 से चीन ने नियमित रूप से अदन की खाड़ी में नौसैनिक युद्धपोतों की टुकड़ी को तैनात किया है और वर्ष 2017 में जिबूती में अपना पहला विदेशी सैन्य अडडा स्थापित किया है।
- साथ ही भारत की अनुपस्थित को हिंद महासागर क्षेत्र के राजनीतिकरण की आशंकाओं के बीच क्षेत्र में भारत की पारंपिक उपस्थिति को चुनौती देने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा चीनी विदेश मंत्रालय ने यह खुलासा करने से इनकार कर दिया कि अन्य देशों से कौन-कौन प्रतिभागी थे।

 भारत हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) देशों का पारंपिक भागीदार और समर्थक रहा है।

## IORA में भारत की उपस्थिति:

- इसके अलावा तटीय देशों में प्रमुख संकटों के दौरान पहले उत्तरदाता के रूप में कार्य करने के लिये, भारत नियमित रूप से हिंद महासागर रिमएसोसिएशन(Indian Ocean Rim Association-IORA) और हिंद महासागर नौसेना संगोच्छी (Indian Ocean Navies Symposium-IONS) जैसे तंत्रों के माध्यम से क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा और विकास (Security and Growth for All in the Region-SAGAR/सागर) के दृष्टिकोण के तहत हिंद महासागर तटीय देशों के साथ संलग्न है।
- हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का मजबूत प्रभाव है जहाँ IORA जैसे भारत समर्थित संगठनों ने मजबूत जड़ें जमा ली हैं।
- भारत ने क्षेत्रीय समुद्री क्षेत्र में "समन्वय, सहयोग और साझेदारी" की अपनी आधिकारिक नीति को बढावा देना जारी रखा है।
- आपदा जोखिम प्रबंधन पर प्राथमिकता वाले क्षेत्र के समन्वयक के रूप में, भारत ने IORA के लिये दिशा-निर्देश जारी किये हैं। इसने भागीदारों से सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र में शुरू किये गए आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे के लिये गठबंधन में शामिल होने का भी आग्रह किया है।
- भारत IOR में सूचना के शुद्ध प्रदाता के रूप में उभरने की कोशिश कर रहा है और इस दिशा में उसने IOR के सदस्य देशों को वास्तविक समय संकट की जानकारी के साथ सहायता करने के लिये गुरुग्राम में सूचना संलयन केंद्र बनाया है। बांग्लादेश, मॉरीशस, मालदीव, श्रीलंका और सेशेल्स भारत के सूचना समर्थन ढाँचे का हिस्सा हैं।

## हिंद महासागर रिम एसोसिएशनः

- यह वर्ष 1997 में स्थापित एक क्षेत्रीय मंच है, इसका उद्देश्य सर्वसम्मित-आधारित विकासवादी और गैर-घुसपैठ दृष्टिकोण के माध्यम से समझ तथा पारस्पिरक रूप से लाभप्रद सहयोग का निर्माण और विस्तार करना है।
- IORA में 23 सदस्य देश और 9 संवाद भागीदार हैं।
  - सदस्यः ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, फ्राँस, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरीशस, मोजाम्बिक, ओमान, सेशेल्स, सिंगापुर, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन।
  - ♦ चीन IORA में एक संवाद भागीदार है।
- IORA सचिवालय मॉरीशस में स्थित है।

- यह एसोसिएशन महत्त्वपूर्ण है क्योंिक हिंद महासागर दुनिया के कंटेनर जहाजों का लगभग आधा, दुनिया के थोक कार्गो यातायात का एक तिहाई और दुनिया के तेल शिपमेंट का दो-तिहाई अकेले वहन करता है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पिरवहन की एक जीवन रेखा है यह प्रमुख समुद्री मार्गों पर नियंत्रण रखता है।

# चौथा भारत-फ्राँस वार्षिक रक्षा संवाद

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में चौथी भारत-फ्राँस रक्षा वार्ता, भारत में आयोजित की गई।



# प्रमुख बिंदुः

- रक्षा औद्योगिक सहयोगः
  - दोनों ही देशों ने 'मेक इन इंडिया' पर बल देने के साथ रक्षा औद्योगिक सहयोग पर चर्चा की।
  - इस वार्ता के दौरान द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और रक्षा औद्योगिक सहयोग के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई।

#### सैन्य सहयोगः

- दोनों देशों ने भावी सैन्य सहयोग की समीक्षा की, जिसमें हाल के वर्षों में काफी वृद्धि हुई है।
- इन्होंने कई "रणनीतिक मुद्दों और हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर ध्यान देने के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने हेत् एक साथ काम करने की प्रतिबद्धता दिखाई ।

### हिंद महासागर क्षेत्र:

- इस वार्ता के दौरान IOR (हिंद महासागर क्षेत्र) में समुद्री चुनौतियों के आलोक में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई।
- फ्राँस ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने और इस क्षेत्र मे फ्राँसीसी रणनीति के संदर्भ में भारत की भूमिका पर प्रकाश डाला।
  - फ्राँस, हिंद महासागर आयोग (IOC) और हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS) का वर्तमान अध्यक्ष है और दोनों ही देश इन मंचों पर सहयोगी भूमिका में हैं।

## भारत-फ्राँस सामरिक संबंध:

## • पृष्ठभूमिः

- जनवरी 1998 में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद फ्राँस उन पहले देशों में से एक था जिसके साथ भारत ने 'रणनीतिक साझेदारी' पर हस्ताक्षर किये थे।
- वर्ष 1998 में परमाणु हथियारों के परीक्षण के भारत के फैसले का समर्थन करने वाले बहुत कम देशों में से फ्राँस एक था।
- रक्षा सहयोगः दोनों देशों के बीच मंत्रिस्तरीय रक्षा वार्ता आयोजित की जाती है।
  - तीनों सेनाओं द्वारा नियमित समयांतराल पर रक्षा अभ्यास किया जाता है; अर्थात्
    - अभ्यास शक्ति (स्थल सेना)
    - अभ्यास वरुण (नौसेना)
    - अभ्यास गरुड़ (वायु सेना)
  - हाल ही में भारतीय वायु सेना (IAF) में फ्रेंच राफेल बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान को शामिल किया गया है।
  - भारत ने वर्ष 2005 में एक प्रौद्योगिकी-हस्तांतरण व्यवस्था के माध्यम से भारत के मझगाँव डॉकयार्ड में छह स्कॉर्पीन पनडुब्बियों के निर्माण के लिये एक फ्राँसीसी कंपनी के साथ अनुबंध किया।
  - दोनों देशों ने पारस्परिक 'लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट' (Logistics Support Agreement- LSA) के प्रावधान के संबंध में समझौते पर भी हस्ताक्षर किये।
    - यह समझौता नियमित पोर्ट कॉल के साथ-साथ मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) के अंतर्गत अन्य देशों के युद्धपोतों, सैन्य विमानों एवं सैनिकों के लिये ईंधन, राशन, उपकरणों रखरखाव तथा आपूर्ति की सुविधा में मदद करेगा।
- हिंद महासागर क्षेत्रः साझा सामिरक हितः
  - फ्राँस को अपनी औपनिवेशिक क्षेत्रीय संपत्ति जैसे- रीयूनियन द्वीप और हिंद महासागर के भारतीय क्षेत्र पर पड़ने वाले इसके प्रभावों की रक्षा करने की आवश्यकता है।
  - हाल ही में फ्राँस हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA)
     का 23वाँ सदस्य बन गया है।
    - यह पहली बार है कि कोई ऐसा देश जिसकी मुख्य भूमि हिंद महासागर में नहीं है और उसे IORA की सदस्यता प्रदान की गई है।
  - आतंकवाद विरोधी: फ्राँस ने आतंकवाद पर वैश्विक सम्मेलन के लिये भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया। दोनों देश एक नए 'नो मनी फाॅर टेरर' - फाइटिंग टेरिस्ट फाइनेंसिंग पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन का भी समर्थन करते हैं।

फ्राँस द्वारा भारत का समर्थन: फ्राँस भी कश्मीर को लेकर भारत का लगातार समर्थन कर रहा है जबिक पाकिस्तान के साथ उसके संबंधों में हाल के दिनों में कमी देखी गई है और चीन का दृष्टिकोण संदेहास्पद रहा है।

## द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंध:

- भारत-फ्राँस प्रशासनिक आर्थिक और व्यापार सिमिति (India-France Administrative Economic and Trade Committee- AETC) द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश को और बढ़ावा देने के साथ-साथ आर्थिक ऑपरेटरों के लाभ के लिये बाजार पहुँच के मुद्दों के समाधान को गित देने के तरीकों का आकलन करने एवं खोजने हेतु एक उपयुक्त ढाँचा प्रदान करती है।
- अप्रैल 2000 से जून 2022 तक 10.31 बिलियन अमेरिकी डॉलर के संचयी निवेश के साथ फ्राँस भारत में 11वाँ सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है, जो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade- DPIIT) द्वारा प्रदान किये गए आँकड़ों के अनुसार भारत में कुल FDI प्रवाह का 1.70% है।
- फ्राँस के भारत को होने वाले कुल निर्यात में एयरोनॉटिक्स की हिस्सेदारी 50% है। भारत से फ्राँसीसी आयात में भी साल-दर-साल 39% (2019 की तुलना में 7%) की वृद्धि हुई है।

## 🕨 वैश्विक एजेंडाः

जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, नवीकरणीय ऊर्जा,
 आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और डिजिटल प्रौद्योगिकी, आदि:

- जलवायु पिरवर्तन को सीमित करने और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को विकसित करने के लिये संयुक्त प्रयास किये गए हैं।
- दोनों देश साइबर सुरक्षा और डिजिटल प्रौद्योगिकी पर एक रोड मैप पर सहमत हुए हैं।

## • अंतरिक्षः

- फ्राँस ने वर्ष 2025 के लिये निर्धारित भारत के वीनस मिशन का हिस्सा बनने पर सहमति व्यक्त की है।
- ISRO के वीनस उपकरण, VIRAL (Venus Infrared Atmospheric Gases Linker) को रूसी और फ्राँसीसी एजेंसियों द्वारा सह-विकसित किया गया है।

## आगे की राह:

- फ्राँस, जिसने अमेरिका के साथ अपने गठबंधन के ढाँचे के भीतर रणनीतिक स्वायत्तता की मांग की थी और भारत, जिसने स्वतंत्र विदेश नीति को महत्त्व दिया है, अनिश्चित काल के लिये नए गठबंधन के निर्माण में स्वाभाविक भागीदार हैं।
- फ्राँस वैश्विक मुद्दों पर यूरोप के साथ गहरे जुड़ाव का मार्ग भी खोलता है, विशेषकर ब्रेक्जिट (BREXIT) के कारण इस क्षेत्र में अनिश्चितता के बाद यह स्थिति उत्पन्न हुई।
- यह संभावना व्यक्त की गई कि फ्राँस, जर्मनी और जापान जैसे अन्य समान विचारधारा वाले देशों के साथ नई साझेदारी वैश्विक मंच पर भारत के प्रभाव के लिये कहीं अधिक परिणामी साबित होगी।

# विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

# आर्टेमिस 1 हेतु तीसरा प्रयास

## चर्चा में क्यों?


नेशानल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडिमिनिस्ट्रेशन (NASA) ने 16 नवंबर, 2022 को अपने मानव रहित चंद्रमा मिशन आर्टेमिस I को सफलतापुर्वक लॉन्च किया है।

 दो महीनों में तकनीकी विफलताओं और प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई देरी के बाद स्पेस लॉन्च सिस्टम (SLS) रॉकेट को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल में कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है।

## आर्टेमिस I मिशन

- आर्टेमिस I नासा का मानव रहित मिशन है।
  - नासा के आर्टेमिस मिशन को चंद्र अन्वेषण की अगली पीढ़ी के रूप में जाना जाता है तथा इसका नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं से अपोलो की जुड़वाँ बहन के नाम पर रखा गया है।

- यह एजेंसी के स्पेस लॉन्च सिस्टम (SLS) रॉकेट और ओरियन क्रू कैप्सूल का परीक्षण करेगा।
  - SLS वर्ष 1960 और 1970 के दशक में इस्तेमाल किये गए सैटर्न वी रॉकेट के बाद से नासा द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी नई ऊर्ध्वाधर लॉन्च प्रणाली है।
- आर्टेमिस I आने वाले दशकों में चंद्रमा पर दीर्घकालिक मानव उपस्थिति हेतु जटिल मिशनों की शृंखला में पहला मिशन होगा।
  - आर्टेमिस I का प्राथमिक लक्ष्य स्पेसफ्लाइट वातावरण में ओरियन के सिस्टम का प्रदर्शन करना है और आर्टेमिस II के क्रू की पहली उड़ान से पूर्व सुरक्षित पुन: प्रवेश और पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करना है।
- यह केवल एक चंद्र ऑबिंटर मिशन है, अधिकांश ऑबिंटर मिशनों
   के विपरीत इसका पृथ्वी पर वापस आने का लक्ष्य है।



## आर्टेमिस I मिशन का महत्त्व:

- आर्टेमिस I उस नए अंतिरक्ष युग में पहला कदम है जो मनुष्यों को नई दुनिया में ले जाने, अन्य ग्रहों पर उतरने और रहने या शायद एलियंस से मिलने के वादे का पूरा करेगा।
- यह जिन क्यूबसैट को ले जाएगा, वे विशिष्ट जाँच और प्रयोगों के लिये उपकरणों से लैस हैं, जिसमें पानी की खोज और हाइड्रोजन भी शामिल है इन्हें ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
- इसमें जीव विज्ञान संबंधी प्रयोग किये जाएंगे और ओरियन पर डमी 'यात्रियों' के माध्यम से मनुष्यों पर गहरे अंतरिक्ष वातावरण के प्रभाव की भी जाँच की जाएगी।

## आगामी आर्टेमिस मिशनः

- आर्टेमिस II:
  - 🔷 इसे वर्ष 2024 में लॉन्च किया जाएगा।
  - आर्टेमिस II में ओरियन पर एक चालक दल होगा जो यह पुष्टि करेगा कि अंतरिक्ष यान के सभी सिस्टम डिजाइन किये गए अनुसार काम करें जब इसमें मानव सवार होंगे।
  - लेकिन आर्टेमिस II का प्रक्षेपण आर्टेमिस I के समान ही होगा। चार अंतरिक्ष यात्रियों का एक दल ओरियन पर सवार होगा क्योंकि यह और ICPS चंद्रमा की दिशा में जाने से पूर्व दो बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं।

टचडाउन के चंद्रमा की कक्षा में

तीन लोगों के दल को ले जाएगा।

#### आर्टेमिस III:

 यह 2025 के लिये निर्धारित है और इसके माध्यम से अपोलो मिशन के बाद पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर ले जाने की उम्मीद है।

## भारत के चंद्रमा अन्वेषण प्रयास:

#### • चंदयान 1:

- चंद्रयान -1 चंद्रयान परियोजना के तहत चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन था।
- इसे अक्तूबर 2008 में सतीश धवन अंतिरक्ष केंद्र (SDSC)
   SHAR, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था।
  - भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 29 अगस्त,
     2009 को चंद्रयान-1 के साथ संचार खो दिया।

#### • चंद्रयान-2:

- चंद्रयान-2 चंद्रमा पर भारत का दूसरा मिशन है और इसमें पूरी तरह से स्वदेशी ऑर्बिटर, लैंडर (विक्रम) तथा रोवर (प्रज्ञान) का उपयोग करना शामिल हैं।
- रोवर (प्रज्ञान) को विक्रम लैंडर के अंदर रखा गया है।

बाद पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों

चंद्रमा पर ले जाएगा।।

#### • चंद्रयान-3:

 इसरो ने हाल ही में भारत के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-3 की घोषणा की, जिसमें एक लैंडर और एक रोवर शामिल होगा।



# खाद्य-पशु खेती और रोगाणुरोधी प्रतिरोध

## चर्चा में क्यों?

फैक्टरी फार्मिंग में पशुओं का खराब स्वास्थ्य हमारी खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण और जलवायु को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, जिससे रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) हो सकता है।

 फैक्टरी फार्मिंग या गहन खाद्य-पशु फार्मिंग सूअर, गाय जैसे जानवरों और पिक्षयों की तीव्र और सीमित खेती है। ये वे औद्योगिक सुविधाएँ हैं जिनके तहत घर के अंदर न्यूनतम लागत पर जानवरों के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि की जाती है।

## मुद्देः

- दुनिया भर में जानवरों की पीड़ा को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है या महामारी और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट, जलवायु परिवर्तन एवं जैवविविधता के नुकसान, खाद्य असुरक्षा तथा कुपोषण जैसे बड़े मुद्दों से अलग देखा जाता है।
  - वास्तव में यह वैश्विक समस्याओं को बढ़ा सकता है और साथ ही अरबों जानवरों के लिये अत्यधिक क्ररता पैदा कर सकता है।
- सस्ते मांस की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये हर साल 50 बिलियन से अधिक फैक्टरी फार्म स्थापित किये जा रहे हैं जिनमें जानवरों का उत्पादन करने के लिये आनुवंशिक रूप से समान जानवरों की नस्लों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, जिससे बीमारी के लिये एक आदर्श प्रजनन पृष्ठभूमि तैयार होती है और यह मनुष्यों में भी फैल सकती है।
  - जब बीमारियाँ एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में फैलती हैं, तो वे अक्सर अधिक संक्रामक हो जाती हैं और अधिक गंभीर बीमारी एवं मृत्यु का कारण बनती हैं, जिससे वैश्विक महामारी की स्थिति उत्पन्न होती है।
  - बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू दो प्रमुख उदाहरण हैं जहाँ गहन खेती वाले जानवरों से लगातार नए उपभेद निकलते हैं।
  - हालाँकि इसके अतिरिक्त- रोगाणुरोधी प्रतिरोध को अनदेखा किया जाता है।
- फैक्टरी फार्मिंग में एंटीबायोटिक दवाओं के अति प्रयोग से सुपरबग उत्पन्न होते हैं जो श्रमिकों, पर्यावरण और खाद्य शृंखला में फैल जाते हैं।
- घटिया पशुपालन प्रथाओं और खराब पशु कल्याण की विशेषता वाली फैक्टरी फार्मिंग में रोगाणुरोधी के बढ़ते उपयोग के कारण जूनोटिक रोगजनकों की एक शृंखला AMR के उद्भव से जुड़ी होती है।

## AMR और भारत में इसका प्रचलन:

- AMR रोगाणुरोधी दवाओं के खिलाफ किसी भी सूक्ष्मजीव (बैक्टीरिया, वायरस, कवक, परजीवी आदि) द्वारा प्राप्त प्रतिरोध है जिसे संक्रमण के इलाज के लिये उपयोग किया जाता है।
- यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब एक सूक्ष्मजीव समय के साथ बदलता है और दवा कोई प्रतिक्रिया नहीं करती जिससे संक्रमण का इलाज करना कठिन हो जाता है और बीमारी फैलने, गंभीर बीमारी, मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है।
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने AMR को वैश्विक स्वास्थ्य के लिये शीर्ष दस खतरों में से एक के रूप में पहचाना है।
- भारत में पहली पंक्ति के एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोधी जीवों की वजह से सेप्सिस के कारण हर साल 56,000 से अधिक नवजात शिशुओं की मौत हो जाती है।
  - ICMR (इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च) द्वारा 10 अस्पतालों से रिपोर्ट किये गए एक अध्ययन से पता चला है कि जब कोविड रोगियों को अस्पतालों में दवा प्रतिरोधी संक्रमण होता है, तो मृत्यु दर लगभग 50-60% होती है।
- बहु-दवा (multi-drug) प्रतिरोध निर्धारक, नई दिल्ली मेटालो-बीटा-लैक्टामेज-1 (NDM -1) की उत्पत्ति इस क्षेत्र में हुई।
  - दक्षिण एशिया से बहु-दवा (multi-drug) प्रतिरोधी टाइफाइड एशिया, अफ्रीका और यूरोप के अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया।

## AMR पर रोक के लिये सरकार द्वारा की गई पहल:

- देश में दवा प्रतिरोधी संक्रमणों के सबूत पाने और प्रवृत्तियों एवं पैटर्न को रिकॉर्ड करने हेतु वर्ष 2013 में 'रोगाणुरोधी प्रतिरोध सर्विलांस एंड रिसर्च नेटवर्क' (AMRSN) शुरू किया गया।
- AMR पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (National Action Plan on AMR) 'वन हेल्थ' के दृष्टिकोण पर केंद्रित है जो अप्रैल 2017 में विभिन्न हितधारक मंत्रालयों/विभागों को संलग्न करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
- ICMR ने रिसर्च काउंसिल ऑफ नॉर्वे (RCN) के साथ वर्ष 2017 में रोगाणुरोधी प्रतिरोध में अनुसंधान के लिये एक संयुक्त आह्वान की पहल की थी।
- ICMR ने फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च (BMBF), जर्मनी के साथ AMR पर शोध के लिये एक संयुक्त भारत-जर्मन सहयोग का निर्माण किया है।
- ICMR ने अस्पताल वार्डों एवं आईसीयू में एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग एवं अति-प्रयोग को नियंत्रित करने के लिये पूरे भारत में एंटीबायोटिक स्टीवर्डिशिप प्रोग्राम (AMSP) को एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह शुरू किया है।

## आगे की राह


- पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थों की मांग में वृद्धि करके स्थायी खाद्य प्रणालियों को विकसित करने की आवश्यकता है जिससे पालतू पशुओं पर निर्भरता कम होगी और अधिक स्थान, एंटीबायोटिक्स का कम प्रयोग, स्वस्थ विकास एवं अधिक प्राकृतिक वातावरण के साथ उच्च कल्याणकारी उत्पादन प्रणालियों को अधिक व्यवहार्य बनाने में मदद मिलेगी।
- खाद्य प्रणाली को अधिक टिकाऊ बनाने और जानवरों एवं मनुष्यों के समग्र स्वास्थ्य में आवश्यक सुधार करने की आवश्यकता है।

# KKNP हेतु रूस का उन्नत ईंधन विकल्प

# चर्चा में क्यों?

हाल ही में रूसी राज्य के स्वामित्व वाली परमाणु ऊर्जा निगम रोसाटॉम ने तिमलनाडु के कुडनकुलम में भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिये अधिक उन्नत ईंधन विकल्प की पेशकश की है।

 यह अपने रिएक्टरों को ताजा ईंधन लोड करने के लिये रोके बिना दो साल के विस्तारित चक्र के लिये चलने में सहायता करेगा।



# रूस द्वारा भारत को पेशकशः

- KKNPP रिएक्टरों में अद्यतन:
  - रोसाटॉम का परमाणु ईंधन प्रभाग, TVEL फ्यूल कंपनी कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना (Kudankulam Nuclear Power Project- KKNPP) में बिजली पैदा करने वाले दो VVER 1,000 मेगावाट रिएक्टरों के लिये TVS-2M ईंधन का वर्तमान आपूर्तिकर्त्ता है। इस ईंधन में 18 महीने का ईंधन चक्र होता है, जिसका अर्थ है कि रिएक्टर को प्रत्येक डेढ़ वर्ष में ताज़ा ईंधन लोड करने के लिये रोकना पड़ता है।

- TVEL ने अब अधिक आधुनिक उन्नत प्रौद्योगिकी ईंधन (Advanced Technology Fuel- ATF) की पेशकश की है, जिसका ईंधन चक्र 24 महीने का है।
- अद्यतन के लाभ:
  - यह अधिक दक्षता, रिएक्टर के लंबे समय तक संचालन के कारण अतिरिक्त बिजली उत्पादन और रूस से ताज़ा ईंधन खरीदने के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा की बड़ी बचत सुनिश्चित करेगी।

# परमाणु ऊर्जाः

#### • परिचयः

- परमाणु ऊर्जा, रिएक्टर में परमाणु विखंडने से जल को भाप में गर्म करने, टरबाइन को चालू करने और बिजली उत्पन्न करने से उत्पन्न होती है।
- परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अंदर परमाणु रिएक्टर और उनके उपकरण विखंडन के माध्यम से गर्मी पैदा करने के लिये यूरेनियम-235 द्वारा सबसे अधिक ईंधन वाली शृंखला प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं।
- परमाणु ऊर्जा उत्पादन से उत्सर्जनः
  - परमाणु ऊर्जा शून्य-उत्सर्जन करती है। इसमें कोई ग्रीनहाउस गैस या वाय प्रदूषक नहीं होते।

## भूमि उपयोगः

- अमेरिकी सरकार के आँकड़ों के अनुसार, 1,000 मेगावाट क्षमता के परमाणु संयंत्र को इतनी ही क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र या 'विंड फार्म' की तुलना में 360 गुना कम और सौर संयंत्रों की तुलना में 75 गुना कम भूमि की आवश्यकता होती है।
- भारत के लिये महत्त्वः
  - थोरियम की उपलब्धताः
    - भारत थोरियम नामक परमाणु ईंधन के नए संसाधन का अगुआ है, जिसे भविष्य का परमाणु ईंधन माना जाता है।
    - थोरियम की उपलब्धता के साथ भारत जीवाश्म ईंधन मुक्त राष्ट्र के सपने को साकार करने वाला पहला राष्ट्र बनने की क्षमता रखता है।

#### आयात बिलों में कटौती:

- परमाणु ऊर्जा उत्पादन से राष्ट्र को सालाना लगभग 100
   बिलियन डॉलर की बचत होगी जिसे हम पेट्रोलियम और कोयले के आयात पर खर्च करते हैं।
- स्थिर और विश्वसनीय स्रोत:
  - विद्युत के सबसे हिरत स्रोत निश्चित रूप से सौर एवं पवन हैं।

- लेकिन अपने सभी लाभों के बावजूद सौर एवं पवन ऊर्जा स्थिर नहीं हैं और मौसम व धुप की स्थिति पर अत्यधिक निर्भर हैं।
- दूसरी ओर परमाणु ऊर्जा अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति के साथ विश्वसनीय ऊर्जा का अपेक्षाकृत स्वच्छ, उच्च घनत्व वाला स्रोत प्रदान करती है।



# परमाणु हथियारों के खिलाफ संधियाँ

## परमाणु ह<u>थिया</u>र

- → पृथ्वी पर सबसे खतरनाक हथियार; एक ऐसा बम या मिसाइल जिसमें विस्फोट के लिये परमाण् ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है।
- परमाणु हथियार या तो परमाणु विखंडन (परमाणु बम) या परमाणु संलयन (हाइड्रोजन बम) द्वारा ऊर्जा निर्मुक्त जारी करते हैं।
- ♦ केवल एक परमाणु हथियार भी इतना शिक्तिशाली होता है कि वह एक पूरे शहर को नष्ट करने, संभावित रूप से लाखों लोगों को मारने, प्राकृतिक पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ियों के जीवन को खतरे में डालने की क्षमता रखता है।
- ★ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1945 में अमेरिका द्वारा पहली और आखिरी बार इनका इस्तेमाल हिरोशिमा और नागासाकी पर किया था।

## **परमाणु हथियार अप्रसार संधि (**NPT 1970)

- उद्देश्य
  - 💸 परमाणु हथियारों और इसकी तकनीक के प्रसार को रोकना
    - परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना
    - परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाने
- सदस्य देश
  - सदस्यों की संख्या 191 जिसमें पाँच परमाणु हथियार संपन्न देश (NWS)- अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्राँस और चीन भी शामिल हैं
- परमाणु हथियार संपन्न देश
  - ♦ जिन्होंने 1 जनवरी, 1967 से पहले परमाणु हथियार या परमाणु विस्फोटक उपकरण का निर्माण और विस्फोट किया
- - परमाणु संपन्न देशों द्वारा निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के लिये एकमात्र बाध्यकारी संधि
- भारत और परमाणु अप्रसार संधि
  - भारत (पाकिस्तान, इजराइल, उत्तर कोरिया और दक्षिण सुडान के साथ) सदस्य नहीं है
  - भारत एक भेदभावपूर्ण निरस्त्रीकरण नीति के रूप में इसका विरोध करता है
  - 🍲 भारत की नीति- परमाणु हथियार संपन्न देशों के खिलाफ पहले उपयोग नहीं और गैर-परमाणु संपन्न देशों के खिलाफ कोई उपयोग नहीं (No First Use against NWS and no use against non-NWS)
- ♦ NPT समीक्षा सम्मेलन
  - संधि के कार्यान्वयन की पंचवर्षीय समीक्षा करता है

## परमाण ऊर्जा संबंधी भारत की पहल:

- भारत ने बिजली उत्पादन के उद्देश्य से परमाणु ऊर्जा के दोहन की संभावना का पता लगाने के लिये सचेत रूप से कदम आगे बढ़ाए हैं।
  - 🔷 इस दिशा में होमी जहाँगीर भाभा द्वारा 1950 के दशक में एक तीन चरणीय परमाणु उर्जा कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई।
- भारतीय परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों में दो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध तत्त्वों यूरेनियम और थोरियम को परमाणु ईंधन के रूप में उपयोग करने के निर्धारित उद्देश्यों के साथ परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 को तैयार एवं कार्यान्वित किया गया।



- दिसंबर 2021 में भारत सरकार ने संसद को बताया कि 10 स्वदेशी 'दाबित भारी जल रिएक्टरों (Pressurised Heavy Water Reactors- PHWRs) का निर्माण किया जा रहा है जिन्हें फ्लीट मोड में स्थापित किया जाएगा, जबिक 28 अतिरिक्त रिएक्टरों के लिये सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है जिनमें से 24 रिएक्टर फ्राँस, अमेरिका और रूस से आयात किये जाएंगे।
- 🕨 हाल ही में केंद्र ने महाराष्ट्र के जैतापुर में छह परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने के लिये सैद्धांतिक (प्रथम चरण) मंज़ूरी प्रदान की है।

- 🔷 जैतापुर संयंत्र विश्व का सबसे शक्तिशाली परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा।
- यहाँ 6 गीगावाट की स्थापित क्षमता वाले छह अत्याधुनिक इवोल्यूशनरी पावर रिएक्टर (EPRs) होंगे जो निम्न-कार्बन वाली बिजली का उत्पादन करेंगे।
- ये छह परमाणु ऊर्जा रिएक्टर (जिनमें प्रत्येक की क्षमता 1,650 मेगावाट होगी) फ्राँस के तकनीकी सहयोग से स्थापित किये जाएंगे।

# भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र:

- वर्तमान में भारत में 22 प्रचालनरत परमाणु ऊर्जा रिएक्टर हैं, जिनकी क्षमता 6780 मेगावाट विद्युत (MWe) है।
  - तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन (TAPS), महाराष्ट्र में 4 इकाइयाँ
  - राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन (RAPS), राजस्थान में 6 इकाइयाँ
  - मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन (MAPS), तिमलनाडु में 2 इकाइयाँ
  - कैगा जनरेटिंग स्टेशन (KGS), कर्नाटक में 4 इकाइयाँ
  - कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा स्टेशन (KKNPS), तिमलनाडु
     में 2 इकाइयाँ
  - नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन (NAPS), उत्तर प्रदेश में 2 इकाइयाँ
  - काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन (KAPS), गुजरात में 2 इकाइयाँ
- इनमें से 18 रिएक्टर दाबित भारी जल रिएक्टर (PHWRs) हैं और 4 हल्के जल रिएक्टर (LWRs) हैं।

# ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान -C54

# चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation- ISRO) ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (Polar Satellite Launch Vehicle- PSLV) C54 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है।

 यह PSLV की 56वीं उड़ान थी, जो PSLV-C54 रॉकेट के लिये वर्ष का अंतिम मिशन है।

# प्रक्षेपित किये गए उपग्रह

- भूटान हेतु नैनो उपग्रह- 2 ( INS- 2B ):
  - परिचयः
    - INS-2B उपग्रह दो पेलोड के साथ भारत और भूटान के बीच एक सहयोगी मिशन है।

- NanoMx, अंतिरक्ष अनुप्रयोग केंद्र (Space Applications Centre- SAC) द्वारा विकसित एक मल्टीस्पेक्ट्रल ऑप्टिकल इमेजिंग पेलोड है।
- APRS-डिजिपीटर जिसे DITT-भूटान और URSC द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, सफलतापूर्वक तैनात किया गया।

### INS-2B का महत्त्व:

- यह देश के प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिये भूटान को उच्च-रिजॉल्युशन वाली छवियाँ प्रदान करेगा।
- नए उपग्रह का प्रक्षेपण भूटान के विकास के लिये ICT और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सिहत उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की भूटानी राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक की योजनाओं का समर्थन करने के भारत के प्रयासों का हिस्सा है।
- यह सहयोग भारत की 'पड़ोसी पहले' नीति के अनुकूल है।

## आनंद ( Anand ):

आनंद, तीन अक्षीय स्थिर नैनो उपग्रह लघुकृत 'इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल पेलोड' तथा अन्य सभी उप-प्रणालियों जैसे टीटीसी, पावर, ऑनबोर्ड कंप्यूटर और पिक्ससेल से एडीसीएस के लिये एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक है, जो भारत से भी सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किये गए थे।

## एस्ट्रोकास्ट ( Astrocast ):

- एस्ट्रोकास्ट, एक 3U अंतिरक्ष यान, पेलोड के रूप में इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) के लिये एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक उपग्रह है। इस मिशन में 4 एस्ट्रोकास्ट उपग्रह शामिल हैं। ये अंतिरक्ष यान ISISspace QuadPack डिस्पेंसर के भीतर रखे गए हैं।
- 🔶 डिस्पेंसर उपग्रह को संदूषण से बचाता है।

# थिम्बोल्ट उपग्रह ( Thymbolt Satellites ):

धिम्बोल्ट एक 0.5U अंतिरक्ष यान बस है जिसमें ध्रुव अंतिरक्ष से कई उपयोगकर्ताओं के लिये तेजी से प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और नक्षत्र विकास को सक्षम बनाने हेतु एक संचार पेलोड शामिल है, जो 1 वर्ष के न्यूनतम जीवनकाल के साथ अपने स्वयं के ऑबिंटल डिप्लॉयर का उपयोग करता है।

## • पृथ्वी अवलोकन उपग्रह -06 ( EOS-6 ) :

- पृथ्वी अवलोकन उपग्रह -06 ओशनसैट शृंखला की तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है जिसकी परिकल्पना समुद्र विज्ञान, जलवायु और मौसम संबंधी अनुप्रयोगों में उपयोग करने के लिये समुद्र के रंग, समुद्र की सतह के तापमान और पवन वेक्टर डेटा का निरीक्षण करने के लिये की गई है।
- यह उपग्रह क्लोरोफिल, समुद्री सतह तापमान (SST) और हवा की गित और भूमि आधारित भूभौतिकीय मापदंडों का उपयोग करके संभावित मछली पकड़ने के क्षेत्रों जैसे मूल्य वर्धित उत्पादों का भी समर्थन करता है।

# जैव विविधता और पर्यावरण

# भारत की शुद्ध शून्य उत्सर्जन रणनीति

## चर्चा में क्यों?

शर्म अल-शेख, मिस्र में पार्टियों के वर्तमान 27वें सम्मेलन (COP27) में भारत ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के लिये अपनी दीर्घकालिक कम उत्सर्जन विकास रणनीति प्रस्तुत की।

# India's road to 'net zero'

At COP-27, India announced its long-term strategy to transition to a 'low emissions' pathway to become carbon neutral by 2070

#### **KEY MILESTONES**

- The National Hydrogen Mission, launched in 2021, aims to make India a green hydrogen hub
- At least a three-fold increase in nuclear capacity by 2032
- Achieving an ethanol blending target of 20% by 2025

- Maximising the use of electric vehicles, increase public transport
- Increased climate finance to be provided by developed nations
- The long-term strategy aims at keeping global temperatures well below 2 degrees Celsius and, ambitiously, 1.5 degrees Celsius by the century-end



## दीर्घकालिक कम उत्सर्जन विकास रणनीति:

- यह (LT-LEDS) रणनीति प्रकृति में गुणात्मक है और 2015 के पेरिस समझौते द्वारा इसे अनिवार्य कर दिया गया है।
  - पेरिस समझौते के अनुसार, राष्ट्रों को यह स्पष्ट करना चाहिये कि अपने केवल अल्पकालिक राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) के लक्ष्य को प्राप्त करने के अलावा वे अपनी अर्थव्यवस्थाओं को किस प्रकार बदलेंगे ताकि वे वर्ष 2030 तक उत्सर्जन में 45% की कटौती के बड़े जलवायु उद्देश्य की दिशा में काम कर सकें और वर्ष 2050 के आसपास शुद्ध शून्य तक पहुँच सकें।
- यह रणनीति चार प्रमुख विचारों पर आधारित है जो भारत की दीर्घकालिक निम्न-कार्बन विकास रणनीति का आधार हैं।
  - भारत का ग्लोबल वार्मिंग में बहुत कम योगदान है, विश्व की आबादी का 17% हिस्सा होने के बावजूद संचयी वैश्विक ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में ऐतिहासिक रूप से भी इसका योगदान बहुत कम रहा है।

- भारत को विकास के लिये काफी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता
   है।
- भारत अपने विकास हेतु निम्न-कार्बन रणनीतियों को आगे बढ़ाने
   के लिये प्रतिबद्ध है और राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार सिक्रय रूप से उनका अनुसरण कर रहा है।
- भारत को जलवायु अनुकूल प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता
   है।
- LT-LEDS भी LiFE, पर्यावरण के लिये जीवन शैली दृष्टिकोण से प्रभावित है।
  - LiFE का विचार पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन-शैली को बढ़ावा देता है जो 'विवेकहीन और व्यर्थ खपत' के बजाय 'सावधानी के साथ एवं सुविचारित उपयोग' पर केंद्रित है।

## एलटी-एलईडी ( LT-LEDS) की विशेषताएँ:

 यह रणनीति ऊर्जा सुरक्षा के संबंध में राष्ट्रीय संसाधनों के तर्कसंगत उपयोग पर ध्यान केंद्रित करेगी।

- इसमें जीवाश्म ईंधनों का संक्रमण एक न्यायसंगत, सुचारू,
   टिकाऊ और सर्व-समावेशी तरीके से किया जाएगा।
- यह रणनीति जैव ईंधन के बढ़ते उपयोग को बढ़ावा देगी, विशेष रूप से पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण, इलेक्ट्रिक वाहन प्रवेश बढ़ाने के लिये अभियान और हरित हाइड्रोजन ईंधन के बढ़ते उपयोग से परिवहन क्षेत्र में कम कार्बन उत्सर्जन होने की उम्मीद है।
  - भारत इलेक्ट्रिक वाहनों के अधिकतम उपयोग, इथेनॉल सिम्मिश्रण को वर्ष 2025 तक 20% तक पहुँचाने और यात्री व माल ढुलाई के लिये सार्वजनिक परिवहन मॉडल में एक मजबूत बदलाव की इच्छा रखता है।
- निम्न-आधार, टिकाऊ भिवष्य और जलवायु-अनुकूल शहरी विकास स्मार्ट सिटी पहल को ऊर्जा और संसाधन दक्षता बढ़ाने के लिये शहरों की एकीकृत योजना, प्रभावी ग्रीन बिल्डिंग कोड तथा अभिनव ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन में तेजी से विकास से प्रेरित होगी।
- औद्योगिक क्षेत्र का विकास 'आत्मिनर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' के पिरप्रेक्ष्य में जारी रहेगा।
- भारत प्रदर्शन, उपलिब्ध और व्यापार (PAT) योजना, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, विद्युतीकरण बढ़ाने, सामग्री दक्षता बढ़ाने और रीसाइक्लिंग एवं उत्सर्जन को कम करने के तरीकों से ऊर्जा दक्षता में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।

## शृब्द शून्य लक्ष्यः

- इसे कार्बन तटस्थता के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ यह नहीं है कि कोई देश अपने उत्सर्जन को शून्य पर लाएगा।
- बल्कि यह एक ऐसा देश है जिसमें किसी देश के उत्सर्जन की भरपाई वातावरण से ग्रीनहाउस गैसों के अवशोषण और हटाने से होती है।
  - इसके अलावा वनों जैसे अधिक कार्बन सिंक बनाकर उत्सर्जन के अवशोषण को बढाया जा सकता है।
    - जबिक वातावरण से गैसों को हटाने के लिये कार्बन कैप्चर और स्टोरेज जैसी भिवष्य की तकनीकों की आवश्यकता होती है।
- 70 से अधिक देशों ने सदी के मध्य यानी वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य बनने का दावा किया है।
- भारत ने COP-26 शिखर सम्मेलन में वर्ष 2070 तक अपने उत्सर्जन को शुद्ध शून्य करने का वादा किया है।

# जलवायु परिवर्तन और वैश्विक स्वास्थ्य

## चर्चा में क्यों?

स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर लांसेट काउंटडाउन रिपोर्ट: हेल्थ एट द मर्सी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के अनुसार जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता से बीमारी, खाद्य असुरक्षा और गर्मी से संबंधित अन्य बीमारियों के जोखिम में वृद्धि हो रही है।

## रिपोर्ट के निष्कर्ष:

#### • स्वास्थ्य पर प्रभाव:

 जलवायु परिवर्तन स्वास्थ्य के सामाजिक और पर्यावरणीय निर्धारकों को प्रभावित करता है- स्वच्छ हवा, सुरक्षित पेयजल, पर्याप्त भोजन और सुरक्षित आश्रय।

### • हीटवेव से प्रभावित जनसंख्याः

तेजी से बढ़ते तापमान ने लोगों, विशेष रूप से कमजोर वर्ग (65 वर्ष से अधिक उम्र और एक वर्ष से कम उम्र ) को अधिक प्रभावित किया है जिससे वर्ष 1986-2005 की तुलना में वर्ष 2021 में 3.7 बिलियन से अधिक लोग हीटवेव से प्रभावित हुए हैं।

#### • संक्रामक रोगः

- बदलती जलवायु संक्रामक रोग के प्रसार को प्रभावित कर रही है, जिससे उभरती बीमारियों और सह-महामारी का खतरा बढ़ रहा है।
- उदाहरण के लिये यह रिकॉर्ड करता है कि तटीय जल विब्रियो
   रोगजनकों के संचरण के लिये अधिक अनुकूल हो रहा है।
- मलेरिया संचरण के लिये उपयुक्त महीनों की संख्या अमेरिका और अफ्रीका के हाइलैंड क्षेत्रों में बढी है।
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भविष्यवाणी की है
     कि 2030 और 2050 के बीच, जलवायु परिवर्तन से कुपोषण, मलेरिया, दस्त और गर्मी के कारण प्रतिवर्ष लगभग 2,50,000 अतिरिक्त मौतें होने की आशंका है।

#### • खाद्य सुरक्षाः

- जलवायु परिवर्तन से खाद्य सुरक्षा का हर आयाम प्रभावित हो रहा है।
- उच्च तापमान सीधे फसल की पैदावार को खतरे में डालता है,
   कई बार फसलों को विकसित करने के लिये मौसम कम पड़
   जाता है।
- चरम मौसम की घटनाएँ आपूर्ति शृंखलाओं को बाधित करती हैं,
   जिससे खाद्य की उपलब्धता, पहुँच, स्थिरता और उपयोग में
   कमी आ जाती है।
- कोविड-19 महामारी के दौरान अल्पपोषण की व्यापकता में वृद्धि हुई और वर्ष 2019 की तुलना वर्षमें 2020 में 161 मिलियन से अधिक लोगों को भूख का सामना करना पड़ा।
  - यह स्थिति अब यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण और भी गंभीर हो गई है।

## • जीवाश्म ईंधन:

- रूस-यूक्रेन युद्ध ने कई देशों को रूसी तेल और गैस के वैकल्पिक ईंधन की खोज करने या अपनाने के लिये प्रेरित किया है तथा उनमें से कुछ अभी भी पारंपिरक तापीय ऊर्जा को ही अपना रहे हैं।
- कोयले का नए सिरे से उपयोग वायु की गुणवत्ता में परिवर्तन कर सकता है, साथ ही जलवायु परिवर्तन को तेज कर सकता है जो मानव अस्तित्व को खतरे में डालता है, भले ही यह एक अस्थायी परिवर्तन हो।

## सुझाव:

### स्वास्थ्य केंद्रित प्रतिक्रिया:

- सह-मौजूदा जलवायु, ऊर्जा के लिये एक स्वास्थ्य केंद्रित
   प्रतिक्रिया और स्वस्थ, निम्न कार्बन युक्त भविष्य देने का अवसर
   प्रदान करता है।
  - वायु गुणवत्ता में सुधार से जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न PM2.5 के संपर्क में आने से होने वाली मौतों को रोकने में मदद मिलेगी और कम कार्बन तनाव तथा शहरी क्षेत्रों में वृद्धि के परिणामस्वरूप शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा जिसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।
- संतुलित और अधिक पादप-आधारित आहारों की ओर संक्रमणः
  - संतुलित और अधिक पादप-आधारित आहारों की ओर त्विरित संक्रमण से मांस तथा दूध उत्पादन को कम करने में मदद करेगा साथ ही आहार से संबंधित मौतों को रोकने के अलावा जूनोटिक रोगों के जोखिम को काफी हद तक कम करेगा।
  - इस प्रकार के स्वास्थ्य-केंद्रित बदलाव संचारी और गैर-संचारी रोगों के बोझ में कमी लाएंगे, स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के तनाव को कम करेंगे जिससे अधिक मजबूत स्वास्थ्य प्रणालियों का निर्माण किया जा सकेगा।

#### • वैश्विक समन्वयः

सरकारों, समुदायों, नागरिक समाज, व्यवसायों और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं के बीच वैश्विक समन्वय, वित्तपोषण, पारदर्शिता तथा सहयोग की आवश्यकता है तािक उन कमजोरियों को दूर किया जा सके जिनसे विश्व में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

## वैश्विक अपतटीय पवन गठबंधन

हाल ही में COP27 में वैश्विक अपतटीय पवन गठबंधन के लिये नौ नए देशों ने हस्ताक्षर किये हैं।

- ये नौ देश हैं: बेल्जियम, कोलंबिया, जर्मनी, आयरलैंड, जापान, नीदरलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका।
- ऑस्ट्रेलिया ने वैश्विक अपतटीय पवन गठबंधन के साथ हस्ताक्षर करने की घोषणा की है।

# वैश्विक अपतटीय पवन गठबंधन ( Global Offshore Wind Alliance-GOWA ):

- यह जलवायु और ऊर्जा सुरक्षा संकट से निपटने के लिये अपतटीय पवन को बढ़ाने हेतु स्थापित किया गया था।
- यह अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (IRENA), डेनमार्क और वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद द्वारा स्थापित किया गया था।
  - अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण पवन ऊर्जा क्षेत्र के लिये एक विश्वसनीय और प्रतिनिधि मंच प्रदान करने के लिये GWEC की स्थापना वर्ष 2005 में की गई थी।
- कई संगठन गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं और अपने संबंधित क्षेत्रों
   में अपतटीय पवन को बढावा दे रहे हैं।
  - IRENA और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) दोनों को उम्मीद है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने तथा शुद्ध शून्य/नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने के लिये अपतटीय पवन क्षमता को वर्ष 2050 तक 2000 GW से अधिक करने की आवश्यकता होगी, जो वर्तमान में 60 GW से अधिक है।
  - इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिये GOWA का लक्ष्य वर्ष 2030
     के अंत तक कम से कम 380 GW की कुल स्थापित क्षमता तक पहुँचने के लिये विकास में तेज़ी लाने में योगदान देना होगा।

## अपतटीय पव ऊर्जाः

#### • परिचयः

- वर्तमान में पवन ऊर्जा के सामान्यतः दो प्रकार हैं- तटवर्ती पवन फार्म जो भूमि पर स्थित पवन टर्बाइनों के व्यापक रूप में स्थापित हैं और अपतटीय पवन फार्म जो जल निकायों में स्थित प्रतिष्ठान हैं।
- अपतटीय पवन ऊर्जा का तात्पर्य जल निकायों के अंदर पवन फार्मों की स्थापना से है। वे बिजली उत्पन्न करने के लिये समुद्री हवाओं का उपयोग करते हैं। ये पवन फार्म या तो फिक्स्ड-फाउंडेशन टर्बाइन (Fixed-Foundation Turbines) या फ्लोटिंग विंड टर्बाइन (Floating Wind Turbines) का उपयोग करते हैं।
  - उथले जल में एक फिक्स्ड-फाउंडेशन टर्बाइन निर्मित किया जाता है, जबिक एक फ्लोटिंग विंड टर्बाइन गहरे जल में निर्मित होता है जहाँ इसकी नींव समुद्र तल से लगी होती है। फ्लोटिंग विंड फार्म अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में हैं।

- अपतटीय पवन फार्म को समुद्र तट से कम-से-कम 200 समुद्री मील (नॉटिकल माइल) दूर और समुद्र में 50 फीट गहरा होना चाहिये।
- अपतटीय पवन टर्बाइन बिजली उत्पादन करते हैं जो समुद्र तल
   में दबे केबलों/तारों के माध्यम से तट पर आती है।

## भारत में पवन ऊर्जा की स्थिति:

- मार्च 2021 में एक वर्ष में भारत की पवन बिजली उत्पादन क्षमता 39.2 गीगावाट (GW) तक पहुँच गई है। अगले पाँच वर्षों में और 20 गीगावाट अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त होने की उम्मीद है।
- वर्ष 2010 और 2020 के बीच पवन उत्पादन की कुल वार्षिक वृद्धि दर 11.39% रही है, जबिक स्थापित क्षमता के मामले में यह दर 8.78% रही है।
- व्यावसायिक रूप से दोहन योग्य 95% से अधिक संसाधन सात राज्यों में स्थित हैं: आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तिमलनाडु।

### पवन ऊर्जा से संबंधित नीतियाँ:

- राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति: राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति, 2018 का मुख्य उद्देश्य पवन और सौर संसाधनों, ट्रांसिमशन बुनियादी अवसंरचना तथा भूमि के इष्टतम एवं कुशल उपयोग के लिये बड़े ग्रिड से जुड़े पवन-सौर फोटोवोल्टिक हाइब्रिड सिस्टम को बढ़ावा देने हेतु एक अवसंरचना का निर्माण करना है।
- राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीतिः राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति को अक्तूबर 2015 में भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में 7600 किलोमीटर की भारतीय तटरेखा के साथ अपतटीय पवन ऊर्जा विकसित करने के उद्देश्य से अधिसूचित किया गया था।

## अपतटीय पवन ऊर्जा के लाभ:

- जल निकायों पर हवा की गित अधिक और दिशा में सुसंगत होती
   है। पिरणामस्वरूप अपतटीय पवन प्रतिस्थापन क्षमता में अधिक बिजली उत्पन्न करते हैं।
- ऊर्जा की समान क्षमता का उत्पादन करने के लिये तटवर्ती की तुलना
   में कम अपतटीय टरबाइन की आवश्यकता होती है।
- अपतटीय पवन तटवर्ती पवन की तुलना में उच्च CUF (क्षमता उपयोग कारक) होता है। इसिलये अपतटीय पवन ऊर्जा लंबे समय तक परिचालन घंटों की अनुमित देती है।
- एक पवन टरबाइन का CUF अधिकतम बिजली क्षमताओं द्वारा विभाजित औसत उत्पादन शक्ति के बराबर है।

- बड़े और लंबे अपतटीय पवन चिक्कयों का निर्माण करना संभव है,
   जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा में वृद्धि होगी।
- इसके अलावा हवा का प्रवाह पहाड़ियों या इमारतों द्वारा प्रतिबंधित नहीं है

## अमेजन वर्षावन

## चर्चा में क्यों?

विश्व वन्यजीव कोष (WWF) की एक नई रिपोर्ट 'लिविंग अमेजन रिपोर्ट' 2022 के अनुसार, वर्षावन का लगभग 35% हिस्सा या तो पूरी तरह से नष्ट हो गया है या अत्यधिक निम्नीकृत हो गया है।

- यह रिपोर्ट मिस्र के शर्म अल-शेख में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पार्टियों के 27वें सम्मेलन (COP27) में जारी की गई थी।
- रिपोर्ट में अमेजन बायोम और बेसिन की वर्तमान स्थिति को रेखांकित किया गया है, प्रमुख दबावों व परिवर्तन के कारणों पर संक्षेप में चर्चा हुई तथा एक संरक्षण रणनीति को रेखांकित किया गया है।

## रिपोर्ट के मुख्य बिंदुः

- अमेजन वर्षावन के विशाल क्षेत्र जो कार्बन सिंक और ग्रह के फेफड़ों के रूप में काम करते हैं, संकट में हैं।
  - वर्षावन का लगभग 35% या तो पूरी तरह से नष्ट हो गया है या अत्यधिक निम्नीकृत हो गया है, जबिक 18% को अन्य उद्देश्यों के लिये परिवर्तित किया गया है।
- वनों की कटाई, अग्नि और क्षरण के कारण अमेजन के वनों को खतरा है।
- सतही जल समाप्त हो गया है और निदयाँ लगातार सूखती जा रही हैं तथा प्रदृषित हो रही हैं।
  - यह अत्यधिक दबाव बहुत जल्द अमेजन और ग्रह को अपरिवर्तनीय रूप से क्षित पहुँचाएगा।
- आर्थिक गितिविधियाँ, विशेष रूप से व्यापक पशुपालन और कृषि,
   अवैध गितिविधियाँ एवं खराब नियोजित बुनियादी ढाँचे, इस क्षेत्र को खतरे में डालते हैं तथा पूरे बायोम में वनों की कटाई एवं गिरावट का कारण बनते हैं, जिससे कई क्षेत्र गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं।
  - अमेजन में निदयों के किनारे लगभग 600 बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ चल रही हैं।
  - 20 नियोजित सड़क परियोजनाएँ, 400 संचालन या नियोजित बाँध और कई खनन परियोजनाएँ पारा जैसे रसायनों को निदयों में उत्सर्जित कर रही हैं।

## सुझाव:

- अमेजन की सुरक्षा के लिये रणनीतियों और दृष्टिकोणों के संयोजन की आवश्यकता होती है जो संरक्षण आवश्यकताओं को उन देशों की विकासात्मक आवश्यकताओं के साथ जोड़ते हैं जिनमें यह शामिल है।
- प्रभावी, एकीकृत परिदृश्य प्रबंधन के लिये रणनीतियों में शामिल हैं:
  - रूपांतरण मुक्त परिदृश्य
  - स्थायी रूप से प्रबंधित वन
  - 🔷 वैध व्यापार
- स्थानीय लोगों, स्थानीय समुदायों, महिलाओं और युवाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करना।
  - इन रणनीतियों का उद्देश्य संरक्षित परिदृश्यों का नेटवर्क बनाने के लिये अच्छी तरह से प्रबंधित संरक्षण क्षेत्रों और स्थानीय क्षेत्रों को पुरक बनाना है।
- अमेजन बायोम, इसके जंगलों और निदयों के संरक्षण एवं स्थायी
   प्रबंधन के लिये तीन प्रमुख क्षेत्रों नीतियों, ज्ञान सृजन तथा संचार
   में क्रॉस-कटिंग रणनीतियों की भी आवश्यकता है।
- बायोम को तत्काल प्रभावी नीतियों, अनुसंधान और इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में अधिक जागरूकता की आवश्यकता है।

## अमेजन वर्षावनः

- ये विशाल उष्णकटिबंधीय वर्षावन हैं, जो उत्तरी दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी और इसकी सहायक नदियों के जल निकासी बेसिन में मौजूद हैं तथा कुल 6,000,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हैं।
  - उष्णकटिबंधीय बंद वितान वन होते हैं जो भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं।
  - यहाँ मौसमी रूप से या पूरे वर्ष में 200 सेमी. से अधिक वर्षा होती है।
  - तापमान समान रूप से उच्च होता है (20 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच)।
  - इस तरह के वन एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका,
     मध्य अमेरिका, मेक्सिको तथा कई प्रशांत द्वीपों में पाए जाते हैं।
- ब्राजील के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% हिस्सा, उत्तर में गुयाना हाइलैंड्स, पश्चिम में एंडीज पर्वत, दक्षिण में ब्राजील के केंद्रीय पठार और पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा है।



# रेड क्राउन रूपड टर्टल

# चर्चा में क्यों?

भारत ने पनामा में वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय (CITES) के 19वें सम्मेलन में रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल की रक्षा करने का प्रस्ताव रखा है।

# प्रमुख बिंदु

- भारत ने वर्तमान परिशिष्ट II से परिशिष्ट I में नदी की प्रजातियों को शामिल करने के लिये वन्यजीवों और वनस्पतियों पर लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय में प्रस्ताव रखा है।
  - CITES द्वारा कवर की जाने वाली प्रजातियों को सुरक्षा की आवश्यकता के अनुसार तीन परिशिष्टों में सूचीबद्ध किया गया है:
    - परिशिष्ट I में विलुप्त होने के खतरे वाली प्रजातियों को शामिल किया गया है।
    - परिशिष्ट II में ऐसी प्रजातियाँ शामिल हैं जो विलुप्त के कगार में नहीं हैं (जहाँ व्यापार को नियंत्रित किया जाना चाहिये)।
    - परिशिष्ट III में ऐसी प्रजातियाँ शामिल हैं जो कम-से-कम एक देश में संरक्षित हैं, जिसने व्यापार को नियंत्रित करने में सहायता के लिये अन्य CITES पार्टियों से सुझाव लिया है।

 CITES के पक्षकारों के 19वें सम्मेलन में जानवरों और पौधों की लगभग छह सौ प्रजातियों के व्यापार संबंधी नियमों पर सख्ती से विचार करने के लिये कहा जा रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण विलुप्त होने की कगार पर हैं।

## रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल:

- वैज्ञानिक नामः बाटागुर कचुगा।
- सामान्य नामः बंगाल रूफ टर्टल, रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल।
- परिचयः
  - रेड क्राउन रूप्ड टर्टल भारत के स्थानिक 24 प्रजातियों में से एक है जिसके नर के चेहरे और गर्दन पर लाल, पीले, सफेद एवं नीले जैसे चमकीले रंग उनकी विशेषता है।



#### वितरण:

- यह मीठे पानी में पाए जाने वाले कछुए की प्रजाति है जो नेस्टिंग साइट्स वाली गहरी बहने वाली निदयों में पाई जाती है।
- रेड क्राउन रूपड टर्टल कछुआ भारत, बांग्लादेश और नेपाल में पाया जाता है।
- ऐतिहासिक रूप से यह प्रजाति भारत और बांग्लादेश दोनों में गंगा नदी में व्यापक रूप से पाई जाती थी। यह ब्रह्मपुत्र बेसिन में भी पाई जाती है।
- वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय चंबल नदी घड़ियाल अभयारण्य एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ इस प्रजाति की पर्याप्त आबादी है, लेकिन यह संरक्षित क्षेत्र और आवास भी अब खतरे में हैं।

#### खतराः

ये प्रजातियाँ समुद्र तटों पर प्रमुख हाइड्रोलॉजिकल परियोजनाओं और नदी प्रवाह की गतिशीलता और जल प्रदूषण पर उनके प्रभावों के लिये अतिसंवेदनशील हैं। चूँिक नदी पर और उसके आसपास मानव गतिविधियाँ परेशान करने वाली हैं, मछली पकड़ने के जाल में उलझने से उप-आबादी पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

- प्रदूषण के कारण आवास का क्षरण और बड़े पैमाने पर विकास गतिविधियों जैसे मानव उपभोग, सिंचाई के लिये पानी निकालने और अपस्ट्रीम बाँधों, जलाशयों से अनियमित प्रवाह इन प्रजातियों के लिये मुख्य खतरा हैं।
- गंगा नदी के किनारे खनन और मौसमी फसलों की वृद्धि नदी के किनारे रेत के पट्टों को मुख्य रूप से प्रभावित कर रही है जो प्रजातियों द्वारा शिकार के लिये उपयोग की जाती हैं।
- अवैध उपभोग और अवैध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये जानवर को ओवरहार्वेस्ट करना
- इसके विलुप्त होने के अन्य कारण है।
  - जंगली जानवरों और पौधों के व्यापार तथा उनके संरक्षण पर काम करने वाले एक वैश्विक गैर-सरकारी संगठन ट्रैफिक द्वारा किये गए एक अध्ययन में पाया गया है कि 2009-2019 तक भारत में 11,000 से अधिक कछुए और मीठे पानी के कछुए जब्त किये गए हैं।

## • सुरक्षा की स्थिति:

- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature-IUCN) रेड लिस्ट: गंभीर रूप से लुप्तप्राय (Critically Endangered)
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WPA), 1972: अनुसूची I (Schedule I)
- CITES : परिशिष्ट II

# कार्बन रिमूवल मैकेनिज़्म हेतु अनुशंसाएँ

# चर्चा में क्यों?

COP 27 में संयुक्त राष्ट्र के तहत कार्बन-व्यापार तंत्र के लिये कार्बन रिमुवल को शामिल करने की सिफारिशों पर चिंता व्यक्त की गई।

 नागरिक समाज समूहों के अनुसार, कार्बन रिमूवल पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री लक्ष्य के अनुरूप नहीं है।

# पेरिस समझौते के संबंधित प्रावधान:

## अनुच्छेद 2.1:

वर्ष 2015 के पेरिस समझौते के अनुच्छेद 2.1 का उद्देश्य बढ़ते तापमान को "पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे" रखना है, जबिक 1.5 डिग्री सेल्सियस की अधिक महत्त्वाकांक्षी सीमा की ओर "प्रयास करना" है।

## अनुच्छेद 6.4:

 यह देशों को स्वेच्छा से अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिये सहयोग करने की अनुमित देने हेतु संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत एक तंत्र स्थापित करता है।

- एक देश जिसने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करके
   क्रेडिट अर्जित किया है, वह अपने जलवायु लक्ष्य को पूरा
   करने में मदद के लिये उन्हें दूसरे देश को बेच सकता है।
- अनुच्छेद 6.4 के तहत एक पर्यवेक्षी निकाय का भी गठन किया गया है जिसे कार्बन रिमूबल पर सिफारिशें करने का काम सौंपा गया है, जिसमें रिपोर्टिंग, निगरानी और प्रौद्योगिकी तथा सामाजिक प्रभावों पर चिंताओं को दूर करना शामिल है।

## कार्बन निष्कासन

#### • परिचयः

'कार्बन निष्कासन' का अर्थ है वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना। यह भूमि-आधारित हो सकता है जैसे वनीकरण या पुनर्वनीकरण, प्रत्यक्ष वायु अवशोषण (जहाँ बड़ी मशीनें CO2 को अवशोषित करती हैं), बिना जुताई वाली कृषि और अन्य प्रथाओं का उपयोग करके मृदा कार्बन पृथक्करण, जैव ईंधन से कार्बन को अलग करना आदि।

## • महासागर-आधारित निष्कासनः

- महासागरों में प्राकृतिक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड के भंडारण की विशाल क्षमता है। यह वातावरण से कार्बन निष्कासन की त्वरित प्रक्रिया है।
  - आयरन जैसे पोषक तत्त्व फाइटोप्लैंकटन के बीच प्रकाश संश्लेषण को बढ़ा सकते हैं, जो तब कार्बन को अपनी प्रक्रिया में शामिल करते हैं। शेष अखाद्य प्लैंकटन नीचे तक डूब जाते हैं और कार्बन को नीचे दबा देते हैं।
- कुछ महासागर आधारित निष्कासनों में शामिल हैं, समुद्र में लोहा (समुद्री उर्वरक) फैलाकर CO2 को पंप करना या पोषक तत्त्वों से भरपूर जल को गहराई से सतह तक पंप करना और कार्बन को समुद्र की गहराई तक ले जाने के लिये सतह के जल को नीचे की ओर पंप करना।

## कार्बन निष्कासन के संदर्भ में पर्यवेक्षी निकाय की सिफारिशें:

 पर्यवेक्षी निकाय ने भूमि-आधारित, और इंजीनियरिंग-आधारित दृष्टिकोणों के तहत कार्यप्रणालियों का प्रस्ताव दिया है, जैसे 'निष्कासन' के लिये प्रत्यक्ष वायु का अवशोषण और समुद्र में उर्वरीकरण।

# कार्बन निष्कासन के समक्ष चुनौतियाँ:

- पर्यवेक्षी निकाय के अनुच्छेद 6.4 द्वारा प्रदान की गई सिफारिशें स्वदेशी लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का कारण बन सकती हैं।
  - खराब तरीके से लागू वनीकरण या अन्य दृष्टिकोण स्वदेशी लोगों की स्थानीय आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

- सिफारिशें प्रत्येक गतिविधि की आवश्यकताओं, जोखिमों और निहितार्थों सहित हटाने के प्रकारों के बीच अंतर नहीं करती हैं।
- ये सिफारिशें "संभावित रूप से जियोइंजीनियरिंग योजनाओं के लिये दरवाजे खोल सकती हैं जो पेरिस समझौते की अखंडता को कम करने तथा दुनिया को 1.5 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़ने के रास्ते पर स्थापित करने का जोखिम उठाती हैं।
- भूमि-आधारित निष्कासन के आधार पर क्रेडिट जारी करना एक समस्या है क्योंकि ये पारिस्थितिक तंत्र स्थायी नहीं हैं। उदाहरण के लिये जलवायु परिवर्तन से प्रेरित जंगल की आग से उनका सफाया हो सकता है।
- गहरे महासागरों में अधिक CO2 डंप करने के प्रभाव ज्ञात नहीं हैं
   और लोहे के निषेचन के साथ अधिक कार्बन और पोषक तत्त्वों को गहरे समुद्र में ले जाया जाता है, जो भविष्य में एक खतरा हो सकता है।
- समुद्र की सतह के नीचे समुद्री जीवों द्वारा कार्बन को तोड़ा जाएगा
   जिस कारण गहरे समुद्र अधिक अम्लीय हो सकते हैं।

## सुझाव:

- CoP 27 के वैज्ञानिकों ने समुद्र आधारित कार्बन निष्कासन पर नैतिक अनुसंधान के लिये एक आचार संहिता का आह्वान किया है।
- यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कार्बन बाजार को सही तरीके से संगठित किया जाए जिससे स्थानिक आबादी के साथ एक न्युनतम लाभ-साझा किया जा सके।
- कार्बन बाजारों में समावेशिता महत्त्वपूर्ण है; कुछ स्वदेशी लोग अपनी सतत् विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने हेतु वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिये बाजार तंत्र में भाग लेना चाहते हैं।

# जलवायु परिवर्तन की क्षतिपूर्ति

# चर्चा में क्यों?

समृद्ध देशों, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और कनाडा ने इंडोनेशिया की कोयले पर निर्भरता को खत्म करने तथा वर्ष 2050 तक कार्बन तटस्थता हासिल करने के लिये बाली में G-20 सम्मेलन के दौरान 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया।

# क्षतिपूर्ति का महत्त्वः

- 20वीं सदी के आरंभ से लेकर अब तक विकसित देश औद्योगिक विकास से लाभान्वित हुए हैं जिससे ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन भी हुआ।
  - ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के आँकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 1751 और 2017 के बीच CO2 उत्सर्जन में 47% भागीदारी संयुक्त राष्ट्र और 28 यूरोपियन देशों का था। अर्थात् कुल मिलाकर सिर्फ 29 देश।

- विकासशील देश आर्थिक विकास की दौड़ में थोड़े पीछे रहे।
  - हो सकता है कि उत्सर्जन में वे अभी भी योगदान दे रहे हों,
     लेकिन इसके लिये उन्हें आर्थिक विकास को रोकने के लिये
     कहना एक ठोस कारण नहीं होगा।
  - उदाहरण के लिये: अफ्रीका का एक ग्रामीण किसान यह दावा कर सकता है कि उसके देश ने ऐतिहासिक रूप से उत्सर्जन में वृद्धि नहीं की है, लेकिन अमेरिका या रूस के औद्योगीकरण के कारण उसकी कृषि उपज घट रही है या फिर दक्षिण अमेरिका के शहर में काम करने वाले एक श्रमिक को लंबे समय से विकसित देशों द्वारा किये जाने वाले उत्सर्जन के कारण हीटवेव की स्थिति में काम करना पडता है।

## उत्सर्जन के परिणामः

- वर्ष 1990-2014 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा होने वाले उत्सर्जन के कारण दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद लगभग 1-2% प्रभावित हुआ तथा तापमान परिवर्तन के कारण श्रम उत्पादकता तथा कृषि पैदावार पर भी असर पड़ा।
  - लेकिन संभव है कि उत्सर्जन से कुछ देशों को लाभ भी हुआ हो,
     जैसे कि उत्तरी यूरोप और कनाडा।
- मूडीज एनालिटिक्स का अनुमान है कि इस सदी के मध्य तक कनाडा के सकल घरेलू उत्पाद में 0.3% की वृद्धि होगी क्योंकि गर्म जलवायु कृषि और श्रम उत्पादकता को बढ़ावा देती है।
- वर्ष 2022 के लिये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की वार्षिक उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पेरिस के निर्धारित लक्ष्यों (तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने) से बहुत पीछे है।

## भारत में उत्सर्जन:

- 'उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2022' के अनुसार, भारत शीर्ष सात उत्सर्जकों (अन्य चीन, यूरोपीय संघ-27, इंडोनेशिया, ब्राजील, रूसी संघ और अमेरिका) में से एक है।
  - ये सात देश अंतर्राष्ट्रीय परिवहन, 2020 में वैश्विक GHG उत्सर्जन का 55% हिस्सा रखते है।
  - सामूहिक रूप से, G-20 सदस्य वैश्विक GHG उत्सर्जन के
     75% के लिये जिम्मेदार हैं।
- कुछ GHG उत्सर्जन अपिरहार्य हैं। भारत की जनसंख्या के संदर्भ में इसका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दूसरे देशों की तुलना में बहुत कम है।
  - विश्व औसत प्रति व्यक्ति GHG उत्सर्जन 6.3 टन था जो कि वर्ष 2020 में CO2 (tCO2 ई) के समकक्ष था।

 अमेरिका का स्तर इससे ऊपर है जो कि 14 टन है, रूसी संघ में 13 टन और चीन में 9.7 टन है। भारत 2.4 पर विश्व औसत से बहुत नीचे बना हुआ है।

## भारत द्वारा उठाए गए संबंधित कदम:

- भारत ने घोषणा की है कि वह वर्ष 2070 तक कार्बन तटस्थता तक पहुँच जाएगा।
- भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता उत्पन्न करने, सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की उत्सर्जन तीव्रता को कम करने के साथ-साथ वन क्षेत्र बढ़ाने की भी प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
- पिछले साल कोयला समझौते में भारत ने भाषा का मसौदा तैयार किया था।
- इसे कोयले के "फेज़-आउट" से "फेज़-डाउन" में बदल दिया गया
  था।
- यह आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये मुख्य रूप से थर्मल पावर द्वारा पूरी की जाने वाली बड़ी ऊर्जा आवश्यकताओं की देश की जमीनी वास्तविकताओं को दर्शाता है।

## अपशिष्ट जल प्रबंधन

## चर्चा में क्यों?

दुनिया की लगभग आधी या 43% निदयाँ सिक्रय दवा सामग्री की सांद्रता से दृषित हैं जो स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकती हैं।

- दवा उद्योग को एंटीबायोटिक प्रदूषण और रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) को सीमित करने के लिये अपशिष्ट जल प्रबंधन एवं प्रक्रिया नियंत्रण को प्राथमिकता देनी चाहिये।
- भारत के विभिन्न राज्यों में विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे फार्मास्युटिकल केंद्रों में व्यापक पैमाने पर दवा प्रदूषण की सूचना मिली है।

#### अपशिष्ट जल:

- परिचय:
  - अपिशष्ट जल वर्षा जल अपवाह और मानव गतिविधियों से उत्पन्न जल का प्रदूषित रूप है, इसे सीवेज भी कहा जाता है।
  - इसे आमतौर पर घरेलू सीवेज, औद्योगिक सीवेज या तूफान सीवेज (तूफानी पानी) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
  - आमतौर पर एक जल निकाय में डंप किया गया सीवेज आत्म-शुद्धिकरण की प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से खुद को साफ कर सकता है।
  - लेकिन जनसंख्या में वृद्धि, साथ ही बड़े पैमाने पर शहरीकरण ने सीवेज निर्वहन में वृद्धि की है जो प्राकृतिक शुद्धिकरण की दर से कहीं अधिक है।

- 🔶 इस प्रकार उत्पन्न अतिरिक्त पोषक तत्त्व जल निकाय में यूट्रोफिकेशन और जल की गुणवत्ता में धीरे-धीरे गिरावट का कारण बनते हैं।
  - यूट्रोफिकेशन एक जल निकाय की प्रक्रिया है जो खिनजों और पोषक तत्त्वों से अत्यधिक समृद्ध हो जाती है जो शैवाल की अत्यधिक वृद्धि को प्रेरित करती है, जिससे जल निकायों में ऑक्सीजन की कमी होती है।

#### अपशिष्ट जल उपचार:

- ♦ अपशिष्ट जल उपचार, जिसे सीवेज उपचार भी कहा जाता है, के तहत जलभृतों या जल के प्राकृतिक निकायों जैसे निदयों, झीलों, मुहानों और महासागरों तक अपशिष्ट जल या सीवेज अशुद्धियों को पहुँचने से पहले साफ़ किया जाता है।
- 🔶 ऑन-साइट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STPs) अपशिष्ट जल का शोधन और उसे शुद्ध करे पुन: उपयोग के लिये उपयुक्त बनाते हैं।
  - STP मुख्य रूप से घरेलू सीवेज से अपशिष्ट जल से दूषित पदार्थों को हटाते हैं।



## भारत में अपशिष्ट जल प्रबंधन की स्थिति:

#### • परिचय:

- ◆ 2021 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की वर्तमान जल उपचार क्षमता 27.3% है तथा (अन्य 5.2% क्षमता के साथ) सीवेज उपचार क्षमता 18.6% है।
  - यद्यपि भारत की अपशिष्ट और सीवेज उपचार क्षमता लगभग 20% के वैश्विक औसत से अधिक है, यह पर्याप्त नहीं है और त्विरत उपायों द्वारा सीवेज उपचार क्षमता को नहीं बढ़ाया गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
- 🔷 सरकारी आँकड़ों के अनुसार, भारत में शहरी क्षेत्रों में 5% अपशिष्ट जल अनुपचारित या आंशिक रूप से उपचारित रहता है।
- 2019 की एक शोध रिपोर्ट के अनुसार, गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान के तहत स्थापित अधिकांश सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं कर रहे हैं तथा उत्पन्न 33000 मिलियन लीटर प्रतिदिन (MLD) कचरे में से केवल 7000 MLD एकत्र और उपचारित किया जाता है।

#### • नियम:

- जल ( प्रदूषण निवारण और नियंत्रण ) अधिनियम, 1974 ( 1988 में संशोधित ):
  - यह कानून जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण एवं जल की पूर्णता को बनाए रखने या बहाल करने के लिये पेश किया गया था।
- जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 (2003 में संशोधित)
  - इसका उद्देश्य कुछ उद्योगों को चलाने वाले व्यक्तियों और स्थानीय अधिकारियों द्वारा खपत किये गए जल पर उपकर लगाने एवं संग्रह करने का प्रावधान है।
- पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986:
  - यह केंद्र सरकार को सीवेज और प्रवाह निर्वहन मानकों को निर्धारित करने, जाँच करने एवं अनुपालन सुनिश्चित करने तथा अनुसंधान करने का अधिकार देता है।
  - यह अधिनियम जल, भूमि, वायु और शोर सिहत सभी
     प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण पर लागू होता है।

#### • सरकार की पहल:

- भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 (SBM 2.0) के तहत अपना ध्यान ठोस अपशिष्ट, कीचड़ और ग्रेवाटर प्रबंधन पर केंद्रित किया।
  - खुले में शौच से मुक्त (ODF) स्थिति प्राप्त करने पर निरंतर ध्यान देने के बाद आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने शहरों के लिये ODF+, ODF++ एवं जल+ स्थिति प्राप्त करने के लिये विस्तृत मानदंड विकसित किये।
- कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) के लिये अटल मिशन के तहत MoHUA द्वारा सीवरेज एवं सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएँ शुरू की गईं।

## अपशिष्ट जल प्रबंधन में चुनौतियाँ:

- भारतीय संविधान की अनुसूची 7 जल को राज्य के मामले के रूप में निर्धारित करती है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से संघ सूची में उल्लिखित प्रावधानों के अधीन है।
  - यह संसद को जनिहत में अंतर्राज्यीय जल को विनियमित करने और विकसित करने के लिये कानून बनाने में सक्षम बनाता है, जबिक राज्य जल आपूर्ति, सिंचाई, जल निकासी एवं तटबंधों, जल भंडारण आदि जैसे मामलों पर राज्य के भीतर जल के उपयोग के संबंध में कानून बनाने की स्वायत्तता रखते हैं।
  - अपिशष्ट जल और इसके दुष्परिणामों के प्रति यह विघटित दृष्टिकोण राज्यों के भीतर भी देखा जा सकता है। 73वें और

- 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियमों के अनुसार, जल संसाधनों का शासन स्थानीय स्तर, ग्रामीण तथा शहरी स्तर पर और अधिक खंडित है।
- इन संवैधानिक तंत्रों के परिणामस्वरूप केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति असंतुलन हुआ है, जिससे संघीय न्यायिक अस्पष्टता पैदा हुई है।
  - विशेष रूप से अपिशष्ट जल प्रबंधन के मामले में एक राज्य की निष्क्रियता एक या अधिक अन्य राज्यों के हितों को प्रभावित करती है और विवादों का कारण बनती है।
- जबिक केंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार समाधानों के लिये एक केंद्रीय स्थान में एकत्र किये जाने वाले अपशिष्ट जल के लिये परस्पर जुड़े सीवरों और जल निकासी के एक अच्छी तरह से विकसित नेटवर्क की आवश्यकता होती है। यह उन्हें महँगा, श्रम प्रधान एवं समय लेने वाला बनाता है।

## आगे की राह

- हालाँकि अपशिष्ट जल के मुद्दों के बेहतर मूल्यांकन और निवारण के लिये एक विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है, लेकिन नीतियों के कुशल संचालन एवं जल निकायों के समग्र विकास के लिये जल प्रशासन को सभी स्तरों पर मान्यता देने की आवश्यकता है।
  - इस संबंध में अपिशष्ट जल को न केवल पर्यावरण प्रदूषण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिये बिल्क जल क्षेत्र के मामले के रूप में सभी केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा सुसंगत रूप से संबोधित किया जाना चाहिये।
- सस्ते वैकल्पिक समाधानों के साथ केंद्रीकृत उपचार संयंत्रों का पूरक होना अत्यावश्यक है जैसे:
  - विकेंद्रीकृत अपिशष्ट जल उपचार संयंत्र छोटे कस्बों, शहरी और ग्रामीण समूहों, गेटेड कॉलोनियों, कारखानों एवं औद्योगिक पार्कों में स्थापित किये जा सकते हैं। उन्हें सीधे साइट पर स्थापित किया जा सकता है, इस प्रकार अपिशष्ट जल को सीधे उसके स्रोत पर उपचारित किया जा सकता है।
  - प्रदूषकों और खतरनाक अपिशष्टों को अपघटित करने के लिये बायोरेमेडिएशन कवक और बैक्टीरिया जैसे रोगाणुओं का उपयोग करता है।
  - फाइटोरेमेडिएशन का तात्पर्य संदूषकों की सांद्रता या विषाक्त प्रभावों को कम करने के लिये पौधों और संबंधित मृदा के रोगाणुओं के उपयोग से है, साथ ही यह पूरे देश में झीलों एवं तालाबों की सफाई में काफी प्रभावी साबित हुआ है।

# लॉस एंड डैमेज फंड

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में संपन्न COP27 शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों ने एक 'लॉस एंड डैमेज फंड' बनाने पर सहमित व्यक्त की, जो जलवायु संबंधी आपदाओं के कारण सबसे कमजोर देशों को हुए उनके नकसान की क्षतिपर्ति करेगा।

# लॉस एंड डैमेज फंड ( हानि और क्षति कोष ):

- 'लॉस एंड डैमेज' जलवायु पिरवर्तन के प्रभावों को संदर्भित करता है जिसे शमन (ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती) या अनुकूलन (जलवायु पिरवर्तन प्रभावों से निपटने की प्रथाओं को संशोधित करना) से टाला नहीं जा सकता है।
- इनमें न केवल संपत्ति की आर्थिक क्षित बल्कि आजीविका की हानि
   और जैव विविधता एवं सांस्कृतिक महत्त्व वाले स्थलों का विनाश
   भी शामिल है।
- इससे प्रभावित देशों के लिये मुआवज़े का दावा करने का दायरा बढ़ जाता है।

## लॉस एंड डैमेज की अवधारणा का विकास:

- चूँिक वर्ष 1990 के दशक की शुरुआत में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का गठन किया गया था, इसलिये जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले हानि और क्षति पर बहस हुई है।
- कम-से-कम विकसित देशों के समूह ने लंबे समय से नुकसान और विनाश के लिये जवाबदेही और मुआवजे की स्थापना का लक्ष्य रखा है।
  - हालाँकि जलवायु क्षिति के लिये ऐतिहासिक रूप से दोषी ठहराए
     गए अमीर देशों ने कमजोर देशों की चिंताओं की अनदेखी की है।
- हानि और क्षित पर वारसॉ अंतर्राष्ट्रीय तंत्र (WIM) की स्थापना वर्ष 2013 में विकासशील देशों के व्यापक दबाव के बाद बिना फंडिंग के की गई थी।
  - हालाँकि ग्लासगो में वर्ष 2021 COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान हानि और क्षित के लिये धन की व्यवस्था पर विचार करने के लिये 3-वर्षीय टास्क फोर्स की स्थापना की गई थी।
- अब तक कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और वालोनिया के बेल्जियम प्रांत आदि को मिलाकर सभी ने लॉस एंड डैमेज फंड में रुचि व्यक्त की है।

## निधि की स्थापना से संबंधित चिंताएँ:

- जहाँ तक भविष्य की COP वार्ताओं का संबंध है, यह केवल एक फंड बनाने के लिये प्रतिबद्ध है और फिर इसे चर्चा हेतु छोड़ दिया जाता है जिसमे इसकी स्थापना और योगदान जैसी महत्त्वपूर्ण बातें शामिल होती हैं।
  - जबिक कुछ देशों ने इस फंड में नाममात्र दान किया है लेकिन अनुमानित क्षति पहले से ही 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर चुकी है।
  - COP27 में वार्ता के दौरान यूरोपीय संघ ने चीन, अरब राज्यों और "बड़े विकासशील देशों" (शायद भारत भी) पर इस आधार पर योगदान देने के लिये ज़ोर दिया कि उनका उत्सर्जन में काफी योगदान था।
- बुनियादी ढाँचे की क्षिति, संपित्त की क्षिति और अमूल्य सांस्कृतिक संपित्तयों की क्षिति आदि को जलवायु पिरवर्तन के कारण होने वाले "नुकसान एवं क्षिति" के रूप में मापे जाने जैसा कुछ ख़ास निर्धारित भी नहीं किया गया।
  - जलवायु वित्तपोषण अब तक मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के प्रयास में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित है, जबिक इसका लगभग एक-तिहाई हिस्सा समुदायों को भविष्य के प्रभावों के अनुकूल बनाने में मदद करने के लिये परियोजनाओं में खर्च हो गया है।

## भारत की संबंधित पहलें:

- राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष ( NAFCC ):
  - जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति संवेदनशील राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों हेतु जलवायु परिवर्तन अनुकूलन की लागत को पूरा करने के लिये वर्ष 2015 में इस कोष की स्थापना की गई थी।
- राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष ( NCEF ):
  - उद्योगों द्वारा कोयले के उपयोग पर प्रारंभिक कार्बन टैक्स के माध्यम से वित्तपोषित स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये इस कोष का निर्माण किया गया था।
  - यह एक अंतर-मंत्रालयी समूह द्वारा शासित होता है जिसका अध्यक्ष वित्त सचिव होता है।
  - इसका जनादेश जीवाश्म और गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षेत्रों
     में नवीन स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के अनुसंधान एवं विकास के लिये निधि देना है।
- राष्ट्रीय अनुकूलन कोषः
  - आवश्यकता और उपलब्ध धन के बीच की खाई को पाटने के उद्देश्य से वर्ष 2014 में 100 करोड़ रुपए के निधियन के साथ कोष की स्थापना की गई थी।

 यह कोष पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) के तहत संचालित किया जाता है।

## आगे की राह

- हालाँकि लाभ यह है कि वृद्धिशील देशों को गित नहीं खोनी चाहिये
   और यह सुनिश्चित करने के लिये कड़ी मेहनत करनी चाहिये कि
   COP विश्वसनीय उत्प्रेरक बने रहें न कि कुछ खोखली जीत के
   अवसर मात्र।
- इसके अलावा यह सुनिश्चित करना कि उत्सर्जन और भेद्यता को कम करने के लिये वित्त बेहतर लिक्षित है, नए वित्त जुटाने हेतु एक राजनीतिक प्रतिबद्धता को बनाए रखने की आवश्यकता है। हाल के अनुभवों से सीखना और सुधार करना, खासकर जब हरित जलवायु कोष काम करता है।

# 2022 की गंभीर जलवायु आपदाएँ और COP27

## चर्चा में क्यों ?

विकासशील और कमज़ोर राष्ट्रों द्वारा COP27 में जलवायु वित्त की मांग जारी है, अत: इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि वैश्विक आपदा से वर्ष 2022 में जन-जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

## पिछले वैश्विक आपदाओं का प्रभाव:

- पाकिस्तान में बाढ़:
  - पाकिस्तान में मार्च 2022 के महीने में सामान्य से 62% कम बारिश दर्ज की गई और मानसून से पहले अप्रैल माह सबसे गर्म रहा।
    - इन हीटवेव के कारण ग्लेशियर पिघल गए जिससे निदयाँ उफान पर आ गईं। पाकिस्तान की 22 करोड़ की आबादी में से 3.3 करोड़ लोगों के लिये बुनियादी जरूरतों तक पहुँच मुश्किल हो गई।
  - अत्यधिक वर्षा के कारण जून से सितंबर महीनों के दौरान विनाशकारी बाढ़ की समस्या उत्पन्न हुई।
    - यह बाढ़ देश के इतिहास में सबसे खराब आपदा थी।
    - इसमें 1,500 से अधिक लोग मारे गए, लाखों लोग विस्थापित हुए और त्वचा संक्रमण, मलेरिया एवं डायरिया जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि हुई।

## अमेरिका में हरिकेन इयान:

नासा के ऑकड़ों से पता चला है कि मेंक्सिको की खाड़ी में समुद्र के गर्म जल ने सितंबर 2022 के अंत में अमेरिका में हरिकेन इयान को उत्पन्न किया, जिससे यह हाल के दिनों में वहाँ आने वाले सबसे मजबूत तूफानों में से एक है।

- इसके परिणामस्वरूप 101 लोगों की जान चली गई और 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की मौद्रिक हानि हुई।
- यह आपदा वर्ष की सबसे घातक जलवायु-प्रेरित आपदा
   थी।
- इस घटना के कारण दक्षिण-पश्चिमी फ्लोरिडा में भीषण बाढ़,
   लगातार बारिश और तेज हवाएँ चलीं।

## • यूरोपीय सूखाः


- जून और जुलाई, 2022 में यूरोप दो चरम हीट की घटनाओं के कारण प्रभावित हुआ, जिसने लगभग 16,000 लोगों की जान ले ली।
  - इस साल के सूखे की 500 वर्षों में सबसे गंभीर होने की संभावना है।
- यूरोप की सबसे बड़ी निदयों- राइन, पो, लॉयर और डेन्यूब में जल स्तर कम हो गया है, और महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में शुष्क स्थिति बनी हुई है।

## • स्पेन और पुर्तगाल:

- वायुमंडलीय उच्च दबाव प्रणाली, जो सर्दियों और वसंत के मौसम में उत्तरी गोलार्द्ध में उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में शुष्क हवा का कारण बनती है, जिसे अजोरेस हाई कहा जाता है, में आर्द्र मौसम के प्रवाह को अवरुद्ध करने की क्षमता होती है।
- इससे दक्षिण-पश्चिमी यूरोप में इबेरियन प्रायद्वीप और भूमध्य क्षेत्र में शुष्क स्थिति पैदा हो गई।
  - इसिलये स्पेन और पुर्तगाल को जंगल की आग के साथ
     1,200 वर्षों में सबसे शुष्क मौसम का सामना करना पड़ा।

## भारत में प्राकृतिक आपदाएँ:

- भारत ने वर्ष 2022 में लगभग प्रत्येक दिन प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया।
- भारत ने वर्ष के पहले नौ महीनों में "273 में से 241 दिनों में चरम मौसमी घटनाएँ" दर्ज कीं।
  - इन सभी महीनों में आँधी, लगातार वर्षा, चक्रवात, सूखा, हीटबेव, बिजली, बाढ़ और भूस्खलन हुए।
  - हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गईं, इसके
     बाद असम और मध्य प्रदेश का स्थान रहा।
- कुल मिलाकर इन आपदाओं ने "2,755 लोगों की जान ली, 8
   मिलियन हेक्टेयर फसल क्षेत्र को प्रभावित किया, 416,667 घरों
   को नष्ट कर दिया और लगभग 70,000 पशुओं को मार डाला।"



# COP27 के प्रमुख परिणाम:

## कमज़ोर देशों के लिये लॉस एंड डैमेज फंड:

 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 ने कमजोर देशों को लॉस एंड डैमेज वित्तपोषण प्रदान करने के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।

#### • प्रौद्योगिकीः

 COP27 में विकासशील देशों में जलवायु प्रौद्योगिकी समाधानों को बढ़ावा देने के लिये एक नया पंचवर्षीय कार्यक्रम शुरू किया गया था।

#### शमनः

- शमन महत्त्वाकाँक्षा और कार्यान्वयन को तत्काल बढ़ाने के उद्देश्य से एक शमन कार्यक्रम शुरू किया गया।
- कार्यक्रम COP27 के तुरंत बाद शुरू होगा और वर्ष 2030 तक जारी रहेगा, जिसमें प्रतिवर्ष कम-से-कम दो वैश्विक संवाद होंगे।

सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया कि वे वर्ष 2023 के अंत तक अपनी राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं में 2030 के लक्ष्यों पर फिर से विचार करें और उन्हें मजबूत बनाएँ, साथ ही बेरोकटोक कोयला विद्युत को चरणबद्ध करने तथा अक्षम जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को समाप्त करने के प्रयासों में तेजी लाएँ।।

## • ग्लोबल स्टॉकटेकः

- संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 में प्रतिनिधियों ने पेरिस समझौते के तहत महत्त्वाकाँक्षा बढ़ाने के लिये एक तंत्र पहले वैश्विक स्टॉकटेक की दूसरी तकनीकी वार्ता की।
- अगले साल COP28 में स्टॉकटेक के समापन से पहले वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव 'जलवायु महत्त्वाकाँक्षा शिखर सम्मेलन' आयोजित करेंगे।

## • शर्म-अल-शेख अनुकूलन एजेंडा:

 यह 2030 तक सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील समुदायों में रहने वाले 4 अरब लोगों के लिये लचीलापन बढ़ाने हेतु 30 अनुकूलन परिणामों की रूपरेखा तैयार करता है।

## जल अनुकूलन और लचीलापन पहल पर कार्रवाई (AWARe):

 यह एक प्रमुख जलवायु परिवर्तन समस्या और संभावित समाधान दोनों के रूप में जल के महत्व को प्रतिबिंबित करने के लिये शुरू किया गया है।

## • अफ्रीकी कार्बन बाज़ार पहल ( ACMI ):

 यह कार्बन क्रेडिट उत्पादन के विकास का समर्थन करने और अफ्रीका में नौकरियाँ पैदा करने के लिये शुरू किया गया था।

#### • वैश्विक नवीकरणीय गठबंधन:

- यह पहली बार एक त्वरित ऊर्जा संक्रमण सुनिश्चित करने के लिये ऊर्जा संक्रमण के लिये आवश्यक सभी तकनीकों को एक साथ लेकर आता है।
- इस एलायंस का उद्देश्य लक्ष्यों को सुनिश्चित करने के साथ-साथ अक्षय ऊर्जा को सतत् विकास और आर्थिक विकास के स्तंभ के रूप में स्थापित करना है।

# CITES के पक्षकारों का 19वाँ सम्मेलन

# चर्चा में क्यों?

पनामा सिटी में वन्यजीवों एवं वनस्पितयों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) के लिये पक्षकारों के सम्मेलन (CoP) की 19वीं बैठक आयोजित की जा रही है।

 COP-19 को विश्व वन्यजीव सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है।

## प्रमुख बिंदु

- इसमें 52 प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियमों को प्रभावित करेगा: शार्क, सरीसृप, दिरयाई घोड़ा, सोंगबर्ड्स, गैंडे, 200 पेड़ पर रहने वाली प्रजातियाँ, ऑर्किड, हाथी, कछुए आदि।
- भारत के शीशम (डाल्बर्गिया सिस्सू) को सम्मेलन के परिशिष्ट II
   में शामिल किया गया है, जिससे प्रजातियों के व्यापार के लिये
   CITES नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है।
  - डाल्बर्गिया सिस्सू आधारित उत्पादों के निर्यात के लिये
     CITES नियमों को आसान बनाकर राहत प्रदान की गई।
     इससे भारतीय हस्तिशिल्प निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद
- सम्मेलन ने कन्वेंशन के परिशिष्ट II में समुद्री खीरे (थेलेनोटा) को शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।
  - वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी-इंडिया (WCS- India) द्वारा सितंबर, 2022 में प्रकाशित एक विश्लेषण से पता चला है कि वर्ष 2015-2021 के दौरान भारत में समुद्री खीरे (Sea Cucumber) सबसे अधिक तस्करी की जाने वाली समुद्री प्रजातियाँ थीं।
  - विश्लेषण के अनुसार, तिमलनाडु राज्य में इस अविध के दौरान समुद्री वन्यजीवों की बरामदगी की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई थी। इसके बाद महाराष्ट्र, लक्षद्वीप और कर्नाटक का स्थान रहा।
- मीठे जल के कछुए बाटागुर कचुगा (रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल) को शामिल करने के भारत के प्रस्ताव को CITES के COP-19 में पार्टियों का व्यापक समर्थन मिला। इसे पार्टियों द्वारा व्यापक रूप से सराहा गया और पेश किये जाने पर अच्छी तरह से स्वीकार किया गया।
  - ऑपरेशन टर्टशील्ड, वन्यजीव अपराध पर अंकुश लगाने के भारत के प्रयासों की सराहना की गई
  - भारत ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कछुओं और मीठे जल के कछुओं की कई प्रजातियाँ जिन्हें गंभीर रूप से लुप्तप्राय, लुप्तप्राय, कमजोर या निकट खतरे के रूप में पहचाना जाता है, उन्हें पहले से ही वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में शामिल किया गया है और उन्हें उच्च स्तर की सुरक्षा दी गई है।
- भारत ने मौजूदा सम्मेलन में हाथीदाँत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को फिर से खोलने के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान नहीं करने का फैसला किया है।

# वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन ( CITES ):

- CITES, सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसमें वर्तमान में 184 सदस्य हैं, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली पशुओं और पौधों की प्रजातियों के अस्तित्व को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये खतरे में न डाला जाए।
- इसका पहला सम्मेलन वर्ष 1975 में हुआ और भारत वर्ष 1976 में 25वाँ भागीदार देश बन गया।
- वे देश जो CITES में शामिल होने के लिये सहमत हुए हैं, उन्हें पार्टियों के रूप में जाना जाता है।
- यद्यपि CITES पार्टियों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है, दूसरे शब्दों में इन पार्टियों के लिये कन्वेंशन को लागू करना बाध्यकारी है लेकिन यह राष्ट्रीय कानुनों की जगह नहीं लेता।
- CITES के तहत आने वाली प्रजातियों के सभी आयात-निर्यात और पुन: निर्यात को परिमट प्रणाली के माध्यम से अधिकृत किया जाना चाहिये।
- इसके तीन परिशिष्ट हैं:

#### ♦ परिशिष्ट-I:

- इसमें वे प्रजातियाँ सूचीबद्ध हैं जो CITES द्वारा सूचीबद्ध वन्यजीवों एवं पौधों में सबसे अधिक संकटापन्न स्थिति में हैं।
- उदाहरणतः इसमें गोरिल्ला, समुद्री कछुए, अधिकांश ऑर्किड प्रजातियाँ एवं विशाल पांडा शामिल हैं। वर्तमान में इसमें 1082 प्रजातियाँ सुचीबद्ध हैं।
- इन प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है एवं CITES इन प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करता है, सिवाय जब इसके आयात का उद्देश्य व्यावसायिक न होकर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये किया जाता हो।

#### परिशिष्ट II:

- इसमें ऐसी प्रजातियाँ शामिल हैं जिनके निकट भविष्य में लुप्त होने का खतरा नहीं है लेकिन ऐसी आशंका है कि यदि इन प्रजातियों के व्यापार को सख्त तरीके से नियंत्रित नहीं किया गया तो ये लुप्तप्राय की श्रेणी में आ सकती हैं।
- इस परिशिष्ट में अधिकांश CITES प्रजातियाँ सूचीबद्ध हैं जिनमें अमेरिकी जिनसेंग, पैडलिफश, शेर, अमेरिकी मगरमच्छ, महोगनी एवं कई प्रवाल शामिल हैं। वर्तमान में 34,419 प्रजातियाँ इसमें सूचीबद्ध हैं।
- इसमें तथाकथित 'एक जैसी दिखने वाली प्रजातियाँ (look-alike species)' भी शामिल हैं अर्थात् ऐसी प्रजातियाँ जो एक समान दिखती हैं उन्हें व्यापार संरक्षण कारणों से सूचीबद्ध किया गया है।

#### परिशिष्ट III:

- यह उन प्रजातियों की सूची है जिन्हें किसी पक्षकार के अनुरोध पर शामिल किया जाता है, जिनका व्यापार पक्षकार द्वारा पहले से ही विनियमित किया जा रहा है तथा शामिल की गईं प्रजातियों के अधारणीय एवं अत्यधिक दोहन रोकने के लिये दूसरे देशों के सहयोग की आवश्यकता है।
- इनमें मैप टर्टल, वालरस और केप स्टैग बीटल शामिल हैं।
   वर्तमान में इसमें 211 प्रजातियाँ सूचीबद्ध हैं।
- इस परिशिष्ट में सूचीबद्ध प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को केवल उपयुक्त परिमट या प्रमाण पत्र की प्रस्तुति पर ही अनुमति प्रदान की जाती है।
- प्रजातियों को केवल पक्षकारों के सम्मेलन द्वारा परिशिष्ट I और II में शामिल किया जा सकता है या हटाया जा सकता है अथवा उनके मध्य स्थानांतरित किया जा सकता है।

# हिममंडल क्षति

## चर्चा में क्यों?

COP27 में 18 देश व्यापक गठबंधन के तहत एक नए उच्च-स्तरीय समूह 'एम्बिशन ऑन मेल्टिंग आइस (AMI) ऑन सी-लेवल राइज एंड माउंटेन वाटर रिसोर्सेज़' के गठन के लिये एकज़ट हुए।

# एम्बिशन ऑन मेल्टिंग आइस ( AMI )

- "AMI" समूह का उद्देश्य हिममंडल/क्रायोस्फीयर क्षित के प्रभावों के बारे में राजनेताओं और जनता को जागरूक करना है, इसे न केवल पहाड़ और ध्रुवीय क्षेत्रों के स्तर पर बल्कि पूरे ग्रह के स्तर पर समझने की आवश्यकता है।
- समृह के संस्थापकों में चिली (सह-अध्यक्ष), आइसलैंड (सह-अध्यक्ष), पेरू, चेक गणराज्य, नेपाल, फिनलैंड, सेनेगल, किर्गिज गणराज्य, समोआ, जॉर्जिया, स्विटजरलैंड, न्यूजीलैंड, मोनाको, वानुअतु, स्वीडन, तंजानिया, लाइबेरिया, नॉर्वे और मेंक्सिको शामिल हैं।

## समूह की घोषणाः

- जलवायु परिवर्तन का प्रभावः
  - जलवायु परिवर्तन के कारण पहले ही वैश्विक हिममंडल (पृथ्वी पर हिम या बर्फ वाले क्षेत्र) में नाटकीय बदलाव देखा गया है।
  - इन परिवर्तनों से जीवन और आजीविका को खतरा उत्पन्न हुआ है। आर्कटिक एवं पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय लोग सबसे पहले प्रभावित हुए हैं।
    - बदलती जलवायु में महासागर और हिममंडल पर विशेष रिपोर्ट सहित IPCC आकलन चक्र की छठी रिपोर्ट का

- निष्कर्ष है कि हिममंडल में इस तरह के बदलाव ग्लोबल वार्मिंग और वातावरण में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के अतिरिक्त वृद्धि से असंतुलन की स्थिति उतन्न होगी।
- 🔶 इसका ध्रुवीय और पर्वतीय क्षेत्रों पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा।
  - ध्रुवीय मत्स्य पालन में तापीय उष्मन के अलावा इनमें
     ध्रुवीय महासागरों का तेजी से अम्लीकरण भी शामिल है,
     इसलिये वैज्ञानिकों का कहना है कि 450 ppm पर यह
     एक चरम सीमा तक पहुँच जाएगा, इस स्तर पर पहुँचने में
     केवल 12 वर्ष और लगेंगे।

## • सुझाव:

- सशक्त जलवायु कार्रवाई के माध्यम से हिममंडल की रक्षा करना अकेले पर्वतीय और ध्रुवीय देशों का मामला नहीं है: यह तत्काल वैश्विक चिंता का विषय है क्योंकि मानव समुदायों पर सबसे बड़ा प्रभाव इन क्षेत्रों के बाहर पड़ेगा।
- वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में तेजी से कमी, ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की संभावना को जीवंत रखना हिममंडल क्षित एवं संभावित आपदाओं की परिणामी शृंखला को सीमित करने का हमारा सबसे अच्छा विकल्प है।
- हमारे सभी समाजों के लाभ के लिये वर्ष 2030 से पहले उत्सर्जन
   में कमी को अत्यावश्यक विषय बनाने की जरुरत है।

# हिममंडल (Cryosphere):

#### • परिचयः

- हिममंडल पृथ्वी की जलवायु प्रणाली का हिस्सा है जिसमें ठोस वर्षा, बर्फ, सागरों में जमी बर्फ, हिमखंड, ग्लेशियर और हिम-झीलें, हिम-निदयाँ, ग्लेशियर्स, हिमचादर, हिमशैल और पर्माफ्रॉस्ट आदि शामिल हैं।
- "क्रायोस्फीयर" शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द 'क्रायोस' से हुई है,
   जिसका अर्थ ठंढ या बर्फ की ठंड है।
- हिममंडल न केवल आर्कटिक, अंटार्कटिक और पर्वतीय क्षेत्रों
   में बल्कि लगभग सौ देशों में अधिकांश अक्षांशों पर मौसमी या बारहमासी रूप से विश्व स्तर पर विस्तृत है।
- अंटार्कटिक में सबसे बड़ी महाद्वीपीय हिमचादर पाई जाती हैं।
- पृथ्वी का लगभग 70% ताजा पानी बर्फ या हिम के रूप में मौजूद है।
- वैश्विक जलवायु पर हिममंडल के प्रभावः
  - ♦ एिल्बडो ( Albedo ):
    - बर्फ और हिम में उच्च एिल्बडो होता है। वे अधिकांश प्रकाश को अवशोषित किये बिना परावर्तित कर देते हैं और

पृथ्वी को ठंडा करने में मदद करते हैं। इस प्रकार बर्फ एवं हिम की उपस्थिति या अनुपस्थिति पृथ्वी की सतह के ताप और शीतलन को प्रभावित करती है।

यह पूरे ग्रह के ऊर्जा संतुलन को प्रभावित करता है।

### ♦ फीडबैक लूप ( Feedback Loop ):

- बर्फ के पिघलने से परावर्तक सतह कम हो जाती है तथा समुद्र और भूमि का रंग गहरा हो जाता है, जो अधिक सौर विकिरण को अवशोषित करते हैं तथा फिर वातावरण में गर्मी छोडते हैं।
- इससे अधिक गर्मी होती है और अधिक बर्फ पिघलती है।
   इसे फीडबैक लूप के रूप में जाना जाता है।

#### पर्माफ्रॉस्टः

- पर्माफ्रॉस्ट संभावित रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक प्रमुख स्रोत है।
- पर्माफ्रॉस्ट ने ध्रुवीय क्षेत्र की मिट्टी में अनेकों टन कार्बन जमा कर दिया है।
- यदि 'फीडबैक लूप' बढ़ता है तो कार्बन मीथेन के रूप में निकलता है- एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है।
- पर्माफ्रॉस्ट में लगभग 1,400 से 1,600 बिलियन टन कार्बन होता है।
- कार्बन बजट के संदर्भ में 1.5 डिग्री सेल्सियस की जलवायु वार्मिंग के परिदृश्य में, पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने से 150 से 200 गीगाटन CO2 ईक्यू (eq) उत्सर्जन का अनुमान है, जबिक वर्ष 2100 तक 2+ डिग्री सेल्सियस पर ऑंकड़ा लगभग 220 से 300 गीगाटन होगा जो कनाडा अथवा पूरे यूरोपीय संघ के देशों के कुल उत्सर्जन के बराबर होगा।

#### हिममंडल का पिघलनाः

- हिममंडल के पिघलने से महासागरों में पानी की मात्रा प्रभावित होती है। जल चक्र में कोई भी परिवर्तन वैश्विक ऊर्जा/गर्मी बजट (हीट बजट) को प्रभावित करता है और इस प्रकार वैश्विक जलवायु को प्रभावित करता है।
- GHG के उत्सर्जन और पिघलते आर्कटिक से एल्बिडो में परिवर्तन से वर्ष 2100 तक ग्लोबल वार्मिंग में आर्कटिक के योगदान के दोगुने से अधिक होने का अनुमान है।

# रूस का परमाणु-संचालित आइसब्रेकर

# चर्चा में क्यों ?

हाल ही में रूस ने ध्वजारोहण समारोह में अपनी आर्कटिक शक्ति का प्रदर्शन किया और दो परमाणु-संचालित आइसब्रेकर के लिये डॉक लॉन्च किया, जो पश्चिमी आर्कटिक में साल भर नेविगेशन सुनिश्चित करेगा।

#### आइसब्रेकर का महत्त्व:

- 'महान आर्कटिक शक्ति' के रूप में रूस की स्थिति को मज़बूत करनाः
  - यह "महान आर्कटिक शक्ति" के रूप में रूस की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये घरेलू आइसब्रेकरों को नए रूप से आकार देने, सुविधाओं से लैस करने और पुनर्स्थापित करने के लिये रूस द्वारा बड़े पैमाने पर किये जाने वाले व्यवस्थित कार्य का हिस्सा है।
    - पिछले दो दशकों में रूस ने कई सोवियत काल के आर्कटिक सैन्य ठिकानों को फिर से सिक्रय किया है और अपनी क्षमताओं को उन्नत किया है।

#### आर्कटिक क्षेत्र का अध्ययन करना:

 रूस के लिये आर्कटिक का अध्ययन और विकास करना, इस क्षेत्र में सुरक्षित, स्थायी नेविगेशन सुनिश्चित करना एवं उत्तरी समुद्री मार्ग के साथ यातायात बढ़ाना आवश्यक है।

### एशिया पहुँचने में लगने वाले समय में कमी:

- इस सबसे महत्त्वपूर्ण परिवहन गिलयारे के विकास से रूस को अपनी निर्यात क्षमता को पूरी तरह से उपयोग करने और दक्षिण-पूर्व एशिया सिहत कुशल लॉजिस्टिक मार्ग स्थापित करने की अनुमित मिलेगी।
- रूस के लिये उत्तरी समुद्री मार्ग के खुलने से स्वेज नहर के माध्यम से वर्तमान मार्ग की तुलना में एशिया तक पहुँचने में दो सप्ताह तक का समय कम हो जाएगा।

# आर्कटिक क्षेत्र का महत्त्व:

#### आर्थिक महत्त्वः

- आर्कटिक क्षेत्र में कोयले, जिप्सम और हीरे के समृद्ध भंडार के साथ ही जस्ता, सीसा, सोना एवं क्वार्ट्ज के पर्याप्त भंडार मौजूद हैं। अकेले ग्रीनलैंड में ही विश्व के दुर्लभ मृदा तत्त्व भंडार का लगभग एक-चौथाई भाग मौजूद है।
- ज्यादातर तटवर्ती स्रोतों से आर्कटिक पहले से ही दुनिया को लगभग 10% तेल और 25% प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करता है। इसके पास पृथ्वी के तेल एवं प्राकृतिक गैस भंडार का 22% का वह हिस्सा होने का भी अनुमान है जिसकी अभी खोज भी नहीं की गई है।

#### भौगोलिक महत्त्वः

 आर्कटिक विश्व भर में ठंडे और गर्म जल को स्थानांतरित कर विश्व की महासागरीय धाराओं को प्रवाहित करने में मदद करता है। इसके अलावा आर्कटिक समुद्री बर्फ ग्रह के शीर्ष पर एक विशाल श्वेत परावर्तक के रूप में कार्य करता है जो सूर्य की कुछ किरणों को अंतरिक्ष में परावर्तित कर देता है, जिससे पृथ्वी को एक समान तापमान पर रखने में मदद मिलती है।

#### • सामरिक महत्त्वः

- जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक के सामरिक महत्त्व में अधिक वृद्धि हो रही है क्योंकि पिघलती बर्फ की चादर नए समुद्री मार्ग का निर्माण करती है।
- आर्कटिक और इसके आसपास के राज्य आर्कटिक के पिघलने से होने वाले लाभ अर्जित करने हेतु तैयार रहने के प्रयास में अपनी क्षमता में सुधार करने के लिये प्रतिस्पर्द्धा कर रहे हैं।
- उदाहरण के लिये उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO) इस क्षेत्र में नियमित अभ्यास करता रहा है।
- चीन, जो खुद को निकट-आर्कटिक राज्य कहता है, ने यूरोप से जुड़ने के लिये एक ध्रुवीय रेशम मार्ग की महत्त्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है।

#### • पर्यावरणीय महत्त्वः

- आर्कटिक और हिमालय हालाँकि भौगोलिक रूप से दूर हैं,
   लेकिन वे परस्पर जुड़े हुए हैं और सदृश चिंताएँ साझा करते हैं।
- आर्कटिक का पिघलना वैज्ञानिक समुदाय को हिमालय में हिमनदों के पिघलने को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर रहा है। उल्लेखनीय है कि हिमालय को प्राय: 'तीसरा ध्रुव' भी कहा जाता है और उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों के बाद यह मीठे जल का सबसे बड़ा भंडार है।

# आर्कटिक के संबंध में भारत की स्थिति:

- भारत ने वर्ष 2007 से आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किया जिसमें अब तक 13 अभियान चलाए जा चुके हैं।
- मार्च 2022 में भारत ने अपनी पहली आर्कटिक नीति का अनावरण किया जिसका शीर्षक था: 'भारत और आर्कटिक: सतत् विकास के लिये साझेदारी का निर्माण'।
  - यह नीति छह स्तंभों का निर्धारण करती है: भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान और सहयोग को मजबूत करना, जलवायु एवं पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक व मानव विकास, परिवहन तथा कनेक्टिविटी, प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, आर्किटिक क्षेत्र में राष्ट्रीय क्षमता निर्माण।
- भारत, आर्कटिक परिषद के 13 पर्यवेक्षक देशों में से एक है, यह आर्कटिक में सहयोग को बढ़ावा देने वाला प्रमुख अंतर-सरकारी मंच है।
  - आर्कटिक परिषद एक अंतर-सरकारी निकाय है जो आर्कटिक क्षेत्र के पर्यावरण संरक्षण और सतत् विकास से संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है तथा आर्कटिक देशों के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान करता है।

#### आर्कटिक:

- आर्कटिक एक ध्रुवीय क्षेत्र है जो पृथ्वी के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है।
- आर्कटिक क्षेत्र के भीतर की भूमि में मौसम के अनुसार बर्फ के अलग-अलग आवरण होते हैं।
- आर्कटिक के अंतर्गत आर्कटिक महासागर, निकटवर्ती समुद्र और अलास्का (संयुक्त राज्य अमेरिका), कनाडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड (डेनमार्क), आइसलैंड, नॉर्वे, रूस तथा स्वीडन को शामिल किया जाता है।

#### आगे की राह

- पृथ्वी का गर्म होना ध्रुवों पर अधिक देखा जा सकता है और आर्कटिक महाद्वीप के संसाधनों को प्राप्त करने की यह दौड़ और तेज होने वाली है जिसके कारण आर्कटिक क्षेत्र अगला भू-राजनीतिक हॉटस्पॉट बन सकता है, जिसमें पर्यावरण, आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य हित शामिल हैं।
- भारत की आर्कटिक नीति उचित समय पर बनाई गई है और यह भारत के नीति-निर्माताओं को एक दिशा प्रदान करेगी जिससे सभी क्षेत्रों के साथ भारत के संबंधों की रूपरेखा तैयार करने में सहायता मिलेगी।
- बढ़ते हुए पर्यावरणीय प्रभावों को ध्यान में रखते हुए कुशल बहुपक्षीय कार्यों के साथ आर्कटिक क्षेत्र में सुरक्षित और टिकाऊ संसाधन अन्वेषण तथा विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

# प्लास्टिक का जीवनचक्र

# चर्चा में क्यों?

हाल ही में "द प्लास्टिक लाइफ-साइकल" शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत अपने पॉलिमर कचरे को ठीक से एकत्रित और पुनर्चक्रित नहीं कर रहा है।

 रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि इस मुद्दे को तब तक हल नहीं किया जा सकता जब तक कि प्लास्टिक के उत्पादन से लेकर निपटान तक के पूरे जीवन चक्र को प्रदूषण के प्राथमिक कारण के रूप में चिह्नित नहीं किया जाता।

# प्लास्टिक अपशिष्ट:

#### • परिचयः

कागज, खाद्यान्नों के छिलके, पत्ते आदि जैसे कचरे के अन्य रूप जो प्रकृति में बायोडिग्रेडेबल (बैक्टीरिया या अन्य जीवित जीवों द्वारा विघटित होने में सक्षम) होते हैं, के विपरीत प्लास्टिक कचरा अपनी गैर-बायोडिग्रेडेबल प्रकृति के कारण सैकड़ों (या हजारों) वर्षों तक पर्यावरण में बना रहता है।

#### प्रमुख प्रदूषणकारी प्लास्टिक अपशिष्टः

- माइक्रोप्लास्टिक आकार में पाँच मिलीमीटर से भी कम छोटे प्लास्टिक के टुकड़े हैं।
  - माइक्रोप्लास्टिक में माइक्रोबीड्स (उनके सबसे बड़े परिमाप में एक मिलीमीटर से कम के ठोस प्लास्टिक कण) शामिल हैं जो सौंदर्य प्रसाधन और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों, औद्योगिक स्क्रबर्स, वस्त्रों में उपयोग किये जाने वाले माइक्रोफाइबर और प्लास्टिक निर्माण प्रक्रियाओं में उपयोग किये जाने वाले वर्जिन रेजिन पेल्लेट्स में उपयोग किये जाते हैं।
  - माइक्रोप्लास्टिक और सूक्ष्मतर टुकड़ों में विखंडित होते हुए ये 'प्लास्टिक माइक्रोफाइबर' का निर्माण करते हैं। ये खतरनाक रूप से नगरपालिका की पेयजल प्रणालियों में और हवा में बहते हुए पाए गए हैं।
- सिंगल-यूज प्लास्टिक एक डिस्पोजेबल सामग्री है जिसे फेंकने या पुनचक्रण करने से पहले केवल एक बार उपयोग किया जा सकता है, जैसे प्लास्टिक बैग, पानी की बोतलें, सोडा की बोतलें, स्ट्रॉ, प्लास्टिक प्लेट, कप, अधिकांश खाद्य पैकेजिंग और कॉफी स्टिरर आदि।

#### संबंधित समस्याएँ:

- प्रति व्यक्ति अधिक प्लास्टिक का जमा होनाः
  - प्रतिदिन 10,000 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा एकत्र नहीं किया जाता है।

#### असंधारणीय पैकेजिंगः

- भारत का पैकेजिंग उद्योग प्लास्टिक का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है।
- भारत में पैकेजिंग पर वर्ष 2020 के एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि असंधारणीय पैकेजिंग के कारण अगले कुछ दशकों में प्लास्टिक के मूल्य में लगभग 133 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा।
- असंधारणीय पैकेजिंग में सिंगल यूज प्लास्टिक के तहत सामान्य प्लास्टिक पैकेजिंग भी शामिल है।

### ऑनलाइन वितरणः

- ऑनलाइन खुदरा और खाद्य वितरण एप की लोकप्रियता जो हालाँकि केवल बड़े शहरों तक ही सीमित है लेकिन फिर भी यह प्लास्टिक कचरे की वृद्धि में योगदान दे रहा है।
- भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन वितरण करने वाले स्टार्टअप जैसे कि स्विगी और जोमैटो प्रत्येक कथित तौर पर एक महीने में लगभग 28 मिलियन ऑर्डरस का वितरण करते हैं।

#### खाद्य शृंखला में उलटफेर:

- प्रदूषणकारी प्लास्टिक दुनिया के सबसे छोटे जीवों जैसे कि
   प्लवक को प्रभावित कर सकता है।
- जब ये जीव इस प्लास्टिक को ग्रहण करने के कारण जहरीले बन जाते हैं, तो यह बड़े उन जानवरों के लिये समस्याएँ भी पैदा करते हैं जो भोजन के लिये इन छोटें जानवरों पर निर्भर रहते हैं।

# प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी चुनौतियाँ:

- प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन में दो अलग-अलग चरण शामिल हैं:
  - संग्रहण और पुनर्चक्रण
  - 🔶 पुनर्चक्रण का निपटान।
  - भारत में दोनों को ठीक से निष्पादित नहीं किया जाता
- अनुचित कार्यान्वयन और निगरानी:
  - प्लास्टिक कचरे के संग्रह की जिम्मेदारी स्थानीय सरकारी निकायों, उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों की है।
    - हालाँकि, भारत में प्लास्टिक कचरा ज्यादातर प्राधिकरणों के बजाय कचरा बीनने वालों द्वारा एकत्र किया जाता है।
  - भारत में स्थानीय सरकारों या अन्य गैर-लाभकारी संगठनों के सहयोग से बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा संचालित सुविधाओं में 42%- 86% प्लास्टिक अपशिष्ट का पुनर्चक्रण किया जाता है।
  - भारत सरकार का दावा है कि देश अपने 60% प्लास्टिक कचरे को पुनर्चक्रण कर रहा है। हालाँकि यह पुनर्चक्रण विशिष्ट प्रकार के पॉलिमर (प्लास्टिक) तक सीमित है।
  - केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आँकड़ों का उपयोग करके सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा किये गए एक सांख्यिकीय विश्लेषण के अनुसार, भारत अपने प्लास्टिक कचरे के 12% का पुनर्चक्रण केवल (यांत्रिक पुनर्चक्रण के माध्यम से) कर रहा है।

#### अपशिष्ट दहन:

लगभग 20% प्लास्टिक अपिशष्ट के लिये सह-भस्मीकरण, प्लास्टिक-से-ईंधन और सड़क बनाने जैसे अंतिम समाधानों हेतु अपनाया जाता है, जिसका अर्थ है कि भारत 20% प्लास्टिक अपिशष्ट जला रहा है।

# प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन हेतु भारत की पहल:

- एकल उपयोग प्लास्टिक के उन्मूलन और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर राष्ट्रीय डैशबोर्ड (National Dashboard on Elimination of Single Use Plastic and Plastic Waste Management):
  - भारत ने जून 2022 में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सिंगल यूज प्लास्टिक पर एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया।

नागरिकों को अपने क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री/ उपयोग/विनिर्माण को नियंत्रित करने और प्लास्टिक के खतरे से निपटने हेतु सशक्त बनाने के लिये 'सिंगल यूज प्लास्टिक शिकायत निवारण' के लिये एक मोबाइल एप भी लॉन्च किया गया।

#### प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2022:

- यह 1 जुलाई, 2022 से विभिन्न एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध आरोपित करता है।
- इसने 'विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व' (Extended Producer Responsibility- EPR) को भी अनिवार्य बनाया है जिसमें उत्पादों के निर्माताओं के लिये उत्पादों के जीवनकाल के अंत में इन उत्पादों को एकत्र और संसाधित करने की जवाबदेही के साथ 'सर्कुलरिटी' की अवधारणा शामिल है।

#### • 'इंडिया प्लास्टिक पैक्ट':

यह एशिया में अपनी तरह का पहला प्रयास है। इंडिया प्लास्टिक पैक्ट, सामग्री की मूल्य शृंखला के भीतर प्लास्टिक को कम करने, पुन: उपयोग करने और पुनर्चक्रण करने के लिये हितधारकों को एक साथ लाने का एक महत्त्वाकांक्षी और सहयोगी पहल है।

# • 'प्रकृति' शुभंकरः

बेहतर पर्यावरण के लिये जीवन-शैली में स्थायी रूप से अपनाए जा सकने वाले छोटे बदलावों के बारे में जनता के बीच जागरूकता के प्रसार के उद्देश्य से 'प्रकृति' शुभंकर को लॉन्च किया गया है।

#### • 'प्रोजेक्ट रिप्लान':

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा प्रोजेक्ट रिप्लान (REPLAN: REducing PLastic in Nature) लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य अधिक संवहनीय विकल्प प्रदान कर प्लास्टिक थैलियों की खपत को कम करना है।

# प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के प्रभावी समाधान:

#### • 'हॉटस्पॉट' की पहचानः

प्लास्टिक के उत्पादन, उपयोग और निपटान से संबद्ध प्लास्टिक लीकेज के प्रमुख हॉटस्पॉट की पहचान करने से सरकारों को ऐसी प्रभावी नीतियाँ विकसित करने में मदद मिल सकती है जो प्रत्यक्ष रूप से प्लास्टिक की समस्या का समाधान करें।

#### विकल्पों की अभिकल्पनाः

- इस दिशा में पहला कदम होगा प्लास्टिक की उन वस्तुओं की पहचान करना जिन्हें गैर-प्लास्टिक, पुनर्चक्रण-योग्य या जैव-निम्नीकरणीय (बायोडिग्रेडेबल) सामग्री से बदला जा सकता है। उत्पाद डिजाइनरों के सहयोग से एकल उपयोग प्लास्टिक के विकल्पों और पुन: प्रयोज्य डिजाइन वस्तुओं का निर्माण किया जाना चाहिये।
  - 'ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक' (Oxobiodegradable plastics) के उपयोग को बढ़ावा देना जो कि आम प्लास्टिक की तुलना में अल्ट्रा-वायलेट विकिरण और ऊष्मा से अधिक तीव्रता से विखंडित हो सकते हैं।

# प्रौद्योगिकियों और नवाचारों के माध्यम से पुनर्चक्रणः

अपशिष्ट, विशेष रूप से प्लास्टिक मूल्यवान और एक उपयोगी संसाधन भी सिद्ध हो सकता है। पुनर्चक्रण, विशेष रूप से प्लास्टिक पुनर्चक्रण, एक ऐसी प्रणाली स्थापित करता है जो अपशिष्ट के लिये एक मूल्य शृंखला का निर्माण करता है।

#### • प्लास्टिक प्रबंधन के लिये चक्रीय अर्थव्यवस्था:

- चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular economy) सामग्री के उपयोग को कम कर सकती है, सामग्री को कम संसाधन गहन बनाने के लिये पुन:अभिकल्पित कर सकती है और नई सामग्री एवं उत्पादों के निर्माण के लिये अपशिष्ट का संसाधन के रूप में पुन: उपयोग कर सकती है।
- चक्रीय अर्थव्यवस्था न केवल प्लास्टिक और कपड़ों की वैश्विक धाराओं पर लागू होती है, बिल्क सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भी महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

# एशिया में जलवायु स्थिति, 2021

# चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन (World Meteorological Organization- WMO) और एशिया एवं प्रशांत के लिये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक आयोग (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific- ESCAP) द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति 2021 रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी।

# रिपोर्ट के निष्कर्ष:

 वर्ष 2021 में एशिया में होने वाली प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़ और चक्रवात 80% का योगदान था।

- प्राकृतिक आपदाओं के कारण वर्ष 2021 में एशियाई देशों को 35.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तीय नुकसान हुआ। बाढ़ "मानवीय और आर्थिक क्षित के मामले में एशिया में अब तक की सबसे ज्यादा प्रभावशाली" घटना थी।।
- इससे पता चला कि ऐसी आपदाओं का आर्थिक प्रभाव पिछले
   20 वर्षों के औसत की तुलना में अधिक है।
- भारत को बाढ़ के कारण कुल 3.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ और देश को जून तथा सितंबर 2021 के बीच मानसून के मौसम में भारी वर्षा और फ्लैश फ्लड (अचानक आई बाढ़) का सामना करना पडा।
  - इन घटनाओं के परिणामस्वरूप लगभग 1,300 लोग मारे गए और इससे फसलों और संपत्तियों को नुकसान पहुँचा।
  - इस संबंध भारत एशियाई महाद्वीप में चीन के बाद दूसरे स्थान पर था।
- इसी तरह चक्रवातों से भी काफी आर्थिक क्षित हुई जिसमें सबसे ज्यादा क्षित भारत (4.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर) को हुई और इसके बाद चीन (3 बिलियन अमेरिकी डॉलर) और जापान (2 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का स्थान है।
- इसके अतिरिक्त, 2021 में, देश के विभिन्न हिस्सों में आँधी और आकाशीय बिजली से लगभग 800 लोगों की जान चली गई।।
  - चर्ष 2021 के दौरान भारत में ≥ 34 समुद्री मील की अधिकतम वायु की गति वाले पाँच चक्रवावों (ताउते, यास, गुलाब, शाहीन, जवाद) ने भारत को प्रभावित किया।
    - इसके अतिरिक्त वर्ष 2021 में देश के विभिन्न हिस्सों में आँधी और आकाशीय बिजली से लगभग 800 लोगों की जान गई थी।

# अरब सागर और क्यूरोशियो धारा का तेज़ी से गर्म होना:

- अरब सागर और क्यूरोशियो धारा के तेज़ी से गर्म होने के कारण,
   ये क्षेत्र औसत वैश्विक समुद्री सतही तापमान की तुलना में तीन गुना तेज़ी से गर्म हो रहे हैं।
  - महासागर के गर्म होने से समुद्र का जल स्तर बढ़ सकता है चक्रवात की दिशा और महासागर की धाराओं का पैटर्न बदल सकता है।
  - महासागर की ऊपरी सतह का गर्म होना महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह संवहन धाराओं, वायु, चक्रवातों आदि के रूप में वातावरण को प्रत्यक्ष रुप से प्रभावित करता है।
  - महासागर का नितल, वातावरण को प्रत्यक्ष रुप स प्रभावित नहीं करता है।
- अरब सागर इस संदर्भ में अद्वितीय है क्योंिक यह वायुमंडलीय
   टनल और ब्रिज के माध्यम से अतिरिक्त ऊष्मा को ग्रहण करने

- का माध्यम है और विभिन्न महासागरों से मिश्रित गर्म जल भी इसमें आकर मिलता है।
- लेकिन क्यूरोशियो धारा प्रणाली में उष्णकिटबंधीय जलसतह से गर्म जल ग्रहण करती है और इससे इसका तापमान बढ़ जाता है।

#### • ला नीनाः

- पिछले दो वर्ष ला नीना से प्रभावित थे और इस दौरान भारत में स्थापित दबाव पैटर्न उत्तर से दक्षिण की ओर शिफ्ट हो जाता है, जो यूरेशिया और चीन से परिसंचरण को संचालित करता है।
- यह भारत के कुछ हिस्सों में अत्यधिक वर्षा पैटर्न का कारण बन सकता है, विशेष रूप से दक्षिणी प्रायद्वीप में, जहाँ पूर्वोत्तर मानसून आता है। पिछले वर्ष की अधिकता ला नीना दबाव पैटर्न से संबंधित थी।

### • अनुकूलन में निवेश:

- जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने के लिये भारत को वार्षिक
   46.3 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश करने की आवश्यकता होगी (जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 1.7% है)।
  - आम तौर पर GDP की तुलना अनुकूलन में निवेश करने के लिये किसी देश की क्षमता को दर्शाती है।
- कुछ अनुकूलन प्राथिमकताएँ जिनके लिये उच्च निवेश की आवश्यकता होती है, उनमें लचीला बुनियादी ढाँचा, शुष्क भूमि कृषि में सुधार, लचीली जल बुनियादी ढाँचा, बहु-जोखिम प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और प्रकृति-आधारित समाधान शामिल हैं।
- भारत के तटीय राज्यों के लिये, जहाँ चक्रवात के बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है, प्रकृति-आधारित समाधान महत्त्वपूर्ण हैं जैसे मैंग्रोव की रक्षा से चक्रवातों के प्रभाव को कम करने में मदद मिल सकती है।

# अनुकूलन निधिः

- भारत के पास अलग से अनुकूलन निधि नहीं है, लेकिन यह वित्त कृषि, ग्रामीण और पर्यावरण क्षेत्रों की कई योजनाओं में अंतर्निहित है।
- उदाहरण के लिये, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जैसी प्रमुख परियोजनाओं, जिनका वर्ष 2020 में 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक बजट था, को आपदा-प्रवण क्षेत्रों में अनुकूलन को संबोधित करना चाहिये।
  - इसके बजट का लगभग 70% प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
     में जाने और लचीले बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिये
     चिह्नित किया गया है।

# CCUS पॉलिसी फ्रेमवर्क

# चर्चा में क्यों?

नीति आयोग ने "कार्बन संकलन, उपयोग और भंडारण (CARBON CAPTURE, UTILISATION, AND STORAGE- CCUS) नीति के ढाँचे और भारत में इसके लागू करने की व्यवस्था" शीर्षक से एक अध्ययन रिपोर्ट जारी किया।

 इस रिपोर्ट में चुनौतीपूर्ण उद्योगों को कार्बनरिहत बनाने के माध्यम से उत्सर्जन को कम करने के तरीके के रूप में कार्बन संकलन, उपयोग और भंडारण के महत्त्व के बारे में पता लगाया गया है।

# रिपोर्ट के मुख्य बिंदुः

- परिचयः
  - CCUS संकलित किये गए CO2 को विभिन्न मूल्य वर्धित उत्पादों जैसे कि ग्रीन यूरिया, खाद्य और निर्माण सामग्री, रसायन (मेथनॉल और इथेनॉल), पॉलीमर (जैव-प्लास्टिक सहित) और एनहांस्ड ऑयल रिकवरी में परिवर्तित करने के अवसरों की एक विस्तृत विविधता प्रदान कर सकता है, इस प्रकार यह भारत में व्यापक बाजार के अवसरों के साथ काफी योगदान देता है।
  - CCUS परियोजनाओं से महत्त्वपूर्ण रोजगार सृजन भी होगा। यह अनुमान है कि वर्ष 2050 तक लगभग 750 प्रतिवर्ष मिलियन टन कार्बन संकलन चरणबद्ध तरीके से पूर्णकालिक समतुल्य (full time equivalent - FTE) आधार पर लगभग 8-10 मिलियन रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है।

#### • सुझाव:

- इसके आवेदन के लिये विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक स्तर के नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
- जैसा कि भारत ने अपने NDC लक्ष्यों को अद्यतन करते हुए गैर-जीवाश्म-आधारित ऊर्जा स्रोतों से अपनी कुल स्थापित क्षमता का 50% प्राप्त करने तथा वर्ष 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी और 2070 तक शुद्ध शून्य प्राप्त करने की दिशा में कदम उठाया है, इससे CCUS की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कठिन क्षेत्रों से डीकार्बोनाइजेशन में कटौती करने के लिये रणनीति बनाना जरूरी है।
- जीवाश्म आधारित ऊर्जा संसाधनों पर भारत की निर्भरता भविष्य
  में जारी रहने की संभावना है, इसलिये भारतीय संदर्भ में
  CCUS नीति की आवश्यकता है।


# कार्बन संकलन, उपयोग और भंडारण:

 कार्बन संकलन, उपयोग और भंडारण (CCUS) में फ्लू गैस (चिमनियों या पाइप से निकलने वाली गैसें) और वातावरण से CO2 को हटाने के तरीकों एवं प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया है। इसके बाद CO2 को उपयोग करने के लिये उसका पुनर्चक्रण तथा सुरक्षित और स्थायी भंडारण विकल्पों का निर्धारण किया जाता है।

- CO2 को CCUS का उपयोग करके ईंधन (मीथेन और मेथनॉल) निर्माण संबंधित सामग्री में परिवर्तित किया जाता है।
  - संचय की गई गैस का उपयोग सीधे आग बुझाने वाले यंत्रों,
     फार्मा, खाद्य और पेय उद्योगों के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में भी किया जाता है।
- CCUS प्रौद्योगिकियाँ नेट जीरो लक्ष्यों को पूरा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, जिसमें भारी उद्योगो से उत्सर्जित कार्बन से निपटने और वातावरण से कार्बन को हटाने से संबंधित कुछ समाधान शामिल हैं।
- CCUS को वर्ष 2030 तक देशों को अपने उत्सर्जन को आधा करने तथा वर्ष 2050 तक नेट जीरो के लक्ष्य तक पहुँचने में मदद करने हेतु एक महत्त्वपूर्ण उपकरण माना जाता है।
  - यह ग्लोबल वार्मिंग को 2°C (डिग्री सेल्सियस) तक सीमित रखने के लिये पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने हेतु महत्त्वपूर्ण है, साथ ही पूर्व-औद्योगिक स्तरों पर5 डिग्री सेल्सियस के लिये बेहतर भूमिका निभा सकती है।

# CCUS के अनुप्रयोगः

- जलवायु परिवर्तन को कम करनाः CO2 उत्सर्जन की दर को कम करने के लिये वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा कुशल प्रणालियों को अपनाने के बावजूद जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभावों को सीमित करने के लिये वातावरण में CO2 की संचयी मात्रा को कम करने की आवश्यकता है।
- कृषि: ग्रीनहाउस वातावरण में फसल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये पौधों और मिट्टी जैसे बायोजेनिक स्रोतों से CO2 का संचय किया जा सकता है।
- औद्योगिक उपयोगः पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुकूल निर्माण सामग्री के लिये स्टील निर्माण प्रक्रिया का एक औद्योगिक उपोत्पाद (स्टील स्लैग के साथ CO2 का संयोजन)।
  - बढ़ी हुई तेल रिकवरी: CCU प्रौद्योगिकी का उपयोग पहले से ही भारत में किया जा रहा है। उदाहरण के लिये ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने CO2 को इंजेक्ट करके एन्हांस्ड ऑयल रिकवरी (EOR) हेतु इंडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड (IOCL) के साथ एक समझौता जापन पर हस्ताक्षर किये हैं।



# CCUS से जुड़ी चुनौतियाँ:

- महँगाः कार्बन कैप्चर में सॉर्बेंट्स का विकास शामिल है जो प्रभावी रूप से ग्रिप गैस या वातावरण में मौजूद CO2 के संयोजन से हो सकता है, यह अपेक्षाकृत महँगी प्रक्रिया है।
- पुनर्नवीनीकृत CO2 की कम मांगः CO2 को व्यावसायिक महत्त्व के उपयोगी रसायनों में परिवर्तित करना या CO2 का उपयोग तेल निष्कर्षण या क्षारीय औद्योगिक कचरे के उपचार के लिये करना, इस ग्रीनहाउस गैस के मुल्य में वृद्धि कर देगा।
  - CO2 की विशाल मात्रा की तुलना में मांग सीमित है, इसे वातावरण से हटाने की आवश्यकता है, ताकि जलवायु परिवर्तन के हानिकारक पर्यावरणीय प्रभावों को कम किया जा सके।

# आगे की राह

- कार्बन के भंडारण के लिये कोई भी व्यवहार्य प्रणाली प्रभावी एवं लागत प्रतिस्पर्द्धी, दीर्घकालिक भंडारण के रूप में स्थिर एवं पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिये।
- देशों को उन चुनिंदा तकनीकों पर जोर देना चाहिये, जो अधिक निवेश आकर्षित कर सकती हैं।
- कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन के माध्यम से उत्पादित मेथनॉल जैसे सिंथेटिक ईंधन के साथ पारंपिरक ईंधन को प्रतिस्थापित करना केवल तभी एक सफल शमन रणनीति होगी, जब CO2 को कैप्चर करने और इसे सिंथेटिक ईंधन में बदलने के लिये स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा।

# ग्रीन फंड जुटाना

हाल ही में शर्म अल-शेख (मिस्र) में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (United Nations Framework Convention on Climate Change Conference-UNFCCC) के COP27 में, देशों ने सहमति व्यक्त की कि जलवायु कार्रवाई के लिये संसाधनों को महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के पूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता है।

 वर्तमान में जलवायु कार्रवाई के लिये लगाया जा रहा धन अनुमानित आवश्यकताओं का मुश्किल से 1% -10% है।

# जलवायु वित्त

- जलवायु वित्त से तात्पर्य स्थानीय, राष्ट्रीय, या अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण से है जो सार्वजनिक, निजी और वैकल्पिक स्रोतों से संगृहित किया गया हो साथ ही जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने वाले एवं अनुकुलन संबंधी कार्यों का समर्थन करता है।
- UNFCCC, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते के अंतर्गत अधिक वित्तीय संसाधनों वाले (विकसित देशों) से कमजोर देशों (विकासशील देश) को वित्तीय सहायता प्रदान करने का आह्वान किया।
- यह "सामान्य परंतु विभेदित उत्तरदायित्त्वों और संबंधित क्षमताओं"
   (Common but Differentiated Responsibility and Respective Capabilities
   (CBDR) के सिद्धांत के अनुसार है।
  - CBDR, UNFCCC में निहित एक सिद्धांत है जो जलवायु परिवर्तन से निपटने में अलग-अलग देशों की भिन्न-भिन्न क्षमताओं और अलग-अलग जिम्मेदारियों को स्वीकार करता है। CBDR का सिद्धांत वर्ष 1992 में रियो डी जनेरियो, ब्राजील में आयोजित अर्थ समिट में निहित है।

### जलवायु कार्रवाई हेतु आवश्यक वित्तः

- कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था की ओर वैश्विक परिवर्तन के लिये वर्ष 2050 तक प्रत्येक वर्ष लगभग 4-6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी।
- यदि शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्यों को हासिल करना है तो वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सालाना लगभग 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की आवश्यकता होगी।
- वर्ष 2022-2030 के बीच विकासशील देशों की संचयी आवश्यकता,
   उनकी जलवायु कार्य योजनाओं को लागू करने के लिये लगभग 6
   ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर थी।
  - इसका मतलब है कि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product- GDP) के कम से कम 5% को प्रत्येक वर्ष जलवायु कार्रवाई में निर्देशित करने की आवश्यकता होगी।
  - कुछ साल पहले अनुमानित आवश्यकताएँ वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 1 और 1.5% के बीच थीं।
- विकसित देशों ने प्रतिवर्ष 100 अरब डॉलर जुटाने का वादा किया है
   जो व्यावहारिक रूप से अभी तक के धन का प्रतिनिधित्त्व करता है।
  - यहाँ तक कि यह 100 अरब अमेरिकी डॉलर भी अभी तक पूरी तरह से वसूल नहीं हुआ है।
  - विकसित देशों का कहना है कि वे वर्ष 2023 तक इस लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे। फिलहाल प्रतिवर्ष करीब 50-80 अरब डॉलर का निवेश हो रहा है।

# जलवायु निधि जुटाने में चुनौतियाँ:

- यहाँ तक कि यदि विकसित देश अपने योगदान में वृद्धि करते हैं तो इसके परिणामस्वरूप समग्र राशि में मामूली वृद्धि ही होगी।
  - अधिक महत्त्वपूर्ण उछाल व्यवसायों और निगमों द्वारा हिरत परियोजनाओं में धन निवेश से आएग
- जलवायु वित्त में अब तक निजी निवेश सार्वजनिक वित्त से कम रहा है।
  - वर्तमान वित्तीय प्रवाह का मुश्किल से 30% निजी स्रोतों से आ रहा है।
- वैश्विक वित्तीय प्रणाली के मौजूदा नियम और विनियम बड़ी संख्या में देशों के लिये अंतर्राष्ट्रीय वित्त तक पहुँच को बेहद किठन बना देते हैं, विशेष रूप से राजनीतिक अस्थिरता या कमजोर संस्थागत और शासन संरचनाओं वाले देशों के लिये।
- जलवायु वित्त द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय चक्रव्यूह प्रणाली के माध्यम से प्रवाहित होता है।
  - यह अनुदान, रियायती ऋण, इक्विटी, कार्बन क्रेडिट इत्यादि के रूप में है।
  - इस बात पर मतभेद हैं कि क्या कोई विशेष राशि वास्तव में जलवायु से संबंधित है। वर्तमान में जुटाए जा रहे जलवायु वित्त की मात्रा के व्यापक रूप से अलग-अलग आकलन हैं।

# कर ( Tax ) जलवायु कोष के लिये एक स्रोत:

- जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिये अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों का बड़ा हिस्सा करों के रूप में आम नागरिक की जेब से आएगा।
- पेट्रोल और डीजल तथा अन्य जीवाश्म ईंधन के उपयोग पर कर लगाया जा सकता है।
- भारत में कई वर्षों से कोयले के उत्पादन पर पहले से ही कर लगाया जा रहा है और यह सरकार के लिये मूल्यवान संसाधन रहा है जिसने इसका उपयोग मुख्य रूप से स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में निवेश के लिये किया है।
  - इस धनराशि का उपयोग स्वच्छ गंगा मिशन और कोविड-19 महामारी के दौरान भी किया गया है।
- कार्बन टैक्स के नए रूपों को व्यवसायों पर भी लगाए जाने की संभावना है।
  - 🔷 कई मामलों में ये देश के आम आदमी तक पहुँच जाएंगे।

# जलवायु वित्त के लिये भारत की पहल:

- जलवायु परिवर्तन के लिये राष्ट्रीय अनुकूलन निधि (NAFCC):
  - NAFCC की स्थापना 2015 में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिये जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन की

लागत को पूरा करने के लिये की गई थी जो विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के लिये संवेदनशील हैं।

#### 🕨 राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष:

- फंड स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये बनाया गया था और उद्योगों द्वारा कोयले के उपयोग पर प्रारंभिक कार्बन कर के माध्यम से वित्त पोषित किया गया था।
- यह एक अंतर-मंत्रालयी समूह द्वारा शासित होता है जिसके अध्यक्ष वित्त सचिव होते हैं।
- इसका अधिदेश जीवाश्म और गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षेत्रों
   में स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास को निधि
   देना है।

# • राष्ट्रीय अनुकूलन निधिः

- इस कोष की स्थापना 2014 में 100 करोड़ रुपये के कोष के साथ की गई थी, जिसका उद्देश्य आवश्यकता और उपलब्ध धन के बीच के अंतर को पाटना था।
- यह फंड पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) के तहत है।

#### आगे की राहः

- इसके अलावा, नए वित्त जुटाने के लिये एक राजनीतिक प्रतिबद्धता बनाए रखने की आवश्यकता है,
  - यह सुनिश्चित करना कि प्रदान किया गया वित्त इस उत्सर्जन
     और भेद्यता को कम करने के लिये पर्याप्त है।
  - हाल के अनुभवों से सीखना और सुधार करना, खासकर ये
     देखना की ग्रीन क्लाइमेट फंड कैसे काम करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान हरित परियोजनाओं में निवेश के लिये सही वातावरण बनाने के लिये राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर काम करने वाली सरकारों, केंद्रीय बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों और अन्य वित्तीय खिलाड़ियों के साथ जुड़ सकते हैं।
- जलवायु के अनुकूल निवेश को प्रोत्साहित करना और खराब निवेश को हतोत्साहित करना, यहाँ तक कि दंडित करने का भी अभ्यास किया जाना चाहिये।
- फंडिंग परिवर्तन में प्रथाओं का सरलीकरण, निवेश के लिये जोखिमों का आकलन करने के तरीके में बदलाव और क्रेडिट रेटिंग को भी शामिल करता है।

# भूगोल

# दुर्लभ मृदा धातु

#### चर्चा में क्यों?

भारत की चीन पर आयात संबंधी बढ़ती निर्भरता के चलते भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने सरकार से इस क्षेत्र में निजी खनन को प्रोत्साहित करने और आपूर्ति स्रोतों में विविधता लाने का आग्रह किया है।

- भारत के पास दुनिया के दुर्लभ खिनज़ भंडार का 6% है, यद्यपि यह
   वैश्विक उत्पादन का केवल 1% उत्पादन करता है, और चीन से
   ऐसे खिनजों की अपनी अधिकांश आवश्यकताओं को पूरा करता है।
- उदाहरण के लिये, 2018-19 में, भारत ने दुर्लभ मृदा धातु आयात का 92% और मात्रा के आधार पर 97% चीन से प्राप्त किया गया
   था।

# CII के सुझावः

- CII ने सुझाव दिया िक 'इंडिया रेयर अर्थ्स िमशन' को डीप ओशन िमशन के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में इंडिया सेमीकंडक्टर िमशन की तरह पेशेवरों द्वारा संचालित किया जाना चाहिए।
- उद्योग समूह ने चीन की 'मेड इन चाइना 2025' पहल का हवाला देते हुए दुर्लभ पृथ्वी खनिजों को 'मेक इन इंडिया' अभियान का हिस्सा बनाने का भी विचार रखा है, जो नई सामग्रियों पर केंद्रित है, जिसमें स्थायी मैग्नेट शामिल हैं जो दुर्लभ मृदा खनिजों का उपयोग करके बनाए जाते हैं।

# दुर्लभ मृदा धातुः

- यह 17 धातु तत्वों का एक समूह हैं। इनमें स्कैंडियम और यट्रियम के अलावा आवर्त सारणी में 15 लैंथेनाइड्स शामिल हैं जो लैंथेनाइड्स के समान भौतिक और रासायनिक गुणयुक्त हैं
- 17 दुर्लभ मृदा धातुओं में सीरियम (Ce), डिस्प्रोसियम (Dy), एर्बियम (Er), यूरोपियम (Eu), गैडोलिनियम (Gd), होल्मियम (Ho), लैंथेनम (La), ल्यूटेटियम (Lu), नियोडाइमियम (Yb) और इट्रियम (Y) शामिल हैं।
- इन खिनजों में अद्वितीय चुंबकीय, संदीप्ति व विद्युत रासायिनक गुण विद्यमान होते हैं और इस प्रकार उपभोक्ता द्वारा इनका इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एवं नेटवर्क, संचार, स्वास्थ्य देखभाल, राष्ट्रीय रक्षा आदि सिहत कई आधुनिक तकनीकों में उपयोग किया जाता है।
- यहाँ तक कि भविष्य की प्रौद्योगिकियों में भी REE की बहुत आवश्यकता होती है।

- उदाहरण के लिये उच्च तापमान सुपरकंडिक्टिविटी, हाइड्रोकार्बन अर्थव्यवस्था हेतु हाइड्रोजन का सुरक्षित भंडारण और पिरवहन, पर्यावरण ग्लोबल वार्मिंग एवं ऊर्जा दक्षता से संबंधित मुद्दों आदि में।
- इन्हें 'दुर्लभ मृदा' (Rare Earth) कहा जाता है क्योंकि पहले इन्हें इनके ऑक्साइड रूपों से निकालना तकनीकी रूप से मुश्किल था।
- यह कई खिनजों में विद्यमान होते हैं लेकिन आमतौर पर कम सांद्रता
   में इन्हें किफायती तरीके से परिष्कृत किया जाता है।

### चीन का एकाधिकारः

- चीन ने समय के साथ दुर्लभ मृदा धातुओं पर वैश्विक प्रभुत्व हासिल कर लिया है, यहाँ तक कि एक बिंदु पर इसने दुनिया की 90% दुर्लभ मृदा धातुओं का उत्पादन किया था।
- वर्तमान में हालाँकि यह 60% तक कम हो गया है और शेष मात्रा का उत्पादन अन्य देशों द्वारा किया जाता है, जिसमें क्वाड (ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका) देश शामिल हैं।
- वर्ष 2010 के बाद जब चीन ने जापान, अमेरिका और यूरोप की रेयर अर्थ्स शिपमेंट पर रोक लगा दी तो एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका में छोटी इकाइयों के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया एवं अमेरिका में उत्पादन इकाइयाँ शुरू की गई।
- फिर भी संसाधित दुर्लभ मृदा धातुओं का प्रमुख हिस्सा चीन के पास है।

# दुर्लभ मृदा धातुओं के लिये भारत की वर्तमान नीति:

- भारत में अन्वेषण का कार्य खान ब्यूरो और परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा किया जाता है। खनन और प्रसंस्करण बीते समय में कुछ छोटी निजी कम्पनियों द्वारा किया गया है, लेकिन वर्तमान में यह इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड (Indian Rare Earths Limited-IREL) के अंतर्गत है।
- भारत ने IREL जैसे सरकारी निगमों को प्राथमिक खनिजों पर एकाधिकार प्रदान किया है जिसमें शामिल REE हैं: तटीय राज्यों में पाए जाने वाले मोनाजाइट।
- इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड (IREL) दुर्लभ मृदा ऑक्साइड (कम लागत, कम-प्रतिफल वाली अपस्ट्रीम प्रक्रियाएँ) का उत्पादन करती है, इन्हें उन विदेशी फर्मों को बेचती है, जो धातुओं को निकालते हैं और अंतिम उत्पादों (उच्च लागत, उच्च-प्रतिफल वाली डाउनस्ट्रीम प्रक्रियाएँ) का निर्माण करते हैं।

 IREL का फोकस मोनाजाइट से निकाले गए थोरियम को परमाणु ऊर्जा विभाग को उपलब्ध कराना है।

#### संबंधित पहलः


- वैश्विक स्तर पर:
  - बहुपक्षीय खनिज सुरक्षा साझेदारी (Multilateral Minerals Security Partnership- MSP) की घोषणा जून 2022 में की गई थी, जिसका लक्ष्य जलवायु उद्देश्यों के लिये आवश्यक महत्त्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति शृंखलाओं का निर्माण करने हेतु देशों को एक साथ लाना था।
  - इस साझेदारी में संयुक्त राज्य अमेरिका (United States),
     कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया गणराज्य, जापान और विभिन्न यरोपीय देश शामिल हैं।
    - भारत साझेदारी में शामिल नहीं है।
- भारत द्वाराः
  - खान मंत्रालय ने खान और खिनज (विकास और विनियमन) (Mines and Minerals ,Development and Regulation- MDMR) अधिनियम, 1957 में खान और खिनज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 के माध्यम से खिनज उत्पादन को बढ़ावा देने, देश में व्यापार करने में आसानी में सुधार लाने और सकल


- घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product-GDP) में खनिज उत्पादन का योगदान बढाने के लिये संशोधन किया है।
- संशोधन अधिनियम में प्रावधान है कि किसी भी खदान को विशेष उपयोग के लिये आरक्षित नहीं किया जाएगा।


#### आगे की राह

- भारत को अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से सबक लेना चाहिये कि वे अपनी खिनज जरूरतों को कैसे सुरक्षित करने की योजना बना रहे हैं और महत्त्वपूर्ण खिनज आपूर्ति शृंखलाओं को सुनिश्चित करने के लिये बहुराष्ट्रीय कंपनियों में शामिल होने का प्रयास कर रहे हैं या इस तरह के संवादों को बढ़ावा देने के लिये क्वाड और बिम्सटेक जैसी मौजूदा साझेदारी का उपयोग कर रहे हैं।
  - हिरत प्रौद्योगिकियों के निर्माण की लंबवत एकीकृत आपूर्ति शृंखला कैसे बनाई जाए, इस पर रणनीति बनाने के लिये सरकार शीर्ष-स्तरीय निर्णय लेने की भी आवश्यकता है अन्यथा हम अपने जलवायु परिवर्तन शमन लक्ष्यों से चूक सकते हैं।
- भारत को एक नया दुर्लभ मृदा विभाग (DRE) बनाने की जरूरत है जो इस क्षेत्र में व्यवसायों के लिये एक नियामक और सहायक की भूमिका निभाए।

# अल नीनो-दक्षिणी दोलन (ENSO)









# कदन (Millets)

# कदन्न (MILLETS)

- छोटे-बीज वाली फसलों को मिलेट्स के रूप में जाना जाता है
- अक्सर इन्हें 'सुपरफूड' के रूप में भी जाना जाता है
- इन अनाओं के प्रमाण सबसे पहले सिंधु सभ्यता में पाए गए और ये भोजन के लिये उगाए गए पहले पौधों में से थे।

#### जलवायु संबंधी स्थितिः

- भारत में मुख्य रूप से खरीफ की फसल
- तापमानः 27°C-32°C
- वर्षाः लगभग 50-100 सेमी
- मिट्टी का प्रकारः अवर जलोढ़ या दोमट मिट्टी

- विश्व का सबसे बड़ा कदन उत्पादक:
  - वैश्विक उत्पादन का 20%, एशिया के उत्पादन का 80%
- सामान्य कदनः
  - ▶ रागी (Finger millet), ज्वार (Sorghum), समा (Little millet), बाजरा (Pearl millet), और चेना /पुनर्वा (Proso millet)
  - स्वदेशी किस्में (छोटे बाजरा)-कोदो, कुटकी, चेना और साँवा
- शीर्ष कदन्न उत्पादक राज्यः
  - राजस्थान > कर्नाटक > महाराष्ट्र > मध्य प्रदेश > उत्तर प्रदेश
- सरकार की पहलें:
  - ▶ 'गहन कदन्न संवर्द्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल' (INSIMP)
  - इंडियाज वेल्थ, मिलेट्स फॉर हेल्थ
  - मिलेट्स स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज
  - कदन के लिये एमएसपी में वृद्धि
  - ▶ कृषि मंत्रालय ने 2018 में कदन्न को "पोषक अनाज" के रूप में घोषित किया





अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष वर्ष 2023

भारत द्वारा प्रस्तावित, UNGA द्वारा घोषित

#### MILLET MAP OF INDIA



- कम महंगा, पोषण की दृष्टि से बेहतर
- उच्च प्रोटीन, फाइबर, खनिज, लोहा, कैल्शियम और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स जीवनशैली की समस्याओं और स्वास्थ्य (मोटापा, मधुमेह आदि) से निपटने
- फोटो-असंवेदनशील, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीला, जल गहन



# सामाजिक ह्याय

# विश्व की आबादी 8 अरब

#### चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNPFA) के अनुसार, विश्व भर में मानव आबादी 8 अरब तक पहुँच गई है।

 वर्ष 2022 के आँकड़ों के अनुसार दुनिया की आधी से अधिक आबादी एशिया में रहती है, चीन और भारत 1.4 बिलियन से अधिक लोगों के साथ दो सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं।

#### A REMARKABLE MILESTONE 8,000,000,0 **UNGrowth Estimates** bn dreams bn possibilities" the UNPF tweeted as it by 2037 by 2058 announced the global population has hit 8 billion. 3.0% 14 Growth Rate (%) 2.5% 12 2.0% 10 1.5% 8 6 1.0% 0.5% 4 Number of Persons 0.0% 2 (in billion) -0.5%

# गरीब देशों में उच्च प्रजनन स्तरः उच्चतम प्रजनन स्तर वाले देश प्र

- उच्चतम प्रजनन स्तर वाले देश प्रति व्यक्ति सबसे कम आय वाले होते हैं।
- वर्ष 2050 तक वैश्विक जनसंख्या में अनुमानित वृद्धि के आधे
   से अधिक की वृद्धि इन आठ देशों में केंद्रित होगी:
- कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मिस्र, इथियोपिया, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और संयुक्त गणराज्य तंजानिया।
  - उप-सहारा अफ्रीका के देशों द्वारा वर्ष 2050 तक प्रत्याशित वृद्धि में आधे से अधिक का योगदान किया जाने की संभावना है।

#### • अंतर्राष्ट्रीय प्रवासनः

- अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन कई देशों में अब विकास का चालक है, इसे हम वर्ष 2020 में 281 मिलियन लोगों के अपने जन्म के देश के बाहर रहने के रूप में देख सकते हैं।
- भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका सिंहत सभी दिक्षण एशियाई देशों में हाल के वर्षों में उच्च स्तर का उत्प्रवास देखा गया है।

# जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तिः

- समग्र जनसंख्या वृद्धि दर में कमी:
  - संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, वैश्विक जनसंख्या को 7 अरब से 8
     अरब तक बढ़ने में 12 साल लगे और वर्ष 2037 तक 9 अरब तक पहुँचने में इसे लगभग 15 साल लगेंगे।
    - यह इंगित करता है कि वैश्विक जनसंख्या की समग्र विकास दर धीमी हो रही है।
  - संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक जनसंख्या वर्ष 1950 के बाद से अपनी सबसे धीमी दर से बढ़ रही है, जो वर्ष 2020 में 1 प्रतिशत से कम रही है।
    - विश्व की जनसंख्या वर्ष 2030 में लगभग 8.5 बिलियन और वर्ष 2050 में 9.7 बिलियन तक पहुँच सकती है।

# भारत की जनसंख्या के संदर्भ में:

- स्थिर होती जनसंख्या वृद्धिः
  - संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, भारत की प्रजनन दर प्रित महिला 2.1 जन्मों तक पहुँच गई है, अर्थात् प्रितस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता में और भी गिरावट आ सकती है।
  - भारत की जनसंख्या वृद्धि स्थिर होने के बावजूद अभी भी 0.7% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है और वर्ष 2023 में इसकी आबादी दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश चीन से अधिक होने की संभावना है।
    - संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, चीन की जनसंख्या अब बढ़ नहीं
       रही है और वर्ष 2023 की शुरुआत से इसमें कमी आनी
       शुरू हो सकती है।

# इसके वर्ष 2080 तक लगभग 10.4 बिलियन के साथ उच्च स्तर तक पहुँचने और वर्ष 2100 तक उसी स्तर पर बने रहने का अनुमान है।

- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, वैश्विक आबादी के 60% ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है।
  - वर्ष 1990 में 40% ऐसे क्षेत्रों में रहते थे जहाँ प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे थी।

- विश्व जनसंख्या संभावना 2022 ने चीन की 1.426 बिलियन जनसंख्या की तुलना में वर्ष 2022 में भारत की जनसंख्या 1.412 बिलियन होने का अनुमान लगाया है।
  - वर्ष 2048 तक भारत की आबादी चरम स्थिति के साथ
     1.7 बिलियन तक पहुँचने की संभावना है और फिर सदी के अंत तक गिरावट के साथ इसके 1.1 बिलियन तक पहुँचने की संभावना है।
- दुनिया में किशोरों की सबसे अधिक आबादी:
  - UNFPA के अनुसार, वर्ष 2022 में भारत की 68% आबादी
     15-64 वर्ष के बीच है, जबिक 65 वर्ष और उससे अधिक आयु
     के लोगों की आबादी 7% है।
    - 💶 देश में 27% से अधिक लोग 15-29 वर्ष की आयु के हैं।
    - 253 मिलियन के साथ भारत में दुनिया की सबसे बड़ी किशोर आबादी (10-19 वर्ष) है।
    - भारत में वर्तमान में किशोरों और युवाओं की संख्या सर्वाधिक है।
    - भारत की जनसंख्या, वर्तमान समय में "यूथ बल्ज (किसी देश की युवा, परंपरागत रूप से 16-25 या 16-30 आयु की जनसंख्या और अनुपात में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि) देखी जा रही है, वर्ष 2025 तक यह ऐसी ही बनी रहेगी और वर्ष 2030 तक भारत के सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या वाला देश बने रहने की संभावना है।

# 'संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष':

#### • परिचय:

- यह संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सहायक अंग है जो इसके यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में काम करता है।
- UNFPA का जनादेश संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (Economic and Social Council-ECOSOC) द्वारा स्थापित किया गया है।

#### • स्थापनाः

- इसे वर्ष 1967 में ट्रस्ट फंड के रूप में स्थापित किया गया था और इसका पिरचालन वर्ष 1969 में शुरू हुआ।
- इसे वर्ष 1987 में आधिकारिक तौर पर 'संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष' नाम दिया गया, लेकिन इसका संक्षिप्त नाम UNFPA (जनसंख्या गितविधियों के लिये संयुक्त राष्ट्र कोष) को भी बरकरार रखा गया।

#### उद्देश्यः

 UNFPA प्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य संबंधी सतत् विकास लक्ष्य-3, शिक्षा संबंधी लक्ष्य-4 और लिंग समानता संबंधी लक्ष्य-5 के संबंध में कार्य करता है।

#### वित्तपोषण:

UNFPA संयुक्त राष्ट्र के बजट द्वारा समर्थित नहीं है, इसके बजाय यह पूरी तरह से दाता सरकारों, अंतर-सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र तथा आम लोगों के स्वैच्छिक योगदान द्वारा समर्थित है।

#### आगे की राह

- अनुकूल आयु वितरण के संभावित लाभों को अधिकतम करने के लिये, देशों को सभी उम्र में स्वास्थ्य देखभाल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करके तथा उत्पादक रोजगार एवं सभ्य काम के अवसरों को बढ़ावा देकर अपनी मानव पूंजी के आगे के विकास में निवेश करने की आवश्यकता है।
- भारत जनसांख्यिकीय संक्रमण के चरण में है जहाँ मृत्यु दर घट रही है और अगले दो से तीन दशकों में प्रजनन दर में गिरावट आएगी। भारत अब गर्भिनरोधक की ज़रूरत को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।
  - महिलाएँ कब, कितने और किस अंतराल पर बच्चे पैदा करना चाहती हैं यह तय कर सकती हैं।
- युवा और किशोर आबादी के लिये कौशल की आवश्यकता है, जो यह सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है कि वे अधिक उत्पादन के साथ बेहतर आय प्राप्त कर सकें।

# सुगम्य भारत अभियान

# चर्चा में क्यों?

सुगम्य भारत अभियान ( Accessible Indian Campaign-AIC) दिसंबर 2022 में 7 साल पूरे करने जा रहा है।

 अभियान का उद्देश्य पूरे देश में दिव्यांगजनों (विकलांग व्यक्तियों -PwDs) के लिये बाधा मुक्त और अनुकूल वातावरण बनाना है।



# सुगम्य भारत अभियानः

#### • परिचय:

 इसे 3 दिसंबर, 2015 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था।

#### कार्यान्वयन एजेंसी:

 AIC सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग (DEPwD) का राष्ट्रव्यापी अभियान है।

#### • पृष्ठभूमि:

- दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 स्पष्ट रूप से परिवहन एवं निर्मित वातावरण में गैर-भेदभाव का प्रावधान करता है।
  - यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCRPD) का अनुपालन करने के लिये पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 को प्रतिस्थापित किया।
- यूएनसीआरपीडी जिसका भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है, के अनुच्छेद 9 के अंतर्गत पीडब्ल्यूडी की पहुँच सुनिश्चित करने के लिये सरकारों पर दायित्व डालता है:
  - सूचना
  - परिवहन
  - भौतिक वातावरण
  - संचार प्रौद्योगिकी
  - सेवाओं के साथ-साथ आपातकालीन सेवाओं तक पहुँच।

#### • एआईसी के घटक:

- 🔷 निर्मित पर्यावरण पहुँच
- परिवहन प्रणाली अभिगम्यता
- 🔷 सूचना और संचार इको-सिस्टम पहुँच

# सुगम्य भारत अभियान का प्रदर्शनः

#### निर्मित वातावरणः

- 1671 भवनों की अभिगम लेखा परीक्षा पूरी।
- केंद्र सरकार के 1030 भवनों सिहत 1630 सरकारी भवनों को सुलभता की विशेषताएं प्रदान की गई हैं।

#### • परिवहन क्षेत्र:

#### • हवाई अड्डा:

- 35 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और 55 घरेलू हवाई अड्डों को पहुँच की विशेषताएँ प्रदान की गई हैं।
- 🔷 12 हवाई अड्डों पर एम्बुलिफ्ट उपलब्ध हैं।

#### रेलवेः

- सभी 709 ए1, ए और बी श्रेणी के रेलवे स्टेशनों को सात अल्पकालिक सुविधाएँ प्रदान की गई हैं।
- 603 रेलवे स्टेशनों को 2 दीर्घकालिक सुविधाएँ प्रदान की गई हैं।

#### • रोडवेजः

 1,45,747 (29.05%) बसों को आंशिक रूप से सुलभ बनाया गया है और 8,695 (5.73%) को पूरी तरह से सुलभ बनाया गया है

#### • आईसीटी पारिस्थितिकी तंत्र ( वेबसाइट ):

 केंद्र और राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों की लगभग 627 वेबसाइटों को सुलभ बनाया गया है।

#### • टीवी देखने में सुगमता:

- 19 निजी समाचार चैनल आंशिक रूप से सुलभ समाचार बुलेटिनों का प्रसारण कर रहे हैं।
- 2,447 समाचार बुलेटिनों का प्रसारण सबटाइटिलंग/साइन-लैंग्वेज इंटरऑपरेशन के साथ किया गया है।
- 9 सामान्य मनोरंजन चैनलों ने सबटाइटलिंग का उपयोग करके
   3686 अनुसूचित कार्यक्रमों / फिल्मों का प्रसारण किया है।

#### • शिक्षाः

11,68,292 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में से,
 8,33,703 स्कूलों (71%) को रैंप, हैंडरेल और सुलभ
 शौचालयों के प्रावधान के साथ मुक्त बनाया गया है।

#### • निगरानीः

 सुगम्य भारत अभियान के तहत गतिविधियों की निगरानी प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) पोर्टल के माध्यम से की जा रही है।

### • सुगम्य भारत एपः

- बुनियादी ढाँचे और सेवाओं में जमीनी स्तर पर सामना की जा रही पहुँच की शिकायतों को क्राउडसोर्स करने में मदद करना और निवारण के लियेअग्रेषित करना।
- संसाधनों तक पहुँच वाले महत्त्व के बारे में संवेदीकरण और जागरूकता पैदा करने में सहायता करना।
- दिव्यांगजनों की कोविड-19 से संबंधित शिकायतें को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

# विकलांगों के सशक्तीकरण के लिये पहलें:

#### • भारतीय:

- विशिष्ट नि:शक्तता पहचान पोर्टल (Unique Disability Identification Portal)
- ♦ दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (DeenDayal Disabled Rehabilitation Scheme)
- सहायक उपकरणों की खरीद/िफटिंग के लिये विकलांग व्यक्तियों को सहायता
- 🔷 विकलांग छात्रों के लिये राष्ट्रीय फैलोशिप

#### • वैश्विकः

- अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस
- विकलांग लोगों के लिये संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत

# विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत समलैंगिक विवाह

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग करने वाले दो समलैंगिक जोड़ों की याचिका पर केंद्र और भारत के महान्यावादी को नोटिस जारी किया है।

- कई याचिकाओं के परिणामस्वरूप भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली दो-न्यायाधीशों की पीठ ने नोटिस जारी किया।
- समलैंगिक विवाह की गैर-मान्यता प्राप्त भेदभाव के बराबर थी, जो LGBTQ+ जोड़ों की गरिमा का अपमान करती थी।

### याचिकाकर्त्ताओं का पक्षः

- यह अधिनियम संविधान से उस सीमा तक अधिकारातीत है जिस हद तक यह समलैंगिक जोड़ों और विपरीत लिंग वाले जोड़ों के बीच भेदभाव करता है, समलैंगिक जोड़ों को कानूनी अधिकारों के साथ-साथ विवाह से मिलने वाली सामाजिक मान्यता और स्थिति दोनों से वंचित करता है।
  - वर्ष 1954 का विशेष विवाह अधिनियम किसी भी दो व्यक्तियों के बीच विवाह पर लागू होना चाहिये, चाहे उनकी लिंग पहचान और यौन अभिविन्यास कुछ भी हो।
- यदि नहीं, तो अधिनियम को अपने वर्तमान रूप में गरिमापूर्ण जीवन और समानता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला घोषित किया जाना चाहिये क्योंकि "यह समलैंगिक जोड़े के बीच विवाह करने का प्रावधान नहीं करता है"।
- अधिनियम को समलैंगिक जोड़ों को भी वही सुरक्षा प्रदान करनी चाहिये जो अंतर-जातीय और अंतर-धार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों को मिलती है।
- समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने में अपर्याप्त प्रगति हुई है; LGBTQ+ व्यक्तियों के लिये समानता का विस्तार जीवन के सभी क्षेत्रों में होना चाहिये जिसमें घर, कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थान शामिल हैं।
  - LGBTQ+ की वर्तमान जनसंख्या देश की जनसंख्या का 7% से 8% है।

# भारत में समलैंगिक विवाह की वैधताः

 विवाह के अधिकार को भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक या संवैधानिक अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है। यद्यपि विवाह को विभिन्न वैधानिक अधिनियमों के माध्यम से विनियमित किया जाता है लेकिन मौलिक अधिकार के रूप में इसकी मान्यता केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। संविधान के अनुच्छेद 141 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का निर्णय पूरे भारत में सभी अदालतों के लिये बाध्यकारी है।

# सर्वोच्च न्यायालय के महत्त्वपूर्ण निर्णयः

- मौलिक अधिकार के रूप में विवाह (शफीन जहान बनाम असोकन के.एम. और अन्य, 2018):
  - सर्वोच्च न्यायालय ने मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR) के अनुच्छेद 16 और पुट्टस्वामी मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद के अनुसार विवाह करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है।
    - अनुच्छेद 16 (2) के अनुसार, राज्य के अधीन किसी भी पद के संबंध में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इसमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा।
  - विवाह करने का अधिकार आंतिरक विषय है। इस अधिकार को संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान की गई है। विश्वास और निष्ठा के मामले, जिसमें विश्वास करना भी शामिल है, संवैधानिक स्वतंत्रता के मूल में हैं।
- LGBTQ समुदाय सभी संवैधानिक अधिकारों (नवजेत सिंह जोहर और अन्य बनाम केंद्र सरकार, 2018) के हकदार हैं।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि LGBTQ समुदाय के सदस्य अन्य नागरिकों की तरह संविधान द्वारा प्रदान किये गए सभी संवैधानिक अधिकारों के हकदार हैं, जिसमें "समान नागरिकता" और "कानून का समान संरक्षण" भी शामिल है।

# विशेष विवाह अधिनियम ( SMA ), 1954:

#### • परिचयः

- भारत में विवाह संबंधित व्यक्तिगत कानूनों- हिंदू विवाह अधिनियम, 1955; मुस्लिम विवाह अधिनियम, 1954, या विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत पंजीकृत किये जा सकते हैं।
- इसके अंतर्गत यह सुनिश्चित करना न्यायपालिका का कर्तव्य है
   कि पित और पत्नी दोनों के अधिकारों की रक्षा की जाए।
- विशेष विवाह अधिनियम, 1954 भारत की संसद का एक अधिनियम है जिसमें भारत और विदेशों में सभी भारतीय नागरिकों के लिये विवाह का प्रावधान है, चाहे दोनों पक्षों द्वारा किसी भी धर्म या आस्था का पालन किया जाए।

 जब कोई व्यक्ति इस कानून के तहत विवाह करता है तो विवाह व्यक्तिगत कानूनों द्वारा नहीं बल्कि विशेष विवाह अधिनियम द्वारा शासित होता है।

#### • विशेषताएँ:

- दो अलग-अलग धार्मिक पृष्ठभूमि के लोगों को शादी के बंधन
   में एक साथ आने की अनुमित देता है।
- जहाँ पित या पत्नी या दोनों में से कोई हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख नहीं है, वहाँ विवाह के अनुष्ठापन तथा पंजीकरण दोनों के लिये प्रक्रिया निर्धारित करता है।
- एक धर्मिनरपेक्ष अधिनियम होने के कारण यह व्यक्तियों को विवाह की पारंपिरक आवश्यकताओं से मुक्त करने में महत्त्वपूर्ण भिमका निभाता है।

#### आगे की राहः

- LGTBQ समुदाय के लिये एक ऐसे भेदभाव-रोधी कानून की आवश्यकता है, जो उन्हें लैंगिक पहचान या यौन उन्मुखता के बावजूद एक बेहतर जीवन और संबंधों का निर्माण करने में सहायता करे और जो व्यक्ति को बदलने के स्थान पर समाज में बदलाव लाने पर जोर दे।
- LGBTQ समुदाय के सदस्यों को संपूर्ण संवैधानिक अधिकार दिये जाने के बाद यह भी आवश्यक है कि समलैंगिक विवाह के इच्छुक लोगों को भी अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार दिया जाए। ज्ञात हो कि वर्तमान में विश्व के दो दर्जन से अधिक देशों ने समलैंगिक विवाह को स्वीकृति दी है।

# नई चेतना-पहल बदलाव की

# चर्चा में क्यों ?

हाल ही में शहरी विकास मंत्रालय ने "नई चेतना-पहल बदलाव की" लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ समुदाय-नेतृत्व वाला राष्ट्रीय अभियान शरू किया है।

 केरल ने भी इसी प्रकार की पहल कुदुम्बश्री मिशन के तहत अभियान शुरू किया।

# नई चेतना-पहल बदलाव की, अभियान

- परिचयः
- यह चार सप्ताह का अभियान है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को हिंसा को पहचानने और रोकने एवं उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिये तैयार करना है।
  - गितिविधियाँ 'लैंगिक समानता और लिंग आधारित हिंसा' के विषय पर केंद्रित होंगी।

#### • लक्ष्यः

 यह एक वार्षिक अभियान होगा जो प्रत्येक वर्ष विशिष्ट लैंगिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस वर्ष अभियान का लक्ष्य लिंग आधारित हिंसा है।

#### कार्यान्वयन एजेंसीः

यह अभियान सभी राज्यों द्वारा नागरिक समाज संगठनों (Civil Society Organisations- CSO) के भागीदारों के सहयोग से लागू किया जाएगा और राज्यों, जिलों एवं ब्लॉकों सिहत सभी स्तरों पर सिक्रिय रूप से क्रियान्वित किया जाएगा, जिसमें विस्तारित समुदाय के साथ सामुदायिक संस्थानों को शामिल किया जाएगा।।


#### • महत्त्वः

 अभियान हिंसा के मुद्दों को स्वीकार करने, पहचानने और संबोधित करने हेतु ठोस प्रयास करने के लिये सभी संबंधित विभागों एवं हितधारकों को एक साथ लाएगा।

# कुदुम्बश्री मिशन

- यह केरल सरकार के राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन (State Poverty Eradication Mission- SPEM) द्वारा कार्यान्वित गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम है।
- मलयालम भाषा में कुदुम्बश्री नाम का अर्थ है 'परिवार की समृद्धि'।
   यह नाम 'कुदुम्बश्री मिशन' या SPEM के साथ-साथ कुदुम्बश्री सामुदायिक नेटवर्क का प्रतिनिधित्त्व करता है।

### राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन



#### • परिचयः

- इसे "दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihood Mission-DAY-NRLM)" के रूप में जाना जाता है।
- यह जून 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है।
- सरकार ने प्रोफेसर राधाकृष्ण सिमित की सिफारिश को स्वीकार कर वित्त वर्ष 2010-11 में "स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY)" को "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)" में पुनर्गठित किया।

#### • उद्देश्यः

इस योजना का उद्देश्य देश में ग्रामीण गरीब परिवारों हेतु कौशल विकास और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुँच के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर ग्रामीण गरीबी को कम करना है।

#### उप- योजनाएँ

#### महिला किसान सशक्तीकरण परियोजनाः

- कृषि-पारिस्थितिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिये जो मिहला किसानों की आय में वृद्धि करते हैं और उनकी इनपुट लागत और जोखिम को कम करते हैं, यह मिशन मिहला किसान सशक्तीकरण परियोजना (MKSP) को लाग कर रहा है।।
- स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम और आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजनाः
  - यह अपनी गैर-कृषि आजीविका रणनीति के भाग के रूप में DAY-NRLM स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (SVEP) और आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (AGEY) कार्यान्वित कर रहा है।
  - SVEP का उद्देश्य स्थानीय उद्यमों की स्थापना के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमियों का समर्थन करना है।
  - AGEY को अगस्त 2017 में शुरू किया गया था, जो दूरदराज के ग्रामीण गाँवों को जोड़ने के लिये सुरक्षित, सस्ती और सामुदायिक निगरानी वाली ग्रामीण परिवहन सेवाएँ प्रदान करता है।

#### दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजनाः

 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDUGKY) का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं के प्लेसमेंट से जुड़े कौशल का निर्माण करना और उन्हें अर्थव्यवस्था के अपेक्षाकृत उच्च मजदूरी वाले रोजगार क्षेत्रों में रखना है।

#### ग्रामीण स्वरोजगार संस्थानः

 31 बैंकों और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में, ग्रामीण युवाओं को लाभकारी स्वरोजगार लेने के लिये कुशल बनाने के लिये ग्रामीण स्वरोजगार संस्थानों (RSETIs) को सहायता प्रदान कर रहा है।

# लिंग आधारित हिंसा के प्रमुख कारण:

- सामाजिक/राजनीतिक/सांस्कृतिक कारकः
  - भेदभावपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक या धार्मिक मानदंड और प्रथाएँ महिलाओं और लड़िकयों को हाशिए पर डालती हैं और उनके अधिकारों का सम्मान करने में विफल रहती हैं।।
  - लैंगिक रूढ़ियों का उपयोग अक्सर महिलाओं के खिलाफ हिंसा को सही ठहराने के लिये किया जाता है। सांस्कृतिक मानदंड अक्सर यह तय करते हैं कि पुरुष आक्रामक, नियंत्रित और प्रमुख हैं, जबिक महिलाएँ विनम्र, अधीन हैं, और प्रदाताओं के

- रूप में पुरुषों पर भरोसा करती हैं। ये मानदंड दुरुपयोग की संस्कृति को बढावा दे सकते हैं।
- परिवार, सामाजिक और सांप्रदायिक संरचनाओं का पतन और परिवार के भीतर बाधित भूमिकाएं अक्सर महिलाओं और लड़िकयों को जोखिम में डालती हैं और सुरक्षा और निवारण के लिये तंत्र और अवसरों को सीमित करती हैं।

#### व्यक्तिगत बाधाएँ:

- सामाजिक कलंक, अलगाव और सामाजिक बहिष्कार का खतरा या डर तथा आने वाले समय में अपराधी, समुदाय, या अधिकारियों के हाथों गिरफ्तारी, हिरासत में लिये जाना, दुर्व्यवहार और सजा हिंसा का शिकार होने की धमकी या डर शामिल है।
- मानवाधिकारों के बारे में जानकारी का अभाव।

#### महिलाओं के खिलाफ हिंसा के प्रभाव:

- यह महिलाओं के स्वास्थ्य के सभी पहलुओं- शारीरिक, यौन और प्रजनन, मानसिक और व्यावहारिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इस प्रकार यह उन्हें उनकी पूरी क्षमता का एहसास होने से वंचित करता है।
- हिंसा और संबंधित धमकी महिलाओं की सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों के कई रूपों में सिक्रय तथा समान रूप से भाग लेने की क्षमता को प्रभावित करती है।
- कार्यस्थल पर उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी तथा उनके आर्थिक सशक्तीकरण पर प्रभाव पड़ता है।
- यौन उत्पीड़न महिलाओं के शैक्षिक अवसरों और उपलब्धियों को सीमित करता है।
  - लिंग आधारित हिंसा को खत्म करने के लिये आवश्यक कदम:
- लिंग आधारित हिंसा (Gender Based Violence-GBV) को समाज, सरकार और व्यक्तियों के सामूहिक प्रयासों से समाप्त किया जा सकता है।
- िलंग आधारित हिंसा को पहचानने और पीड़ितों की पहचान कर उससे संबंधित आवश्यक कदम उठाने के लिये स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित करना पीड़ितों की सहायता करने के सबसे महत्त्वपूर्ण तरीकों में से एक है।
- GBV को दृश्यमान बनाने, विज्ञापन समाधानों, नीति-निर्माताओं को सूचित करने और जनता को कानूनी अधिकारों के बारे में शिक्षित करने और GBV को पहचानने और इसे रोकने के लिये मीडिया एक महत्त्वपूर्ण माध्यम है।
- शिक्षा: स्कूल, GBV को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
   नियमित पाठ्यक्रम, यौन शिक्षा, स्कूल परामर्श कार्यक्रम और स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा हिंसा को रोका जा सकता है।
- कई अध्ययनों से पता चला है कि GBV को रोकने के लिये इसकी पहचान, समाधान और संबंधित कार्यप्रणाली में सभी समुदायों को शामिल करना इसे रोकने के बेहतर तरीकों में से एक है।

# भारतीय इतिहास

## जनजातीय गौरव दिवस

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने जनजातीय गौरव दिवस (15 नवंबर. 2022) के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

#### जनजातीय गौरव दिवस:

- सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और राष्ट्रीय गौरव, वीरता तथा आतिथ्य के भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने में आदिवासियों के प्रयासों को मान्यता देने हेतु प्रतिवर्ष 'जनजातीय गौरव दिवस' का आयोजन किया जाता है।
- उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कई आदिवासी आंदोलन किये। इन आदिवासी समदायों में तामार, संथाल, खासी, भील, मिजो और कोल शामिल हैं।

### आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी:

#### बिरसा मुंडाः

- 🔷 बिरसा मुंडा जिनका जन्म 15 नवंबर, 1875 को हुआ, वे छोटा नागपुर पठार की मुंडा जनजाति से संबंधित थे।
- वह भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, धार्मिक नेता और लोक नायक थे।
- उन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश शासन के दौरान आधुनिक झारखंड और बिहार के आदिवासी क्षेत्र में भारतीय जनजातीय धार्मिक सहस्राब्दी आंदोलन का नेतृत्व किया।
  - बिरसा वर्ष 1880 के दशक में इस क्षेत्र में सरदारी लड़ाई आंदोलन के करीबी पर्यवेक्षक थे, जिसने अहिंसक माध्यमों जैसे कि ब्रिटिश सरकार को याचिका देने के आदिवासियों के अधिकारों को बहाल करने की मांग की थी। हालाँकि इन मांगों को कठोर औपनिवेशिक सत्ता ने नज़रअंदाज कर दिया।
- जमींदारी प्रथा के तहत आदिवासियों को जमींदारों से मजदूरों में पदावनत कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप बिरसा ने आदिवासियों के मुद्दे को उठाया।
- बिरसा मुंडा ने एक नया धर्म बिरसैत बनाया।
  - धर्म ने एक ही ईश्वर में विश्वास का प्रचार किया और लोगों से अपने पुराने धार्मिक विश्वासों पर लौटने का आग्रह किया। लोगों ने उन्हें प्रभावी धार्मिक उपासक, चमत्कारी कार्यकर्ता और एक उपदेशक के रूप में संदर्भित करना शुरू कर दिया।
  - उरांव और मुंडा के लोग बिरसा के प्रति आश्वस्त हो गए और

- कई लोगों ने उन्हें 'धरती अब्बा, जिसका अर्थ है पृथ्वी का पिता' कहना शुरू कर दिया। उन्होंने धार्मिक क्षेत्र में एक नए दृष्टिकोण का प्रवेश कराया।
- बिरसा मुंडा ने विद्रोह का नेतृत्व किया जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपी गई सामंती राज्यव्यवस्था के खिलाफ उल्गुलान (विद्रोह) या मुंडा विद्रोह के रूप में जाना जाने लगा।
- उन्होंने जनता को जागृत किया और ज़मींदारों के साथ-साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ उनमें विद्रोह के बीज बोए।
- आदिवासियों के खिलाफ शोषण और भेदभाव के खिलाफ उनके संघर्ष के कारण 1908 में छोटानागपुर किरायेदारी अधिनियम पारित हुआ, जिसने आदिवासी लोगों से गैर-आदिवासियों को भूमि देने पर प्रतिबंध लगा दिया।



#### शहीद वीर नारायण सिंह:

- उन्हें छत्तीसगढ़ में सोनाखान का गौरव माना जाता है, उन्होंने व्यापारी के अनाज के स्टॉक को लुट लिया और उन्हें 1856 के अकाल के बाद गरीबों में वितरित कर दिया।
- वीर नारायण सिंह के बलिदान ने उन्हें आदिवासी नेता बना दिया और वे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के पहले शहीद थे।



#### श्री अल्लूरी सीता राम राजूः

- उनका जन्म 4 जुलाई, 1897 को आंध्र प्रदेश में भीमावरम के पास मोगल्लू नामक गाँव में हुआ था।
- अल्लूरी को अंग्रेजो के खिलाफ रम्पा विद्रोह का नेतृत्व करने के लिये याद किया जाता है जिसमें उन्होंने विदेशियों के खिलाफ विद्रोह करने के लिये विशाखापत्तनम और पूर्वी गोदावरी जिलों के आदिवासी लोगों को संगठित किया था।
- वह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ने के लिये बंगाल के क्रांतिकारियों से प्रेरित थे।



# रानी गाइदिन्ल्यूः

- वह एक नगा आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता थीं जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। 13 साल की उम्र में वह अपने चचेरे भाई हैपो जादोनांग के हेराका धार्मिक आंदोलन में शामिल हो गईं।
- उनके लिये नगा लोगों की स्वतंत्रता की संघर्ष यात्रा भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का एक व्यापक हिस्सा थी। उन्होंने गांधीजी के संदेश को मणिपुर में प्रचारित किया।



#### सिब्हू और कान्ह्र मुर्मू:

- 1857 के विद्रोह से दो साल पहले 30 जून, 1855 को दो संथाली भाइयों सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने 10,000 संथालों को एकजुट किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह की घोषणा की।
- आदिवासियों ने अंग्रेजों को अपनी मातुभूमि से भगाने की शपथ ली। मुर्मू भाइयों की बहनों फुलो और झानो ने भी इस विद्रोह में सिक्रय भूमिका निभाई।सिद्ध और कान्ह्र मुर्मू:





# अहोम साम्राज्य के सेनापति लाचित बोड्फुकन

# चर्चा में क्यों?

असम के प्रसिद्ध युद्ध नायक लाचित बोड़फुकन की 400वीं जयंती 23 से 25 नवंबर, 2022 तक नई दिल्ली में मनाई जाएगी।

# लाचित बोड्फुकनः

- लाचित बोड़फुकन का जन्म 24 नवंबर, 1622 को हुआ था। उन्होंने वर्ष 1671 में हुए सराईघाट के युद्ध (Battle of Saraighat) में अपनी सेना का प्रभावी नेतृत्व किया, जिससे मुगल सेना का असम पर कब्ज़ा करने का प्रयास विफल हो गया था।
- उनके प्रयासों से भारतीय नौसैनिक शक्ति को मजबत करने. अंतर्देशीय जल परिवहन को पुनर्जीवित करने और नौसेना की रणनीति से जुड़े बुनियादी ढाँचे के निर्माण की प्रेरणा मिली।
- रक्षा अकादमी (National Defence Academy) के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लाचित बोड़फुकन स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है।
  - इस पदक को वर्ष 1999 में रक्षाकर्मियों हेतु बोड़फुकन की वीरता से प्रेरणा लेने और उनके बलिदान का अनुसरण करने के लिये स्थापित किया गया था।
- 25 अप्रैल, 1672 को उनका निधन हो गया।

#### अहोम साम्राज्यः

#### • परिचयः

- असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में वर्ष 1228 में स्थापित अहोम साम्राज्य ने 600 वर्षों तक अपनी संप्रभुता बनाए रखी।
- साम्राज्य की स्थापना 13वीं शताब्दी के शासक चाओलुंग सुकफा ने की थी।
- यंदाबू की संधि पर हस्ताक्षर के साथ वर्ष 1826 में प्रांत को ब्रिटिश भारत में शामिल किये जाने तक इस भूमि पर अहोमों ने शासन किया।
- अपनी बहादुरी के लिये विख्यात अहोम शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के आगे नहीं झुके।

#### राजनीतिक व्यवस्थाः

- अहोमों ने भुइयाँ (जमींदारों) की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को समाप्त करके एक नए राज्य का निर्माण किया।
- अहोम राज्य बंधुआ मज्जदूरी/बलात श्रम (Forced Labour) पर निर्भर था। राज्य के लिये इस प्रकार की मजदूरी करने वालों को पाइक (Paik) कहा जाता था।

#### • समाजः

- अहोम समाज को कुल/खेल (Clan/Khel) में विभाजित किया गया था। एक कुल/खेल का सामान्यतः कई गाँवों पर नियंत्रण होता था।
- अहोम साम्राज्य के लोग अपने स्वयं के आदिवासी देवताओं की पूजा करते थे, फिर भी उन्होंने हिंदू धर्म और असमिया भाषा को स्वीकार किया।
  - हालाँकि अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक मान्यताओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा।
- अहोम लोगों का स्थानीय लोगों के साथ विवाह के चलते उनमें असिमया संस्कृति को आत्मसात करने की प्रवृत्ति देखी गई।

#### कला और संस्कृतिः

- अहोम राजाओं ने किवयों और विद्वानों को भूमि अनुदान दिया तथा रंगमंच को प्रोत्साहित किया।
- संस्कृत के महत्त्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया।
- बुरंजी (Buranjis) नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में फिर असिमया भाषा में लिखा गया।

#### • सैन्य रणनीतिः

 अहोम राजा राज्य की सेना का सर्वोच्च सेनापित भी होता था।
 युद्ध के समय सेना का नेतृत्व राजा स्वयं करता था और पाइक राज्य की मुख्य सेना थी।

- पाइक दो प्रकार के होते थे: सेवारत और गैर-सेवारत। गैर-सेवारत पाइकों ने एक स्थायी सहायक सेना (Militia)
   का गठन किया, जिन्हें खेलदार (Kheldar- सैन्य आयोजक) द्वारा थोड़े ही समय में संगठित किया जा सकता था।
- अहोम सेना की समग्र टुकड़ी में पैदल सेना, नौसेना, तोपखाने, हाथी, घुड़सवार सेना और जासूस शामिल थे। युद्ध में इस्तेमाल किये जाने वाले मुख्य हथियारों में तलवार, भाला, बंदूक, तोप, धनुष और तीर शामिल थे।
- अहोम राजा युद्ध अभियानों का नेतृत्व करने से पहले शत्रु की युद्ध रणनीतियों को जानने के लिये उनके शिविरों में जासूस भेजते थे।
- अहोम सैनिकों को गोरिल्ला युद्ध (Guerilla Fighting) में विशेषज्ञता प्राप्त थी। ये सैनिक दुश्मनों को अपने देश की सीमा में प्रवेश करने देते थे, फिर उनके संचार को बाधित कर उन पर सामने और पीछे से हमला कर देते थे।
- कुछ महत्त्वपूर्ण किले: चमधारा, सराईघाट, सिमलागढ़, किलयाबार, कजली और पांडु।
- उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी पर नाव का पुल (Boat Bridge)
   बनाने की तकनीक भी सीखी थी।
- इन सबसे महत्त्वपूर्ण यह है कि नागरिकों और सैनिकों के बीच आपसी समझ तथा धनाढ्य लोगों के बीच एकता ने हमेशा अहोम राजाओं के लिये मजबूत हथियारों के रूप में काम किया।

# महमूद गजनवी



### महमूद गजनवीः

- महमूद गजनवी सुबुक-तगीन का पुत्र था जो गजनी के पहले स्वतंत्र शासक के रूप में प्रसिद्ध हुआ।
- महमूद गजनवी 999 ईस्वी से लगातार हमले जारी रखे।
- 'महमूद गजनवी' की उपाधि इसके सिक्कों पर नहीं मिलती, जहाँ
   उसे केवल 'अमीर महमूद' के रूप में दर्ज किया गया था।

#### • जयपाल से युद्धः

- उसने 1001 ई. में जयपाल (पाल राजवंश) के विरुद्ध भीषण युद्ध किया।
  - 🔳 यह घुड़सवार सेना और कुशल सैन्य रणनीति का युद्ध था।
- जयपाल को महमूद की सेनाओं ने बुरी तरह से परास्त किया
   और उसकी राजधानी वैहिंद/पेशावर को तबाह कर दिया।
- जयपाल का उत्तराधिकरी उसका पुत्र आनंदपाल/अनंतपाल हुआ
   जिसने अपने क्षेत्र में तुर्की आक्रमणों को चुनौती देना जारी रखा।

#### • आनंदपाल के साथ युद्धः

- पंजाब में प्रवेश करने से पहले महमूद को अभी भी सिंधु के पास आनंदपाल की सेना के साथ संघर्ष करना था।
- कठिन संघर्ष के बाद उनकी सेना ने 1006 ई. में ऊपरी सिंधु पर विजय प्राप्त कर ली।
- आनंदपाल युद्ध में पराजित हुआ और उसे भारी वित्तीय एवं क्षेत्रीय हानि उठानी पड़ी।
- यह उसके द्वारा महमृद का अंतिम प्रतिरोध था।

# लाहौर और मुल्तान का विलय:

- 1015 ई. महमूद ने लाहौर पर कब्जा करते हुए झेलम नदी तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया।
- मुल्तान, जिस पर एक मुस्लिम सुल्तान का शासन था और जिसका आनंदपाल के साथ गठबंधन था, भी महमूद द्वारा जीत लिया गया।
- इस तरह महमूद ने पूर्वी अफगानिस्तान और फिर पंजाब एवं मुल्तान को जीतते हुए भारत में प्रवेश किया।
- पंजाब के बाद उसने धन प्राप्ति के लिये गंगा के मैदानों में तीन अभियान किये।

#### गंगा के मैदान में अभियान:

- उसके 1019 और 1021 ई. में गंगा घाटी में दो और हमले किये।
- आगे उसका लक्ष्य गंगा के मैदानों में अपने हमलों के माध्यम से धन अर्जित करना था।
- 🔶 सर्वप्रथम गंगा की घाटी में एक राजपूत गठबंधन को तोड़ना था।
- 1015 ई. के अंत में वह हिमालय की तलहटी से होते हुए आगे
   बढ़ा और कुछ सामंती शासकों की मदद से बरन या बुलंदशहर
   के स्थानीय राजपूत शासक को पराजित किया।

- महमूद ने हिंदू शाही और चंदेल शासकों को हराया।
- ग्वालियर के राजपूत राजा ने महमूद के विरुद्ध हिंदू शाही सम्राट की सहायता की थी।
- उत्तर भारत में इस तरह के अभियानों का उद्देश्य पंजाब से आगे महमूद के साम्राज्य का विस्तार करना नहीं था।
  - वे केवल एक ओर राज्यों की संपत्ति को लूटना चाहते थे तो दूसरी ओर ऊपरी गंगा दोआब को बिना किसी शिक्तशाली स्थानीय गढ़ के एक तटस्थ क्षेत्र बनाना चाहते थे।
  - भारत में लूट से अर्जित धन ने मध्य एशिया में अपने शत्रुओं
     के विरुद्ध युद्ध में उसकी मदद की।

#### • अन्य

- महमूद का अंतिम बड़ा आक्रमण 1025 ई. में गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर पर हुआ था।
- कश्मीर को जीतने की महमूद की इच्छा अधूरी रही जहाँ 1015
   ई. में प्रतिकूल मौसम के कारण उसकी सेना को हार का सामना करना पड़ा। यह भारत में उसकी पहली हार थी।
- उसने ईरान में भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया और बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त की।
- वह एक साहसी योद्धा था जिसकी वृहत सैन्य क्षमताएँ और राजनीतिक उपलिब्धियाँ रहीं।
- उसने गजनी के छोटे से राज्य को एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य में बदल दिया था, जिसमें वर्तमान अफगानिस्तान का अधिकांश भूभाग, पूर्वी ईरान और भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र के अधिकांश क्षेत्र शामिल थे।

# मध्य एशिया और भारत में गजनवी साम्राज्य का पतन गोरी साम्राज्य का उत्थान

- भारत से लूटे गए भारी धन के बावजूद महमूद एक सुयोग्य शासक नहीं बन सका।
- उसने अपने राज्य में किसी स्थायी संस्था का निर्माण नहीं किया और गजनी के बाहर उसका शासन क्रूर एवं अत्याचारी रहा।
- गजनवी साम्राज्य और सल्जूक साम्राज्य के बीच स्थित गोर के एक छोटे और अलग-थलग प्रांत में गोरियों का अप्रत्याशित उदय 12वीं शताब्दी की एक असाधारण घटना थी।
  - गोर वर्तमान अफगानिस्तान भूभाग के सबसे कम विकसित क्षेत्रों में से एक था।
  - यह पश्चिमी अफगानिस्तान में हेरात नदी की उर्वर घाटी में गजनी के पश्चिम और हेरात प्रांत के पूर्व में स्थित था। चूँिक यह एक पर्वतीय भूभाग था, यहाँ का मुख्य व्यवसाय पशुपालन या कृषि था।

- 10वीं सदी के अंत और 11वीं सदी के आरंभ में गजनिवयों द्वारा इस इलाके का 'इस्लामीकरण' हुआ था।
- गोरी शासक या शंसबनी सामान्य स्थानिक सरदार थे। उन्होंने 12वीं शताब्दी के मध्य में हेरात में हस्तक्षेप करके स्वयं को सर्वोच्च बनाने की कोशिश की, जब इसके गवर्नर ने संजर नामक सल्जूक शासक के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था।
- गोरियों के इस कृत्य से गजनिवयों को ख़तरा महसूस हुआ; उन्होंने गोरी शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह के भाई को पकड़ लिया और उसे विष देकर मार दिया।
- इसके बदले में उसने गजनवी शासक बहराम शाह को हराकर गजनी शहर पर कब्जा कर लिया।
- गजनवी शहर को लूट लिया गया और पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया।
- इसी विजय के बाद अलाउद्दीन को जहाँ सोज की उपाधि दी गई थी।
- इस घटना ने गजनिवयों के पतन और गोरियों के उदय को चिह्नित किया।

# सोमनाथ की लूट

- 1025-26 ई. में महमूद ने गुजरात पर अपना अंतिम आक्रमण िकया
   और अत्यंत समृद्ध सोमनाथ मंदिर की लूट के साथ अपनी सफलताओं को सुदृढ़ िकया।
- दावा किया जाता है सोमनाथ मंदिर में किसी भी समय 100,000 तीर्थयात्री एकत्र रहते थे और 1,000 ब्राह्मण मंदिर की सेवा तथा

- इसके खजाने की देखभाल में संलग्न थे। सैकड़ों नर्तक और गायक मंदिर द्वार के समक्ष अपना कला-प्रदर्शन करते रहते थे।
- मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित था जो शानदार रत्नों और सुसिज्जत कैंडेलबरा में चमकता रहता था। इसके प्रतिबिंब भव्य लटकनों में दिखाई देते थे और इसमें सितारों के आकार में कीमती पत्थरों के साथ कढ़ाई की गई थी।
- महमूद मुल्तान से अन्हिलवाड़ तक और फिर तटीय क्षेत्र में अपने श्रमसाध्य अभियान पर आगे बढ़ता गया जहाँ रास्ते में युद्ध और कत्ल-ए-आम जारी रखा। अंतत: वह मंदिर के किले तक पहुँचा जो अरब सागर के किनारे स्थित था।
- धर्मस्थल के प्रहरी और सेवकों के रूप में नियुक्त लोगों की भारी संख्या की परवाह न करते हुए उसने और उसके सैनिकों ने किले पर धावा बोल दिया और लगभग 50,000 हिंदुओं की हत्या कर दी।
- महमूद लूट का भारी माल लिये गजनी लौटा तो भारत और अन्य क्षेत्रों में उसके अभियानों के साथी रहे आक्रमणकारी-सैनिक लुटेरों को लाखों का इनाम मिला। वह अपने साथ मंदिर का द्वार भी ले गया था जिसे गजनी में खड़ा किया गया।
- सोमनाथ पर आक्रमण के कारण नवीं सदी के प्रत्येक मुसलमान के लिये महमूद गजनवी इस्लाम के नायक के रूप में प्रतिष्ठित हुआ जिसने हिंदू विश्वास-प्रणाली पर हमला किया था। दूसरी ओर भारत में उसे देश और धर्म पर हमला करने वाले एक कट्टर इस्लामी हमलावर के रूप में देखा जाता है।

# भारतीय विरासत और संस्कृति

#### बालीयात्रा

#### चर्चा में क्यों?

हाल ही में, प्रधानमंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर बाली में भारतीय प्रवासियों को अपने संबोधन में प्राचीन किलंग और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच सिदयों पुराने संबंधों की स्मृति में कटक में महानदी के तट पर आयोजित वार्षिक बालीयात्रा का उल्लेख किया ।


 वर्ष 2022 की बालीयात्रा को कागज की सुंदर मूर्तियों के निर्माण हेतु
 ओरिगेमी की प्रभावशाली उपलब्धि हासिल करने के लिये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया।

#### बालीयात्राः

- परिचयः
  - बालीयात्रा, शाब्दिक रूप से 'बाली की यात्रा' देश के सबसे बड़े उत्सवों में से एक है।
  - बालीयात्रा एक सप्ताह तक चलती है जो कार्तिक पूर्णिमा
     (कार्तिक के महीने में पूर्णिमा की रात) से शुरू होती है।
- ऐतिहासिक/सांस्कृतिक महत्त्वः
  - यह प्रतिवर्ष प्राचीन कलिंग (आज का ओडिशा), बाली तथा अन्य दक्षिणी और दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों जैसे जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बर्मा (म्यॉँमार) और सीलोन (श्रीलंका) के बीच 2,000 साल पुराने समुद्री और सांस्कृतिक संबंधों की स्मृति के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है।.
  - इतिहासकारों के अनुसार, किलंग और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच व्यापार की लोकप्रिय वस्तुओं में काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, रेशम, कपुर, सोना और आभूषण शामिल थे।
  - बालीयात्रा उन विशेषज्ञ नाविकों की सरलता और कौशल का जश्न मनाती है जिन्होंने किलंग को अपने समय के सबसे समृद्ध साम्राज्यों में से एक बनाया।
- व्यावसायिक महत्त्वः
  - बालीयात्रा का अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तत्त्वों के अलावा एक महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक आयाम है।
    - यह एक ऐसा समय है जब लोग ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लेकर स्थानीय कारीगर उत्पादों तक सब कुछ तुलनात्मक रूप से कम कीमतों पर खरीदते हैं।
    - जिला प्रशासन नीलामी के माध्यम से व्यापारियों को 1,500 से अधिक स्टालों का आवंटन करता है और मेले में 100 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार होने का अनुमान है।

# कलिंग का दक्षिण-पूर्व एशिया से जुड़ाव:

- उत्पत्ति-बंदरगाहों का विकास: किलंग साम्राज्य (वर्तमान ओडिशा) अपने गौरवशाली समुद्री इतिहास के लिये जाना जाता है। किलंग की भौगोलिक स्थिति के कारण इस क्षेत्र में 4वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बंदरगाहों का विकास देखा गया था।
  - कुछ प्रसिद्ध बंदरगाहों, ताम्रलिपती, माणिकपटना, चेलितालो, पालूर और पिथुंडा ने भारत को समुद्र के माध्यम से अन्य देशों के साथ जुड़ने की अनुमित दी। जल्द ही किलंग के श्रीलंका, जावा, बोर्नियो, सुमात्रा, बाली और बर्मा के साथ व्यापार संबंध स्थापित हुए।
    - बाली ने चार द्वीपों का एक हिस्सा बनाया, जिन्हें सामूहिक रूप से सुवर्णद्वीप कहा जाता था, इसे आज इंडोनेशिया के नाम से जाना जाता है।
- किलंग के जहाजः किलंग ने 'बोइता' नामक बड़ी नौकाओं का निर्माण किया और इनकी मदद से उसने इंडोनेशियाई द्वीपों के साथ व्यापार किया।
  - बंगाल की खाड़ी को कभी किलंग सागर के रूप में जाना जाता
     था क्योंकि यह इन जहाजों से घिरा हुआ था।
- समुद्री मार्गों पर किलंगं के प्रभुत्व को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि कालिदास ने अपने रघुवंश में किलंग के राजा को 'समुद्र के भगवान' के रूप में संदर्भित किया था।
- इंडोनेशिया के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदानः कलिंग के लोग अक्सर बाली द्वीप के साथ व्यापार करते थे। वस्तुओं के व्यापार ने विचारों और विश्वासों के आदान-प्रदान को भी जन्म दिया।
- ओडिया व्यापारियों ने बाली में बस्तियों का गठन किया और इसकी संस्कृति एवं नैतिकता को प्रभावित किया जिससे इस क्षेत्र में हिंदू धर्म का विकास हुआ।
  - हिंदू धर्म बाली अवधारणाओं के साथ अच्छी तरह से मिश्रित है
     और आज भी, 'बाली हिंदू धर्म' की अधिकांश आबादी में
     प्रचलित है।
    - वे शिव, विष्णु, गणेश और ब्रह्मा जैसे विभिन्न हिंदू देवताओं की पूजा करते हैं।
    - शिव को पीठासीन देवता माना जाता था और बुद्ध के बड़े भाई माने जाते थे।
  - बाली के लोग शिवरात्रि, दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा जैसे हिंदू त्योहार भी मनाते हैं।
    - बाली में मनाया जाने वाला 'मसकापन के तुकड़' उत्सव ओडिशा में बालीयात्रा उत्सव के समान है। दोनों को उनके पूर्वजों की याद में मनाया जाता है।



# सूफीवाद

# चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'इन सर्च ऑफ द डिवाइन: लिविंग हिस्ट्रीज ऑफ सूफीजम इन इंडिया' नामक पुस्तक प्रकाशित हुई है।

# सूफीवाद

#### • परिचय:

- सूफीवाद इस्लाम का एक आध्यात्मिक रहस्यवाद है तथा यह एक धार्मिक संप्रदाय है जो ईश्वर की आध्यात्मिक खोज पर ध्यान केंद्रित करता है और भौतिकवाद को नकारता है।
- यह इस्लामी रहस्यवाद का एक रूप है जो तपस्या पर जोर देता है। इसमें भगवान की भक्ति पर बहुत जोर दिया गया है।
- सूफीवाद में आत्म-अनुशासन को धारणा के माध्यम से ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिये एक आवश्यक शर्त माना जाता है।
- 12वीं ईस्वी की शुरुआत में फारस में कुछ धार्मिक लोग खलीफा के बढ़ते भौतिकवाद के कारण तपस्या की ओर मुड़ गए। उन्हें 'सुफी' कहा जाने लगा।
- भारत में सूफी आंदोलन 1300 ईस्वी में शुरू हुआ और 15 वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में आया।
- सूफीवाद में आत्म-अनुशासन को ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिये एक आवश्यक शर्त माना जाता था। जबिक रूढ़िवादी मुसलमान बाहरी आचरण पर जोर देते हैं, सूफी आंतरिक शुद्धता पर जोर देते हैं।
- मुल्तान और पंजाब शुरुआती केंद्र थे और बाद में यह कश्मीर,
   बिहार, बंगाल और दक्कन में फैल गया।

#### • व्यत्पत्तिः

'सूफी' शब्द संभवत: अरबी के 'सूफ' शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है 'वह जो ऊन से बने कपड़े पहनता है'। इसका एक कारण यह है कि ऊनी कपड़ों को आमतौर पर फकीरों से जोड़कर देखा जाता था। इस शब्द का एक अन्य संभावित मूल 'सफा' है जिसका अरबी में अर्थ 'शुद्धता' है।

#### सूफीवाद के चरणः

- पहला चरण (खानकाह): 10वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जिसे स्वर्ण रहस्यवाद का युग भी कहा जाता है
- दूसरा चरण (तारिका): 11-14वीं शताब्दी, जब सूफीवाद को संस्थागत बनाया जा रहा था और परंपराओं एवं प्रतीकों को इसके साथ जोडा जाने लगा था।
- तीसरा चरण (तारिफा): 15वीं शताब्दी में शुरू हुआ, इस स्तर पर जब सुफीवाद एक लोकप्रिय आंदोलन बन गया।

## प्रमुख सूफी सिलसिलेः

#### चिश्तीः

- चिश्तिया सिलिसिला की स्थापना भारत में ख्वाजा मोइन-उद्दीन चिश्ती ने की थी।
- इसने ईश्वर के साथ एकात्मकता (वहदत अल-वुजुद) के सिद्धांत पर जोर दिया और इस सिलसिले के सदस्य शांतिप्रिय थे।
- उन्होंने सभी भौतिक वस्तुओं को भगवान के चिंतन से विकर्षण के रूप में अस्वीकार कर दिया।
- वे धर्मिनरपेक्ष राज्य के साथ संबंध से दूर रहे।
- उन्होंने भगवान के नामों का जोर से और चुपचाप पाठ (धिकर जाहरी, धिकर खफी), चिश्ती अभ्यास की आधारशिला का निर्माण किया।

 चिश्ती की शिक्षाओं को ख्वाजा कुतुबुद्दीन बिख्तयार काकी, फरीदुद्दीन गंज-ए-शकर, निजामुद्दीन औलिया और नसीरुद्दीन चरघ जैसे ख्वाजा मोइन-उद्दीन चिश्ती के शिष्यों द्वारा आगे बढ़ाया तथा लोकप्रिय बनाया गया।

# ♦ सुहरावर्दी सिलसिला ( Suhrawardi Order ):

- इसकी स्थापना शेख शहाबुद्दीन सुहरावार्दी मकतूल द्वारा की गई थी।
- चिश्ती सिलिसले के विपरीत सुहरावर्दी सिलिसले को मानने वालों ने सुल्तानों/राज्य के संरक्षण/अनुदान को स्वीकार किया।

#### नक्शबंदी सिलिसलाः

इसकी स्थापना ख्वाजा बहा-उल-दीन नक्सबंद द्वारा की गई थी।

- भारत में इस सिलसिले की स्थापना ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने की थी।
- शुरुआत से ही इस सिलिसले के फकीरों ने शिरयत के पालन पर जोर दिया।

#### कदिरिया सिलसिलाः

- यह पंजाब में लोकप्रिय था।
- इसकी स्थापना शेख अब्दुल कादिर गिलानी द्वारा 14वीं शताब्दी में की गई थी ।
- वे अकबर के अधीन मुगलों के समर्थक थे।



# आंतरिक सुरक्षा

### नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस 2022

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में आतंकवाद-विरोधी वित्तपोषण पर तीसरा 'नो मनी फॉर टेरर' (NMFT) मंत्रिस्तरीय सम्मेलन नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया गया।

 भारत के प्रधानमंत्री ने दृढ़ता से आतंकवाद से निपटने में किसी भी अस्पष्टता से बचने के लिये कहा है और उन देशों के खिलाफ भी चेतावनी दी है जो आतंकवाद को विदेश नीति के एक उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं।

### नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस:

#### • परिचयः

- "नो मनी फॉर टेरर" कॉन्फ्रेंस 2018 में फ्रॉंसीसी सरकार की एक पहल के रूप में शुरू किया गया था, जो विशेष रूप से देशों के बीच आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के लिये सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने के लिये था।
  - वर्ष 2019 में सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया
     था।
  - इसे वर्ष 2020 में भारत में आयोजित किया जाना था लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थिगित कर दिया गया था।

#### महत्त्वः

ईसने भाग लेने वाले देशों और संगठनों को आतंकवाद के वित्तपोषण पर वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय शासन की प्रभावशीलता एवं उभरती चुनौतियों से निपटने के लिये आवश्यक कदमों पर विचार-विमर्श करने हेतु एक अनूठा मंच प्रदान किया।

#### सम्मेलन 2022:

- इसमें 72 देशों और 15 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- सम्मेलन के दौरान चार सत्रों में विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था, जिसमें निम्निलिखित बिंदु प्रमुख थे:
  - आतंकवाद और आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण में वैश्विक रुझान।
  - आतंकवाद के लिये धन के औपचारिक और अनौपचारिक माध्यमों का उपयोग।
  - उभरती प्रौद्योगिकियाँ और आतंकवादी वित्तपोषण।
  - आतंकवादी वित्तपोषण का सामना करने में चुनौतियों का समाधान करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।

#### NMFT सम्मेलन 2022 में भारत का पक्ष:

#### अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तनः

- इस तथ्य के आलोक में कि अफगानिस्तान में पिछले शासन परिवर्तन के परिणामस्वरूप 9/11 हमला हुआ था, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इससे उत्पन्न खतरों से अवगत होने की सलाह दी।
- सत्ता परिवर्तन और अल कायदा और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (ISIS) का बढ़ता प्रभाव क्षेत्रीय सुरक्षा के लिये एक गंभीर चुनौती के रूप में उभरा है।

### आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों का पर्दाफाशः

- भारत ने इस बात पर जोर दिया िक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कभी
   भी आतंकवादियों के सुरिक्षत ठिकानों या उनके संसाधनों की
   अनदेखी नहीं करनी चाहिये।
- उन्हें प्रायोजित और समर्थन करने वाले ऐसे तत्त्वों की दोहरी नीतियों का पर्दाफाश करना जरूरी है।
- यह महत्त्वपूर्ण है कि इस सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों और संगठनों को इस क्षेत्र की चुनौतियों का चयनात्मक या आत्मसंतुष्ट दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिये।

#### उभरती प्रौद्योगिकियों से खतरे:

- आतंकवादी समूह डार्क नेट और क्रिप्टोकरेंसी जैसे आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी हथियारों की बारीिकयों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं।
  - आतंकवाद का डायनामाइट से लेकर मेटावर्स और एके 47 से आभासी परिसंपत्ति में परिवर्तन निश्चित रूप से
     विश्व के लिये चिंता का विषय है।
  - आतंकवाद और ऑनलाइन कट्टरता के लिये उपयोग किये
     जाने वाले बुनियादी उपकरणों को वितरित किया जाता है।
  - प्रत्येक देश अपनी पहुँच के भीतर आने वाली सभी शृंखलाओं के खिलाफ कार्रवाई कर सकतें है और उन्हें कार्रवाई करनी चाहिये।

#### • आतंकवाद समर्थक देशों की लागत:

- कुछ देश अपनी विदेश नीति के तहत आतंकवाद का समर्थन करते हैं। वे उन्हें राजनीतिक, वैचारिक और वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।
- आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों को इसकी कीमत चुकानी होगी। आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति पैदा करने की कोशिश करने वाले संगठनों और व्यक्तियों को भी अलग-थलग किया जाना चाहिये।

#### संगठित अपराध से खतरा:

- संगठित अपराध को अलग करके नहीं देखा जाना चाहिये और इन गिरोहों के अक्सर आतंकवादी संगठनों के साथ गहरे संबंध होते हैं।
- बंदूक बनाने से मिलने वाले पैसे, ड्रग्स और तस्करी के माध्यम से कमाए गए पैसे को आतंकवाद में लगाया जाता है।
- यहाँ तक कि मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अपराध जैसी गतिविधियों
   को आतंक के वित्तपोषण में मदद करने के लिये जाना जाता है।

# आतंकवाद का मुकाबला करने हेतु पहल:

- राष्ट्रीयः
- जनवरी 2009 में 26/11 आतंकवादी हमले के मद्देनज्ञर, आतंकवादी अपराधों से निपटने के लिये राष्ट्रीय जाँच एजेंसी की स्थापना की गई थी।

- भारत में, गैरकानूनी गितिविधि (रोकथाम) संशोधन अधिनियम प्राथिमक आतंकवाद विरोधी कानून है।
- सुरक्षा से संबंधित जानकारी जुटाने के लिये राष्ट्रीय आसूचना प्रिड (NATGRID) की स्थापना की गई है।
- आतंकवादी हमलों के खिलाफ तेजी से प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के लिये एक परिचालन केंद्र बनाया गया है।

### वैश्विक:

- संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी कार्यालय (UNOCT)
- ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC) की आतंकवाद रोकथाम शाखा (TPB)
- वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF)
- आतंकवाद के खिलाफ भारत का वार्षिक संकल्प:



# दुशिवस

# सार्वजनिक पद पर आसीन लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही मे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सार्वजनिक पद पर आसीन लोगों को आत्म-प्रतिबंध का प्रयोग करना चाहिये और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिये जो अन्य देशवासियों के लिये अपमानजनक हों।

 िकसी सार्वजनिक पदाधिकारी के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध के संबंध में पाँच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखा।

# निर्णय की मुख्य विशेषताएँ:

- परिचयः
  - न्यायालय ने कहा कि यदि कोई सार्वजनिक अधिकारी ऐसा भाषण देता है जिसका किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो संबद्ध व्यक्ति के पास हमेशा इसके निपटान हेतु नागरिक उपाय होता है।
  - न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 19(2) चाहे जो भी कहे, देश में एक संवैधानिक संस्कृति है जहाँ एक अंतर्निहित सीमा है या जिम्मेदार पदों पर आसीन लोगों के भाषण अथवा अभिव्यक्ति पर कुछ प्रतिबंध हैं।
    - अनुच्छेद 19 (2) देश की संप्रभुता और अखंडता, सार्वजिनक व्यवस्था, नैतिकता आदि के हित में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाने के लिये राज्य की शक्तियों से संबंधित है।

#### • पूर्व के निर्णय:

- 2017 में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने विभिन्न मुद्दों को निर्णय के लिये संविधान पीठ को भेजा था, जिसमें यह भी शामिल था कि क्या एक सार्वजनिक पदाधिकारी या मंत्री संवेदनशील मामलों पर विचार व्यक्त करते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दावा कर सकता है।
  - इस मुद्दे पर एक आधिकारिक घोषणा की आवश्यकता उत्पन्न हुई क्योंिक ऐसे तर्क थे कि एक मंत्री व्यक्तिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं कर सकता और उसके बयानों को सरकारी नीति के अनुरूप होना चाहिये।
- अदालत ने पहले कहा था कि वह इस बात पर विचार करेगी कि क्या भाषण और अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार शालीनता या नैतिकता के उचित प्रतिबंध के तहत शासित होगा या मौलिक अधिकारों का भी इस पर प्रभाव पडेगा।

#### आचार संहिता:

- आचार संहिता किसी व्यक्ति या संगठन के लिये नियमों, व्यवहार या प्रथाओं के मानकों का एक सेट है जो किसी संगठन के निर्णयों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों को इस तरह से निर्देशित करती है जो इसके हितधारकों के कल्याण में योगदान देता है।
  - उदाहरण के लिये भारत निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता भारत के चुनाव आयोग द्वारा चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के संचालन के लिये जारी दिशा-निर्देशों का एक सेट है, जिसमें मुख्य रूप से भाषण, मतदान दिवस, मतदान केंद्र, विभाग, चुनाव घोषणापत्र, जुलूस तथा सामान्य आचरण शामिल है।
- इसी तरह सिविल सेवकों के लिये कर्तव्यों का पालन करने और आचरण संबंधी नियमों को बनाए रखने के लिये संहिताओं का एक सेट निर्धारित किया गया है।

#### सिविल सेवकों के लिये आचार संहिता के सात सिद्धांत:

- निस्वार्थताः सार्वजनिक पद धारण करने वालों द्वारा जनिहत में निर्णय लिये जाने चाहिये। अपने परिवार या अन्य मित्रों के लिये धन या अन्य भौतिक लाभ प्रदान करने के लिये उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिये।
- अखंडताः सार्वजनिक कार्यालय के धारकों को किसी भी तरह के आर्थिक या बाहरी पार्टियों के दबाव में काम नहीं करना चाहिये, जो उन्हें ऐसा करने के लिये दबाव बनाते हैं।
- वस्तुनिष्ठताः सार्वजनिक अधिकारियों को सार्वजनिक नियुक्तियों, अनुबंध पुरस्कारों और प्रोत्साहनों तथा भत्तों के लिये सिफारिशों सिहत सार्वजनिक व्यवसाय करते समय योग्यता के आधार पर अपने निर्णय लेने चाहिये।
- जवाबदेही: सिविल सेवकों को उनकी स्थिति के अनुसार जाँच के दायरे में रखा गया है साथ ही, उन्हें जनता को उनकी पसंद और आचरण के लिये जवाब देना चाहिये।
- खुलापन: सभी विकल्प और कार्य जो सार्वजनिक कार्यालय धारक करते हैं वे यथासंभव पारदर्शी होने चाहिये। जब व्यापक जनिहत में स्पष्ट रूप से इसकी आवश्यकता होती है तो उन्हें अपनी पसंद के लिये औचित्य प्रदान करना चाहिये और केवल आवश्यक होने पर ही जानकारी को प्रतिबंधित करना चाहिये।
- ईमानदारी: नौकरशाह का यह कर्त्तव्य है कि वह अपने सार्वजनिक कर्त्तव्यों से संबंधित निजी हितों की घोषणा करे और ऐसे किसी विरोध के समाधान के लिये आवश्यक कदम उठाए जो सार्वजनिक हितों की रक्षा करने में आडे आता हो।

 नेतृत्वः इन विचारों को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिये सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा नेतृत्व का उपयोग किया जाना चाहिये।

### आगे की राह

- कुछ निष्कर्ष लोक सेवा पर सामान्य रूप से लागू होते हैं जिन्हें लोक सेवा के सात सिद्धांतों के अतिरिक्त जोड़ा जा सकता है।
  - आचार संहिताः सभी सार्वजनिक निकायों को इन सिद्धांतों को शामिल करते हुए आचार संहिता बनानी चाहिये।
- स्वतंत्र जाँच: मानकों को बनाए रखने के लिये आंतरिक प्रणालियों को स्वतंत्र जाँच द्वारा समर्थित किया जाना चाहिये।
- शिक्षाः सार्वजनिक निकायों में आचरण के मानकों को बढ़ावा देने तथा सुदृढ़ करने के लिये और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण के माध्यम से, जिसमें प्रारंभिक प्रशिक्षण भी शामिल है।



# प्रिलिस्स फैक्ट्स

# राष्ट्रीय प्रेस दिवस

भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को परे भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है।

#### भारतीय प्रेस परिषदः

#### • परिचयः

- यह पहली बार वर्ष 1966 में भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम, 1965 के तहत पहले प्रेस आयोग की सिफारिशों पर स्थापित किया गया था, जिसका दोहरा उद्देश्य भारत में समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखने एवं इसमें सुधार कर प्रेस की स्वतंत्रता को संरक्षित करना था।
- अर्द्ध-न्यायिक स्वायत्त प्राधिकरण के रूप में इसे वर्ष 1979 में संसद के एक अधिनियम, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत फिर से स्थापित किया गया था।
- भारतीय प्रेस परिषद एकमात्र निकाय है जो प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के अपने कर्त्तव्य में राज्य के उपकरणों पर भी अधिकार का प्रयोग करता है।

#### • संगठनः

- यह परिषद एक कॉर्पोरेट निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और 28 सदस्य होते हैं।
  - इसमें सभापित का चयन लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापित और परिषद के 28 सदस्यों द्वारा आपस में चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है।

#### • उद्देश्य:

- 🔷 प्रेस की स्वतंत्रता बनाए रखना।
- भारत में समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखना एवं सुधार करना।

# • भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ:

# भूमिकाएँ:

- इस परिषद के पास अनुसंधान करने, किसी भी प्रस्तावित कानून, नियम या प्रेस से संबंधित अन्य मद पर अपनी राय देने और उस राय को उपयुक्त अधिकारियों को संप्रेषित करने का अधिकार है।
- लोक महत्त्व के मामलों में परिषद संज्ञान ले सकती है और मौके पर जाँच करने के लिये एक विशेष समिति का गठन कर सकती है।

#### जिम्मेदारियाँ:

- समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों को अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने में मदद करना।
- उच्च पेशेवर मानकों के अनुसार समाचार पत्रों, समाचार एजेंसियों और पत्रकारों के लिये एक आचार संहिता का निर्माण करना।
- समाचार पत्रों, समाचार एजेंसियों और पत्रकारों की ओर से सार्वजनिक महत्त्व के उच्च मानकों को बनाए रखना तथा यह सुनिश्चित करना कि अधिकारों एवं जिम्मेदारियों की भावना को बढ़ावा दिया जाए।

## फोटोनिक क्रिस्टल

शोधकर्ताओं ने बेहतर तापीय स्थिरता और ऑप्टिकल शुद्धता के साथ एक नरम समायोज्य फोटोनिक क्रिस्टल बनाया है जो दृश्यमान स्पेक्ट्रम में चमकीले रंगों को दर्शाता है तथा इसका उपयोग बेहतर एवं अधिक लचीला परावर्तक डिस्प्ले और लेजर सिस्टम बनाने के लिये किया जा सकता है।

#### फोटोनिक किस्टलः

#### • परिचय:

- फोटोनिक क्रिस्टल ऑप्टिकल नैनोस्ट्रक्चर होते हैं जिनमें अपवर्तक सूचकांक समय-समय पर बदलता रहता है।
  - अपवर्तनांक एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण के झुकने का माप है । इसे अपवर्तन सचकांक भी कहा जाता है।
- यह प्रकाश सीधा प्रसार(प्रोपेगेशन) को उसी प्रकार प्रभावित करता है जिस प्रकार प्राकृतिक क्रिस्टल की संरचना से एक्स-किरणों (X-rays) का विवर्तन होता है और अर्द्धचालकों के परमाणु जाल (क्रिस्टल संरचना) इलेक्ट्रॉनों की चालकता को प्रभावित करते हैं।
- फोटोनिक क्रिस्टल प्रकृति में संरचनात्मक रंगाई और पशु परावर्तकों के रूप में होते हैं।
  - प्रकृति में पाए जाने वाले उदाहरणों में दूधिया पत्थर (opal), तितली के पंख, मोर के पंख आदि शामिल हैं, जो अलग-अलग इंद्रधनुषी रंगों का प्रदर्शन करते हैं।

#### • उपयोगः

 कृत्रिम रूप से उत्पादित या प्रयोगशालाओं में इंजीनियरिंग के क्रम में फोटोनिक क्रिस्टल के उपयोग के तहत परावर्तन कोटिंग्स से लेकर ऑप्टिकल कंप्यूटर तक के अनुप्रयोग शामिल हैं।

- यह पीसी को दृश्यमान वर्णक्रमीय व्यवस्था में रचनात्मक रंगों को प्रदर्शित करने में सक्षम बनाते हैं।
- शोधकर्त्ता भी इन-सीटू पोस्ट-फैब्रिकेशन (in-situ postfabrication) के गुणों के साथ तालमेल हेतु निरंतर प्रयासरत रहे हैं।
- तरल क्रिस्टल (LC) का उपयोग करके विकसित की जाने वाली उन्नत फोटोनिक सामग्री और उपकरणों के प्रति आकर्षण में व्यापक वृद्धि हुई है क्योंकि ये बाह्य उद्दीपन के प्रतिक्रिया स्वरूप स्वत: संगठित होने, चरणबद्ध संक्रमण और आणविक अभिविन्यास जैसे व्यवहार प्रदर्शित करते हैं।

# उद्योग संक्रमण शिखर सम्मेलन नेतृत्व

भारत और स्वीडन ने मिस्र के शर्म अल शेख में COP27 के मौके पर लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन (LEADIT) शिखर सम्मेलन की मेजबानी की।

 शिखर सम्मेलन के बाद COP27 में इंडिया पिवल्यन (भारतीय मंडप) में LeadIT शिखर सम्मेलन 2022 का शुभारंभ किया गया।

# प्रमुख बिंदु

- LeadIT सदस्यों ने निम्न कार्बन संक्रमण को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर फिर से जोर दिया।
- इस आयोजन में गोलमेज चर्चां शामिल थी जो वित्त और अन्य क्रॉस-सेक्टोरल मुद्दों तथा सफल निम्न कार्बन संक्रमण की आवश्यकताओं पर केंद्रित थीं।
- सदस्य, नए सदस्यों और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिये भी प्रतिबद्ध हैं। उभरते और विकासशील देशों में भारी उद्योगों के संक्रमण में निवेश के जोखिम को कम करने के महत्त्व पर भी प्रकाश डाला गया।
- शिखर सम्मेलन LeadIT के सदस्यों द्वारा शिखर सम्मेलन के बयान को स्वीकार करने के साथ संपन्न हुआ।

# 'लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांज़िशन' ( LeadIT ):

#### • परिचय:

- LeadIT पहल उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देती है जो वैश्विक जलवायु कार्रवाई में प्रमुख हितधारक हैं और जहाँ विशिष्ट हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
- यह उन देशों और कंपिनयों को संगठित करता है जो पेरिस समझौते को हासिल करने एवं कार्रवाई के लिये प्रतिबद्ध हैं।
- इसे वर्ष 2019 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में स्वीडन और भारत की सरकारों द्वारा लॉन्च किया गया था तथा यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा समर्थित है।

LeadIT के सदस्य इस विचार को बढ़ावा देते हैं कि वर्ष 2050 तक ऊर्जा-गहन उद्योगों में निम्न-कार्बन उत्सर्जन के उपायों को अपनाकर शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लक्ष्यों की पूर्ति की जा सकती है।

#### सदस्यः

- LeadIT में देशों और कंपनियों को मिलाकर कुल 37 सदस्य हैं।
  - जापान और दक्षिण अफ्रीका इस पहल के नवीनतम सदस्य
     हैं।

# राष्ट्रीय प्रेस दिवस

भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को पुरे भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है।

#### भारतीय प्रेस परिषद:

#### • परिचयः

- यह पहली बार वर्ष 1966 में भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम, 1965 के तहत पहले प्रेस आयोग की सिफारिशों पर स्थापित किया गया था, जिसका दोहरा उद्देश्य भारत में समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखने एवं इसमें सुधार कर प्रेस की स्वतंत्रता को संरक्षित करना था।
- अर्द्ध-न्यायिक स्वायत्त प्राधिकरण के रूप में इसे वर्ष 1979 में संसद के एक अधिनियम, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत फिर से स्थापित किया गया था।
- भारतीय प्रेस परिषद एकमात्र निकाय है जो प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के अपने कर्त्तव्य में राज्य के उपकरणों पर भी अधिकार का प्रयोग करता है।

#### • संगठनः

- यह परिषद एक कॉर्पोरेट निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और 28 सदस्य होते हैं।
  - इसमें सभापित का चयन लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापित और परिषद के 28 सदस्यों द्वारा आपस में चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है।

#### • उद्देश्य:

- प्रेस की स्वतंत्रता बनाए रखना।
- भारत में समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखना एवं सुधार करना।

### भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ:

#### भूमिकाएँ:

 इस परिषद के पास अनुसंधान करने, किसी भी प्रस्तावित कानून, नियम या प्रेस से संबंधित अन्य मद पर अपनी राय देने और उस राय को उपयुक्त अधिकारियों को संप्रेषित करने का अधिकार है।

 लोक महत्त्व के मामलों में परिषद संज्ञान ले सकती है और मौके पर जाँच करने के लिये एक विशेष समिति का गठन कर सकती है।

#### जिम्मेदारियाँ:

- समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों को अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने में मदद करना।
- उच्च पेशेवर मानकों के अनुसार समाचार पत्रों, समाचार एजेंसियों और पत्रकारों के लिये एक आचार संहिता का निर्माण करना।
- समाचार पत्रों, समाचार एजेंसियों और पत्रकारों की ओर से सार्वजिनक महत्त्व के उच्च मानकों को बनाए रखना तथा यह सुनिश्चित करना कि अधिकारों एवं जिम्मेदारियों की भावना को बढ़ावा दिया जाए।

# डिजिटल शक्ति 4.0

हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने डिजिटल शक्ति अभियान का चौथा चरण शुरू किया है।

 NCW ने इसे साइबरपीस फाउंडेशन और मेटा के सहयोग से लॉन्च किया।

# डिजिटल शक्तिः

#### • परिचय:

- देश भर में डिजिटल क्षेत्र में महिलाओं में जागरूकता स्तर को बढ़ाने में मदद करने के लिये जून 2018 में डिजिटल शक्ति की शुरुआत हुई थी।
- यह महिलाओं को उनके लाभ के लिये रिपोर्टिंग और निवारण तंत्र, डेटा गोपनीयता और प्रौद्योगिकी के उपयोग में मदद कर रहा है।
- इस कार्यक्रम का तीसरा चरण मार्च 2021 में लेह में शुरू किया गया था।

#### डिजिटल शक्ति 4.0:

- डिजिटल शक्ति 4.0 मिहलाओं को डिजिटल रूप से कुशल और किसी भी प्रकार के अवैध/अनुचित ऑनलाइन गतिविधि के खिलाफ डटकर खड़े होने के लिये जागरूक बनाने पर केंद्रित है।
- इसका उद्देश्य महिलाओं के लिये सुरिक्षत साइबर स्पेस सुनिश्चित करना है।

#### उपलब्धियाँ:

डिजिटल शक्ति परियोजना के माध्यम से पूरे भारत में 3 लाख से

अधिक महिलाओं को साइबर सुरक्षा संबंधी सुझावों और उपायों, रिपोर्टिंग एवं निवारण तंत्र, डेटा गोपनीयता तथा उनके लाभों के लिये प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में जागरूक किया गया है।

# राष्ट्रीय महिला आयोग:

- राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी 1992 में एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी।
- इसका प्राथिमक उद्देश्य उपयुक्त नीति निर्माण और विधायी उपायों के माध्यम से महिलाओं को उनके उचित अधिकारों को सुरिक्षत करने में सक्षम बनाना और जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता एवं समान भागीदारी हासिल करने में सक्षम बनाने की दिशा में प्रयास करना है।
- इसके कार्यों में शामिल हैं:
  - महिलाओं के लिये संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना।
  - उपचारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करना।
  - शिकायतों के निवारण को सुगम बनाना।
  - महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना।

# पाटन पटोला

हाल ही में G-20 सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने इटली के प्रधानमंत्री को पाटन पटोला स्कार्फ़ भेंट स्वरूप प्रदान किया।



#### पाटन पटोलाः

- पटोला एक दोहरे इकत से बुना हुआ कपड़ा है, जो आमतौर पर पाटन (उत्तरी गुजरात) में रेशम से बनाया जाता है।
  - इकत, बुनाई से पहले ताने और बाने के धागों की प्रतिरोध रंगाई से बनते हैं।
- इसे वर्ष 2013 में भौगोलिक संकेतक (GI) टैग मिला था।
- शुद्ध रेशम में बुने गए दोहरे इकत या पटोला की प्राचीन कला 11वीं शताब्दी की है।
- इस विशिष्ट गुणवत्ता की उत्पत्ति बुनाई से पहले ताने और बाने पर अलग-अलग रंगाई या गाँठ रंगाई की एक जटिल और कठिन तकनीक में होती है, जिसे 'बंधनी' के रूप में जाना जाता है।
- इस अजीबोगरीब विशेषता की उत्पत्ति रंगाई या गाँठ रंगाई की एक जटिल और कठिन तकनीक से हुई है, जिसे बुनाई से पहले अलग-अलग ताने और बाने पर 'बंधनी' के रूप में जाना जाता है।
  - पटोला कपड़ों में दोनों तरफ रंगों और डिजाइन की समान तीव्रता होती है।
- पटोला शीशम और बाँस की पिट्टयों से बने आदिम हाथ से संचालित हार्नेस करघे पर बुना जाता है। करघा एक स्लैंट पर स्थित होता है।
  - यह प्रक्रिया श्रम-गहन व समय लेने वाली है और इसके लिये उच्च स्तर के कौशल एवं विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।
  - छह गज की एक साड़ी के लिये ताने-बाने के धागों पर टाई-डाइड डिजाइन तैयार करने में तीन से चार महीने का समय लगता है।
  - जबिक पटोला रखना और पहनना गर्व की बात मानी जाती है,
     वहीं इसकी ऊँची कीमत के कारण यह कपड़ा आम लोगों की पहँच से बाहर रहा है।
- इस कला के प्रमुख कलाकारों में से एक पाटन का साल्वी परिवार है।
- अन्य आमतौर पर पहना जाने वाला पटोला राजकोट पटोला है, जो एक सपाट करघे पर बुना जाता है।
- द्वितीय विश्व युद्ध से पहले इंडोनेशिया पटोला का प्रमुख खरीदार था।

# फिनफ्लुएंसर

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) वित्तीय रूप से प्रभावशाली लोगों के लिये दिशानिर्देशों पर काम कर रहा है, जिन्हें 'फिनफ्लुएंसर' के नाम से जाना जाता है।

 फिनफ्लुएंसर सार्वजनिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाले लोग हैं जो स्टॉक में पैसे और निवेश के बारे में सलाह एवं व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हैं। उनके वीडियो में बजट बनाना, निवेश करना, संपत्ति खरीदना,
 क्रिप्टोकरेंसी सलाह और वित्तीय रुझान पर नजर रखना शामिल
 है।

### विनियमों की आवश्यकताः

- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवांछित 'स्टॉक' सलाह देने वाले 'अपंजीकृत' निवेश सलाहकारों की संख्या में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है।
- इसके अलावा कुछ कंपिनयों ने फिनफ्लुएंसर के माध्यम से अपने शेयर की कीमतों को बढ़ावा देने के लिये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया।
- जब धोखाधड़ी की बात आती है तो सूचीबद्ध कंपनियों और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के बीच कोई अंतर नहीं होता है और इसीलिये अब डिजिटल डेटा चोरी एवं तकनीकी जोखिम में वृद्धि देखी जा रही है।
  - धन या संपत्ति के विपथन (Diversion) के परिणामस्वरूप वित्तीय संकट, अराजकता, शेयरधारकों के धन की हानि, एक नैतिक समस्या और प्रतिष्ठा संबंधी नुकसान होता है।

# भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( SEBI ):

- परिचयः
  - SEBI भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के तहत 12 अप्रैल, 1992 को स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
  - भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का मूल कार्य प्रतिभूतियों
     में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और प्रतिभूति बाजार को
     बढ़ावा देना और विनियमित करना है।
  - 🔷 इसका मुख्यालय मुंबई, भारत में है।
- सरंचनाः
  - सेबी बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थातु: -
    - सभापति
    - वित्त से संबंधित केंद्र सरकार के मंत्रालय के अधिकारियों में से दो सदस्य
    - भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों में से एक सदस्य
    - पाँच अन्य सदस्य जिनमें से कम से कम तीन केंद्र सरकार
       द्वारा नियुक्त किये जाने वाले पूर्णकालिक सदस्य होंगे।
    - सेबी उस समय के महत्वपूर्ण मुद्दों को देखने के लिये जब भी आवश्यक होता है, विभिन्न सिमितियों की नियुक्ति भी करता है।
  - इसके अलावा सेबी के निर्णय से असंतुष्ट महसूस करने वाली संस्थाओं के हितों की रक्षा के लिये एक प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) का गठन किया गया है।

- SAT में एक पीठासीन अधिकारी और दो अन्य सदस्य होते हैं।
- इसमें वही शक्तियाँ निहित हैं जो एक सिविल न्यायालय में होती हैं। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति SAT के निर्णय या आदेश से असंतुष्ट महसूस करता है तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।

## मूली बाँस

हाल ही में एक शोध अध्ययन में मूली बाँस (मेलोकैना बेसीफेरा) के फल और फूलों से आकर्षित होने वाले पशु आगंतुकों/शिकारियों की एक बडी विविधता को देखा और सुचीबद्ध किया गया।

- अध्ययन में पाया गया कि शिकार मुख्य रूप से शर्करा की उच्च मात्रा के कारण होता है।
- इस प्रजाति के बाँस के झुरमुट में अब तक का सबसे अधिक फल उत्पादन भी देखा गया था।

## मूली बाँसः

- परिचयः
  - मूली बाँस की उष्णकटिबंधीय सदाबहार प्रजाति है।
  - यह सबसे अधिक फल उत्पादन करने वाला बाँस है और पूर्वोत्तर भारत- म्याँमार क्षेत्र का स्थानिक है।
  - यह उत्तर-पूर्वी राज्य में पाए जाने वाले बाँस के जंगलों का 90% हिस्सा है।
  - विसरित गुच्छों की वजह से इसे आसानी से पहचाना जा सकता है।
  - पौधे को सजावट के रूप में भी उगाया जाता है।
  - 'मौतम' मूली बाँस से जुड़ी एक अजीब पारिस्थितिक घटना है जो प्रत्येक 48 वर्ष में एक बार होती है।

#### • प्रौतप

- मिजो में 'मौतम' का अर्थ है 'बाँस की मृत्यु' (मऊ का अर्थ है बाँस और तम का अर्थ है मृत्यु)।
- 'मौतम' के दौरान, चक्रीय, बड़े पैमाने पर बाँस का फूलना और बड़े फलों का उत्पादन होता है।
- यह पराग परभक्षी (मधुमिक्खयों), फलों के परभक्षी (मिलिपिड्स, स्लग और घोंघे, फ्रूट बोरर, बंदर, चूहे, साही, जंगली सूअर तथा सिवेट), सीड परभक्षी (खरगोश, हिरण), कीट/ कीट शिकारी (चींटियों, मंटिस) सहित पशु शिकारियों को आकर्षित करता है।
- काले चूहे मूली बाँस के मांसल, बेर जैसे फल को बहुत पसंद करते हैं और इस अविध के दौरान काले चूहे भी तेजी से बढ़ते हैं, इस घटना को 'रैट फ्लड' कहा जाता है।

- हालाँकि जब फल समाप्त हो जाते हैं, तो वे तेज़ी से खड़ी फसलों को खाने लगते हैं।
- इससे अकाल पडते हैं और हजारों मानव प्रभावित होते हैं।
- 'मौतम' होने के कारण मूली बाँस को स्थानीय रूप से 'मौटक' के नाम से जाना जाता है।

### बाँस से संबंधित पहल:

- वैश्विक पहल:
  - विश्व बाँस दिवस:
    - यह प्रतिवर्ष 18 सितंबर को मनाया जाता है।
  - ♦ अंतर्राष्ट्रीय बाँस और रत्तन संगठन ( INBAR ):
    - यह एक बहुपक्षीय विकास संगठन है जो बाँस और रत्तन का उपयोग करके पर्यावरण की दृष्टि से सतत् विकास को बढावा देता है।
    - चीन में सचिवालय मुख्यालय के अलावा INBAR के भारत, घाना, इथियोपिया और इक्वाडोर में क्षेत्रीय कार्यालय हैं।
- बाँस से संबंधित सरकारी पहलः
  - बाँस क्लस्टर्सः
  - राष्ट्रीय बाँस मिशन (NBM)
  - बाँस को 'वृक्ष' श्रेणी से हटाना:
    - वर्ष 2017 में बाँस को वृक्ष की श्रेणी से हटाने हेतु भारतीय
       वन अधिनियम 1927 में संशोधन किया गया था।
    - इसका परिणाम है कि कोई भी बाँस की खेती और व्यवसाय कर सकता है तथा इसकी कटाई करने एवं उत्पादों को बेचने हेतु अनुमित लेने की आवश्यकता नहीं होती है।

## विश्व शौचालय दिवस

लोगों को स्वस्थ रखने और स्थायी स्वच्छता के महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है।

 वर्ष 2022 की थीम: "अदृश्य को दृश्य बनाना" (Making the invisible visible)।

### विश्व शौचालय दिवस:

- पृष्ठभूमि:
  - विश्व शौचालय दिवस वर्ष 2013 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
- उद्देश्य:
  - यह वैश्विक स्वच्छता संकट से निपटने और सतत् विकास लक्ष्य (SDG) 6: 2030 तक सभी के लिये स्वच्छता और जल हासिल करने हेतु कार्रवाई करने के बारे में है।

 इस वर्ष का विषय इस बात की पड़ताल करता है कि अपर्याप्त स्वच्छता प्रणाली कैसे मानव अपिशष्ट को निदयों, झीलों और मिट्टी में फैलाती है तथा भूमिगत जल संसाधनों को प्रदूषित करती है।

### • भारत का दृष्टिकोण और उपलब्धियाँ:

- इस वर्ष जल शक्ति मंत्रालय, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम-जी) के तहत पूरे ग्रामीण भारत में 'स्वच्छता दौड़' का आयोजन कर रहा है।
  - SBM-G को दुनिया के सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- जब पूरे देश ने वर्ष 2019 में खुले में शौच मुक्त राज्य (ODF) का दर्जा हासिल कर लिया, तब भारत सुरक्षित स्वच्छता तक पहुँच से संबंधित SDG 6.2 पहले ही हासिल कर चुका है; यह अब ODF+ स्थिति हासिल करने के अपने प्रयासों की ओर अग्रसर है।

### स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ( SBM-G ):

#### • परिचयः

- इसे वर्ष 2014 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिये लॉन्च किया गया था।
- मिशन को राष्ट्रव्यापी अभियान/जनांदोलन के रूप में लागू किया
   गया था जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच को समाप्त करना था।

### • स्वच्छ भारत मिशन ( G ) चरण- I:

- भारत में 2 अक्तूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
   की शुरुआत के समय ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 38.7 प्रतिशत
   दर्ज की गई थी।
- इस मिशन के अंतर्गत 10 करोड़ से ज्यादा व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया जिसके परिमाणस्वरूप सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों ने स्वयं को 2 अक्तूबर, 2019 को ODF घोषित कर दिया।

### • SBM ( G ) चरण- II:

- यह चरण I के तहत प्राप्त की गई उपलिब्धियों की स्थिरता और ग्रामीण भारत में ठोस/तरल एवं प्लास्टिक अपिशष्ट प्रबंधन (SLWM) के लिये पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान करने पर जोर देता है।
- कार्यान्वयन: स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण- II को वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक की अवधि के लिये 1,40,881 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ एक मिशन के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा।

### ◆ ODF प्लस के SLWM घटक की निगरानी निम्नलिखित चार संकेतकों के आधार पर की जाएगी-

- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन
- जैव अपघटित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (जिसमें पशु अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है)
- धुसर जल प्रबंधन
- मलयुक्त कीचड़ प्रबंधन

#### शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यः

शीर्ष प्रदर्शन करने वाले पाँच राज्य तेलंगाना, तिमलनाडु,
 ओडिशा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश हैं जहाँ
 अधिकतम गाँवों को ODF प्लस घोषित किया गया है।

### निकोबारी होदी शिल्प

हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने आवेदन किया है, जिसमें निकोबारी होदी शिल्प के लिये भौगोलिक संकेत (GI) टैग की मांग की गई है।

- यह केंद्रशासित प्रदेश से पहला आवेदन है जिसमें उसके किसी उत्पाद के लिये टैग की मांग की गई है।
- इससे पहले सरकार ने मिथिला मखाना को जीआई टैग से सम्मानित किया था।

### निकोबारी होदी:

- होदी निकोबारी जनजाति का पारंपिरक शिल्प है। यह एक ओट्रिगर डोंगी है, जो आमतौर पर द्वीपों के निकोबार समूह में संचालित होती है।
- निकोबारियों को होदी बनाने के लिये तकनीकी कौशल अपने पूर्वजों
   से विरासत में मिले स्वदेशी ज्ञान पर आधारित है।
- होदी को या तो स्थानीय रूप से या आसपास के द्वीपों पर उपलब्ध पेड़ों से बनाया जाता है और इसका डिजाइन एक द्वीप से दूसरे द्वीप में थोड़ा भिन्न होता है।
- ध्यान में रखे जाने वाले विचारों में तैयार डोंगी की लंबाई शामिल है, जो इसकी चौड़ाई का 12 गुना होनी चाहिये, जबिक पेड़ के तने की लंबाई इस चौड़ाई का 15 गुना होनी चाहिये।
- होदी का उपयोग लोगों और सामानों को एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर ले जाने, नारियल भेजने, मछली पकड़ने और दौड़ प्रतियोगिता उद्देश्यों के लिये किया जाता है।
- तुहेट (एक मुखिया के अंतर्गत परिवारों का एक समूह) होदी को एक संपत्ति मानता है। होदी दौड़ द्वीपों और गाँवों के बीच आयोजित की जाती है।



### भौगोलिक संकेतक ( GI ) टैग:

#### • परिचय:

- GI एक संकेतक है, जिसका उपयोग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली विशेष विशेषताओं वाले सामानों को पहचान प्रदान करने के लिये किया जाता है।
- 'वस्तुओं का भौगोलिक सूचक' (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 भारत में वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतकों के पंजीकरण एवं बेहतर सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है।
- यह विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों (TRIPS) के व्यापार-संबंधित पहलुओं का भी हिस्सा है।
  - पेरिस कन्वेंशन के अनुच्छेद 1 (2) और 10 के तहत यह निर्णय लिया गया तथा यह भी कहा गया कि औद्योगिक संपत्ति भौगोलिक संकेत का संरक्षण बौद्धिक संपदा के तत्त्व हैं।
- यह मुख्य रूप से कृषि, प्राकृतिक या निर्मित उत्पाद (हस्तिशिल्प और औद्योगिक सामान) हैं।

#### • वैधताः

 भौगोलिक संकेत का पंजीकरण 10 वर्षों की अविध के लिये वैध होता है। इसे समय-समय पर 10-10 वर्षों की अतिरिक्त अविध के लिये नवीनीकृत किया जा सकता है।

#### • भौगोलिक संकेतक का महत्त्व:

- एक बार भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्रदान कर दिये जाने के बाद कोई अन्य निर्माता समान उत्पादों के विपणन के लिये इसके नाम का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। यह ग्राहकों को उस उत्पाद की ग्रामाणिकता के बारे में भी सुविधा प्रदान करता है।
- िकसी उत्पाद का भौगोलिक संकेतक अन्य पंजीकृत भौगोलिक संकेतक के अनिधकृत उपयोग को रोकता है।

- साथ ही यह कानूनी सुरक्षा प्रदान करके भारतीय भौगोलिक संकेतों के निर्यात को बढ़ावा देता है और विश्व व्यापार संगठन के अन्य सदस्य देशों को कानूनी सुरक्षा प्राप्त करने में भी सक्षम बनाता है।
- ♦ GI टैग उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करता है।
- यह ग्राहकों को उस उत्पाद की प्रामाणिकता के बारे में भी सुविधा प्रदान करता है।

### GI रिजस्ट्रेशनः

- GI उत्पादों के पंजीकरण की उचित प्रक्रिया है जिसमें आवेदन दाखिल करना, प्रारंभिक जाँच और परीक्षा, कारण बताओ नोटिस, भौगोलिक संकेत पत्रिका में प्रकाशन, पंजीकरण का विरोध एवं पंजीकरण शामिल है।
- इसके लिये कानून द्वारा या उसके तहत स्थापित व्यक्तियों, उत्पादकों, संगठन या प्राधिकरण का कोई भी संघ आवेदन कर सकता है।
- आवेदक को उत्पादकों के हितों का प्रतिनिधित्व करना चाहिये।

#### • GI टैग उत्पाद:

कुछ प्रसिद्ध वस्तुएँ जिनको यह टैग प्रदान किया गया है उनमें बासमती चावल, दार्जिलिंग चाय, चंदेरी फैब्रिक, मैसूर सिल्क, कुल्लू शॉल, कांगड़ा चाय, तंजावुर पेंटिंग, इलाहाबाद सुरखा, फर्रुखाबाद प्रिंट, लखनऊ जरदोजी, कश्मीर केसर और कश्मीर अखरोट की लकड़ी की नक्काशी शामिल हैं।

## रानी लक्ष्मीबाई

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में झाँसी का दौरा किया।



## रानी लक्ष्मीबाई:

#### • परिचय:

- रानी लक्ष्मीबाई को झाँसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है।
- 🔷 वह मराठा शासित झाँसी रियासत की रानी थीं।

- वह 1857 के भारतीय विद्रोह की प्रमुख व्यक्तित्त्वों में से एक
   थीं।
- उन्हें भारत में ब्रिटिश शासन के प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में देखा जाता है।

#### • प्रारंभिक जीवनः

- उनका जन्म 19 नवंबर, 1828 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ
   था।
- 🔷 उनका वास्तविक नाम मणिकर्णिका था।
- पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मार्शल आर्ट का औपचारिक प्रशिक्षण
   भी लिया, जिसमें घुड़सवारी, निशानेबाजी और तलवारबाजी
   शामिल थी।
- मनु के साथियों में नाना साहब (पेशवा के दत्तक पुत्र) और तात्या टोपे शामिल थे।

### झाँसी की रानी के रूप में मनुः

- 14 साल की उम्र में मनु का विवाह झाँसी के महाराजा गंगाधर राव नेवालकर से हुआ, जिनकी पहली पत्नी का बच्चा होने से पूर्व ही निधन हो गया था जो सिंहासन का उत्तराधिकारी होता।
  - अतः मणिकणिका झाँसी की रानी, लक्ष्मीबाई बन गई।
- रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसकी जन्म के तीन महीने बाद ही मृत्यु हो गई। बाद में दंपित ने गंगाधर राव के परिवार से एक बेटे दामोदर राव को गोद ले लिया।

### • स्वतंत्रता संग्राम में भूमिकाः

- रानी लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता के लिये भारत के संघर्ष के बहादुर योद्धाओं में से एक थीं।
- वर्ष 1853 में जब झाँसी के महाराजा की मृत्यु हो गई, तो लॉर्ड डलहौजी ने गोद लिये गए बच्चे को उत्तराधिकारी के रूप स्वीकार करने से इनकार कर दिया और व्यपगत के सिद्धांत (Doctrine of Lapse) को लागू करते हुए राज्य पर कब्जा कर लिया।
- रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी तािक झाँसी साम्राज्य को विलय से बचाया जा सके।
- 17 जून, 1858 को युद्ध के मैदान में लड़ते हुए उनकी मौत हो गई।
- जब भारतीय राष्ट्रीय सेना ने अपनी पहली महिला इकाई (1943 में)
   शुर की, तो इसका नाम झाँसी की बहादुर रानी के नाम पर रखा गया

## व्यपगत का सिद्धांत ( Doctrine of Lapse ):

 यह वर्ष 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर-जनरल रहे लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यापक रूप से अपनाई गई एक विलय नीति थी।

- इस नीति के अनुसार कोई भी रियासत जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण में थी और जहाँ शासक के पास कानूनी रूप से पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था, उस पर कंपनी द्वारा कब्जा कर लिया जाता था।
  - इस प्रकार भारतीय शासक के किसी भी दत्तक पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया जाता था।
- व्यपगत का सिद्धांत लागू करते हुए डलहौजी द्वारा निम्नलिखित राज्यों पर कब्ज़ा किया गया:
  - सतारा (1848 ई.),
  - 🔷 जैतपुर और संबलपुर (1849 ई.),
  - बघाट (1850 ई.),
  - 🔷 उदयपुर ( 1852 ई. ),
  - झाँसी (1853 ई.)
  - नागपुर (1854 ई.)

### काशी तमिल संगमम

हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में महीने भर चलने वाले काशी तिमल संगमम का उद्घाटन किया।

 यह कार्यक्रम "आजादी का अमृत महोत्सव" के भाग के रूप में और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बनाए रखने के लिये भारत सरकार द्वारा की गई एक पहल है।

### काशी तमिल संगमम

#### • परिचयः

- काशी तिमल संगमम भारत के उत्तर और दक्षिण के बीच ऐतिहासिक एवं सभ्यतागत संबंधों के कई पहलुओं का जश्न है।
- इसका व्यापक उद्देश्य ज्ञान और सांस्कृतिक परंपराओं (उत्तर एवं दक्षिण की) को करीब लाना, हमारी साझा विरासत की समझ विकसित करने के साथ इन क्षेत्रों के लोगों के बीच संबंध को और मजबूत करना है।
- यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा अन्य मंत्रालयों जैसे संस्कृति, कपड़ा,
   रेलवे, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना और प्रसारण आदि तथा
   उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है।
- यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के अनुरूप है, जो समकालीन ज्ञान प्रणालियों के साथ भारतीय ज्ञान प्रणालियों की समृद्धि के सामंजस्य पर जोर देती है।
- IIT मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) इस कार्यक्रम के लिये कार्यान्वयन एजेंसियाँ हैं।

### • सांस्कृतिक महत्त्वः

15वीं शताब्दी में मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन करने वाले राजा पराक्रम पांड्या भगवान शिव का एक मंदिर बनाना चाहते थे और उन्होंने एक शिवलिंग को वापस लाने के लिये काशी (उत्तर प्रदेश) की यात्रा की।

- वहाँ से लौटते समय वे रास्ते में एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिये रुके और फिर जब उन्होंने यात्रा हेतु आगे बढ़ने की कोशिश की तो शिवलिंग ले जा रही गाय ने आगे बढ़ने से बिल्कुल मना कर दिया।
- पराक्रम पंड्या ने इसे भगवान की इच्छा समझा और शिवलिंग को वहीं स्थापित कर दिया, जिसे बाद में शिवकाशी, तिमलनाडु के नाम से जाना जाने लगा।
- जो भक्त काशी नहीं जा सकते थे उनके लिये पांड्यों ने काशी विश्वनाथर मंदिर का निर्माण करवाया था, जो आज दक्षिण-पश्चिमी तमिलनाडु में तेनकासी के नाम से जाना जाता है और यह केरल के साथ इस राज्य की सीमा के करीब है।

## कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी

हाल ही में जापान में आयोजित तीसरे वार्षिक शिखर सम्मेलन में निवर्तमान परिषद अध्यक्ष, फ्राँस द्वारा वर्ष 2022-23 के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी (GPAI) की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई।

 यह घटनाक्रम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह जी-20 की अध्यक्षता संभालने के बाद हुआ है।

### वार्षिक GPAI शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएँ:

- टोक्यो इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला पहला एशियाई शहर है।
- बैठक में निम्नलिखित चार विषयों पर चर्चा की गई:
  - ♦ जिम्मेदार AI.
  - 🔷 डेटा शासन.
  - काम का भविष्य.
  - नवाचार और व्यावसायीकरण।
- AI पर राष्ट्रीय कार्यक्रम और एक राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी (NDGFP) के निर्माण के संदर्भ के साथ ही भारत ने AI के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को उत्प्रेरित करने के लिये इसके कुशल उपयोग हेतु अपनी प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला।
  - NDGFP का उद्देश्य गैर-व्यक्तिगत डेटा तक समान पहुँच सुनिश्चित करना और सरकारी डेटा साझाकरण के लिये संस्थागत ढाँचे में सुधार करने, डिजाइन द्वारा गोपनीयता और सुरक्षा के आसपास सिद्धांतों को बढ़ावा देने तथा उपकरणों के उपयोग को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित करना है।

### कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी ( GPAI ):

- परिचय:
  - इसे पंद्रह सदस्य देशों के साथ जून, 2020 में लॉन्च किया गया
     था।

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता में वैश्विक भागीदार को G7 के भीतर विकसित एक विचार के परिणाम' के रूप में वर्णित किया गया है।
- उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये इस पहल के तहत AI से संबंधित प्राथमिकताओं पर अत्याधुनिक अनुसंधान और अनुप्रयुक्त गतिविधियों की सहायता से AI के संबंध में सिद्धांत (Theory) और व्यवहार (Practice) के बीच मौजूद अंतर को समाप्त करने की कोशिश की जाएगी।
- यह पहल विज्ञान, उद्योग, नागरिक समाज, सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय निकायों और शिक्षा जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक मंच पर एक साथ लाकर कृत्रिम बुद्धिमता पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सुविधा प्रदान करती है।

#### सदस्य देशः

- ♦ वर्तमान में GPAI में सदस्य देशों की संख्या 25 हैं:
  - ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, चेक गणराज्य, डेनमार्क, फ्राँस, जर्मनी, भारत, आयरलैंड, इजरायल, इटली, जापान, मेक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पोलैंड, कोरिया गणराज्य (दिक्षण कोरिया), सिंगापुर, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ (EU)।
- संस्थापक देश:
  - ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्राँस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान,
     मेक्सिको, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर,
     स्लोवेनिया, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ।

### कृत्रिम बुद्धिमत्ता

#### • परिचयः

- यह उन कार्यों को पूरा करने वाली मशीनों की कार्रवाई का वर्णन करता है जिनके लिये ऐतिहासिक रूप से मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है।
- इसमें मशीन लर्निंग, पैटर्न रिकग्निशन, बिग डेटा, न्यूरल नेटवर्क्स, सेल्फ एल्गोरिदम आदि जैसी प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं।
- उदाहरण: मनुष्यों के आदेशों को समझने और मानव जैसे कार्यों को करने के लिये लाखों एल्गोरिदम और कोड हैं। अपने उपयोगकर्ताओं के लिये फेसबुक के सुझाए गए दोस्तों की सूची, एक पॉप-अप पेज, जो पसंदीदा ब्रांड के जूते और इंटरनेट ब्राउज करते समय स्क्रीन पर कपड़ों की आगामी बिक्री के बारे जानकारी देना इत्यादि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का कार्य है।
- AI प्रक्रियाओं को स्वचालित करता है और मानवीय त्रुटि को कम करता है लेकिन AI की प्रमुख सीमा यह है कि यह डेटा से सीखता है। इसका मतलब है कि डेटा में भी प्रकार की अशुद्धि परिणाम में देखी जा सकती है।

#### भारतीय अर्थव्यवस्था में अपेक्षित योगदानः

AI से वर्ष 2035 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में 967 बिलियन अमेरिकी डॉलर और वर्ष 2025 तक भारत की GDP में 450-500 बिलियन अमेरिकी डॉलर जोड़ने की उम्मीद है, जो देश के 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर GDP लक्ष्य का 10% है।

### AI से संबंधित पहल:

- राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीति
- MyGov कोरोना हेल्पडेस्क चैटबॉट
- रेज 2020 'सामाजिक अधिकारिता 2020 हेतु जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता
- वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक (वैभव) शिखर सम्मेलन

## ओलिव रिडले कछुए

ओलिव रिडले समुद्री कछुओं के जोड़े ओडिशा तट के साथ गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य के समुद्री जल पर उभरना शुरू हो गए हैं, जो इन लुप्तप्राय समुद्री प्रजातियों के वार्षिक सामूहिक शुरुआत को चिह्नित करता है।


### ओलिव रिडले कछुए:

#### • परिचयः

- ओलिव रिडले कछुए विश्व में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटे और सबसे अधिक हैं।
- ये कछुए मांसाहारी होते हैं और इनका पृष्ठवर्म ओलिव रंग
   (Olive Colored Carapace) का होता है जिसके
   आधार पर इनका यह नाम पड़ा है।
- ये कछुए अपने अद्वितीय सामूहिक घोंसले (Mass Nesting) अरीबदा (Arribada) के लिये सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, अंडे देने के लिये हजारों मादाएँ एक ही समुद्र तट पर एक साथ यहाँ आती हैं।

#### पर्यावासः

- ये मुख्य रूप से प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागरों के गर्म पानी में पाए जाते हैं।
- ओडिशा के गिहरमाथा समुद्री अभयारण्य को विश्व में समुद्री कछुओं के सबसे बड़े प्रजनन स्थल के रूप में जाना जाता है।



### • सुरक्षा स्थितिः

- 🔶 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची 1
- ♦ IUCN रेड लिस्ट: सुभेद्य
- ♦ CITES: परिशिष्ट I

#### • संकट:

- 🔶 समुद्री प्रदूषण और अपशिष्ट।
- मानव उपभोगः इन कछुओं का मांस, खाल, चमड़े और अंडे के लिये इनका शिकार किया जाता है।
- प्लास्टिक कचराः पर्यटकों और मछली पकड़ने वाले मछुआरे द्वारा फेंके गए प्लास्टिक और जाल, पॉलिथीन एवं अन्य कचरों का लगातार बढता मलबा।
- फिशिंग ट्रॉलर: ट्रॉलर के उपयोग से समुद्री संसाधनों का अत्यधिक दोहन अक्सर समुद्री अभयारण्य के भीतर 20 किलोमीटर की दूरी तक मछली नहीं पकड़ने के नियम का उल्लंघन करता है।
- कई मृत कछुओं पर चोट के निशान पाए गए थे जो यह संकेत
   देते हैं कि वे ट्रॉलर या गिल जाल में फँस गए होंगे।

### • ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षण की पहल:

#### ऑपरेशन ओलिविया:

- प्रतिवर्ष आयोजित किये जाने वाले भारतीय तटरक्षक बल का "ऑपरेशन ओलिविया" 1980 के दशक के आरंभ में शुरू हुआ था, यह ओलिव रिडले कछुओं की रक्षा करने में मदद करता है क्योंकि वे नवंबर से दिसंबर तक प्रजनन और घोंसले बनाने के लिये ओडिशा तट पर एकत्र होते हैं।
- यह अवैध ट्रैपिंग गतिविधियों को भी रोकता है।
- टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस (TED) का अनिवार्य उपयोगः
  - भारत में इनकी आकस्मिक मौत की घटनाओं को कम करने के लिये ओडिशा सरकार ने ट्रॉल के लिये टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस (Turtle Excluder Devices- TED) का उपयोग अनिवार्य कर दिया है.

जालों को विशेष रूप से एक निकास कवर के साथ बनाया गया है जो कछुओं के जाल में फँसने के दौरान उन्हें भागने में सहायता करता है।

#### टैगिंग:

 प्रजातियों और इसके आवासों की रक्षा के लिये वैज्ञानिक. गैर-संक्षारक धातु टैग के साथ लुप्तप्राय ओलिव रिडले कछुओं को टैग करते हैं। यह उन्हें कछुओं की गतिविधियों को ट्रैक करने और उन स्थानों की पहचान करने में मदद करता है जहाँ वे अक्सर जाते हैं।

## नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022

हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 (NRI-2022) की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपनी स्थिति में छह स्थानों का सुधार किया है और अब इसे 61वें स्थान पर रखा गया है।

### नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022:

#### परिचय:

- नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स (NRI) रिपोर्ट चार क्षेत्रों में उनके प्रदर्शन के आधार पर 131 अर्थव्यवस्थाओं के नेटवर्क रेडीनेस परिदृश्य का माप करती है:
  - प्रौद्योगिकी, लोग, शासन और प्रभाव।
- यह रिपोर्ट वाशिंगटन डीसी में स्थित एक स्वतंत्र गैर-लाभकारी, गैर-पक्षपातपूर्ण अनुसंधान और शैक्षिक संस्थान पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार की गई है।
- साल के सूचकांक में 49 उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाएँ, 32 ऊपरी-मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाएँ, 36 निम्न-मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाएँ और 14 कम आय वाली अर्थव्यवस्थाएँ शामिल हैं।

#### वैश्विक रैंकिंगः

- अमेरिका द्वारा सबसे अधिक नेटवर्क में तैयार किये गये हैं तथा नीदरलैंड (चौथें से) अब पहले स्थान पर आ गया है।
- सूचकांक में सबसे बेहतर परिणाम सिंगापुर के हैं जो कि ( दूसरें) स्थान पर है, जबिक डेनमार्क (छठवें) और फिनलैंड (सातवें) स्थान पर है।
- शीर्ष 10 में जगह बनाने वाले अन्य पाँच देश स्वीडन (तीसरे), स्विटुजरलैंड ( पाँचवें ) जर्मनी (आठवें), दक्षिण कोरिया (नौवें) और नॉर्वे (दसवें) हैं।
- शीर्ष दस देशों के आधार पर NRI पुष्टि करता है कि यूरोप, एशिया और प्रशांत के कुछ हिस्सों तथा उत्तरी अमेरिका में उन्नत अर्थव्यवस्था दुनिया के सबसे नेटवर्क बेहतर मंन आती हैं।

#### भारत की स्थिति:

भारत ने न केवल अपनी रैंकिंग में सुधार किया है, बल्कि वर्ष 2021 में 49.74 से वर्ष 2022 में 51.19 तक अपना स्कोर भी सुधारा है।

#### भारत कई संकेतकों में सबसे आगे है:

- भारत ने "AI प्रतिभा एकाग्रता" में पहली रैंक हासिल की।
- "देश का "मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट ट्रैफ़िक" और "अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट बैंडविड्थ" में दूसरा स्थान।
- "दुरसंचार सेवाओं में वार्षिक निवेश" और "घरेलू बाजार आकार" में तीसरा स्थान।
- "सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी (ICT) सेवा निर्यात" में चौथा स्थान।
- "FTTH/बिल्डिंग इंटरनेट सब्सिक्रप्शन" और "AI वैज्ञानिक प्रकाशन" में 5वीं रैंक है।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत के पास अपनी आय के स्तर को देखते हुए अपेक्षा से अधिक नेटवर्क तत्परता है।
  - युक्रेन और इंडोनेशिया के बाद निम्न-मध्यम-आय वाले देशों के समृह में भारत 36 में से तीसरे स्थान पर है।

#### भारत की संबंधित पहल:

- राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन
- राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018।
- भारतनेट
- सरकार का डिजिटल इंडिया कार्यक्रम
- राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल

### ग्रेट नॉट

ये केरल के तट पर शीतकालीन प्रवास के लिये रूस से 9,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करते हैं।

यह मध्य एशियाई फ्लाईवे (CAF) को पार करने वाले दो प्रवासी पक्षियों में से एक है, दूसरा गुजरात के जामनगर में देखा गया है।



### ग्रेट नॉट:

#### संरचनाः

- यह एक मध्यम आकार का भारी-भरकम वेडर (लंबी गर्दन व लंबे पैर) वाला पक्षी है जिसकी सीधी गहरी-भूरी चोंच और पीले-भूरे रंग के पैर होते हैं।
- इसके सिर पर एक धारीदार क्राउन जैसी संरचना होती है जिसमें अस्पष्ट सफेद भौहें होती हैं। इसका ऊपरी हिस्सा भूरे रंग का होता है, जिस पर गहरे पंख होते हैं और निचला हिस्सा सफेद होता है।
- इसकी पीठ एकदम सफेद होती है और पूँछ भूरे रंग की होती है।
- प्रजनन अंगों के समीप काले धब्बे पाए जाते हैं।
- वैज्ञानिक नामः कैलिडरिस टेनुइरोस्ट्रिस
- संरक्षण स्थितिः
  - IUCN स्थितः लुप्तप्राय
- वितरण:
  - यह प्रजाति उत्तर-पूर्व साइबेरिया, रूस ऑस्ट्रेलिया साथ ही दक्षिण-पूर्व एशिया के समुद्र तट और भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा अरब प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर सर्दियों में प्रजनन करती है।
    - भारत में यह गुजरात और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है।
    - उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और चीन का पीत सागर वसंत एवं शरद ऋतु में प्रवासन के दौरान महत्त्वपूर्ण पड़ाव स्थल हैं।

#### • आवास और पारिस्थितिकी:

- आश्रय वाले तटीय आवासों में बड़े अंत:ज्वारीय मडफ्लैट्स या सैंडफ्लैट्स होते हैं, जिनमें इनलेट्स, बेज, बंदरगाह, मुहाने और लैगून शामिल हैं।
- ये अक्सर समुद्र तटों पर पास के मडफ्लैट्स, स्पिट और टापुओं पर एवं कभी-कभी नग्न चट्टानों या रॉक प्लेटफॉर्म पर देखे जाते हैं।

### सेंट्रल एशियन फ्लाईवे ( CAF ):

- यह रूस (साइबेरिया) में सबसे उत्तरी प्रजनन मैदानों को पश्चिम और दक्षिण एशिया, मालदीव तथा ब्रिटिश हिंद महासागरीय क्षेत्र में सबसे उत्तरी गैर-प्रजनन (सर्दियों) के मैदानों से जोड़ने वाले विभिन्न जलपक्षियों के लिये 30 से अधिक देशों तक फैला एक प्रवास मार्ग है।
- CAF दुनिया के नौ फ्लाईवे में से है और भारतीय उपमहाद्वीप से गुजरने वाले इन फ्लाईवे की संख्या तीन है। अन्य दो इस प्रकार हैं:
  - ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे (EAAF) और एशियन ईस्ट अफ्रीकन फ्लाईवे (AEAF)।

- फ्लाईवे में भारत की रणनीतिक भूमिका है क्योंिक यह इस प्रवासी मार्ग का उपयोग करने वाली 90% से अधिक पक्षी प्रजातियों को महत्त्वपूर्ण पडाव स्थल की सुविधा उपलब्ध कराता है।
  - अपने वार्षिक चक्र के दौरान पिक्षयों के एक समूह द्वारा उपयोग किया जाने वाला क्षेत्र फ्लाईवे कहलाता है जिसमें उनके प्रजनन क्षेत्र, सर्दी वाले क्षेत्रों में रुकना शामिल है।

## जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक

### चर्चा में क्यों?

भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CLIMATE CHANGE PERFORMANCE INDEX -CCPI) 2023 में 8वें स्थान पर है।

• वर्ष 2022 के CCPI में भारत का रैंक 10वाँ था।

### जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांकः

- परिचयः
  - 🔷 प्रकाशन
    - यह जर्मनवॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा वर्ष 2005 से वार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है।
    - विस्तार क्षेत्रः
      - यह 57 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण संबंधी उपायों के प्रदर्शन पर नजर रखने के लिये एक स्वतंत्र निगरानी उपकरण के तौर पर कार्य करता है।
      - इसके तहत शामिल सभी देश संयुक्त तौर पर 92 प्रतिशत से अधिक ग्रीन हाउस गैस (GHG) का उत्सर्जन करते हैं।

#### 🔷 लक्ष्यः


 इसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय जलवायु राजनीति में पारदर्शिता को बढ़ावा देना और अलग-अलग देशों द्वारा जलवायु संरक्षण की दिशा में किये गए प्रयासों एवं प्रगति के बीच तलना करने में सक्षम बनाना है।

#### मानदंडः

- यह सूचकांक चार श्रेणियों के अंतर्गत 14 संकेतकों पर देशों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर जारी किया जाता है। GHG उत्सर्जन (समग्र स्कोर का 40%), नवीकरणीय ऊर्जा (20%), ऊर्जा उपयोग (20%), और जलवायु नीति (20%)।
- जलवायु पिरवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023:
  - कुल प्रदर्शन ( देशों के संदर्भ में ):
    - िकसी भी देश द्वारा बेहतर प्रदर्शन नहीं करने के कारण
       िकसी भी देश को समग्र उच्च रेटिंग प्राप्त नहीं हुई।

- इसीलिये शीर्ष तीन स्थान (समग्र प्रदर्शन वाले) खाली रहते हैं।
- डेनमार्क, स्वीडन, चिली और मोरक्को केवल चार छोटे देश थे जो क्रमश: भारत से ऊपर चौथे, पाँचवें, छठे और सातवें स्थान पर थे।
- G-20 देशों में भारत शीर्ष 10 में स्थान बनाने वाला एकमात्र देश है।
- यूनाइटेड किंगडम CCPI 2023 में 11वें स्थान पर रहा।
- चीन CCPI 2023 में 51वें स्थान पर रहा है और बहुत कम रेटिंग मिली है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका (US) तीन पायदान चढ़कर 52वें
   स्थान पर पहुँच गया है जो अभी भी कुल मिलाकर बहुत
   कम रेटिंग है।

- इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान 63वें स्थान पर है, अत:
   CCPI 2023 में अंतिम स्थान पर रखा गया है।
- भारत की स्थिति:
  - प्रदर्शनः
  - भारत को विश्व के शीर्ष 5 देशों में एवं जी-20 देशों में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है।
  - सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत की रैंकिंग सबसे अच्छी है।
  - जलवायु नीति और नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से भारत ने GHG उत्सर्जन एवं ऊर्जा उपयोग श्रेणियों में उच्च रेटिंग अर्जित की है।
  - भारत अपने 2030 उत्सर्जन लक्ष्यों (2 डिग्री सेल्सियस से नीचे के परिदृश्य के साथ तारतम्य रखते हुए) को पूरा करने के लिये सही राह पर है।



- हालाँकि नवीकरणीय ऊर्जा कीदिशा 2030 लक्ष्य के लिये टैक पर नहीं है।
- चिंताएँ:
- पिछले CCI के बाद से भारत ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) को अपडेट किया है और वर्ष 2070 के लिये शुद्ध शून्य लक्ष्य की घोषणा की है। हालाँकि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये रोडमैप और ठोस कार्य योजनाएँ नहीं हैं।
- भारत उन नौ देशों में से एक है जो वैश्विक कोयला उत्पादन के 90% के लिये जिम्मेदार है। यह 2030 तक अपने गैस और तेल उत्पादन को 5% से अधिक बढ़ाने की भी योजना बना रहा है।
- यह 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य के साथ असंगत है।
- सुझावः
- विशेषज्ञों ने एक न्यायोचित और समावेशी ऊर्जा परिवर्तन के साथ-साथ विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा और रूफटॉप फोटोवोल्टिक के लिये क्षमताओं की आवश्यकता पर जोर देने का सुझाव दिया।
- एक कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र, उप-राष्ट्रीय स्तर पर अधिक क्षमताओं की आवश्यकता और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये ठोस कार्य योजनाएँ प्रमुख मांगें हैं।

## रोज़गार मेला और कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल

प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले के तहत 71,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति-पत्र प्रदान करने के कार्यक्रम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया।

 प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों में नई नियुक्तियों के लिये डिजाइन किये गए एक विशेष ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स 'कर्मयोगी प्रारंभ' का भी शुभारंभ किया है।

### रोज़गार मेले के मुख्य बिंदुः

- रोजगार मेला देश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये केंद्र सरकार की एक पहल है।
- रोजगार मेला योजना के तहत सभी उम्मीदवारों के लिये ग्रुप A और B राजपत्रित पदों, और ग्रुप B गैर राजपत्रित तथा समूह C गैर राजपत्रित पदों पर आवेदन करने के लिये 10 लाख नौकरियाँ उपलब्ध होंगी।
- केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) भी विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में बडी संख्या में भर्ती करेगा।

### कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल:

 कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के तहत एक पहल है, यह सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है (NPCSCB)।

- यह मॉड्यूल विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्त सभी अधिकारियों के लिये एक ऑनलाइन उन्मुखीकरण पाठ्यक्रम है।
- इसमें सरकारी कर्मचारियों के लिये एक आचार संहिता, कार्यस्थल नैतिकता और अखंडता, मानव संसाधन नीतियाँ तथा अन्य लाभ एवं भत्ते शामिल होंगे जो उन्हें नीतियों के साथ अनुकूल होने और नई भूमिकाओं के निर्वहन में सहायक होंगे।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के लोगों के हितों का ध्यान रखते हुए सिविल सेवा संचालित करना है जो सभी परिवर्तन का केंद्र है।

## अरिट्टापट्टी जैवविविधता विरासत स्थल

हाल ही में तिमलनाडु सरकार ने मदुरै जिले के मेलूर ब्लॉक में अरिट्टापट्टी को जैविविविधता विरासत स्थल (BIODIVERSITY HERITAGE SITE-BHS) घोषित करते हुए एक अधिसूचना जारी की है।

 यह तिमलनाडु का पहला और भारत का 35वाँ जैविविविधता विरासत स्थल है।

### अरिट्टापट्टी:

- अरिट्टापट्टी गाँव पारिस्थितिक और ऐतिहासिक महत्त्व की दृष्टि से समृद्ध है, इसमें पिक्षयों की लगभग 250 प्रजातियाँ हैं जिनमें तीन महत्त्वपूर्ण रैप्टर शामिल हैं; शिकारी पिक्षी अर्थात्:
  - लैगर फाल्कन
  - 🔷 शाहीन बाज
  - बोनेली ईगल
- यह भारतीय पैंगोलिन, स्लेंडर लोरिस और अजगर जैसे वन्यजीवों का भी आवास स्थल है।
- जैव विविधता से समृद्ध यह क्षेत्र सात पहाड़ियों या द्वीपीय पर्वतों (इन्सेलबर्ग) की एक शृंखला से घिरा हुआ है जो वाटरशेड के रूप में 72 झीलों, 200 प्राकृतिक झरनों और तीन चेक डैम के जल-पुनर्भरण का कार्य करता है।
  - 16वीं शताब्दी में पांड्य राजाओं के शासनकाल के दौरान निर्मित अनाइकोंडन झील उनमें से एक है।
- कई महापाषाण संरचनाएँ, शैलकृत मंदिर, तिमल ब्राह्मी शिलालेख
   और जैन धर्म से संबंधित संरचनाएँ इस क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्त्व को दर्शाते हैं।

#### जैव विविधता विरासत स्थल:

- परिचय:
  - जैव विविधता विरासत स्थल ऐसे पारिस्थितिक तंत्र होते हैं जिसमें अनूठे, सुभेद्य पारिस्थितिक तंत्र स्थलीय, तटीय एवं अंतर्देशीय जल तथा समृद्ध जैविविविधता वाले वन्य प्रजातियों के साथ-साथ घरेलू प्रजातियों, दुर्लभ एवं संकटग्रस्त, कीस्टोन प्रजाति पाए जाते हैं।

#### कानूनी प्रावधानः

 जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37(1) के प्रावधान के अनुसार, राज्य सरकार स्थानीय निकायों के परामर्श से समय-समय पर इस अधिनियम के अंतर्गत जैवविविधता के महत्त्व के क्षेत्रों को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित कर सकती है।

#### प्रतिबंध:

♦ BHS का निर्माण स्थानीय समुदायों द्वारा स्वेच्छा से तय किये गए प्रथाओं के अलावा उनके द्वारा प्रचलित प्रथाओं और उपयोग में लाई जाने वाली प्रथाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता। इसका उद्देश्य संरक्षण उपायों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करना है।

#### भारत का पहला BHS:

भारत का पहला जैवविविधता विरासत स्थल 2007 में नल्लूर इमली ग्रोव बेंगलुरु, कर्नाटक में घोषित किया गया।

#### BHS के अंतिम पाँच परिवर्द्धन:

- त्रिपुरा में देबारी या छिबमुरा (सितंबर 2022)
- त्रिपुरा में बेटलिंगशिब और इसके आसपास (सितंबर 2022)
- असम में हेजोंग कछुआ झील (अगस्त 2022)
- असम में बोरजुली वाइल्ड राइस साइट (अगस्त 2022)
- मध्य प्रदेश में अमरकंटक (जुलाई 2022)



## हरित पत्तन और पोत परिवहन के लिये भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र

हाल ही में हरित पत्तन और पोत परिवहन के लिये भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (NATIONAL CENTRE OF EXCELLENCE FOR GREEN PORT & SHIPPING-NCOEGPS) की शुरुआत मुंबई में आयोजित "इनमार्को 2022" (INMARCO 2022) में की गई।

 इनमार्को एक चतुर्वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन और प्रदर्शनी है जिसकी मेजबानी इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन इंजीनियर्स (भारत) द्वारा की जाती है।

## हरित पत्तन और पोत परिवहन के लिये भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र ( NCoEGPS ):

#### • परिचयः

- यह हरित समाधान प्रदान करने की दिशा में पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (Ministry of Ports, Shipping and Waterways- MOPSW) की एक प्रमुख पहल है।
- NCoEGPS पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सागरमाला कार्यक्रम की रूपरेखा के तहत काम करेगा।
- ऊर्जा और संसाधन संस्थान (The Energy and Resources Institute-TERI) इस परियोजना के लिये सूचना एवं कार्यान्वयन भागीदार है।

#### • लक्ष्यः

- केंद्र का उद्देश्य भारत में शिपिंग क्षेत्र में कार्बन तटस्थता और चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy- CE) को प्रोत्साहित करने के लिये ग्रीन शिपिंग हेतु एक नियामक रूपरेखा तथा वैकल्पिक प्रौद्योगिकी अपनाने का रोड मैप विकसित करना है।
  - ग्रीनहाउस गैसों (GHGs) और जहाजों द्वारा उत्पन्न पर्यावरण प्रदूषकों से वैश्विक पर्यावरण को संरक्षित करने के लिये जहाज द्वारा लोगों और वस्तुओं के परिवहन हेतु संसाधनों एवं ऊर्जा के कम उपयोग के अभ्यास को ग्रीन शिपिंग कहा जाता है।
- भारत अपने प्रत्येक प्रमुख पोतों की कुल बिजली मांग में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी को 10% से कम की वर्तमान हिस्सेदारी से बढाकर 60% करने का लक्ष्य रखता है।
  - यह सौर और पवन ऊर्जा के सहयोग से किया जाएगा।

#### 🕨 उद्देश्य

🔷 अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों और अनुप्रयोग उत्पादों को विकसित

- करके पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग एवं इंजीनियरिंग में 'मेक इन इंडिया' को सशक्त बनाना।
- इन क्षेत्रों में विभिन्न चुनौतियों का सबसे उपयुक्त समाधान प्रदान करने के लिये नवाचारों को सक्षम बनाना।
- अत्याधुनिक सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान से सक्षम उद्योग के लिये सक्षम जनशक्ति का पूल तैयार करना।
- जटिल समस्याओं की पहचान और विश्लेषण तथा मुद्दों को हल करने में वैज्ञानिक अध्ययन प्रौद्योगिकी विकास तकनीकी शाखा के माध्यम से अल्पकालिक समाधान प्रदान करने में आत्मनिर्भरता।

#### • महत्त्व:

- यह मिशन पर्यावरण उचित जीवनशैली (Lifestyle for the Environment-LiFE) आंदोलन को साकार करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है क्योंकि इसका उद्देश्य बंदरगाहों को बदलना और शिपिंग को पर्यावरण के अनुकूल बनाना है।
- केंद्र सभी बंदरगाहों, नौवहन, समुद्री राज्यों के साथ उनकी समस्याओं को समझने एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से समाधान की पेशकश करेगा।

#### संबंधित पहलः

- बंदरगाहों ने वर्ष 2030 तक प्रति टन कार्गो के कार्बन उत्सर्जन को 30% तक कम करने का भी लक्ष्य रखा है।
- मैरीटाइम विजन डॉक्यूमेंट 2030 एक स्थायी समुद्री क्षेत्र और जीवंत नीली अर्थव्यवस्था के भारत के दृष्टिकोण पर 10 साल का खाका है।
- ग्रीन शिपिंग से संबंधित एक पायलट परियोजना का संचालन करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (International Maritime Organisation- IMO) की ग्रीन वॉयज 2050 (GreenVoyage2050) प्रोजेक्ट के तहत भारत को पहले देश के रूप में चुना गया है।

### ग्रीन वॉयज 2050 प्रोजेक्ट:

- ग्रीन वॉयज 2050 प्रोजेक्ट नॉर्वे सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के बीच मई 2019 में शुरू की गई परियोजना है, जिसका उद्देश्य शिपिंग उद्योग को भविष्य में कम कार्बन उत्सर्जक में बदलना है।
- वैश्विक साझेदारी प्रारंभिक IMO ग्रीनहाउस गैस (GHG) रणनीति का समर्थन करके अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के लिये प्रासंगिक जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा दक्षता लक्ष्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रा करने में छोटे द्वीपीय विकासशील देशों (Small

Islands Developing States-SIDS) एवं अल्प विकसित देशों (Least Developed Countries-LDC) सहित विकासशील देशों का समर्थन कर रही है।

 ग्रीन वॉयज 2050 के महत्त्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक प्रौद्योगिकी समाधानों के प्रदर्शन और परीक्षण के लिये वैश्विक प्रयासों को प्रोत्साहित करना है।

### गरुड शक्ति

भारतीय सेना के विशेष बल और इंडोनेशियाई विशेष बल 21 नवंबर, 2022 को शुरू हुए करावांग, इंडोनेशिया में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास 'गरुड़ शक्ति' के आठवें संस्करण में भाग ले रहे हैं।



### गरुड़ शक्तिः

- लक्ष्यः
  - इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के विशेष बलों के बीच समझ, सहयोग और अंतर्संचालनीयता (इंटरऑपरेबिलिटी) को बढ़ाना है।
- महत्त्वः
  - यह संयुक्त अभ्यास दोनों सेनाओं को एक-दूसरे को बेहतर ढंग से जानने और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में आतंकवादी अभियानों, क्षेत्रीय सुरक्षा अभियानों तथा शांति अभियानों का मुकाबला करने के अपने व्यापक युद्ध अनुभवों को साझा करने की सुविधा प्रदान करेगा।
  - यह अभ्यास दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध एवं क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक और महत्त्वपूर्ण कदम है।

### अन्य द्विपक्षीय सैन्य अभ्यासः

- मैत्री (भारत और थाईलैंड)
- एकुवेरिन (भारत और मालदीव)

- हैंड-इन-हैंड (भारत और चीन)
- मित्र शक्ति और श्रीलंका)
- हरिमऊ शक्ति (भारत और मलेशिया)
- कुरुक्षेत्र (भारत और सिंगापुर)
- नोमेडिक एलीफैंट (भारत और मंगोलिया)
- शक्ति (भारत और फ्राँस)
- सूर्य किरण (भारत और नेपाल)
- युद्ध अभ्यास (भारत और अमेरिका)

## मार्ग (MAARG) पोर्टल

हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग एवं आंतिरक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DEPARTMENT FOR PROMOTION OF INDUSTRY AND INTERNAL TRADE- DPIIT) ने नेशनल मेंटरिशप प्लेटफॉर्म, मेंटरिशप, सलाहकार, सहायता, लचीलापन और विकास पोर्टल (MENTORSHIP, ADVISORY, ASSISTANCE, RESILIENCE AND GROWTH-MAARG) या मार्ग पोर्टल पर पंजीकरण के लिये स्टार्टअप आवेदनों हेतु कॉल सेवा शुरू की है।

## मार्ग ( MAARG ) पोर्टल:

- परिचयः
  - MAARG पोर्टल स्टार्टअप इंडिया का नेशनल मेंटरिशप प्लेटफॉर्म है।
  - यह विविध क्षेत्रों, कार्यों, चरणों, भौगोलिक और पृष्ठभूमि में स्टार्टअप्स के लिये मेंटरशिप की सुविधा हेतु वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म है।



- मुख्य विशेषताएँ:
  - 🔷 पारिस्थितिकी तंत्र सक्षमकर्त्ताओं हेतु मेंटरशिप कार्यक्रम
  - मोबाइल के अनुकूल यूजर इंटरफेस
  - मेंटर्स के योगदान की मान्यता
  - वीडियो और ऑडियो कॉल विकल्प
- चरण: MAARG पोर्टल तीन चरणों में संचालित किया जा रहा है:
  - पहला चरण: मेंटर ऑनबोर्डिंग
    - सफलतापूर्वक लॉन्च तथा निष्पादित किया गया, 400 से अधिक विशेषज्ञ संरक्षक सभी सेक्टरों में शामिल हैं।

- दूसरा चरण 2: स्टार्टअप ऑनबोर्डिंग
  - DPIIT 14 नवंबर, 2022 से मार्ग (MAARG)
     पोर्टल पर स्टार्टअप्स की ऑनबोर्डिंग लॉन्च कर रहा है।
- तीसरा चरणः मार्ग पोर्टल लॉन्च एवं मेंटर मैचमेिकंग
  - अंतिम लॉन्च जहाँ संरक्षकों को स्टार्टअप्स के साथ मैच किया जाएगा। DPIIT ने दूसरे चरण के तहत स्टार्टअप्स की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया आरंभ की है।

#### महत्त्वः

स्टार्टअप अब विकास और रणनीति संबंधी व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित मैचमेकिंग के माध्यम से शिक्षाविदों, उद्योग विशेषज्ञों, सफल संस्थापकों, अनुभवी निवेशकों और विश्व के अन्य विशेषज्ञों के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ सकते हैं।

### स्टार्टअप इंडिया:

- यह भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य स्टार्टअप कल्चर को उत्प्रेरित करना और भारत में नवाचार एवं उद्यमिता के लिये एक मजबूत व समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।
  - स्टार्टअप एक उद्यम है जो अपने संस्थापकों द्वारा एक विचार या एक समस्या के समाधान के रूप में शुरू किया जाता है जिसमें महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक अवसर की संभावना होती है।
- 2016 में शुरुआत के बाद से, स्टार्टअप इंडिया ने उद्यमियों का समर्थन करने और भारत को नौकरी चाहने वालों के बजाय नौकिरयाँ सृजित करने वालों का देश बनाने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किये हैं।
- भारतीय स्टार्टअप जो िक वर्तमान में विश्व में तीसरे स्थान पर है तथा भारत अभी भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र को और बढ़ावा देने के लिये व स्टार्टअप इंडिया स्टार्टअप संस्कृति को उत्प्रेरित करने तथा भारत में नवाचार एवं उद्यमिता के लिये एक मबूत, समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

## हाथीदाँत व्यापार की पुनः शुरुआत और भारत

वन्यजीवों एवं वनस्पितयों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora- CITES) के सम्मेलन में भारत ने हाथीदाँत व्यापार की पुन: शुरुआत से संबंधित मतदान में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया है।

### हाथीदाँत व्यापार का मामला:

 अफ्रीकी हाथी की पूरी आबादी को CITES परिशिष्ट I में सम्मिलित किये जाने के बाद वर्ष 1989 में हाथीदाँत के व्यापार पर विश्व स्तर पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

- नामीबिया, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे के अफ्रीकी हाथी वर्ष 1997
   में तथा दक्षिण अफ्रीका के हाथी वर्ष 2000 में परिशिष्ट II में शामिल किये गए।
- CITES ने जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका के साथ नामीबिया को वर्ष 1999 एवं वर्ष 2008 में ऐसे हाथी जिनकी मृत्यु प्राकृतिक रूप से हुई हो और शिकारियों से बरामद हाथीदाँत की एकमुश्त बिक्री करने की अनुमित दी।
- CoP17 (2016) और CoP18 (2019) में CITES परिशिष्ट II से चार देशों की हाथी आबादी को हटाकर नियमित रूप से विनियमित हाथीदाँत व्यापार की अनुमित देने के नामीबिया के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया।
- जिम्बाब्वे ने CoP19 में इस पर विचार करने का प्रस्ताव रखा लेकिन इसे फिर निरस्त कर दिया गया।
- नामीबिया और अन्य दक्षिणी अफ्रीकी सरकारों का कहना है कि उनकी हाथियों की आबादी पहले जैसी हो गई है और अगर उनके पास संगृहीत हाथीदाँत को विश्व भर में बेचा जाता है तो इससे हाथी संरक्षण हेतु आवश्यक राजस्व पैदा किया जा सकता है।
- इस प्रकार के व्यापार के विरोधियों का तर्क है कि किसी भी प्रकार की आपूर्ति से मांग में वृद्धि होती है और जब CITES ने वर्ष 1999 एवं वर्ष 2008 में एकमुश्त बिक्री की अनुमित दी थी, तब दुनिया भर में हाथियों के अवैध शिकार में पर्याप्त वृद्धि देखी गई थी।

#### भारत का रुख:

- भारत तीन दशकों से भी अधिक समय से अंतर्राष्ट्रीय हाथीदाँत व्यापार का मुखर विरोधी रहा है।
- यह पहली बार है जब भारत ने वर्ष 1976 में CITES में शामिल होने के बाद से हाथीदाँत व्यापार की पुनः शुरुआत से संबंधित मतदान में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया है।
  - उसी CoP19 में नामीबिया ने भारत के उत्तर भारतीय शीशम
     Dalbergia sissoo के स्थायी व्यावसायिक उपयोग
     की अनुमित देने के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया था और
     उसे भी खारिज कर दिया गया था।
- हालाँकि "हाथीदाँत" शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था, नामीबिया ने हाथीदाँत में व्यापार की अनुमित के लिये भारत का समर्थन मांगा था।

### हाथीदाँत पर प्रतिबंध लगाने के भारत के प्रयास:

 लुप्तप्राय एशियाई हाथी को वर्ष 1975 में CITES परिशिष्ट I में शामिल किया गया था, जिसने एशियाई देशों से हाथीदाँत के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था।

- वर्ष 1986 में भारत ने हाथीदाँत की घरेलू बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिये वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन किया। हाथीदाँत के व्यापार पर विश्व स्तर पर प्रतिबंध लगने के बाद भारत ने वर्ष 1991 में अफ्रीकी हाथीदाँत के आयात पर प्रतिबंध लगाने हेतु कानून में फिर से संशोधन किया।
- वर्ष 1981 में जब नई दिल्ली ने CoP3 की मेजबानी की तो भारत ने प्रतिष्ठित CITES का प्रतीक चिह्न हाथी के रूप में डिजाइन किया। पिछले कुछ वर्षों में हाथीदाँत के मुद्दे पर भारत का रुख स्पष्ट रहा है।
- CoP9 (1994): अमेरिका के लॉडरडेल में भारत ने दिक्षण अफ्रीका के हाथियों की आबादी को परिशिष्ट I से डाउन-लिस्ट कर परिशिष्ट II में शामिल करने का विरोध कियाक
- CoP10 ( 1997 ): हरारे, जिम्बाब्वे में भारत ने दक्षिणी अफ्रीकी हाथी को डाउन-लिस्ट करने के प्रस्ताव का विरोध किया और एशियाई हाथी को लेकर सामने आए अवैध शिकार से संबंधित नतीजों पर चिंता व्यक्त की है।
- CoP11 (2000): केन्या के गिगिरी में भारत ने मेजबान देश के साथ मिलकर सभी हाथियों की आबादी को परिशिष्ट II से परिशिष्ट I में सूचीबद्ध करने के लिये एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

## मसौदा विमान सुरक्षा नियम, 2022

नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा मसौदा विमान सुरक्षा नियम, 2022 को अधिसूचित किया गया है।

### पृष्ठभूमि:

- मसौदा विमान सुरक्षा नियम, 2022 विमान सुरक्षा नियम, 2011 की जगह लेगा जो सितंबर 2020 में संसद द्वारा विमान संशोधन अधिनियम, 2020 पारित किये जाने के बाद आवश्यक हो गया था, जिसमें नागरिक उड्डयन और विमान दुर्घटना जाँच ब्यूरो के महानिदेशक के साथ BCAS को वैधानिक शक्तियाँ दी गई थीं।
- ये उन्हें जुर्माना लगाने की अनुमित देते हैं जो पहले केवल न्यायालयों
   द्वारा लगाए जा सकते थे। अधिनियम ने अधिकतम जुर्माना 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया
- संयुक्त राष्ट्र की विमानन निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (ICAO) ने तीन नियामकों की वैधानिक शक्तियों के बिना काम करने पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद संसद में संशोधन की आवश्यकता पड़ी।

#### नियम:

- जुर्माना और निलंबन:
  - ये नियम नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (Bureau of Civil Aviation Security- BCAS) को हवाई

- अड्डों और एयरलाइनों पर 50 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए (कंपनी के विस्तार के आधार पर) का जुर्माना लगाने में सक्षम बनाएंगे यदि वे सुरक्षा कार्यक्रम तैयार करने और लागू करने में विफल रहते हैं या सुरक्षा संबंधी मंज़ूरी मांगे बिना संचालन शरू करते हैं।
- BCAS नागरिक उड्डयन मंत्रालय (भारत) का एक संबद्ध कार्यालय है। यह भारत में नागरिक उड्डयन सुरक्षा हेतु नियामक प्राधिकरण है।
- संबद्ध व्यक्तियों पर अपराध की प्रकृति के आधार पर 1 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए का दंडात्मक प्रावधान है।
- BCAS किसी भी इकाई की हवाईअड्डा सुरक्षा मंज़ूरी और सुरक्षा कार्यक्रम को निलंबित या रद्द करने में भी सक्षम होगा।

### साइबर सुरक्षाः

साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिये नियमों में प्रत्येक इकाई को अपनी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रणालियों को अनिधकृत उपयोग से बचाने तथा संवेदनशील विमानन सुरक्षा जानकारी के प्रकटीकरण पर रोक लगाने की भी आवश्यकता है।

### निजी सुरक्षा एजेंट:

मसौदा नियम अब हवाई अड्डों को "गैर-प्रमुख क्षेत्रों" में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (Central Industrial Security Force- CISF) के कर्मियों के बजाय निजी सुरक्षा एजेंटों को नियुक्त करने और राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति, 2016 की सिफारिश के अनुसार सुरक्षा कर्तव्यों को सौंपने के लिये अधिकृत करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (International Civil Aviation Organisation- ICAO):

- यह संयुक्त राष्ट्र (United Nations-UN) की एक विशिष्ट एजेंसी है, जिसे वर्ष 1944 में स्थापित किया गया था, जिसने शांतिपूर्ण वैश्विक हवाई नेविगेशन के लिये मानकों और प्रक्रियाओं की नींव रखी।
  - अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संबंधी अभिसमय/कन्वेंशन पर 7 दिसंबर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर किये गए। इसिलये इसे शिकागो कन्वेंशन भी कहते हैं।
  - शिकागो कन्वेंशन ने वायु मार्ग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय परिवहन की अनुमित देने वाले प्रमुख सिद्धांतों की स्थापना की और ICAO के निर्माण का भी नेतृत्व किया।
- इसका एक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन की योजना एवं विकास को बढ़ावा देना है तािक दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन की सुरक्षित तथा व्यवस्थित वृद्धि सुनिश्चित हो सके।

- भारत इसके 193 सदस्यों में से है।
- इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में है।

### HADR अभ्यास समन्वय-2022

भारतीय वायु सेना (Indian Air Force- IAF) 28 से 30 नवंबर, 2022 तक वायु सेना स्टेशन आगरा में मानवीय सहायता और आपदा राहत (Humanitarian Assistance and Disaster Relief- HADR) अभ्यास 'समन्वय-2022' का आयोजन कर रही है।

#### समन्वय-2022:

#### • परिचय:

यह वार्षिक संयुक्त अभ्यास है जिसमें भारत के विभिन्न हितधारक और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन (Association of Southeast Asian Nations- ASEAN) देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

#### • उद्देश्यः

- इसका उद्देश्य संस्थागत आपदा प्रबंधन अवसंरचनाओं और आकस्मिक उपायों की प्रभावकारिता का आकलन करना है।
- अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाले आसियान सदस्य देशों के साथ डोमेन ज्ञान, अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान के लिये एक अनुठा मंच प्रदान करना भी है।

#### महत्त्वः

- समन्वय-2022 नागरिक प्रशासन, सशस्त्र बलों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) आदि सहित आपदा प्रबंधन में शामिल विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय हितधारकों द्वारा HADR के प्रति एक सहक्रियात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देगा।
- इस बहु-एजेंसी जुड़ाव से प्रभावी संचार, अंतर-संचालनीयता, सहयोग और HADR के सफल संचालन के लिये उनके अनुप्रयोग हेतु संस्थागत ढाँचे के विकास में योगदान की उम्मीद है।

### लीथ्म सॉफ्टशेल टर्टल

पनामा में अपनी 19वीं बैठक में CITES के पक्षकारों के सम्मेलन ने लीथ्स सॉफ्टशेल टर्टल को परिशिष्ट II से परिशिष्ट I में स्थानांतरित करने के भारत के प्रस्ताव को स्वीकार किया।

जेपोर हिल गेको (सिर्टोडिक्टिलस जेपोरेंसिस) को परिशिष्ट II में
 शामिल करने के लिये भारत ने प्रस्ताव रखा।

#### सूचीकरण का महत्त्व:

- CITES की परिशिष्ट I सूची यह सुनिश्चित करेगी कि इस कछुए (टर्टल) की प्रजाति का कानूनी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिये न हो।
- सूचीकरण यह भी सुनिश्चित करेगा कि बंदी-नस्ल (कैप्टिव-ब्रेड)
   के नमूनों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केवल पंजीकृत केंद्रों से ही किया
   जाना चाहिये तथा प्रजातियों के अवैध व्यापार के लिये उच्च और
   अधिक आनुपातिक दंड का प्रावधान करेगा।
- लीथ्स सॉफ्टशेल टर्टल का सूचीकारण इस प्रकार की प्रजातियों के बेहतर अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिये इसकी CITES सुरक्षा स्थिति को मजबूत करती है।

#### लीथ्म सॉफ्टशेल टर्टल:

#### • परिचयः

लीथ्स सॉफ्टशेल टर्टल (निल्सोनिया लेथि) एक बड़ा ताजे पानी का नरम खोल वाला कछुआ है जो प्रायद्वीपीय भारत के लिये स्थानिक है और निंदयों तथा जलाशयों में पाया जाता है।

#### • रवतरे

- इस कछुए की प्रजाति की आबादी में पिछले 30 वर्षों में 90%की गिरावट का अनुमान लगाया गया है।
- भारत के भीतर अवैध रूप से इसका शिकार किया गया और इसका सेवन भी किया गया। मांस और इसकी कैलीपी के लिये विदेशों में भी इसका अवैध रूप से कारोबार किया गया है।

### • संरक्षण स्थितिः

- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature-IUCN) रेड लिस्ट: गंभीर रूप से संकटग्रस्त
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (Wildlife Protection Act- WPA): अनुसूची IV
- ♦ CITES: परिशिष्ट I

### नसीम अल बहर 2022

भारतीय नौसेना जहाज (Indian Naval Ship- INS) त्रिकांड, INS सुमित्रा और समुद्री गश्ती विमान (Maritime Patrol Aircraft- MPA) डोर्नियर ने 'नसीम अल बहर' (सी ब्रीज़) के 13वें संस्करण में भाग लिया।

- INS त्रिकांड एक फ्रंटलाइन फ्रिगेट है जो हथियारों और सेंसर की बहुमुखी रेंज से लैस है। यह मुंबई में स्थित भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े का हिस्सा है।
- INS सुमित्रा एक बहुभूमिका अपतटीय गश्ती पोत, विशाखापत्तनम स्थित भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का हिस्सा है।



### नसीम अल बहर:

#### • परिचय:

- यह भारतीय नौसेना (Indian Navy- IN) और ओमान की रॉयल नेवी (Royal Navy of Oman-RNO) के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है।
- यह अभ्यास 19 से 24 नवंबर, 2022 तक ओमान के तट पर आयोजित किया गया और इसके तीन चरण थे: बंदरगाह चरण, समुद्री चरण तथा डीब्रीफ।
- पहला IN-RNO अभ्यास वर्ष 1993 में आयोजित किया गया था।
- वर्ष 2022 में IN-RNO द्विपक्षीय अभ्यास के 30 वर्ष पूरे हो गए हैं।

#### • महत्त्वः

भारत और ओमान के बीच परंपरागत रूप से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, जो समान सांस्कृतिक मूल्यों को साझा करते हैं। नौसेना अभ्यासों ने इन द्विपक्षीय संबंधों को और मजब्रती दी है।

### भारत के अन्य द्विपक्षीय समुद्री अभ्यासः

- थाईलैंड: भारत-थाईलैंड समन्वित गश्ती (इंडो-थाई कॉरपट)
- इंडोनेशियाः समुद्र शक्ति
- सिंगापुर: सिंगापुर-भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास (SIMBEX)
- कतरः जैर-अल-बहर
- बांग्लादेश: बोंगोसागर अभ्यास
- श्रीलंकाः श्रीलंका-भारत नौसेना अभ्यास (SLINEX)
- जापानः जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास (JIMEX), समुद्री साझेदारी अभ्यास (MPX)
- फ्राँस: वरुण (VARUNA)

## गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस

मुगलों द्वारा किये जाने वाले जबरन धर्मांतरण के खिलाफ खड़े होने वाले गुरु तेग बहादुर (सिखों के नौवें गुरु) की पुण्य तिथि को प्रतिवर्ष 24 नवंबर को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

### गुरु तेग बहादुर:

- तेग बहादुर का जन्म 21 अप्रैल, 1621 को अमृतसर में माता नानकी और छठे सिख गुरु, गुरु हरगोबिंद के यहाँ हुआ था, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ सेना खड़ी की और योद्धा संतों की अवधारणा पेश की।
- तेग बहादुर को उनके तपस्वी स्वभाव के कारण त्याग मल (Tyag Mal) कहा जाता था।
- गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे, जिन्हें अक्सर सिखों द्वारा
   'मानवता के रक्षक' (श्रीष्ट-दी-चादर) के रूप में पूजा जाता था।
- उन्हें एक महान शिक्षक के रूप में जाना जाता है, गुरु तेग बहादुर उत्कृष्ट योद्धा, विचारक और किव भी थे, जिन्होंने आध्यात्मिक बातों के अलावा ईश्वर, मन, शरीर और शारीरिक जुड़ाव के स्वरूप का विस्तृत वर्णन किया।
- जब वह केवल 13 वर्ष के थे तब उन्होंने एक मुगल सरदार के खिलाफ लड़ाई में विजय प्राप्त कर खुद को प्रतिष्ठित किया।
- उनकी रचना को 116 काव्य भजनों के रूप में पवित्र ग्रंथ 'गुरु ग्रंथ
  साहिब' में शामिल किया गया है।
- वह एक उत्साही यात्री भी थे और उन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में
   प्रचार केंद्र स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- ऐसे ही एक मिशन के दौरान उन्होंने पंजाब में चक-ननकी शहर की स्थापना की, जो बाद में पंजाब के आनंदपुर साहिब का हिस्सा बन गया।
- वर्ष 1675 में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर गुरु तेग बहादुर की हत्या दिल्ली में कर दी गई थी।

### सिख धर्म के दस गुरु:

# गुरु नानक देव( 1469-1539 )

- ये सिखों के पहले गुरु और सिख धर्म के संस्थापक थे।
- इन्होंने 'गुरु का लंगर' की शुरुआत की।
- वह बाबर के समकालीनथे।
- गुरु नानक देव की
   550वीं जयंती पर
   करतारपुर कॉरिडोर को
   शुरू किया गया था।

• गुरु अंगद	•	इन्होंने गुरुमुखी नामक	• गुरु हरगोबिंद	•	इन्होंने सिख समुदाय क
( 1504-1552 )		नई लिपि का आविष्कार	( 1594-1644 )		एक सैन्य समुदाय मं
		किया और 'गुरु का			बदल दिया। इन्हें "सैनिक संत" (Soldies
		लंगर' प्रथा को लोकप्रिय			Saint) के रूप मे
		बनाया।			जाना जाता है।
• गुरु अमर दास	•	इन्होंने आनंद कारज		•	इन्होंने अकाल तख्त क
(1479-1574)		विवाह (Anand			स्थापना की औ
		Karaj Mar-			अमृतसर शहर के मजबूत किया।
		riage) समारोह की			इन्होंने जहाँगीर औ
		शुरुआत की।			शाहजहाँ के खिलाफ यु
	•	इन्होंने सिखों के बीच			छेड़ा।
		सती और पर्दा प्रथा जैसी	• गुरु हर राय ( 1630-	•	ये शांतिप्रिय व्यक्ति
		कुरीतियों को समाप्त	1661)		और इन्होंने अपन
		किया।			अधिकांश जीव औरंगज़ेब के साथ शांवि
	•	ये अकबर के समकालीन			बनाए रखने तथा मिशन
		थे।			काम करने में समर्पि
•    गुरु राम दास	•	इन्होंने वर्ष 1577 में			कर दिया।
(1534-1581)		अकबर द्वारा दी गई	• गुरु हरिकशन	•	ये अन्य सभी गुरुओं
		जमीन पर अमृतसर की	( 1656-1664 )		सबसे कम आयु के गु थे और इन्हें 5 वर्ष क
		स्थापना की।			य आर इन्हें 5 पप के आयु में गुरु की उपाधि
		इन्होंने अमृतसर में स्वर्ण			दी गई थी।
		मंदिर (Golden		•	इनके खिलाफ औरंगजे
		Temple) का निर्माण			द्वारा इस्लाम विरोधी का
		शुरू किया।			के लिये सम्मन जार किया गया था।
 गुरु अर्जुन देव	•	इन्होंने वर्ष 1604 में आदि	<ul><li>गुरु तेग बहादुर</li></ul>		इन्होंने आनंदपुर साहिर
( 1563-1606 )		ग्रंथ की रचना की।	( 1621-1675 )		की स्थापना की।
		इन्होंने स्वर्ण मंदिर का	• गुरु गोबिंद सिंह	•	इन्होंने वर्ष 1699
		निर्माण कार्य पूरा किया।	(1666-1708)		'खालसा' नामक योद्ध
		वे शाहिदीन-दे-सरताज			समुदाय की स्थापना की
		(Shaheeden-		•	इन्होंने एक नया संस्का
		de-Sartaj) के रूप			"पाहुल" (Pahul शुरू किया।
		में प्रचलित थे।		•	ये मानव रूप में अंति
		इन्हें जहाँगीर ने राजकुमार			सिख गुरु थे और इन्हों
		खुसरो की मदद करने के			'गुरु ग्रंथ साहिब' व
		खुसरा का मदद करन क आरोप में मार दिया।			सिखों के गुरु के रूप नामित किया।
		आराप म मार ।६४।।			नामत किया।

### धम्म दीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय

दक्षिण त्रिपुरा जिले के सबरूम के मनु बांकुल में धम्म दीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय (DDIBU) की आधारशिला 29 नवंबर, 2022 को रखी जाएगी।

 DDIBU के आधुनिक शिक्षा के अन्य विषय पाठ्यक्रमों के साथ-साथ बौद्ध शिक्षा प्रदान करने वाला भारत का पहला बौद्ध-संचालित विश्वविद्यालय बनने की उम्मीद है।

### बुद्ध धर्मः

- परिचयः
  - भारत में बौद्ध धर्म की शुरुआत लगभग 2600 वर्ष पूर्व हुई थी।
  - यह धर्म अपने संस्थापक सिद्धार्थ गौतम की शिक्षाओं, जीवन के अनुभवों पर आधारित है।
  - बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएँ चार महान आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की मूल अवधारणा में समाहित हैं।
    - चार महान सत्यः
    - दुख ( दु:ख ): संसार दुखमय है।
    - प्रत्येक दुख का एक कारण है समुदय
    - दुखों का निवारण किया जा सकता है निरोध।
    - यह अथांग मग्गा (आष्टांगिक मार्ग) का पालन करके
       प्राप्त किया जा सकता है।
    - आष्टांगिक मार्गः इसमें ज्ञान, आचरण और ध्यान प्रथाओं से संबंधित विभिन्न परस्पर संयुक्त गतिविधियाँ शामिल हैं।
    - सम्यक दृष्टि
    - सम्यक संकल्प
    - सम्यक वाक
    - सम्यक कर्मांत
    - सम्यक आजीव
    - सम्यक व्यायाम
    - सम्यक स्मृति
    - सम्यक समाधि
  - बौद्ध धर्म का सार आत्मज्ञान या निर्वाण की प्राप्ति है जो एक स्थिति नहीं बिल्क एक अनुभव है जिसे इस जीवन में प्राप्त किया जा सकता है।
  - 🔷 बौद्ध धर्म में कोई सर्वोच्च देवी या देवता नहीं है।

### बौद्ध परिषदें :

बौद्ध परिषद	संरक्षक	स्थान	अध्यक्ष	वर्ष
पहली	अजातशत्रु	राजगृह	महाकस्यप	483 ई.पू.
दूसरी	कालाशोक	वैशाली	सुबुकामि	383 ई.पू.
तीसरी	अशोक	पाटलिपुत्र	मोगालिपुत्र	250 ई.पू.
चौथी	कनिष्क	कुण्डलवन (कश्मीर)	वसुमित्र	72 €.

#### • विभिन्न बौद्ध संप्रदाय:

- महायान (मूर्ति पूजा), हीनयान, थेरवाद, वज्रयान (तांत्रिक बौद्ध धर्म), ज्रेन।
- बौद्ध धर्म से संबंधित महत्त्वपूर्ण ग्रंथ ( त्रिपिटक ):
  - विनयपिटक (मठवासी जीवन पर लागू नियम), सुत्तपिटक (बुद्ध की मुख्य शिक्षाएँ या धम्म), अभिधम्मपिटक (एक दार्शनिक विश्लेषण और शिक्षाओं का व्यवस्थित संकलन )।
- भारतीय संस्कृति में बौद्ध धर्म का योगदान:
  - अहिंसा की अवधारणा बौद्ध धर्म का प्रमुख योगदान है। बाद के समय में यह हमारे राष्ट्र के प्रमुख मृल्यों में से एक बन गई।
  - भारत की कला एवं वास्तुकला में इसका उल्लेखनीय योगदान रहा है। साँची, भरहुत और गया के स्तूप बौद्ध वास्तुकला के अद्भुत नमूने हैं।
  - इसने तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे आवासीय विश्वविद्यालयों के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा दिया।
  - पाली और अन्य स्थानीय भाषाएँ बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के माध्यम से विकसित हुई।
  - इसने एशिया के अन्य हिस्सों में भारतीय संस्कृति के प्रसार को भी बढावा दिया था।

### बौद्ध धर्म से संबंधित यूनेस्को के विरासत स्थलः

- 🔶 नालंदा, बिहार में नालंदा महाविहार का पुरातात्त्विक स्थल
- साँची, मध्य प्रदेश में बौद्ध स्मारक
- 🔷 बोधगया, बिहार में महाबोधि विहार परिसर
- अजंता गुफाएँ, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
- लद्दाख के बौद्ध जप को वर्ष 2012 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था।

## UNESCO एशिया-प्रशांत पुरस्कार

हाल ही में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिये यूनेस्को एशिया-प्रशांत पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है, जिसमें भारत के चार विजेता शामिल हैं।

### पुरस्कार विजेता देश:

#### वैश्विक स्तर पर प्रदर्शन:

- पुरस्कारों के लिये छह देशों की तेरह परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया था, वे देश हैं:
  - अफगानिस्तान, चीन, भारत, ईरान, नेपाल और थाईलैंड।

#### • भारत का प्रदर्शन:

- उत्कृष्टता का पुरस्कारः छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, मुंबई
- विशिष्टता का पुरस्कारः गोलकुंडा की बावड़ी, हैदराबाद
- मेरिट का पुरस्कार: डोमकोंडा किला, तेलंगाना और भायखला स्टेशन, मुंबई

#### • विरासत स्थलों का महत्त्व:

- विरासत स्थल प्रकृति एवं संस्कृति के मध्य संबंध प्रदर्शित करते हैं। वे शुद्ध-शून्य जल आवश्यकताओं के साथ जलवायु परिवर्तन को संबोधित कर सकते हैं।
- कुओं के जीर्णोद्धार से पता चलता है कि विरासत स्थलों के संरक्षण के कई उद्देश्य हो सकते हैं।

## सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिये यूनेस्को एशिया-प्रशांत पुरस्कार:

- 'एशिया-प्रशांत विरासत पुरस्कार' वर्ष 2000 से यूनेस्को द्वारा एशिया-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दिया जा रहा है। इस पुरस्कार का उद्देश्य ऐसे सांस्कृतिक विरासत क्षेत्रों के संरक्षण को बढ़ावा देना है, जिसके संरक्षण के प्रयास किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा प्रारंभ किये गए हैं।
- यह अन्य संपत्ति मालिकों को स्वतंत्र रूप से या सार्वजनिक-निजी भागीदारी द्वारा अपने समुदायों के भीतर संरक्षण परियोजनाओं को शुरू करने हेतु प्रोत्साहित करता है।
  - यह पुरस्कार लोगों में अपनी विरासत के प्रति गर्व की भावना प्रदान करता है।

#### नोट:

### छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, मुंबई:

- यह संग्रहालय मुंबई की विश्व विरासत संपत्ति के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एन्सेंबल्स का एक हिस्सा है।
  - यह वर्ष 1922 में पश्चिमी भारत के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के रूप में स्थापित किया गया था।

#### भायखला रेलवे स्टेशन, मुंबई:

यह स्टेशन वर्ष 1853 में बनाया गया था। देश की पहली ट्रेन लगभग डेढ़ सदी पहले भायखला स्टेशन से गुजरी थी। भायखला रेलवे स्टेशन की बहाली हेतु कार्य किया गया और इसकी मूल, प्राचीन, वास्तुकला को लगभग जीवंत कर लिया गया है।

#### डोमकोंडा किला, तेलंगाना:

डोमाकोंडा किला निजी संपत्ति है और इसे 18वीं शताब्दी में विभिन्न शैलियों के मिश्रण से बनाया गया, जिसमें प्लास्टर वर्क, धनुषाकार खंभे, सपाट छत और एक जल उद्यान तालाब के साथ एक आँगन शामिल था।

## ब्लूबगिंग

डिफॉल्ट सेटिंग के रूप में प्राय: स्मार्टफोन की ब्लूटूथ सेटिंग्स अन्य उपकरणों को ढूँढने एवं उनसे कनेक्ट करने के मोड में होते हैं, इससे ब्लुबगिंग जैसे खतरों के प्रति वे अतिसंवेदनशील हो जाते हैं।

### ब्लूबगिंग:

#### • परिचयः

- यह हैिकंग का एक रूप हैं जो हैकर्स को खोजे जा सकने योग्य चालू ब्लूटूथ कनेक्शन के माध्यम से डिवाइस तक पहुँच प्रदान करता है।
- ब्लूबिगंग के माध्यम से हैकर डिवाइस के ऐप्स तक अनिधकृत पहुँच प्राप्त कर सकता है और उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित कर सकता है।
- टू वायरलेस स्टीरियो (TWS) डिवाइस या ईयरबंड सहित कोई भी ब्लूटूथ-सक्षम डिवाइस ब्लूबिगंग के लिये अतिसंवेदनशील है।
- एक बार किसी डिवाइस या फोन के ब्लूबग हो जाने के बाद, हैकर उसके कॉल सुन सकता है, संदेश पढ़ सकता है और संदेश भी भेज सकता है तथा संपर्कों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है।
- यहाँ तक कि आईफोन जैसे सबसे सुरिक्षत स्मार्टफोन भी इसकी चपेट में हैं।

#### • सुरक्षात्मक उपाय:

- उपयोग में नहीं होने पर ब्लूटूथ को बंद रखना और युग्मित ब्लूटूथ उपकरणों को डिस्कनेक्ट करना।
- 🔷 ब्लूटूथ डिवाइस को ब्लूटूथ सेटिंग्स से बंद करना।
- डिवाइस के सिस्टम सॉफ्टवेयर को नवीनतम संस्करण में अपडेट करना।
- सार्वजनिक वाई-फाई का सीमित उपयोग करना।
- अपनी डिवाइस में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों के प्रति जागरूक रहना
- 🔷 डेटा उपयोग में अचानक हुई बढ़ोतरी की निगरानी करना।
- आधुनिक एंटी-वायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना।

### संबंधित सरकारी पहलें:

साइबर सुरिक्षत भारत पहल

- साइबर स्वच्छता केंद्र
- ऑनलाइन साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल
- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)
- राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC)
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2020

## संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार

हाल ही में संगीत नाटक अकादमी ने 10 अकादमी फेलो और 128 कलाकारों की सूची की घोषणा की, जो वर्ष 2019, 2020 और 2021 के लिये प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार (अकादमी पुरस्कार) प्राप्त करेंगे।

 इसके अलावा अकादमी ने वर्ष 2019, 2020 और 2021 के लिये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिये 102 युवा कलाकारों के नामों की घोषणा की।

### संगीत नाटक अकादमी

- संगीत नाटक अकादमी संगीत, नृत्य और नाटक के लिये भारत की राष्ट्रीय अकादमी है।
- 1952 में (तत्कालीन) शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा डॉ. पी.वी. राजमन्नार को इसके पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया।
- यह वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है और इसकी योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित है।
- अकादमी प्रदर्शन कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थानों और परियोजनाओं की स्थापना करती है। कुछ महत्त्वपूर्ण संस्थान हैं:
  - 🔷 राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली 1959 में।
  - जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी, इम्फाल- 1954 में।
  - कथक केंद्र (राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान), नई दिल्ली- 1964 में।
  - कुटियाट्टम (केरल का संस्कृत थिएटर), पूर्वी भारत के छऊ नृत्य, असम की सित्रया परंपरा आदि के समर्थन की राष्ट्रीय परियोजनाएँ।

## संगीत नाटक अकादमी फैलोशिप ( अकादमी रत्न ) और पुरस्कार:

- संगीत नाटक अकादमी फैलोशिप:
  - संगीत नाटक अकादमी फैलोशिप राष्ट्रीयता, नस्ल, जाति, धर्म,
     पंथ या लिंग के भेद के बिना संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रदान
     किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है।

- अकादमी की फैलोशिप सबसे प्रतिष्ठित एवं दुर्लभ सम्मान है,
   जो एक बार में अधिकतम 40 लोगों को दी जा सकती है।
- अकादमी फेलो के सम्मान में एक ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के साथ 3,00,000/- रुपए का नकद पुरस्कार शामिल होता है।

### • संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारः

- संगीत, नृत्य, रंगमंच, पारंपिरक/लोक/जनजातीय संगीत/नृत्य/
   थिएटर, कठपुतली और प्रदर्शन कला आदि में समग्र योगदान/
   छात्रवृत्ति के क्षेत्र के कलाकारों को पुरस्कार दिये जाते हैं।
- अकादमी पुरस्कार में ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के साथ 1,00,000/- रुपए का नकद पुरस्कार शामिल होता है।

### "उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार":

- संगीत नाटक अकादमी ने संगीत, नृत्य और नाटक के क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा दिखाने वाले कलाकारों को सम्मानित करने के लिये वर्ष 2006 से "उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार" शुरू करने का निर्णय लिया।
- 40 वर्ष की आयु तक के उत्कृष्ट युवा हर साल "उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार" के लिये विचार किए जाने के पात्र होंगे तथा उस वर्ष के 1 अप्रैल से इन सभी की आयु सीमा की तारीख तय की जाएगी।

## SARAS 3 टेलीस्कोप और पहले तारे का संकेत

हाल ही में SARAS 3 रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करके, वैज्ञानिकों ने एक रेडियो ल्युमिनस गैलेक्सी के विशेषताओं का निर्धारण किया है जो कि बिग बैंग के ठीक 200 मिलियन वर्ष बाद बनी थी, जिसे कॉस्मिक डॉन के रूप में जाना जाता है।

 शोधकर्त्ताओं ने SARAS 3 के डेटा का उपयोग ऊर्जा उत्पादन, चमक और पहली पीढ़ी की आकाशगंगाओं के द्रव्यमान पर प्रकाश डालने के लिये किया है जो रेडियो तरंग दैर्ध्य में प्रकाशमान है।

### प्रमुख बिंदुः

- खगोलीय आरंभ काल के बारे में नई जानकारी ने शुरुआती रेडियो लाउड आकाशगंगाओं की विशेषताओं की जानकारी दी जो आमतौर पर सुपरमैसिव ब्लैक होल द्वारा संचालित होती हैं।
- SARAS 3 द्वारा खगोलिवदों को यह जानकारी मिली थी कि खगोलीय निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में आकाशगंगाओं के भीतर 3% से भी कम गैसीय पदार्थ सितारों में परिवर्तित हो गए थे, और यह कि सबसे शुरुआती आकाशगंगाएँ जो रेडियो उत्सर्जन में चमकीली थीं, उनमे एक्स-रे में भी प्रधानता थीं। इससे प्रारंभिक आकाशगंगा और उसके आसपास के ब्रह्मांडीय गैस में ऊष्मा पैदा हुई।

#### SARAS 3 रेडियो टेलीस्कोप:

- SARAS 'रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट' (RRI) का एक उच्च-जोखिम वाला उच्च-लाभ प्रायोगिक प्रयास है।
  - SARAS 3 को वर्ष 2020 की शुरुआत में कर्नाटक के दंडिगनहल्ली झील और शरवती बैकवाटर पर तैनात किया गया था।
- SARAS का लक्ष्य भारत में एक ऐसे सटीक रेडियो टेलीस्कोप का डिजाइन, निर्माण और स्थापना है जिससे प्रारंभिक ब्रह्मांड में विकसित तारों और आकाशगंगाओं से संबंधित रेडियो तरंग संकेतों का पता लगाया जा सके।

#### रेडियो तरंगें और रेडियो टेलीस्कोप:

- रेडियो तरंगें:
  - विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में रेडियो तरंगों की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है। ये एक फुटबॉल के आकार से लेकर पृथ्वी (ग्रह) के समान विशाल आकार तक हो सकती हैं। रेडियो तरंगों की खोज वर्ष 1880 के दशक के अंत में हेनरिक हर्ज़ (Heinrich Hertz) ने की थी।
  - रेडियो स्पेक्ट्रम की रेंज 3 किलोहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक मानी जाती है।
- रेडियो टेलीस्कोप:
  - रेडियो टेलीस्कोप की मदद से दुर्बल रेडियो प्रकाश तरंगों को एकत्र किया जाता है और उनकी केंद्रीयता बढ़ाकर इनका उपयोग विश्लेषण हेतु किया जाता है।
  - ये तारों, आकाशगंगाओं, ब्लैक होल और अन्य खगोलीय पिंडों से प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले रेडियो प्रकाश का अध्ययन करने में मददगार साबित होती हैं।
  - ये विशेष रूप से डिजाइन किये गए टेलीस्कोप प्रकाश की सबसे दीर्घ तरंगदैर्ध्य का निरीक्षण करते हैं जो 1 मिलीमीटर से लेकर 10 मीटर से अधिक लंबी होती हैं। तुलना के लिये दृश्यमान प्रकाश तरंगें केवल कुछ सौ नैनोमीटर लंबी होती हैं। एक नैनोमीटर कागज़ के एक टुकड़े की मोटाई का केवल 1/10,000वाँ हिस्सा होता है। वास्तव में हम आमतौर पर रेडियो प्रकाश को उसकी तरंगदैर्ध्य से नहीं बल्कि उसकी आवृत्ति से संदर्भित करते हैं।

### लाल ग्रह दिवस

नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडिमिनिस्ट्रेशन (NASA) द्वारा 28 नवंबर, 1964 के दिन मेरिनर-4 को लॉन्च किया गया था जिसके उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस मनाया जाता है।

 मेरिनर-4 ने पहली बार मंगल पर महत्त्वपूर्ण जानकारी और तस्वीरें खींची थीं।

### मंगल ग्रह

- आकार और दूरी:
  - मंगल सौरमंडल में सूर्य की ओर से चौथा ग्रह है। पृथ्वी से इसकी आभा रिक्तम दिखती है, इसीलिये इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है।
  - 🔶 मंगल ग्रह पृथ्वी के आकार का लगभग आधा है।
- पृथ्वी से समानता ( कक्षा और घूर्णन ):
  - मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हुए6 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है, जो कि पृथ्वी पर एक दिन (23.9 घंटे) के समान है।
  - मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव 25 डिग्री है। यह लगभग पृथ्वी के समान है, जो कि4 डिग्री के अक्षीय झुकाव पर स्थित है।
  - पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर भी अलग-अलग मौसम पाए जाते हैं, लेकिन वे पृथ्वी के मौसम की तुलना में लंबी अवधि के होते हैं क्योंकि सूर्य की परिक्रमा करने में मंगल अधिक समय लेता है।
    - मंगल ग्रह के दिनों को सोल (Sols) कहा जाता है, जो 'सौर दिवस' का लघु रूप है।
- अन्य विशेषताएँ:
  - मंगल के लाल दिखने का कारण इसकी चट्टानों में लोहे का ऑक्सीकरण, जंग लगना और धूल कणों की उपस्थिति है, इसलिये इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है।
  - मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी स्थित है,
     जिसे ओलंपस मॉन्स (Olympus Mons) कहते हैं।
  - मंगल के दो छोटे उपग्रह हैं- फोबोस और डीमोस।

#### विभिन्न मंगल मिशनः

- नासा के पास एक लैंडर (मार्स इनसाइट), दो रोवर्स (क्यूरोसिटी और पर्सिवरेंस), और तीन ऑर्बिटर्स (मार्स रिकोनेसेंस ऑर्बिटर, मार्स ओडिसी, मावेन) हैं।
- एक्सोमार्स रोवर (2021) (यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी)
- तियानवेन-1: चीन का मंगल मिशन (2021)
- संयुक्त अरब अमीरात का 'होप' मिशन(यूएई का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन) (2021)
- भारत का मार्स ऑबिंटर मिशन (MOM) या मंगलयान (2013)
- मंगल 2 और मंगल 3 (1971) (सोवियत संघ)

### काले प्रवाल

हाल ही में शोधकर्ताओं ने ऑस्ट्रेलिया के तट पर ग्रेट बैरियर रीफ और कोरल सागर में सतह से 2,500 फीट (762 मीटर) नीचे रहने वाले काले प्रवाल की पाँच नई प्रजातियों की खोज की है।

#### काले प्रवालः

- काले प्रवाल (एंथोजोआ: एंटीपाथारिया) उथले जल से लेकर 26,000 फीट (8,000 मीटर) से अधिक की गहराई तक में पाए जा सकते हैं। कुछ प्रवाल 4,000 से अधिक वर्षों तक जीवित रह सकते हैं।
- हालाँकि, काले प्रवालों का वर्गीकरण कई अन्य एंथोजोअन समूहों की तुलना में स्पष्ट नहीं है।
- इनमें से कई प्रवाल शाखाओं वाले होते हैं और जो पंख या झाड़ियों की तरह दिखते हैं।
- उथले-जल में पाए जाने वाले रंगीन प्रवाल ऊर्जा के लिये सूर्य और प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर होते हैं, के विपरीत काले प्रवाल फिल्टर फीडर होते हैं और गहरे जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले छोटे प्राणिप्लवक का सेवन करते हैं।
- इसी तरह, उथले जल के प्रवाल जो मछिलयों से भरी रंगीन चट्टानों जैसे होते हैं, काले प्रवाल महत्त्वपूर्ण निवास स्थान के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ मछिली और अकशूरुकीय भोजन करते हैं और शिकारियों से अपना बचाव करते हैं। उदाहरण के लिये, 2,554 अलग-अलग अकशेरूकीय एक काले प्रवाल समूह में रहते थे जिसे वैज्ञानिकों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया तट से वर्ष 2005 में एकत्रित किया था।

#### प्रवाल भित्तिः

#### • परिचय:

- प्रवाल समुद्री अकशेरूकीय या ऐसे जंतु हैं जिनमें रीढ़ नहीं होती है। वैज्ञानिक वर्गीकरण के तहत प्रवाल फाइलम निडारिया और एंथोजोआ वर्ग के अंतर्गत आते हैं।
- प्रवाल आनुवंशिक रूप से समान जीवों से बने होते हैं जिन्हें 'पॉलीप्स' कहा जाता है। इन पॉलीप्स में सूक्ष्म शैवाल होते हैं जिन्हें जूजैन्थेले (Zooxanthellae) कहा जाता है जो उनके ऊतकों के भीतर रहते हैं।
  - प्रवाल और शैवाल आपस में संबंधित होते हैं।
  - प्रवाल जूजैन्थेले को प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक यौगिक प्रदान करता है।
  - बदले में जूजैन्थेले कार्बोहाइड्रेट की तरह प्रकाश संश्लेषण के जैविक उत्पादों की प्रवाल को आपूर्ति करता है, जो उनके कैल्शियम कार्बोनेट कंकाल के संश्लेषण हेतु प्रवाल पॉलीप्स द्वारा उपयोग किया जाता है।
  - यह प्रवाल को आवश्यक पोषक तत्त्वों को प्रदान करने के अलावा इसे अद्वितीय और सुंदर रंग प्रदान करता है।
- उन्हें "समुद्रों के वर्षावन" भी कहा जाता है।

#### प्रवाल दो प्रकार के होते हैं:

- हार्ड कोरल/प्रवाल:
- वं कठोर,सफेद प्रवाल एक्सोस्केलेटन बनाने के लिये समुद्री जल से कैल्शियम कार्बोनेट निकालते हैं।
- कठोर प्रवाल कैल्शियम कार्बोनेट (CaCO3) से बने एक कठोर कंकाल का उत्पादन करते हैं जो एक क्रिस्टल रूप में होता है जिसे अर्गोनाइट कहा जाता है।
- वे प्राथिमक रीफ-बिल्डिंग प्रवाल हैं। वे कठोर प्रवाल जो चट्टानों का निर्माण करते हैं उन्हें हर्मेटिपिक प्रवाल कहा जाता है
- 'सॉफ्ट' कोरल / प्रवाल:
- 'सॉफ्ट' कोरल एक कठोर कैल्शियम कार्बोनेट है जो कंकाल और चट्टानों का निर्माण नहीं करता है, हालाँकि वे एक प्रवाल पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद हैं।
- ये ज्यादातर समूह में रहते हैं; अक्सर देखने में ये एक बड़े जीव की तरह प्रतीत होते हैं लेकिन वास्तव में एक बड़ी संरचना से बनी हई संयुक्त कॉलोनी होती है। आमतौर,पर ये सॉफ्ट प्रवाल कॉलोनियाँ देखने में पेड़ों, झाड़ियों और घास से मिलती-जुलती प्रतीत होती हैं।
- महत्त्वः
- ये समुद्री जैव विविधता का 25% से अधिक का समर्थन करते हैं, हालाँकि वे समुद्र तल का केवल 1% हैं।
- चट्टानों द्वारा समर्थित समुद्री जीवन वैश्विक मछली पकडने के उद्योगों को और बढावा देता है।
- इसके अलावा, प्रवाल भित्ति तंत्र के सेवा व्यापार और पर्यटन के माध्यम से वार्षिक आर्थिक मूल्य में 2.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई है।

### हिमालयी याक

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FOOD SAFETY AND STANDARD AUTHORITY OF INDIA- FSSAI) ने हिमालयी याक को 'खाद्य पश्' के रूप में मंज़्री दे दी है।

- इस कदम से पारंपिरक दूध और माँस उद्योग का हिस्सा बनाकर उच्च तुंगता वाले गोजातीय/बोवाइन पशुओं की आबादी में गिरावट को रोकने में मदद मिलने की उम्मीद है।
- खाद्य पशु वे हैं जिन्हें मनुष्यों द्वारा पाला जाता है और खाद्य उत्पादन या उपभोग के लिये उपयोग किया जाता है।

### हिमालयी याक

#### • परिच्यर

 याक बोवाइन (Bovini) जनजाति से संबंधित हैं, जिसमें बाइसन, भैंस और मवेशी भी शामिल हैं। यह -40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को सहन कर सकता है।

- इनके लंबे बाल उच्च उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों में रहने हेतु इन्हें अनूकूल बनाते हैं, जो पर्दे की तरह अपने पक्षों से लटके रहते हैं। इनके बाल इतने लंबे होते हैं कि वे कभी-कभी जमीन को छूते हैं।
- हिमालयी लोगों द्वारा याक को बहुत अधिक महत्त्व दिया जाता है। तिब्बती किंवदंती के अनुसार, तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक गुरु रिनपोछे ने सबसे पहले याक को पालतू बनाया था।
  - भारतीय हिमालयी क्षेत्र के उच्च तुंगता वाले स्थानों पर उन्हें खानाबदोशों की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है।

#### • पर्यावासः

- ये तिब्बती पठार और उससे सटे उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों के लिये स्थानिक हैं।
  - 14,000 फीट से अधिक ऊँचाई पर याक सबसे अधिक आरामदायक स्थिति में रहते हैं। भोजन की खोज में ये 20,000 फीट की ऊँचाई तक चले जाते हैं और प्राय: 12,000 फीट से नीचे नहीं उतरते हैं।
- याक पालन करने वाले भारतीय राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर शामिल हैं।
  - याक की देशव्यापी जनसंख्या प्रवृत्ति दर्शाती है कि इनकी आबादी बहुत तेज़ी से घट रही है। भारत में याक की कुल आबादी लगभग 58,000 है। इसमें वर्ष 2012 में आयोजित पिछली पशुधन गणना से लगभग 25% की गिरावट आई है।
  - इस भारी गिरावट को बोविड (मवेशी परिवार का एक स्तनपायी) से होने वाले कम पारिश्रमिक को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो खानाबदोश प्रकृति वाले याक को पालने एवं उनके रखरखाव एवं हेत् हतोत्साहित करता है।
  - ऐसा मुख्य रूप से इसिलये है क्योंिक याक का दूध और मॉॅंस पारंपरिक डेयरी तथा मॉॅंस उद्योग का हिस्सा नहीं हैं एवं उनकी बिक्री स्थानीय उपभोक्ताओं तक ही सीमित है।

#### • महत्त्वः

याक स्थानिक खानाबदोशों के लिये एक बहुआयामी सामाजिक-सांस्कृतिक-आर्थिक भूमिका निभाता है, जो इन्हें मुख्य रूप से हिमालय क्षेत्र के ऊँचे इलाकों में अन्य कृषि गतिविधियों की कमी के कारण अपने पोषण और आजीविका सुरक्षा अर्जित करने में मदद करते हैं।

#### • खतराः

#### जलवायु परिवर्तनः

 वर्ष के गर्म महीनों के दौरान उच्च ऊँचाई पर पर्यावरणीय तापमान में वृद्धि की प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप याक में उष्मागत तनाव (Heat Stress) बढ़ जाता है जो इसकी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को प्रभावित कर रहा है।

#### इनब्रीडिंगः

- चूँिक युद्धों और संघर्षों के कारण सीमाएँ बंद हैं इसिलये मूल याक क्षेत्र सेनए याक जर्मप्लाज्म (Germplasm) की उपलब्धता की कमी के कारण सीमाओं के बाहर पाए जाने वाले याक इनब्रीडिंग से प्रभावित हैं।
- जंगली याक ( Bos mutus ) की संरक्षण स्थिति:
  - ♦ IUCN रेड लिस्ट: सुभेद्य
    - IUCN द्वारा याक की जंगली प्रजातियों को बोस म्यूटस जबिक घरेलू प्रजातियों को बोस ग्रूनिएन्स के तहत वर्गीकृत करता है।
  - ♦ CITES: परिशिष्ट-I
  - 🔷 भारतीय वन्यजीव ( संरक्षण ) अधिनियम 1972: अनुसूची- I

## अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस

हाल ही में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली (दिल्ली चिड़ियाघर) ने अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया।

### अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवसः

- अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस को जगुआर के सामने बढ़ते खतरों और मेक्सिको से अर्जेंटीना तक इसके अस्तित्व को सुनिश्चित करने वाले महत्त्वपूर्ण संरक्षण प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये मनाया जाता है।
- प्रत्येक वर्ष 29 नवंबर को जैव विविधता संरक्षण के लिये एक महत्वपूर्ण प्रजाति, सतत् विकास और मध्य एवं दक्षिण अमेरिका की सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया जाता है। यह अमेरिका की सबसे बड़ी जंगली बिल्ली है।
- संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के व्यापक प्रयासों के तहत जगुआर कॉरिडोर और उनके आवासों के संरक्षण की जरूरत पर ध्यान आकर्षित करने के लिये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय साझीदारों के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस संबंधित देशों की सामूहिक आवाज का प्रतिनिधित्त्व करता है।



#### जगुआर:

- जगुआर लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ा मांसाहारी और एकमात्र बड़ी बिल्ली है, जो मेक्सिको से अर्जेंटीना तक 18 देशों में पाया जाता है।
- इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा ओंका है।
- इंटरनेशनल यनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) की खतरे वाली प्रजातियों की रेड लिस्ट में : " संकटग्रस्त प्रजाति" के रूप में, जगुआर अल सल्वाडोर और उरुग्वे में विलुप्त है और शेष रेंज देशों में दबाव का सामना कर रहा है।
- वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) सूची: परिशिष्ट I में आते हैं
- जगुआर ने अपने प्राकृतिक आवास रेंज में 50% से अधिक नुकसान का अनुभव किया है।
- जगुआर को अक्सर तेंदुए के रूप में समझा जाता है, लेकिन उनके शरीर पर हो रहे धब्बे से उन्हें विभेदित किया जा सकता है।
- जबिक कई बिल्लियाँ पानी से बचती हैं, जगुआर अच्छे तैराक होते हैं और यहाँ तक कि पनामा नहर में तैरने के लिये भी जाने जाते हैं।
- जगुआर की पहचान इसकी पूरी शृंखला में एक प्रजाति के रूप में की गई है, जो प्रजातियों की आनुवंशिक विविधता के लिये इसके निवास स्थान के संबंध और संरक्षण को महत्त्वपूर्ण बनाती है।

### सेमी-ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी


फेडरेशन इंटरनेशनेल डी फुटबॉल एसोसिएशन (FIFA) वर्तमान में चल रहे फटबॉल विश्व कप में ऑफसाइड फैसलों के लिये सेमी-ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी (SAOT) का उपयोग कर रहा है।

ऑफसाइड नियम अटैकिंग खिलाड़ियों को डिफेंडिंग टीम के गोल के सामने लगातार घेराव करने से रोकना है।

### सेमी-ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी:

- SAOT वीडियो मैच के अधिकारियों और ऑन-फील्ड अधिकारियों के लिये एक सहायक उपकरण है जो उन्हें तेज़ी से अधिक स्पष्ट जानकारी और अधिक सटीक ऑफसाइड निर्णय लेने में मदद करता है।
- इस प्रौद्योगिकी के दो भाग हैं मैच वाले बॉल के अंदर लगा एक संवेदक(सेंसर) जो सस्पेंशन प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है और मौजदा टैकिंग उपकरण में भी लगा होता है जो वीडियो सहायक रेफरी (Video Assistant Referee- VAR) प्रणाली का हिस्सा है।
- जब भी गेंद को मारा जाता है, संबंधित डेटा वास्तविक समय में (500 फ्रेम प्रति सेकंड की दर से) खेल के मैदान के चारों ओर स्थापित एंटीना के नेटवर्क पर भेजा जाता है।

- इसके अतिरिक्त, टर्फ के चारों ओर 12 हॉक-आई कैमरे स्थापित किये गए हैं जो गेंद और खिलाडियों दोनों को कवर करते हैं, साथ ही मानव शरीर में 29 अलग-अलग बिंदुओं पर नजर रखी जाती है।
- बॉल सेंसर और हॉक-आई कैमरों का एक साथ आना SAOT का प्रभाव है।
- ये दो डेटा सेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के माध्यम से चलाए जाते हैं जो मैच अधिकारियों को ऑफसाइड के बारे में स्वचालित अलर्ट उत्पन्न करता है। यह अंत में मैन्युअल प्रयास को बदल देता है।



## शक्ति (SHAKTI) नीति

हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने शक्ति (भारत में पारदर्शी रूप से कोयले के दोहन और आवंटन योजना/ SCHEME FOR HARNESSING AND ALLOCATING KOYALA TRANSPARENTLY IN INDIA/SHAKTI) नीति के B(v) के तहत वित्त, स्वामित्त्व और संचालन (FINANCE, OWN AND OPERATE- FOO) के आधार पर पाँच साल के लिये प्रतिस्पर्द्धी आधार पर 4500 मेगावाट की कुल विद्युत की खरीद हेतु एक योजना शुरू की है।

### प्रमुख बिंदु

- योजना के तहत PFC कंसिल्टिंग लिमिटेड ने 4,500 मेगावाट की आपूर्ति के लिये बोलियाँ आमंत्रित की हैं।
  - PFC कंसिल्टंग लिमिटेड (PFC लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) को विद्युत मंत्रालय द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।
- कोयला मंत्रालय से इसके लिये लगभग 27 MTPA (मिलियन टन प्रति वर्ष) आवंटित करने का अनुरोध किया है।
- इस योजना से विद्युत की कमी का सामना कर रहे राज्यों को मदद मिलने की उम्मीद है और इससे उत्पादन संयंत्रों को अपनी क्षमता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

### शक्ति नीतिः

#### • परिचयः

- विद्युत मंत्रालय (MoP) ने 2017 में कोल नीति को मंजूरी दी, जिसे शिक्त (भारत में कोयला का दोहन और आवंटन पारदर्शी रूप से दोहन और आवंटन करने की योजना) के रूप में जाना जाता है।
- इस नीति में उन विद्युत संयंत्रों को कोयला लिंकेज प्रदान किये गए हैं जिनके पास कोयला नीलामी के माध्यम से ईंधन आपूत करारों (FSA) की कमी है।

#### उद्देश्यः

- शक्ति योजना का उद्देश्य भारत में सभी थर्मल पावर प्लांटों को कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जो पारदर्शी और उद्देश्यपूर्ण हो।
- यह योजना न केवल बुनियादी ढाँचा क्षेत्र के लिये, बिल्क सार्वजिनक क्षेत्र के बैंकों हेतु भी फायदेमंद मानी जाती है, जिनके पास विद्युत कंपिनयों द्वारा भारी ऋण चुकाया नहीं गया है।
- इस योजना का उद्देश्य आयातित कोयले पर निर्भरता कम करना और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना भी है।

### फुजिवारा प्रभाव

मौसम विज्ञानियों के अनुसार, टाइफून हिन्नामनॉर और गार्डो नामक उष्णकटिबंधीय तूफान में फुजिवारा प्रभाव देखा गया है।

 टाइफून हिन्नामनॉर, जिसे फिलीपींस में सुपर टाइफून हेनरी के नाम से जाना जाता है,जापान और दक्षिणी कोरिया में आया बहुत बड़ा एवं शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात था।

### फुजिवारा प्रभावः

#### • परिचय:

- मोटे तौर पर एक ही समय में और एक ही महासागर क्षेत्र में विकसित होने वाले उष्णकटिबंधीय तूफानों के बीच 1,400 किमी से कम दूरी पर उनके केंद्रों के बीच किसी भी तरह की अंत: क्रिया को फुजिवारा प्रभाव के रूप में जाना जाता है।
- The interaction could lead to changes in the track and intensity of either or both storm systems.
- In rare cases, the two systems could merge, especially when they are of similar size and intensity, to form a bigger storm.
- इसकी तीव्रता कम दबाव वाले क्षेत्र (डिप्रेशन) (63 किमी प्रति घंटे से कम वायु की गति) से एक सुपर टाइफून (209 किमी प्रति घंटे से अधिक वायु की गति) के बीच होती है।
- इनके परस्पर अंत: क्रिया से दोनों तूफान प्रणालियों की दिशा
   और तीव्रता में परिवर्तन हो सकता है।
- कभी कभी, इन तूफान प्रणालियों का विलय भी हो सकता है
   और एक बड़े तूफान का निर्माण हो सकता है, खासकर जब वे
   समान आकार और तीव्रता के हों।

### • फुजिवारा प्रभाव के विभिन्न तरीके हो सकते हैं:

#### प्रत्यास्थ परस्पर-क्रियाः

 इस परस्पर-क्रियाओं में केवल तूफानों की गित की दिशा बदलती है और यह सबसे आम घटना है। यह ऐसी घटना है जिनका आकलन करना मुश्किल है एवं इनकी बारीकी से जाँच की जरूरत है।

### पार्शियल स्ट्रेनिंग आउट:

 इस परस्पर-क्रियाओं में लघु तूफान का एक हिस्सा वायुमंडल में विलीन हो जाता है।

### कम्पलीट स्ट्रेनिंग आउट:


इस परस्पर-क्रियाओं में लघु तूफान पूरी तरह से वायुमंडल
 में विलीन जाता है और समान शक्ति के तूफानों के लिये
 दबाव नहीं होता है।

#### आंशिक विलय:

 इस अंत:क्रिया में लघु तूफान, वृहद तूफान में विलीन हो जाता है।

#### पूर्ण विलय:

इसमें समान शक्ति वाले दो तुफानों के बीच पूर्ण विलय होता है।



Elastic Interaction (EI): Interaction of vortices (storms) of same or different sizes, resulting in changes only in the direction of motion. This is the most commonly seen interaction

Partial Straining-Out (PSO): Interaction of vortices of unequal sizes. Part of the smaller vortex lost to the atmosphere.

Complete Straining-Out (CSO): Interaction of vortices of unequal sizes. The smaller vortex completely lost to the atmosphere

Partial Merger (PM): Interaction of vortices of unequal sizes Part of the smaller vortex merged to the bigger vortex

Complete Merger (CM): Interaction of vortices of same or different sizes, resulting in complete merger of both the storms

## રેવિક પ્રાયર

### पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम

मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम लागू कर दिया है। राष्ट्रपति ने 15 नवंबर, 2022 को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में एक कार्यक्रम में इसकी औपचारिक घोषणा की। इसका उपयोग जनजातीय समुदाय के लोगों को सशक्त बनाने के लिये किया जाएगा। इस अधिनियम का उद्देश्य ग्राम सभाओं की सिक्रय भागीदारी से जनजातीय लोगों को शोषण से बचाना है। यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में विशेष अधिकार देता है। पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम (PESA/ पेसा) वर्ष 1996 में "पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग IX के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिये" अधिनियमित किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 243-243ZT के भाग IX में नगर पालिकाओं और सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान हैं। इस अधिनियम के तहत अनुसूचित क्षेत्र वे हैं जिन्हें अनुच्छेद 244 (1) में संदर्भित किया गया है, जिसके अनुसार पाँचवीं अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातियों पर लागू होंगे। पाँचवीं अनुसूची इन क्षेत्रों के लिये विशेष प्रावधानों की शृंखला प्रदान करती है।

### भारतीय ओलंपिक संघ एथलीट आयोग

ओलंपिक पदक विजेता एम.सी मैरीकॉम, पी.वी. सिंधु, मीराबाई चानु और गगन नारंग आदि दस प्रमुख खिलाड़ियों को भारतीय ओलंपिक संघ एथलीट आयोग का सदस्य चुना गया है। इस सर्वोच्च संस्था के सदस्य के रूप में पाँच पुरुष एवं पाँच महिला खिलाड़ियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। विंटर ओलंपिक के खिलाड़ी शिवा केशवन, टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल, महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल, तलवारबाज भवानी देवी, नौकायन खिलाड़ी बजरंग लाल तथा पूर्व शॉटपुट खिलाड़ी ओमप्रकाश सिंतथाकरहाना इस संस्था के अन्य छह सदस्य निर्वाचित हुए हैं। ये सभी ओलंपिक खिलाड़ी हैं। भारतीय ओलंपिक संघ भारत की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (NOC) है। संघ का कार्य ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों व अन्य अंतर्राष्ट्रीय बहु-खेल प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्त्व करने वाले एथलीटों का चयन करना और भारतीय टीम का प्रबंधन करना है। यह भारतीय राष्ट्रमंडल खेल संघ की तरह ही कार्य करता है, तथा राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्त्व करने वाले एथलीटों का चयन करना है। यह भारतीय राष्ट्रमंडल खेल

### डिजिटल शक्ति 4.0 का शुभारंभ

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने 16 नवंबर को डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 का शुभारंभ किया। यह अभियान साइबर क्षेत्र में महिलाओं और लडिकियों को डिजिटल रूप से सशक्त व कुशल बनाने हेत् एक अखिल भारतीय परियोजना है। महिलाओं और लड़िकयों के लिये सुरिक्षित ऑनलाइन व्यवस्था सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप डिजिटल शिक्त 4.0 महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल बनाने और ऑनलाइन माध्यम से किसी भी अवैध/अनुचित गितिविधि के खिलाफ आवाज उठाने के लिये जागरूक करने पर केंद्रित है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसे साइबर पीस फाउंडेशन और META के सहयोग से शुरू किया। देश भर में महिलाओं को डिजिटल क्षेत्र में जागरूकता के स्तर को बढ़ाने में मदद के लिये जून 2018 में डिजिटल शिक्त की शुरुआत हुई थी। भारत में इस परियोजना के माध्यम से 3 लाख से अधिक महिलाओं को साइबर सुरक्षा के विषय में परामर्श की सुविधा के साथ-साथ उनके लाभ के लिये रिपोर्टिंग तथा निवारण व्यवस्था, डेटा गोपनीयता एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग में काफी मदद मिल रही है।

#### काशी-तमिल संगमम

काशी-तिमल संगमम 17 नवंबर, 2022 से वाराणसी में शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री एक माह के इस कार्यक्रम का 19 नवंबर को औपचारिक उद्घाटन करेंगे। काशी- तिमल संगमम का उद्देश्य देश के दो महत्त्वपूर्ण शिक्षण पीठों - तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संपर्कों को नए सिरे से स्थापित करना है। इसका लक्ष्य शोधार्थियों, विद्यार्थियों, दार्शनिकों, व्यापारियों, शिल्पकारों और कलाकारों को साथ लाने, ज्ञान, संस्कृति तथा श्रेष्ठ प्रक्रियाओं को साझा करने एवं एक-दूसरे के अनुभवों से सीखना भी है। यह आयोजन भारतीय ज्ञान संपदा को ज्ञान की आधुनिक प्रणाली से जोड़ने के राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के उद्देश्यों के अनुरूप है। काशी-तिमल संगमम भारत के इतिहास में हिंदी और तिमल भाषी लोगों के मेल-मिलाप का सबसे बड़ा महोत्सव है। 75 स्टालों पर तमिलनाडु का कल्चर, परिधान, व्यंजन, हस्तकला, हथकरघा, हेरिटेज, वास्तुकला, मंदिर, त्योहार, खानपान, खेल, मौसम, शिक्षा संबंधी और राजनीतिक जानकारी दी जाएंगी। काशी-तिमल संगमम के उद्घाटन समारोह में तिमलनाडु के 12 प्रमुख मठ-मंदिर के आदिनम (महंत) को काशी की धरा पर पहली बार सम्मानित किया जाएगा। तमिल भाषा में लिखे गए प्राचीन साहित्य को ही संगम साहित्य कहा जाता है। 'संगम' शब्द का अर्थ है- संघ. परिषद. गोष्ठी अथवा संस्थान। वास्तव में संगम. तिमल कवियों. विद्वानों, आचार्यों, ज्योतिषियों एवं बुद्धिजीवियों की एक परिषद थी।

### राष्ट्रीय मिरगी दिवस

भारत में राष्ट्रीय मिरगी/अपस्मार दिवस मिरगी के विषय में जागरूकता फैलाने के लिये प्रतिवर्ष 17 नवंबर को मनाया जाता है। मिरगी मस्तिष्क का एक क्रोनिक रोग है, जिसे दौरा पड़ने के रूप में पहचाना जाता है और इसका कारण किसी व्यक्ति को न्यूरॉन्स (मस्तिष्क की कोशिकाओं) में अचानक असामान्य एवं अत्यधिक विद्युत का संचार होना है, परिणामस्वरूप व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। यह बीमारी किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है तथा इस रोग से पीडित हर उम्र के व्यक्ति की परेशानियाँ अलग-अलग हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार विश्व भर में लगभग पचास लाख लोग मिरगी से पीड़ित है, जिसमें से अस्सी प्रतिशत लोग विकासशील देशों के हैं। मिरगी का उपचार संभव है, भारत में लगभग दस लाख लोग मिरगी से पीड़ित है। मिरगी के निम्नलिखित लक्षण हो सकते हैं: अचानक लडखडाना (हाथ-पाँव में अनियंत्रित झटके लगना), बेहोशी, हाथ व पैरों या चेहरे की मांसपेशियों में जकडन आदि। मिरगी के कारण मस्तिष्क की क्षति जैसे कि जन्मपूर्व एवं प्रसवकालीन चोट, जन्मजात असामान्यता, मस्तिष्क में संक्रमण, स्ट्रोक एवं ब्रेन ट्यूमर, सिर में चोट/दुर्घटना। बचपन के दौरान लंबे समय तक तेज़ बुखार से पीड़ित होना। मिरगी से पीड़ित रोगियों को चिकित्सक की सलाह के अनुसार नियमित रूप से दवाओं का सेवन करना चाहिये. रोगियों को किसी भी तरह की अन्य दवाओं का सेवन करते समय उन दवाओं के संभावित दुष्प्रभावों या किसी भी तरह की अन्य जटिलताओं से बचने के लिये चिकित्सक से परामर्श करना चाहिये, शराब का सेवन नहीं करना चाहिये क्योंकि शराब का सेवन दौरा पड़ने की संभावना को बढ़ाता है।

### राजीव कुमार

नेपाल के चुनाव आयोग ने आगामी प्रतिनिधि सभा और प्रांतीय विधानसभा चुनाव के लिये भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है। नेपाल में प्रतिनिधि सभा के 275 सदस्यों और सात प्रांतीय विधानसभाओं की 550 सीटों के लिये 20 नवंबर को चुनाव होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 18 से 22 नवंबर तक नेपाल में आमंत्रित निर्वाचन अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी, 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में है। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। इसका राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों से कोई संबंध नहीं है। इसके लिये भारत का संविधान अलग से राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान करता है।

### इंदिरा गांधी (राष्ट्रीय एकता दिवस)

प्रतिवर्ष पूरे भारत में 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। यह भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इंदिरा गांधी ने भारतीय लोकतांत्रिक ढाँचे और परंपरा को मजबूत बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के युद्ध की कमान संभाली और जीत दर्ज की। घोषित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में उनका विशेष योग्दाब रहा। उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद और कमजोर वर्गों की बेहतरी के क्षेत्र में बहुत काम किया। उनके नेतृत्व में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण हुआ। उनके कुशल मार्गदर्शन में अंतरिक्ष अनुसंधान एवं शांतिपूर्ण परमाणु विकास हुआ। साथ ही राष्ट्रीय एकता दिवस सभी भारतीयों के बीच प्रेम और एकता को बढ़ाने के लिये मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस को 'कौमी एकता दिवस' के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस के निम्नलिखित उद्देश्य हैं- लोगों के बीच एकता, शांति, प्रेम और भाईचारे को प्रोत्साहित करना, भारतीय समाज में विभिन्न संस्कृति, भाषा और धर्म के लोगों के बीच सद्धाव को बढ़ावा देना।

### मनिका बत्रा

भारत की स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुँचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की अपने से बेहतर रैंकिंग की चेन सू यू को 4-3 से हराया। विश्व रैंकिंग में 44वें नंबर की मिनका ने महिला एकल के कड़े मुकाबले में विश्व की 23वें नंबर की चेन सू यू को 6-11, 11-6, 11-5, 11-7, 8-11, 9-11, 11-9 से पराजित किया। इस भारतीय खिलाड़ी ने इससे पहले दुनिया में सातवें नंबर की चीन की चेन जिंगटोंग को पराजित किया था। मिनका सेमीफाइनल में कोरिया की जियोन जिही और जापान की मीमा इतो के बीच होने वाले मैच के विजेता से भिड़ेगी। इससे पहले मिनका बत्रा टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओलंपिक के एकल राउंड ऑफ 32 में जगह बनाने वाली भारत की पहली महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बनीं। कॉमनवेल्थ खेलों की स्वर्ण पदक विजेता, 2 बार की ओलंपियन और कई अन्य उपलब्धियाँ हासिल करने वाली मिनका भारतीय टेबल टेनिस की बेहतरीन स्टार खिलाड़ियों में से एक हैं।

### विश्व दूरदर्शन दिवस

विश्व दूरदर्शन दिवस प्रतिवर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है। दूरदर्शन (टेलीविजन) के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1996 में इस दिवस को मनाए जाने पुष्टि की गई थी। इसका उद्देश्य प्रमुख आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरे विश्व के ज्ञान में वृद्धि करना है। वर्तमान समय में यह मीडिया की सबसे प्रमुख ताकत है। यूनेस्को ने टेलीविजन को संचार और सूचना के एक महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में पहचाना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 दिसंबर, 1996 को 21 नवंबर की तिथि को विश्व दूरदर्शन दिवस के रूप घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1996 में 21 और 22 नवंबर को विश्व के प्रथम टेलीविजन फोरम का आयोजन किया था। इसमें टेलीविजन के विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में चर्चा की गई। साथ ही इस तथ्य पर भी चर्चा की गई कि विश्व की दिशा और दशा परिवर्तित करने में इसका क्या

योगदान है। विश्व की राजनीति पर टेलीविजन के प्रभाव और इसकी उपस्थिति को किसी भी रूप में इनकार नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में यह मनोरंजन एवं ज्ञान के प्रमुख स्रोतों में से एक है लेकिन साथ में यह भी माना जा रहा है कि इसके नकारात्मक प्रभाव भी दृष्टिगत हो रहे हैं। अत: इसके नकारात्मक प्रभाव को रोकने और प्रसारण संबंधी आवश्यक नियम के लिये कुछ क़ानूनी प्रतिबंध भी आरोपित किये जाने की आवश्यकता है।

#### विश्व बाल दिवस

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आज विश्व बाल दिवस पर नई दिल्ली में बाल कल्याण सिमितियों के लिये प्रशिक्षण मॉड्यूल और गो होम एंड री-यूनाइट पोर्टल का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का उद्देश्य देश में किशोर न्याय नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये बाल कल्याण सिमितियों एवं जिला बाल संरक्षण इकाइयों के सदस्यों तथा अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। बाल कल्याण सिमितियों बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। हालाँकि भारत में देश में बाल संरक्षण के लिये किशोर न्याय नियमों में एकरूपता की आवश्यकता है। विश्व बाल दिवस विश्व में बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और कल्याण के लिये 20 नवंबर को मनाया जाता है। यह सबसे पहले वर्ष 1954 में मनाया गया था। इसी तिथि पर वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाल अधिकारों के लिये अभिसमय अपनाया गया था।

### फीफा फुटबॉल विश्व कप

22वें फुटबॉल विश्व कप 21 नवंबर, 2022 को भव्य उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। फुटबॉल विश्व कप 21 नवंबर को अल-बायत स्टेडियम में पहला मैच खेला गया। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी ने विश्व कप की आधिकारिक शुरुआत की। फीफा या फेडरेशन इंटरनेशनेल डी फुटबॉल एसोसिएशन दुनिया में फुटबॉल का सर्वोच्च शासी निकाय है। यह एसोसिएशन फुटबॉल, फुटसल और बीच सॉकर का अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। फीफा एक गैर-लाभकारी संगठन है। वर्ष 1904 में स्थापित फीफा को बेल्जियम, डेनमार्क, फ्राँस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और स्विटजरलैंड के राष्ट्रीय संघों के बीच अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा की निगरानी के लिये लॉन्च किया गया था। फीफा में अब 211 सदस्य देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय ज्युरिख में है। फीफा का प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का प्रसार करना तथा सत्यनिष्ठा और निष्पक्ष खेल को बढावा देना है। यह वर्ष 1930 में शुरू हुआ, पुरुष विश्व कप तथा वर्ष 1991 में शुरू हुए महिला विश्व कप सिहत अंतर्राष्ट्रीय टुर्नामेंटों के संगठन और प्रचार के लिये जिम्मेदार है।

## आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिये वैश्विक साझेदारी समूह

भारत ने 21 नवंबर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेतु वैश्विक

साझेदारी समूह की अध्यक्षता ग्रहण की। यह समूह मानव केंद्रित विकास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दायित्त्वपूर्ण उपयोग में सहायता के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने टोक्यो में इस समूह की बैठक में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। इस दौरान भारत ने फ्रॉस से प्रतीकात्मक रूप से समूह की अध्यक्षता ग्रहण की। भारत ने इससे पूर्व इंडोनेशिया के बाली में जी-20 संगठन की अध्यक्षता प्राप्त की थी। इसके अंतर्गत भारत ने समूह के सदस्य देशों के साथ विश्व भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सदुपयोग के लिये कार्ययोजना बनाने विशा में प्रतिबद्धता जाहिर की। भारत आधुनिक साइबर कानूनों और कार्ययोजना के लिये एक व्यवस्था तैयार कर रहा है जो पारदर्शिता, सुरक्षा और विश्वास तथा जबावदेही के सिद्धातों द्वारा संचालित होगी।

### क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान

केंद्रीय आयुष, पत्तन, नौवहन और जलमार्ग मंत्री ने 20 नवंबर, 2022 को सिलचर में क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (RRIUM) के अत्याधृनिक परिसर का उद्घाटन किया। अभी हाल में खोला गया यह संस्थान आयुष चिकित्सा प्रणालियों में से एक परंपरागत यूनानी चिकित्सा के बारे में पूर्वोत्तर मंय स्थापित पहला केंद्र है। 3.5 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैले इस नए परिसर का निर्माण 48 करोड़ रूपए की लागत से किया गया है। इस परिसर का विकास भारत सरकार के उद्यम-राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम (NPCC) द्वारा किया गया है। इसे भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन केंद्रीय युनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (CCRUM) को सौंपा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि यूनानी पद्धति न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक दवा पद्धतियों में से एक है। यनानी चिकित्सा पर यह अत्याधुनिक संस्थान अब सिलचर से काम कर रहा है ताकि लोगों को अच्छा उपचार प्राप्त करने और जीवन की गुणवत्ता को फिर से हासिल करने में मदद मिले। युनानी चिकित्सा का मुल विश्वास इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि मानव शरीर की अपनी ही स्वयं की उपचार शक्ति होती है जिसे बढ़ावा देने की जरूरत पड़ती है। इस चिकित्सा प्रणाली का मुख्य लाभ यह है कि यह हर्बल दवाइयों का उपयोग करके रोगों की रोकथाम और उपचार में मदद करती है।

### रेज़ांग ला

हाल ही में 18 नवंबर, 2022 को रेजांग ला की लड़ाई की 60वीं वर्षगाँठ मनाई गई। चुशुल घाटी के दक्षिण-पूर्वी रिज पर बर्फीले पहाड़ की चोटी पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच लड़ी गई 'रेजांग ला' की लड़ाई को अक्सर 1962 में युद्ध के दौरान महान भारतीय ताकत के प्रदर्शन के रूप में याद किया जाता है। 13 कुमाऊँ की चार्ली कंपनी के सैनिकों को 18 नवंबर, 1962 की उस सर्द रात में 'लास्ट मैन, लास्ट राउंड' तक लड़ने के लिये जिस तरह की ताकत की जरूरत थी, उसका उन्होंने प्रदर्शन किया था। इस कंपनी के 120 सैनिकों और अधिकारियों में से 114 की मौत हो गई फिर भी वे दुश्मन के 1000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराने

में कामयाब हुए थे। रेजांग ला, भारत के लद्दाख और चीनी प्रशासित स्पैंगुर (SPANGGUR LAKE) झील बेसिन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर एक पहाड़ी दर्रा है। यह चुशूल घाटी के पूर्वी वाटरशेड रिज पर स्थित है जिस पर चीन दावा कर रहा है। यह 16,000 फुट की ऊँचाई पर स्थित रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण चुशूल गाँव और स्पैंगुर झील के आसपास के ऊँचे पहाड़ों के बीच एक संकरी खाई है, जो भारतीय और चीनी दोनों क्षेत्रों में फैली हुई है।

### एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच

एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच-APEC के 21 सदस्य देशों ने आपूर्ति शृंखलाओं और बाजारों को खुला रखने के प्रति संकल्प व्यक्त किया है। APEC सदस्यों ने बैंकॉक में जारी संयुक्त घोषणापत्र में युद्ध के कारण होने वाली मानवीय पीड़ा का उल्लेख किया है। इसके अलावा युद्ध के कारण आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति, आपूर्ति शृंखला तथा ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा पर पड़ने वाले कुप्रभावों को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 29वीं APEC बैठक के बाद सदस्य देशों ने घोषणापत्र जारी किया। इसमें मजबूत, संतुलित, सुरक्षित, टिकाऊ और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिये APEC के सदस्य देशों की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई है। इसकी अगली बैठक वर्ष 2023 में अमेरिका में होगी।

### कामेंग जलविद्युत स्टेशन

हाल ही में प्रधानमंत्री ने कामेंग जलविद्युत परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है। राज्य के स्वामित्व वाली नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (NEEPCO) द्वारा 600 मेगावाट की कामेंग पनबिजली परियोजना विकसित की गई है। यह अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित है। यह परियोजना 80 किमी. से अधिक क्षेत्र में विस्तृत है जो लगभग 8,200 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की गई है। यह रन-ऑफ़-द-रिवर योजना कामेंग नदी की सहायक नदियों, बिचोम और टेंगा निदयों के जल का उपयोग करती है। इसमें 2 बाँध, बिचोम और टेंगा हैं एवं प्रत्येक वर्ष 3,353 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पन्न करने हेतु प्रत्येक 150 मेगावाट की चार इकाइयाँ शामिल हैं। यह तवांग ज़िले में भारत-तिब्बत सीमा पर बर्फ से ढकी गोरी चेन पर्वत (GORI CHEN MOUNTAIN) के नीचे हिमनद झील से निकलती है। कामेंग एक सीमा पारीय (Transboundary) नदी नहीं है। यह पश्चिम कामेंग ज़िले के भालुकपोंग क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश और असम के सोनितपुर जिले से होकर बहती है। अपने निचले बहाव क्षेत्र में यह एक गुंफित (BRAIDED) नदी बन जाती है और यह ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। यह असम के कोलिया भोमोरा सेतु पुल के पूर्व में स्थित तेजपुर में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है।

### हिंद-प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता 2022

23 नवंबर को नई दिल्ली में भारतीय नौसेना की तीन दिवसीय शीर्ष

स्तरीय क्षेत्रीय रणनीतिक वार्ता, हिंद-प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता 2022 शुरू हुई। यह एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो विचारों के आदान-प्रदान और हिंद-प्रशांत से संबंधित समुद्री मुद्दों पर विचार-विमर्श को बढ़ावा देता है। रक्षा राज्य मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि भारत समुद्री क्षेत्र में खतरों से निपटने के लिये पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने देश की समुद्री क्षमता बढ़ाने, समुद्री संसाधनों के सतत् प्रबंधन और सैन्य क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। नौसेना प्रमुख ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने में भारतीय नौसेना की पहुँच को रेखांकित किया।

### संगाई महोत्सव

मणिपुर संगाई महोत्सव 21 से 30 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। मणिपुर संगाई महोत्सव मणिपुर की विशिष्टता को प्रदर्शित करने हेतु प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाने वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इस उत्सव का नाम मणिपुर के राजकीय पशु, संगाई हिरण के नाम पर रखा गया है, जो केवल लोकटक झील में तैरते हुए केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। यह उत्सव कारीगरों और बुनकरों को स्वदेशी हस्तशिल्प और हथकरघा के माध्यम से अपनी रचनात्मकता एवं प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है। हेरिटेज पार्क में प्रदर्शित अलग अलग तरह से बनाई झोपड़ियों के माध्यम से विभिन्न जनजातियों की जीवन-शैली के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। स्थानीय लोग देशी खेलों में अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं जिसमें मणिपूर की प्रसिद्ध युद्ध कला (मार्शल आर्ट) थांग ता (भाला और तलवार के कौशल का संयोजन) के साथ-साथ अन्य खेल शामिल हैं। सगोल कांगजेई पोलो का स्वदेशी रूप है जो यहाँ बड़े पैमाने पर खेला जाता है। इन खेलों के अलावा विभिन्न स्थानों पर ट्रेकिंग, व्हाइट वाटर राफ्टिंग और पैरासेलिंग जैसे साहसिक खेलों का आनंद लिया जा सकता है।

### सोलोमन द्वीप

सोलोमन द्वीप में 22 नवंबर, 2022 को 7.0 तीव्रता का भूकंप आया। इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप जावा में आए भूकंप के बाद सोलोमन द्वीप में यह भूकंप आया है। सोलोमन द्वीप पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में मेलानेशिया में स्थित एक राष्ट्र है, जिसमें 990 से अधिक द्वीप शामिल हैं। इसकी राजधानी होनियारा है, जो कि ग्वाडलकैनाल द्वीप पर स्थित है। इसमें ज्वालामुखीय द्वीपों और प्रवाल द्वीपों की दोहरी शृंखला शामिल है। मेलानेशिया दक्षिण-पश्चिमी प्रशांत महासागर में ओशिनिया का एक उपक्षेत्र है। बुका और बोगनिवले के अपवाद के साथ सोलोमन शृंखला का अधिकांश हिस्सा इस देश में शामिल है, जो कि उत्तर-पश्चिमी छोर पर पापुआ न्यू गिनी नामक एक स्वायत्त क्षेत्र का निर्माण करते हैं। यह द्वीप एक संवैधानिक राजतंत्र है, जिसका प्रतिनिधित्व ब्रिटिश सम्राट द्वारा नियुक्त गवर्नर-जनरल करता है, जो राज्य के औपचारिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है।

### अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस

महिलाओं पर होने वाली हिंसा को रोकने के लिये प्रतिवर्ष 25 नवंबर को विश्व भर में 'अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस' (International Day for the Elimination of VIOLENCE AGAINST WOMEN) मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकना और महिलाओं को उनके बनियादी मानवाधिकारों एवं लैंगिक समानता के विषय में जागरूक करना है। महिला अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा वर्ष 1981 से प्रतिवर्ष 25 नवंबर को लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ लडने हेतु इस दिवस का आयोजन किया जाता है। 07 फरवरी, 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक संकल्प पारित किया, जिसमें 25 नवंबर को 'अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मुलन दिवस' के रूप में नामित किया गया। इस दिवस का आयोजन 'मिराबाई बहनों' (डोमिनिकन गणराज्य की तीन राजनीतिक कार्यकर्ता) के सम्मान में किया जाता है, जिन्हें वर्ष 1960 में देश के शासक 'राफेल ट्रुजिलो' के आदेश पर बेरहमी से मार दिया गया था। भारत में लैंगिक समानता (GENDER EQUALITY) का सिद्धांत भारतीय संविधान में निहित है,साथ ही महिलाओं को लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किये जाने (अनुच्छेद 15) और विधि के समक्ष समान संरक्षण (अनुच्छेद 14) का मूल अधिकार प्राप्त है। महिला सशक्तीकरण से संबंधित प्रमुख सरकारी योजनाएँ इस प्रकार हैं: बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना।

### भारत-अफ्रीका हैक्थॉन-22

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 25 नवंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में यूनेस्को की ओर से आयोजित भारत-अफ्रीका हैक्थॉन-22 (UIAH) के समापन समारोह को संबोधित किया। हैक्थॉन का आयोजन भारत और अफ्रीका के बीच गहरे संबंधों तथा मौजूदा चुनौतियों का मिलकर सामना करने की एकजूट भावना के प्रतीक के रूप में आयोजित किया गया है। यह युवाओं को सामाजिक तथा पर्यावरण और तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिये नवाचारों की संभावनाओं का पता लगाने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। हैकाथॉन कार्यक्रम का उद्देश्य नई प्रौद्योगिकियों या कौशल की खोज करना, व्यावसायिक नवाचार को बढ़ावा देना, इनक्यूबेशन कार्यक्रमों की सोर्सिंग, संभावित स्टार्ट-अप बनाना, ब्रांडिंग, सामाजिक कारणों का समाधान खोजना व भविष्यवाणी करने के लिये डेटा का विश्लेषण करना है। साथ ही इसमें LIFE मिशन के तहत UIAH 2022 के लिये चुने गए पाँच उप विषय- शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, पेयजल तथा स्वच्छता, कृषि एवं स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्रों में समाधान पर भारत व अफ्रीकी देशों के बीच मंथन भी होगा। भारत-अफ्रीका हैक्थॉन में 22 अफ्रीकी देश भाग ले रहे हैं। इसमें बोत्सवाना, कैमरून, एस्वातिनी, इथियोपिया, गिनी, जाम्बिया, घाना, गिनी बिसाऊ, केन्या, लेसोथो, मलावी, माली, मॉरीशस, मोरक्को, मोजांबिक, नामीबिया, नाइजर, सिएरा-लियोन, तंज्ञानियाा, टोगो, युगांडा और जिम्बाब्वे शामिल हैं।

### राष्ट्रीय दुग्ध दिवस

भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉ. वर्गीज़ कुरियन के जन्मदिन को 'राष्ट्रीय दुग्ध दिवस' के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2014 में 26 नवंबर के दिन भारतीय डेयरी एसोसिएशन (IDA) ने पहली बार यह दिवस मनाने की पहल की थी। ध्यातव्य है कि डॉ. वर्गीज कुरियन के मार्गदर्शन में ही भारत में कई महत्त्वपूर्ण संस्थाओं जैसे- गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का गठन किया गया। वर्ष 1970 में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि तथा ग्रामीण क्षेत्र की आय बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए 'ऑपरेशन फ्लड' की शुरुआत की गई। डॉ. कुरियन ने किसानों और श्रमिकों द्वारा चलाए जा रहे कई संस्थानों की स्थापना के अतिरिक्त लोकप्रिय डेयरी ब्रांड अमूल की स्थापना एवं सफलता में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत 22 प्रतिशत वैश्विक उत्पादन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और ब्राजील का स्थान है। यह दिवस इस तथ्य को उजागर करने के लिये मनाया जाता है कि किस प्रकार डेयरी एक अरब लोगों की आजीविका का एक प्रमुख साधन है। भारत बीते कुछ वर्षों में 150 मिलियन टन से अधिक दुग्ध उत्पादन के साथ विश्व में दुग्ध का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। जहाँ एक ओर वर्ष 1955 में भारत का मक्खन आयात 500 टन था, वहीं वर्ष 1975 तक दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का सभी प्रकार का आयात लगभग शुन्य हो गया, क्योंकि इस समय तक भारत दुग्ध उत्पादन में आत्मिनर्भर हो गया था। इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव पहल के तहत केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड परिसर में एक समारोह का आयोजन भी किया।

## संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों की घोषणा

संगीत नाटक अकादमी ने वर्ष 2019, 2020 और 2021 के पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक-कला, कठपुतली एवं प्रदर्शन कला क्षेत्र से कुल 128 कलाकारों का चयन किया गया है। अकादमी की महापरिषद ने सर्वसम्मति से दस प्रतिष्ठित कलाकारों को अकादमी फेलो के रूप में चुना है। अकादमी फेलो सम्मान में ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के साथ तीन लाख रुपए की नकद राशि. जबकि संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार के लिये एक लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। संगीत नाटक अकादमी ने प्रदर्शन कला के 86 कलाकारों को इस पुरस्कार के लिये चुना है। इनमें 75 साल से अधिक उम्र के वे कलाकार भी शामिल हैं जिन्हें अब तक कोई राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिला है। ये पुरस्कार आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रदान किये जा रहे हैं। अकादमी ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिये हिंदुस्तानी और कर्नाटक शैली से बाँसुरी, सितार और मृदंगम वादन तथा गायन क्षेत्र से 102 कलाकारों का चयन किया है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार संगीत, नृत्य, रंगमंच, पारंपरिक/लोक/जनजातीय संगीत/नृत्य/थिएटर, कठपुतली तथा प्रदर्शन कला आदि में समग्र योगदान/छात्रवृत्ति के क्षेत्र के कलाकारों को पुरस्कार दिये जाते हैं। अकादमी पुरस्कार में ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के साथ एक लाख रुपए का नकद पुरस्कार शामिल है। संगीत नाटक अकादमी संगीत, नृत्य और नाटक के लिये भारत की राष्ट्रीय अकादमी है। वर्ष 1952 में (तत्कालीन) शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा डॉ. पी.वी. राजमन्नार को इसके पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। यह वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है और इसकी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित है। अकादमी प्रदर्शन कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थानों तथा परियोजनाओं की स्थापना व देखभाल करती है।

### अनवर इब्राहिम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के नविनर्वाचित प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को बधाई दी है। अनवर इब्राहिम ने 24 नवंबर, 2022 को नेशनल पैलेस में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वर्ष 1990 के दशक में वे मलेशिया के उपप्रधानमंत्री रह चुके हैं। इब्राहिम ने ग्रामीण गरीबी एवं देश को प्रभावित करने वाली अन्य सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों के खिलाफ विरोध की अगुयाई की। इब्राहिम ने वर्ष 1971 में मलेशिया के मुस्लिम यूथ मूवमेंट की स्थापना की। हालाँकि बाद में वह यूनाइटेड मलेशियाई नेशनल ऑर्गनाइजेशन पार्टी में शामिल हो गए और वित्त मंत्री बने। वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने स्वतंत्र रूप से विभिन्न राजनीतिक निर्णयों को लागू किया जिससे मलेशिया को एशियाई वित्तीय संकट के प्रभाव से बचने में मदद मिली।

### राष्ट्रीय कैडेट कोर

राष्ट्रीय कैडेट कोर/राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स (NATIONAL CADET CORPS- NCC) 27 नवंबर, 2022 को अपना 74वाँ स्थापना दिवस मना रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा गणवेशधारी युवा संगठन है। NCC दिवस पर कैडेट ने 27 नवंबर को समूचे देश में मार्च पास्ट, सांस्कृतिक गतिविधियों और सामाजिक विकास के कार्यक्रमों में भाग लिया। NCC युवाओं को उनके विकास के लिये विभिन्न प्रकार के अवसर प्रदान करता है। इस संगठन के अनेक कैडेटस ने खेल और साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। NCC ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में भी पिछले चार दशक में कैडेटस को मंच प्रदान किया है। NCC का गठन वर्ष 1948 (एच.एन. कुंजरु समिति-1946 की सिफारिश पर) में किया गया था और इसकी जड़ें ब्रिटिश युग में गठित युवा संस्थाओं, जैसे-युनिवर्सिटी कॉर्प्स या युनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कॉर्प्स (University Corps or University Officer Training Corps) में हैं। जिसे भारतीय सेना में कर्मियों की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से भारतीय रक्षा अधिनियम, 1917 के तहत निर्मित किया गया था। बाद में वर्ष 1949 में NCC का विस्तार गर्ल्स डिवीज़न को शामिल करने हेत् किया गया ताकि देश की रक्षा के लिये इच्छुक महिलाओं को समान अवसर प्रदान किया जा सके।

### पिलाउल्लाकांडी थेक्केपरांबिल उषा - पीटी उषा

एथलीट और राज्यसभा की मनोनीत सांसद पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। इस पद की वो इकलौती दावेदार थीं। इस संबंध में चुनाव 10 दिसंबर को होने थे, लेकिन विपक्ष में कोई और उम्मीदवार नहीं होने की वजह से उन्हें IOA की पहली महिला अध्यक्ष चुन लिया गया है। पीटी उषा को 'पय्योली एक्सप्रेस, उड़नपरी' के नाम से भी जाना जाता है और वह देश की सबसे सफल एथलीटों में से एक हैं। पीटी उषा ने वर्ष 1982 से 1994 तक एशियाई खेलों में चार स्वर्ण सिहत 11 पदक जीते। उन्होंने वर्ष 1986 के सियोल एशियाई खेलों में सभी चार स्वर्ण (200 मीटर, 400 मीटर, 400 मीटर बाधा दौड और चार गुणा 400 मीटर रिले) पदकों के साथ ही 100 मीटर में रजत भी जीता था। उषा ने 1982 नई दिल्ली एशियाई खेलों में 100 मीटर और 200 मीटर में पदक जीते। कुल मिलाकर उन्होंने 1983 से 1998 तक एशियाई चैम्पिपयनशिप में कुल 23 पदक जीते। पीटी उषा वर्ष 1984 के ओलिंपिक 400 मीटर बाधा दौड़ के फाइनल में चौथे स्थान पर रहीं थी। भारतीय ओलंपिक संघ भारत की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (NOC) है। इसका कार्य ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों व अन्य अंतर्राष्ट्रीय बहु-खेल प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्त्व करने वाले एथलीटों का चयन करना और भारतीय टीम का प्रबंधन करना है। यह भारतीय राष्ट्रमंडल खेल संघ की तरह ही कार्य करता है, तथा राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्त्व करने वाले एथलीटों का भी चयन करता है।

### अब्देल फतेह अल सिसी

मिस्र के राष्ट्रपित अब्देल फतह अल सिसी को अगले वर्ष 26 जनवरी, 2023 को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पहली बार मिस्र के राष्ट्रपित भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और मिस्र के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। दोनों देश इस साल राजनियक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगाँठ मना रहे हैं। वर्ष 2022-23 में भारत की जी-20 की अध्यक्षता के दौरान मिस्र को 'अतिथि देश' के रूप में आमंत्रित किया गया है। अब्देल फतेह अल-सिसी जिनका जन्म 19 नवंबर, 1954 की हुआ था, मिस्र के सोलहवें राष्ट्रपित हैं। वह वर्ष 2014 से लगातार मिस्र के राष्ट्रपित के पद पर है।

### कामचटका प्रायद्वीप

हाल ही में कामचटका प्रायद्वीप में दो ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं। वे रूस के उत्तरपूर्वी भाग के छह ज्वालामुखियों में से हैं जिनमे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। कामचटका प्रायद्वीप रूस के साइबेरिया क्षेत्र के सुदूर पूर्व में 1,250 किमी. लंबा प्रायद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 472,300 वर्ग किमी. है। यह उत्तर में साइबेरिया से जुड़ा हुआ है। इसके पूर्व में प्रशांत महासागर है और पश्चिम में ओखोत्स्क सागर है। कामचटका प्रायद्वीप "रिंग ऑफ फायर" का भाग है। कामचटका का अधिकांस क्षेत्र पहाड़ी है और इसपर लगभग 160 ज्वालामुखी स्थित हैं, जिनमें से 29 अभी भी

सिक्रिय माने जाते हैं। इनमें से एक ज्वालामुखी, क्लुचेव्स्काया सोप्का, 15,584 फुट ऊँचा है और पृथ्वी के उत्तरी गोलार्द्ध का सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना जाता है। कामचटका पर विविध प्रकार के पशु-पक्षी पाए जाते हैं, जिनमें से ब्राउन बिअर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है जो बहुत बड़े आकार का होता है।

#### 7वाँ वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन

7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन (GLOBAL TECHNOLOGY SUMMIT- GTS) भारत की ओर से आयोजित इस तीन दिवसीय इस सम्मेलन में प्रतिनिधि भौतिक और वर्चुअल दोनों तरीकों से भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया की मेजबानी में भू-प्रौद्योगिकी पर होने वाला यह भारत का प्रमुख वार्षिक सम्मेलन है। इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को विदेश मंत्री संबोधित करेंगे और इसका मुख्य विषय भ्-डिजिटल व्यवस्था और इसके प्रभाव हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी, सरकार, सुरक्षा, अंतरिक्ष, स्टार्टअप, डाटा, कानून, लोक स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, अकादिमक और आर्थिक मुद्दों पर विश्व के प्रमुख बुद्धिजीवी अपने विचार प्रस्तुत करने के साथ-साथ प्रौद्योगिकी तथा इसके भविष्य के संबंध में महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। GTS 2022 में 50 से अधिक पैनल चर्चा, मुख्य भाषण, पुस्तक विमोचन और अन्य कार्यक्रमों में 100 से अधिक वक्ता भाग लेंगे। अमेरिका, सिंगापुर, जापान, नाइजीरिया, ब्राजील, भूटान, यूरोपीय संघ और अन्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।

### अंतर्राष्ट्रीय जगआर दिवस

जगुआर के लिये बढ़ते खतरों और उसके अस्तित्त्व के संरक्षण के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाने की शुरुआत हुई। यह प्रतिवर्ष 29 नवंबर को मनाया जाता है। जैव विविधता संरक्षण, सतत् विकास और मध्य एवं दक्षिण अमेरिका की सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया जाता है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा

वाइल्ड कैट है। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली (दिल्ली चिड़ियाघर) ने 29 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय प्राणी उद्यान द्वारा जू-वॉक और बिग कैट्स एवं जगुआर पर एक्सपर्ट से बातचीत जैसी कई गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस दिवस का लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के व्यापक प्रयासों के हिस्से के रूप में जगुआर कॉरिडोर और उनके आवासों के संरक्षण की जरूरत पर ध्यान आकर्षित करना है। जगुआर (पैंथेरा ओंका) को अक्सर तेंदुआ समझ लिया जाता है लेकिन उनके शरीर पर बने धब्बों के कारण आसानी से अंतर किया जा सकता है। वैसे इस प्रजाति के कई कैट्स पानी से दूर रहते हैं लेकिन जगुआर अच्छे से तैर सकते हैं। इन्हें पनामा नहर में तैरने के लिये भी जाना जाता है।

### कार्बन संकलन, उपयोग और भंडारण नीति:

नीति आयोग ने 29 नवंबर को कार्बन संकलन, उपयोग और भंडारण-(CARBON CAPTURE, UTILISATION AND STORAGE-CCUS) नीति के ढाँचे का शुभारंभ किया। इससे संबंधित रिपोर्ट ऊर्जा और विद्युत क्षेत्र के विभिन्न पक्षों से प्राप्त बहुमूल्य सूचना के आधार पर तैयार की गई है। इससे पहले सरकार ने अपस्ट्रीम अन्वेषण और उत्पादन कंपनियों के लिये वर्ष 2030 CCUS रोड मैप से संबंधित प्रारूप नीति को देश में सभी पक्षों से सुझाव लेने हेतु सार्वजनिक किया था। CCUS नीति ढाँचे का उद्देश्य भारत में कार्बन संकलन, उपयोग और भंडारण से संबंधित अनुसंधान एवं विकास में तेज़ी लाने के लिये एक व्यावहारिक ढाँचा विकसित तथा लागु करना है। चीन और अमरीका के बाद भारत तीसरा सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाला देश है जो प्रतिवर्ष 2 दशमल 6 गीगा टन उत्सर्जन करता है। भारत के लिये अपने कार्बन उत्सर्जन को समाप्त करने का लक्ष्य हासिल करने हेतु कार्बन संकलन, उपयोग और भंडारण अत्यंत आवश्यक है। ग्लास्गो में विगत वर्ष प्रदूषण से संबंधित सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन हासिल करने की घोषणा की थी। भारत सरकार वर्ष 2050 तक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को आधा करने के लिये संकल्पित है। ऐसे में वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने में CCUS की महत्त्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका रहेगी।